संविधान सभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

संपादक

ज्ञान सिंह

संविधान सभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

© प्रकाशक

संस्करण : 2011

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रक :
विकास कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032

समर्पित
उस भारतीय को,
जिसका जीवन ईमानदार
श्रम पर टिका है।

संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह

(सदन में दिए भाषणों का संकलन)

संपादन
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

भाग–द्वितीय : संविधान सभा (विधायी) में

1. कॉटन टेक्सटाइल उपकर विधेयक, 1948 पर
2. भाखड़ा पर यमुना घाटी निगम की स्थापना पर
3. रेल बजट, 1948 पर
4. आम बजट, 1948 पर
5. कृषकों पर
6. कृषि मंत्रालय के लिए स्थायी समिति का चुनाव
7. राहत व पुनर्वास मंत्रालय की स्थायी समिति का चुनाव
8. विद्युत (आपूर्ति) विधेयक, 1948 पर
9. भारतीय रेल विधेयक, 1948 पर
10. रिजर्व बैंक विधेयक, 1948 पर
11. आवश्यक चीजों की कीमतों के पुनर्मूल्यांकन पर
12. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर
13. अधिक खाद्य उत्पादन अभियान पर
14. हिंदू विवाह वैधता विधेयक, 1949 पर
15. आम बजट, 1949 पर
16. भारतीय वित्त विधेयक, 1949 पर
17. 'नियंत्रण' की अवधि के पुनर्विस्तार पर
18. भारत के लिए चाय समिति बिल, 1949 पर
19. बाल विवाह निरोधक विधेयक, 1949 पर
20. आवश्यक आपूर्ति विधेयक, 1949 पर

भाग–तृतीय :

प्रश्न और उत्तर
कालक्रम
परिशिष्ट–क

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

D.O. No. CMH-2011 / 555
मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़
CHIEF MINISTER, HARYANA
CHANDIGARH

Dated 24-02-2011

आमुख

मेरे पिताश्री पूज्य चौधरी रणबीर सिंह द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषणों का हिन्दी संस्करण महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा स्थापित चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह समय की मांग थी। इससे पहले पीठ द्वारा इन भाषणों का अंग्रेजी संस्करण *"Making of Our Constitution : Speeches of Chaudhry Ranbir Singh in the Constituent Assembly of India"* प्रकाशित किया जा चुका है।

संविधान सभा में दिए गए भाषणों में चौधरी रणबीर सिंह ने अपने दिल की बात कही हैं। वे हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों और मेहनतकश लोगों को वाणी देते रहे। चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन समाज–उत्थान, राष्ट्र–निर्माण एवं जन–कल्याण में लगा दिया। उन्होंने अपने पिताश्री आदरणीय चौधरी मातूराम का आशीर्वाद लेकर स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़चढ़कर भाग लिया और महात्मा गाँधी, लाला लाजपत राय, सरदार किशन सिंह जैसे महान् देशभक्तों का अनुसरण करते हुए त्याग एवं कुर्बादियां दीं और एक सच्चे सत्याग्रही की भांति हंसते–हंसते तीन वर्ष की कठोर कैद और दो वर्ष की नजरबन्दी झेली। उन्होंने लोकतंत्र में इतिहास रचते हुए सात विभिन्न सदनों की शोभा बढ़ाई।

चौधरी साहब सामान्यतः अखबारी प्रचार से दूर रहते थे। स्व–प्रचार की उन्हें आदत नहीं थी, इससे उनके जीवन के अनेक पहलू अछूते

विषय सूची

आमुख
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, (मुख्यमंत्री, हरियाणा)
दो शब्द
प्रो आर.पी. हुड्डा, (कुलपति)
आभार
प्रस्तावना हेतु
ज्ञान सिंह

भाग–प्रथम : संविधान सभा में

1. साख की प्रस्तुति और रजिस्टर पर हस्ताक्षर
2. प्रथम भाषण
3. आरक्षण पर
4. हरियाणा और अन्य मामलों के गठन पर
5. अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य, और अन्य मामलों पर
6. भूमि होल्डिंग्स और अन्य मामलों के न्यूनतम पर
7. पूर्वी पंजाब की राजधानी के रूप में पुरानी दिल्ली पर
8. पुरानी दिल्ली से पंजाब के साथ विलय पर
9. किसान पर करों का बोझ और अनुसूचित जातियों पर
10. लोक सेवा आयोग और नयी रोजगार नीति पर
11. कीट नियंत्रण की समस्या पर
12. भूमि राजस्व की एकरूपता पर
13. कृषि की समस्याओं पर
14. किसानों की समस्याओं पर

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY
ROHTAK-124 001, (HARYANA) INDIA
Off. : 01262-274327, 292431
Res. : 01262-274710
Fax : 01262-274133, 274640

VICE-CHANCELLOR

दिनांक : 22.02.2011

दो शब्द

प्रसन्नता है कि शोध–पीठ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, सुयोग्य प्रशासक और गाँधीवादी नेता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषणों का हिन्दी संकलन *''संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह''* प्रकाशित हो रहा है। इसका अंग्रेजी संस्करण *"Making of Our Constitution : Speeches of Ch. Ranbir Singh"* गतवर्ष प्रकाशित हो श्चित तौरपर इस हिन्दी संस्करण से सामान्य पाठक वर्ग ोगा।

चौधरी रणबीर सिंह की संविधान निर्माण में महत्ती भूमिका रही। उन्होंने संविधान सभा में एक आम किसान व मजदूर से लेकर दलितों, पिछड़ों, असहायों और अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित मुद्दों को बड़ी गंभीरता से उठाया। समाज व देशहित में चौधरी साहब ने हमेशा अपनी आवाज बुलन्द की। संविधान निर्माण सभा में चौधरी साहब द्वारा दिए गए हर भाषण एवं उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न में आम जनमानस के हित झलकते हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का मैं तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस हिन्दी संस्करण का आमुख लिखा और हमारा हौसला बढ़ाया।

हैं। हरियाणा के निर्माण में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी। वे जिस पद पर भी रहे, हमेशा जन–कल्याण पर ध्यान दिया। आम लोगों की कसक को समझा और पूर्ण निष्ठा से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया। संविधान सभा में भी उनके हितों के लिए बड़े बेबाक व निडर होकर आवाज उठाई।

संविधान सभा में चौधरी साहब द्वारा दिए गए भाषणों के हिन्दी में प्रकाशित होने से समाज के बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा और वे अपने महापुरूष के विचारों, सिद्धान्तों एवं मूल्यों से भलीभांति परिचित होंगे, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ।

आशा करता हूँ कि सामान्य सुधी पाठकों को यह महत्वपूर्ण प्रकाशन भायेगा और अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

आभार

संविधान सभा में महान स्वतंत्रता सेनानी माननीय चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों, सुझावों एवं जन–हित में पूछे गए प्रश्नों पर तीन भाग के इस संकलन को सुधी पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के हाथों तक पहुँचाने में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रशासन से भरपूर सहयोग मिला है। पहले व द्वितीय भाग का हिन्दी रूपान्तरण लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संकलन के अनुरूप है। तीसरे भाग का अंग्रेजी से अनुवाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में कार्यरत प्रो. माया मलिक द्वारा किया गया है। उनसे मिले सामयिक सहयोग के लिए हृदय से पीठ आभारी है।

हमारे आग्रह पर प्रकाशन का आमुख लिख भेजने पर हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा प्रस्तुति में दो शब्द लिखने के लिए उप–कुलपति डा.आर.पी. हुड्डा के लिए पीठ दिल से आभारी है।

इस प्रकाशन के अल्प–अवधि में तैयार करने में पीठ में मेरे सहयोगी राजेश कश्यप व धर्मबीर हुड्डा की महत्ती भूमिका रही है। श्री स्नेह कुमार की सहायता से हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इनके प्रति पीठ धन्यवादी है।

अध्यक्ष
शोध–पीठ

इस प्रयास के जरिए चौधरी साहब की सोच, दूरदृष्टिता, कार्यशैली एवं अन्य विशिष्टताएं निःसन्देह आम जन तक पहुंचेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

(आर.पी.हुड्डा)

प्रस्तावना हेतु

माननीय चौधरी रणबीर सिंह जी पंजाब से संविधान सभा के सदस्य थे। उस समय हरियाणा पंजाब का अंग था। एक लम्बी अवधि तक चले स्वतन्त्रता आन्दोलन के फलस्वरूप जब देश ब्रिटिश शासन की गुलामी से स्वतंत्र होने की दहलीज पर पहुंचा तो उसे अपनी शासन–प्रणाली तय करनी थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। स्वयं यह स्वतन्त्रता आन्दोलन, प्लासी युद्ध के बाद यहां पैर जमा चुकी, ब्रिटिश सत्ता के शोषण व दमन के विरुद्ध उठी 1857 की जन–बगावत के अनुभवों से उभरी सोच की अगली कड़ी के रूप में उठा था। आजादी मिलने पर देश को कैसा रूप लेना है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण था। यह जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को नयी दिल्ली में हुई। पंजाब विधान सभा ने खाली स्थानों हेतु 10 जुलाई, 1947 को चौधरी रणबीर सिंह को अन्य 11 सदस्यों के साथ संविधान सभा के लिए चुन कर भेजा। चुने जाने के बाद, 14 जुलाई, 1947 को, चौधरी साहिब ने 33 वर्ष की उम्र में इस सदन की सदस्यता हेतु शपथ ली। वे इस सदन में सब से कम उम्र के सदस्य थे। सदन के कार्यकाल में उनकी सजग सक्रियता रही। उन्होंने देश व अपने क्षेत्र की नब्ज को टटोला और अपनी बेबाक बात सदन में रखी।

यह प्रकाशन संविधान सभा में आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी की प्रस्तुतियों का संकलन है। इससे पहले *पीठ* की ओर से अंग्रेजी संस्करण बीते वर्ष पाठकों के बीच आ चुका था। इसके हिंदी संस्करण की आवश्यकता है जिससे आम जन तक यह विषयवस्तु पहुंच सके। साथ ही उद्देश्य है कि इस महान देशभक्त और हरियाणा

के अनमोल रत्न चौधरी साहिब के बहु–आयामी व्यक्तित्व को ठीक से जानने–समझने के लिए यह बुनियादी सामग्री सहज उपलब्ध हो।

I

चौधरी रणबीर सिंह एक महान स्वतन्त्रता सैनानी थे। उन्होंने निर्भीक अपने देश तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं पर स्पष्ट नजरिया रखा, अवसर मिलते ही इसके विकास में अपना कंधा लगाया और इसके इतिहास पर छाप छोडी। वे जिन्दगी भर सामाजिक–राजनीतिक पटल पर सजग भूमिका निभाते रहे। 93 साल की उम्र पा कर, पहली फरवरी 2009 को रोहतक में उनका निधन हो गया था। निधन पर देश–प्रदेश ने गहरा शोक जताया। युवा पीढी का भी ध्यान गया कि उनका बुजुर्ग किस मिट्टी का बना था। यह देख लेना भी आवश्यक है कि किस अंदाज में देश का यह संवैधानिक खाका तय हुआ था तथा कौन सवाल/पहलू प्रमुखता पाने से रह गए।

सामान्य समझ से, किसी देश के लिए चुने गए राजनीतिक दर्शन से मेल खाते हुई आशा–आकांक्षाओं को, ठोस परिस्थिति में, रूप देने हेतु संविधान एक न्यायायिक आधार का राजनीतिक व प्रशासनिक दस्तावेज होता है। किन्तु यह किसी तरह के राजनीतिक आदर्श–सिद्धान्त का दस्तावेज न होकर अपनी–अपनी सामयिक विशिष्टताओं व जरूरतों को समेटता होता है। अमरीका का संविधान वहां की अपनी खासियतों के जनतन्त्र का रूप है जहां रैड इंडियंस् की पूरी आबादी को खत्म करने के बाद छोटे–छोटे किसानों की जमीने बैंकों के हवाले करके उन्हें नेस्तोनाबूद करना कभी जुर्म नही माना गया[1], तो ग्रेट ब्रिटेन का अलिखित संविधान राजाशही के मुकुट का जनतन्त्र है। इसी तरह भारत का संविधान कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच टकराव के चलते स्वशासी प्रान्तों का परिसंघ होते–होते रह गया और अन्त में एक केन्द्रिभूत संघ बना तथा पाकिस्तान एक

1. अमरीका के राष्ट्रपति, थ्योडर रूज्वैल्ट का जनवरी 1886 के एक भाषण मे कथन था कि अच्छा रैड इंडियंन मरा हुआ रैड इंडियंन है'। यह कह कर वे अपनों के बीच बड़े लोकप्रिय हुए!

मुस्लिम राजतन्त्र हुआ। दोनों जगह सामान्यत ब्रिटिश शासनकाल के कानून से बंधा हुआ तन्त्र आज भी इनकी जीवन लीला को हांकता आ रहा है!

स्वतन्त्र भारत का संविधान यहां की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार दस्तावेज है। इससे आशा थी कि यह स्वतन्त्रता आन्दोलन की आशा–आकांक्षाओं का दर्पण बने; उसके भविष्य की एक तस्वीर का आईना। इसके निर्माण की प्रक्रिया तय करने के क्रम में संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनांक 13. 12. 1946 को जो 'लक्ष्य–प्रस्ताव'[2] पेश किया उसका सारांश यही कहता लगता है। संविधान निर्माता अन्त तक यह लक्ष्य कितना प्राप्त कर सके, इसपर दो मत हो सकते हैं, किन्तु उस समय, ऐसी आशा अवश्य बंधी थी कि परतन्त्रकाल में गंवाए हुए समय की क्षतिपूर्ति होगी, उक्त गुलामी के घाव भरेंगे और जल्दी से जल्दी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान होगा। सभा में सदस्यों ने इस तरह की इच्छा प्रकट भी की थी।

संविधान सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग–अलग राजनीतिक निष्ठाओं को लेकर एक से बढ कर एक दिग्गज प्रतिनिधि पहुंचे थे। इनसे लोगों की उम्मीदें बंधी थीं। ऐसे सदस्यों में एक चौधरी रणबीर सिंह थे जो हरियाणा के ग्रामीण आंचल से कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध थे। उनका व्यक्तित्व स्वतन्त्रता आन्दोलन की संस्कृति से तप कर बना था। इस महानायक के सही–सही मूल्यांकन हेतु उस संघर्ष पर निगाह डालना आवश्यक है जिसने उनकी सोच एवं जीवन–मूल्यों को रंगा था। संविधान सभा में उनकी कारगुजारी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके आयाम को ठीक से समझा जाना चाहिए तभी इसमें प्रतिभागियों की भूमिका को समझने/परखने में आसानी हो सकेगी। सदन में कहे का अर्थ उसी पृष्ठभूमि की समझ से बंधा है।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को उसके अस्थाई अध्यक्ष डा. सच्चिानंद सिन्हा की देखरेख में प्रातः 11 बजे आरम्भ हुई जिसमें उस दिन 207 सदस्यों ने हाजरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने व 17 दिन

2. देखें: परिशिष्ट क, पृष्ठ 292–336

इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि बाहर से यहां आ धमकी इस व्यापारीनुमा लुटेरी सभ्यता से पनपी गुलामी का दर्द जल्दी ही गहराने लगा और गुलाम बनाने वाली प्रवृति के विरुद्ध आमजन के दिलों में नफरत खड़ी हो गई। धन–दौलत व गोला–बारूद की ताकत पर दूसरों को गुलाम बना कर लूटने वाली मानसिकता का आमजन में विरोध जगा। विद्रोह का माहौल बना। जगह–जगह बगावतों का सिलसिला चल निकला। कहीं किसान भड़क उठे तो कहीं बिरसा–मुण्डा आदिवासियों ने हुंकार भरी, तो कहीं छोटा नागपुर के तानाभक्तों ने लौ जलाई। कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां अलग–अलग कारण से लोगों ने इन शासकों को न ललकारा हो। 1857 की व्यापक जन–बगावत इस नफरत का प्रतिमान बनी तो दमन का भी नया चेहरा उभरा। इसके कुछ ही समय पश्चात् एक समय आया जब स्वतन्त्रता आन्दोलन ने नया आकार लिया, पहले की चोट से सबक लेकर आजादी की लौ फूटी। आशा जगी कि देश के लोग अब अपना घर, अपने हाथ संवारेंगे।

गुलामी की पीड़ा

परतन्त्रता का इतिहास अजब संयोगों से भरा है। पहले, भारत व यूरोप के बीच व्यापार के विभिन्न मार्ग थे। वर्ष 1453 ई. में कुस्तुनुनिया पर तुर्की के अधिकार के बाद व्यापार के लिए स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया, वीनस (इटली) पर अरबी व्यापारियों के कब्जे से उपलब्ध मार्ग बन्द हो गए तो यूरोप वालों के लिए विकल्प था कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करें या भारत के लिए किसी अन्य मार्ग की खोज हो। इसके लिए समुद्री मार्ग की तलाश आरम्भ हुई। कोई अमरीका जा पहुंचा तो कोई भारत के किनारे आ लगा। यूरोप ने इस सफलता को उत्सव के रूप में लिया और इस महाद्वीप के साथ व्यापारिक सम्बंध स्थापित करने के लिए होड़ लग गई। क्रेमब्राल ने 1500 में कोचीन और वास्कोडिगामा ने सन् 1502 में कम्पनी स्थापित की। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकुर्क ने 1510 में गोवा को जीता। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने दमन, दीव, चोल,बम्बई, सैट थोमस, हुगली, चटगाँव, नागापट्नम

आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज, डच, व फ्रांसिसी पीछे नहीं रहे। लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। अन्ततः अंग्रेज व्यापारी अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो गए। 31 दिसम्बर, 1600 को लन्दन में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का गठन हुआ। भारत के साथ व्यापार को संस्थागत करने का प्रयास सन् 1612 से आरम्भ हुआ। सन् 1615–19 के बीच पहले–पहल सूरत, अहमदाबाद व भड़ोच में कारोबार आरम्भ करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई। सन् 1602 में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी। सन् 1664 में फ्रांस ने भारत अभियान चालू किया।[3] व्यापारियों का कारवां बढ़ता चला गया। इनके आपसी टकराव बढ़े। स्थान कब्जाने के लिए चक्रान्त हुए, नीच से नीच हथकण्डे प्रयोग में आए। विरोध उठा, जगह–जगह बगावतें हुई। स्थानीय राजा–रजवाड़ों व उनके सिपहसालारों को रिश्वत देने व खरीद–बेच का सिलसिला चला। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद, इंग्लैण्ड को यहां अपने पंजे गड़ा लेने का हौसला मिल गया। इसके पश्चात् ब्रिटिश शासकों द्वारा आमजन की सोच को पलटने का अभियान आरम्भ हुआ और अपने कृत्य को नयी तहज़ीब बताने का सिलसिला चल निकला! अठारहवीं सदी के अन्त व उन्नीसवीं सदी का आरम्भ होते–होते भारत इस ब्रिटिश पूंजी के हितों का एक औपनिवेशिक हीरा बन गया था। यह अब ब्रिटिश उपनिवेश था; इसके संसाधनों को हथियाने और यहां की जनता को भयभीत करने की सिलसिलेवार कथा। आगे चल कर इसपर बहुत विद्वानों का ध्यान गया।

विभिन्न विकसित देशों पर पीछे मुड़कर निगाह डालें तो यह तथ्य उभरता है कि भारत पर कब्जा जमा लेना ही यूरोप में पूंजीवाद के तीव्र विकास, दुनिया पर ब्रिटेन के प्रभुत्व और सम्पूर्ण आधुनिक साम्राज्यवादी ढांचे का एक प्रमुख स्तम्भ बना। दो शताब्दी तक यूरोप का इतिहास, जितना स्वीकार किया गया है उससे कहीं अधिक सीमा तक, भारत पर उसके कब्जे के आधार पर रचा गया है। ब्रिटेन द्वारा

3. देखें भारतः यूरोपीय यात्रियों की दृष्टि में, डा महेन्द्र सिंह, यूनिक प्रकाशन दिल्ली, 2006

लगे और 165 दिन चले इसके 11 सत्रों में मात्र संविधान के मसौदे पर 114 दिन बहस चली। वर्ष 1946 में लंदन से यहां भेजे गए कैबिनेट मिशन की संस्तुती के अनुसार इसके लिए 292 सदस्य प्रान्तीय सदनों द्वारा चुने गए और 93 सदस्य देशी रियास्तों से आए थे, तो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे। इस तरह कुल सदस्य 389 सदस्य चुने गए। किन्तु, 3 जून 1947 को माऊंटबैटन योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन पर पंजाब व बंगाल क्षेत्रों के कुछ सदस्य चले जाने पर इस सदन की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा ने अपना काम 26.11.1949 को पूरा किया।

II

संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि

स्वतन्त्र भारत का गठन इंग्लैण्ड के साथ एक सुविचारित समझौते के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का फल था। अपने पूर्व शासक से यह सम्बंध–विच्छेद का मामला नहीं था। कैबिनेट मिशन ने इसकी राह तय की थी और यह एक विशेष परिस्थिति की उपज थी। इसे समझने का अर्थ अपने को समझना है।

भारत पर पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से तथा 1857 के बाद में, ब्रिटिश ताज का यहां लम्बे समय तक शासन रहा। इस अवधि में प्रशासन का ढांचा इंग्लैण्ड जैसे पराये देश की जरूरतों को लेकर नये सिरे से रचा गया था। एक विदेशी शासन ने यहां यह मूलगामी परिवर्तन किया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन के फलस्वरूप फिर यहां की स्थिति में एक अलग तरह का मूलगामी परिवर्तन हुआ। इस बदली हुई परिस्थिति में नवगठित संविधान सभा आजाद भारत की दिशा तय करने बैठी थी।

भारत उस समय ऐसा देश था जो असाधारण रूप से लम्बे समय तक विदेशी शासन के अधीन रह कर अपने विकास की स्वाभाविक गति से हाथ धो बैठा था। असाधारण रूप से विदेशी सत्ता

का बोझ इसपर रहा। उसे जबरन 200 साल तक नाथ कर रखा गया और उसके संसाधनों को निचोड़ कर इंग्लैण्ड मालामाल हुआ और दुनियां का अतुलनीय बादशाह बन सका।

पहले, भारत की संस्कृति ने सैलानियों को आकर्षित किया तो उबाद में सकी हस्तकला व प्राकृतिक सम्पदा ने चालाक व्यापारी को भी लुभाया। अपने इतिहास के एक खास मोड़ पर इस उप–महाद्वीप के संसाधनों पर विदेशी व्यापारियों की निगाह गड़ गई थी। वे साधारण यात्री नहीं थे, न किसी उच्च सभ्यता को समझने/परखने निकले साधु–संत थे। उनके लिए भारत उप–महाद्वीप व्यापार के लिए अच्छा व बड़ा बाजार ही नहीं था, यह एक विस्तृत प्राकृतिक सम्पदा का धनी क्षेत्र उनके आकर्षण का केन्द्र बना। इस तथ्य ने अनेक विदेशी धनवानों को लुभाया।

डच, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि देशों के व्यापारियों ने भारत के तट पर अपनी टोकरी ला टिकाई और जल्दी ही गोला बारूद लेकर उनके सिपाही भी यहां आ धमके। इसके साथ ही यहां मक्कारी, सांठगांठ, जालसाजी, रिश्वत व लालच का खुला बाजार पसर गया। पहले–पहल इनमें आपसी टकराहट खड़ी हुई। कुछ मिट गए तो, कुछ के बीच आपसी समझौते हुए। जालसाजी, मक्कारी, रिश्वतखोरी व धोखापट्टी और बेइंतहा दमन के सहारे बने ये विजेता एक–एक करके यहां के बिखरे मोतियों को अपनी झोली में भरते चले गए और मालिक बन बैठे।

आगे चल कर एक बात प्रमाणित हुई कि भारत उप–महाद्वीप के लोगों से ये नये विजेता सर्वथा अलग नस्ल के राज–प्राणी थेः यहां के राजन्य–अधिकार में मिलने वाले उत्पादन के छठे भाग की खातिर अपने को अधिक उपयुक्त साबित करने हेतु लड़ते–झगड़ते 'सेवक' से इन नये किस्म के विदेशी विधाताओं का कुछ मेल नहीं था। इससे उत्पन्न खतरे को ठीक से न आंकने/समझने की गलती अपने इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी साबित होगी, उस समय किसी ने नहीं सोचा था। यहां के आम लोगों की मूल शराफत पर टिकी सामाजिक व्यवस्था पर यह एक नयी व्यापारिक सभ्यता का मारक आक्रमण था।

"मार्च 1947 में भारत बीच समुन्द्र में आग लगे उस जहाज की तरह है जिसमें गोला–बारूद लदा है। उस समय गोला–बारूद तक पहुंचने से पहले आग बुझाने का प्रश्न ही हमारे सामने था। सच यह है कि हमारे पास करने के लिये दूसरा विकल्प ही नहीं था जो हमने किया।"

पांच अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में क्रिप्स ने बताया कि अब भारत को स्वतन्त्र करने के अलावा इंग्लैण्ड के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। पहली बार गुलाम भारत को "स्वतन्त्र" करने का विकल्प पेश करते हुए इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मिस्टर एटली ने केबिनट मिशन की भारत रवानगी के अवसर पर अपने बयान[6] में 15 मार्च 1946 को कहा कि :

"वर्तमान परिस्थिति पर बीते जमाने का फार्मूला लागू करने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा "..... मैं आशा करता हूं कि भारत ब्रिटिश कॉमनवैल्थ के भीतर रहने को चुनेगा। मुझे यकीन है कि ऐसा फैसला करने में होने वाले लाभ को वह समझेगा..... दूसरे विकल्प में, यदि वह स्वतन्त्र होने का निर्णय करता है – और हमारे नज़रिये में उसे ऐसा करने का अधिकार है – तो यह हमारे जिम्मे है कि हम उन्हें सत्ता हस्तांतरण का काम जितना सम्भव हो उतना सहज और सरल बनाने में मदद करें।"

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर इंग्लैण्ड में चुनाव हुए। लेबर पार्टी की सरकार बनी और 'इस जलते हुए जहाज' में गोला–बारूद तक आग बुझाने के काम में लगे वहां के नये शासकों ने 'कैबिनट मिशन' नाम से अपना अग्निशमन दस्ता भेजने का ऐलान किया। सत्ता हस्तांतरण के लिये समझौता–वार्ता आरम्भ हुई। इसके अनुसार 16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए अपनी योजना पेश की। इस योजना में कहा गया कि केन्द्र के पास मात्र विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार–यातायात विभाग रहेंगे तथा उक्त मामलों के

6. इंडिया टुडे, आर.पी.दत्त, पी.पी.एच. बम्बई 1945 पृष्ठ 476–77

लिए उचित वित्त उगाहने की शक्ति रहनी चाहिए। इन मामलों के अतिरिक्त अन्य सब मामले प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। अर्थात केन्द्र के लिए छोड़े गए अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकार प्रान्तों के पास रहेंगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग, डा. बी.आर. अम्बेडकर व बाद में जनसंघ बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि को लेकर मिलीजुली अन्तरिम सरकार बनी। इसमें अनेक बिंदुओं को लेकर मतभेद उभरे और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग की मांग को देखते हुए 3 जून को माऊंटबेटन ने बयान जारी किया जिसमें बंटवारे के सिद्धान्त को मान लिया गया। 14–15 जून, 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपनी दिल्ली बैठक में केबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। विभाजन तय हो गया। भारत व पाकिस्तान, दो अलग देश वजूद में आए। दोनों देशों ने "ब्रिटिश कॉमनवैल्थ में रहते हुए स्वतन्त्र" होने का निर्णय लिया।

III

आगे बढने से पहले यहां के इस इतिहास के एक मिथक पर निगाह डालना बेहतर होगा। इस मिथक से स्वतन्त्रता आन्दोलन की चेतना को धुंधला करने का काम हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने भारत में जहां तबाही मचाई है तो कुछ भला भी किया है। ऐसी अवधारणा से आजादी की लड़ाई का नैतिक पक्ष कमजोर होता है। स्थिति इसके उलट है।

ब्रिटिश शासन की प्रकृति

भारत में ब्रिटिश शासन की गुलामी के साथ उसके मुक्तिकारक पहलू–यानि मानव के विकास–पथ पर इस शासनकाल के प्रगतिशील उपादान के अनेक प्रंशसक रहे हैं, कुछ आज भी इस गलत धारणा को दोहराने के अभ्यस्त हैं। पश्चिम जगत के ऐसे कथित विद्वानों का इरादा नेक नहीं रहा। वे अधिकतर इससे वहां की मूलतः साम्राज्यवादी नीति को झाड़पोंछ कर पोषण करते दिखते हैं। अनेक बुद्धिवान जब यह दलील दोहराते हैं तो प्रतिप्रश्न खड़ा हो जाता है। अपनी बात को

स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी व रूस के साथ लगातार झगड़ों के पीछे भारत पर उसके अधिपत्य का प्रश्न रहा है। स्वयं ब्रिटेन के भीतर की सामाजिक राजनीतिक उथल–पुथल के पीछे भारत पर इसके अधिपत्य को देखा जा सकता है। वे इसे किसी समय अपने ताज़ का 'चमकता सितारा' कहते थे। सच भी है। भारत के बिना ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी चमक ही खत्म होने जैसा था। यह खतरा इन्हें सदा सताता रहा। चर्चिल का कथन कि 'भारत को आज़ादी देकर वह अपने साम्राज्य को ढहाने के लिये सत्ता में नहीं बैठे हैं', इसी भय की अभिव्यक्ति थी। लार्ड बनने से पहले, कर्जन, ने सन् 1898 में ही कहा था कि :

"भारत हमारे राज्य का स्तम्भ है .....यदि यह साम्राज्य अपने किसी दूसरे भाग को खो देता है तो हम बच सकते हैं किन्तु, हम भारत को यदि खो देते हैं तो हमारी सल्तनत पर सूर्य अस्त हो जायेगा"।[4]

चर्चिल को दूसरे महायुद्ध के बाद भी कर्जन का यह कथन याद था, जैसा उस देश के सब शासकों का मूलमन्त्र रहा था। स्वीकार किया गया कि भारत पर कब्जे से ही इंग्लैण्ड को दुनिया में इज्जत मिली और दौलत भी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला का काम किया[5]। एक अनुमान के अनुसार सन् 1933 में भारत में 100 करोड़ स्टर्लिंग पाऊंड की ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी जो इसकी विदेशों में लगी कुल पूंजी का एक चौथाई भाग थी। दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन ने दूसरे देशों में लगी अपनी पूंजी निकाल ली थी। किन्तु, भारत में इसे पूरे यत्न से बचाकर रखा। यह अकारण नहीं था और कारण भी विशेष रहा। यह देश इसके लिए दुधारू गाय से अधिक फलदायक था। एक मोटे अनुमान के अनुसार हर वर्ष भारत से इंग्लैण्ड को कम से कम 15 करोड़ स्टर्लिंग पाऊंड के बराबर का धन मात्र नजराने के रूप में जाता रहा (अनुमान 1921–22 का है)। यह राशि उस वर्ष भारत के सम्पूर्ण बजट से अधिक थी।

4. सुदूरपूर्व की समस्यएं, कर्जन, 1894, पृष्ठ. 419
5. वही

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद जब इंग्लैण्ड ने भारत को "अपनी जिम्मेदारी से मुक्त" करने का ऐलान किया, उस समय की परिस्थिति को आंका जा सकता है। दूसरे महायुद्ध की लपटों में फंसे इंग्लैण्ड ने कभी नहीं माना कि उस विकट घड़ी में वह लड़ाई का बोझ सहने और अपने हजारों हजार नागरिकों की इस युद्ध में कुर्बानी के बावजूद भारत को किसी तरह की स्वतन्त्रता देने को तैयार है। 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में स्वतन्त्रता की लहर ने अवश्य अंग्रेज शासकों की सांसे फुला दीं थीं। वे आतंकवाद को दोष देकर अवाम का ध्यान पलटने में सफल नहीं हुए। उस समय तक भारत में इन्कलाबी लहर के नामी रहनुमाओं को अंग्रेज शासक अपने रास्ते से हटा चुके थे और भारत–छोड़ो आन्दोलन में जन साधारण की भागीदारी अधिक मुखर थी। उस समय तक महायुद्ध का रूख रूस की ओर मुड़ चुका था। लेकिन, ब्रिटिश शासकों की भारत के स्वतन्त्रताकामी लोगों के प्रति नज़र अत्यन्त क्रूर बनी रही। इस युद्ध को जीतने में भारत के अवाम का सहयोग पाने में कठिनाई हो रही थी। इस स्थिति से पार पाना वे अवश्य चाहते थे। इसके लिए मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव आए। उधर, नेताजी के नेतृत्व में आई.एन.ए. का दबाव बढ़ा। महायुद्ध की समाप्ति तक भारत में हालात उबाल पर थे। चारों ओर से ब्रिटिश सरकार घिर गई थी। यहां तक कि सरकारी सेनाओं में भी असन्तोष गहरा गया था। रॉयल इण्डियन नैवी (समुन्द्री बेड़े) की बगावत ने ब्रिटिश सरकार के होश उड़ा दिये थे। यह घटना 18 फरवरी 1946 को घटी। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री, एटली ने वहां की संसद में भारत को स्वःशासन देने के सवाल पर अपनी सरकार की रज़ामन्दी प्रकट की। दो सदी के शासनकाल में यह पहला अवसर था जब भारतवासियों को अपनी शासन–व्यवस्था चलाने लायक माना गया। चर्चिल के तर्क कोई सुनने को तैयार नहीं था।

ऐलन कैम्पबैल – जोन्सन की पुस्तक, "मिशन विद मांऊटबैटन" में गवर्नर जनरल के चीफ ऑफ स्टॉफ लार्ड इस्मय के आंकलन को इस तरह बयान किया है :

निशाना साम्राज्यशाही पूंजी व उसका पोषक तबका रहा है। विरोध भी अकारण नहीं था।

विकराल तबाही की दास्तां :

अंग्रेज शासकों को यह दम्भ आखिरी घड़ी तक रहा कि भारत पर शासन उनकी "जिम्मेदारी" थी (देखें, ब्रिटिश ससंद द्वारा पारित 'इण्डिया इण्डिपैंडेस एक्ट, 1947) और यह कि उनकी कृपा से भारतवासी सभ्य बने! तथ्य दूसरी ही कहानी कहते हैं। भारत को सभ्य बनाने व इसके शासन को चलाने की यह जिम्मेदारी उन्हें किसी ने नहीं सौंपी थी और न ही किसी ने उन्हें यहां न्यौता था। यह मिथक उनका अपना पाला हुआ है। वे ही इससे सन्तुष्ट रहना चाहते हैं तो रहें, इतिहास को यह चालबाजी पचाना मंजूर नहीं हो सकता है। सच यह है कि ब्रिटिश शासन की गुलामी के दौर ने यहां विकराल तबाही का अध्याय लिखा जिसे आधुनिक इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा।

यूं तो भारत में विदेशी सौदागरों ने 1498 में ही कदम रख दिये थे और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1612 से अपने अड्डे जमाना आरम्भ कर दिया था। लेकिन, उसका अपना शासन अठारहवीं सदी के मध्य में ही खड़ा हुआ, जब उसने बंगाल को जीता और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक वह भारत की एकछत्र शक्ति बन गया। इसके लिये चक्रान्त हुए, खूनी लड़ाइयां लड़ी गईं और राजे–रजवाड़ों की आपसी कलह का पूरा लाभ लिया गया। लार्ड नार्थ का रैगुलेटिंग एक्ट 1773 व पिट का एक्ट 1784 में बना कर इंग्लैण्ड ने यहां गर्वनर जनरल, सुप्रीमकोर्ट और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल स्थापित किया। यह दौर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की खुली व बेरहम लूट का था जो 1858 तक चला।

आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का लक्ष्य एकछत्र मुनाफे के लिए अचूक प्रबन्ध करना था। भारत से सामान–खासकर मसाले, कपास, रेशम खरीद कर यूरोप में बेचने से मुनाफा बहुत था। किन्तु खरीद के लिये बदले में देने को उसके पास कुछ नहीं था। यूरोप व लातिन अमरीकी देशों से लूटा गया सोना व चांदी ही कुछ थी।

शुरूआत में ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी को 30,000 पाऊण्ड कीमत की चांदी, सोना या मुद्रा दी थी। इससे पार पाने के लिए इन्होंने तलवार का सहारा लिया। सन् 1762 तक पहुंचते–पहुंचते कम्पनी के गुमाश्ते तय करने लगे कि यहां से खरीदे जाने वाले समान की कीमत कितनी देनी है अथवा देनी भी है या नहीं। साथ ही कब्जाये गए क्षेत्रों से मालगुजारी व नजराने की वसूली से इस कठिनाई को पार पाया गया। अब वे इंग्लैण्ड में विकास की सारी कीमत भारत से वसूल करने में लग गए! इस तरह व्यापार बदल कर 'लूट' में तब्दील हो गया। हालात पर सर जार्ज कार्नवैल लेविस की टिप्पणी देखिये जो उन्होंने 12 फरवरी 1858 को हाऊस ऑफ कॉमनस् में की थी[8] :

> *"मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस धरा पर कोई सभ्य सरकार नहीं रही जो 1765 से 1784 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, इससे अधिक विश्वासघाती और अधिक खूंखार, लुटेरी हो।"*

इस सन्दर्भ में तीस मार्च 1772 को इसी सदन में क्लाइव ने जो कहा उस पर भी निगाह डाल लेना उपुक्त होगा : *'कम्पनी ने फ्रांस और रूस को छोड़ कर यूरोप के किसी राज्य से व्यापक साम्राज्य बना लिया है ...वह आगे का विचार न करके तुरन्त प्राप्त होने वाली लूट में लगी है।'*

इसी क्लाइव ने हिसाब जोड़कर कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरैक्टरस को 30 सितम्बर 1765 के अपने पत्र में बताया कि बंगाल में उगाही से शासन व सेना पर खर्च तथा नवाबों को भत्ते आदि का भुगतान करने के बाद उसे हर साल 15 लाख सटर्लिंग पाऊण्ड का शुद्ध 'लाभ' होगा। अब जरा खाता देख लें : बंगाल में अपने शासन के पहले 6 साल में कुल राजस्व 13,066,761, कुल खर्च 9,027,609 पाऊण्ड था। इसमें से 4,037,152 पाऊण्ड अर्थात एक तिहाई राजस्व शुद्ध 'लाभ' ब्रिटेन भेजा गया। कम्पनी के अधिकारियों की 'कमाई'

8. इंडिया टुडे, बम्बई ,1947, पृष्ठ–89–9

सही ठहराने में प्रायः ये सज्जन 19वीं सदी के नामचीन विद्वान कार्ल मार्क्स का सन्दर्भ उठाते हैं। जीविकोपार्जन हेतु लिखे अपने अखबारी लेख में उक्त विचारक ने भारत में ब्रिटिश शासन के जिन लाभकारी तत्वों का जिक्र किया है उसमें टेलिग्राफ के तार, रेल के जाल और फौज के ड्रिल सार्जेन्ट का सन्दर्भ प्रमुख है।

जिस एडम स्मिथ व रिकार्डो के अर्थशास्त्र पर पश्चिमी विकास का मॉडल रचा गया है, एक अर्थ में मार्क्स का अर्थशास्त्र उसी की अगली कड़ी है। वे औद्योगिक प्रगति के बड़े पक्षपाती थे। तब तक, सोवियत संघ का विफल प्रयोग सीखने के लिए सामने नहीं आया था। जो हो, भारत के सन्दर्भ में अपने इन लेखों में मार्क्स का विचार आया कि भारत को विरान करने की कार्यवाही के गर्भ से विदेशी शासन के न चाहते हुए भी यह देश आगे बढ़ेगा जिसके बीज वह स्वयं यहां बोने पर मजबूर है। इन लेखों के लिखे जाने के समय भारत पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनकी अनेक टिप्पणी गलत थीं जिन्हें स्वयं मार्क्स ने बाद में नयी जानकारी मिलने पर बदल लिया था। फिर भी भारत में ब्रिटिश शासन के नये–पुराने प्रशंसक उसकी प्रगतिशीलता का राग दोहराते हैं तो उनकी नीयत पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ये प्रशंसक मानते लगते हैं कि जहां उनका शासन नहीं पहुंचा वहां तार, रेल अथवा ड्रिल सार्जेन्ट कभी नहीं पहुंच सके या इनका विकास ही नहीं हुआ!

यह नहीं माना जा सकता है कि भारत पर अंग्रेजी शासन न होता तो यहां की धरती अपने स्वाभाविक विकास की गति में इन उद्धारक तंतुओं को खड़ा करने की क्षमता–सम्भावना से बांझ थी। तथ्य तो यह है कि अंग्रेजी शासन ने यहां के स्वाभाविक विकास को एक लुटेरों जैसी योजना के अधीन अवरूद्ध किया जिस गति को फिर से प्राप्त करने में समय व शक्ति का बेमतलब अपव्यय हुआ। इससे मानव–समृद्धि को हानि ही हुई।

भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापित होने से पहले पश्चिमी नज़रिया जिसे विकास मानता है, उस विकास के पैमाने पर यह देश कहां टिकता है, इस पर स्वयं ब्रिटिश रिपोर्ट[7] का कहना है:

> *"जब आधुनिक उद्योगों की जन्मस्थली–पश्चिम यूरोप में असभ्य आदिम जातियों का वास था, भारत उसके शासकों के वैभव और दस्तकारों की कलात्मक कारीगिरी के लिये प्रसिद्ध था। और इसके बहुत समय बाद तक, जब पश्चिमी देशों से जोखिम उठाकर सौदागर पहले पहल भारत पहुंचे तो इस देश का औद्योगिक विकास अधिक विकसित कहे जाने वाले यूरोपीय राष्ट्रों से किसी तरह निम्नस्तर का नहीं था।"*

ऐसी स्थिति वाले देश को गंवार बता कर सभ्यता सिखाने की बात में कुछ दम नहीं है। उलट, समृद्ध संसाधनों के धनी इस देश के स्वाभाविक गति से विकास को बाधित करने वाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही में प्रगति के यहां गुणकारी तत्वों की खोज सीधे मन की कसरत नहीं हो सकती है। मंशा में खोट झलकता है।

एक अन्य पहलू हैः मक्कारी व दमन की राह लेकर इस देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश धनवानों ने भारत के शरीर पर घाव ही नहीं किया उसे मूर्ख भी समझा। ऐसे आक्रामक दौर के घावों से उत्पन्न दर्द को भूलना अनेक कारण से घातक है। बर्बरता की सीमा लांघता हुआ दमन, पैशाचिक अन्याय और बेरहम शोषण तथा पद्दलित हुई इन्सानी मर्यादा से उठी पीड़ा को भूलने से गुलामी के लौटने की चेतना मार खाती है और सर्तकता कुंठित हो कर रहेगी तथा ऐसी दुर्घटना से भिड़ने का साहस टूटने का खतरा खड़ा होता है। दर्द को भूलना देशहित के विरूद्ध है। इससे दमन, अन्याय, शोषण तथा अमर्यादित आचरण को सहने, समझौता करने तथा उसमें साझीदार होने की प्रवृति प्रतिष्ठित होती है। दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क धुंधला होता है तथा नया धोखा खाने का मार्ग खुला रहता है। साथ ही, आजादी को बचाने की ललक खत्म होती है। गुलामी का दर्द लौटने की सम्भावना बनती है।

पूरे स्वतन्त्रता आन्दोलन का सदा तर्क रहा है कि भारत के अवाम का ब्रिटिश जन–साधारण से कुछ विरोध न था। बस, उसका

7. इण्डियन इण्डस्ट्रियल कमीशन (1916–18) की रिपोट पृष्ठ 6

का था। इसका उल्लेख बहुत जगह हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत ने जो नीति यहां अपनाई उसका नतीजा हुआ कि खेती पर जनसंख्या का दबाव फिर से बढ़ता चला गया। 1891 में 61.1 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, 1901 में यह बढ़कर 66.5 प्रतिशत, 1911 में 72. 2 प्रतिशत, 1921 में 73 प्रतिशत हो गई। उधर, उद्योग में लगे लोगों का प्रतिशत सन् 1911 में 5.5 प्रतिशत था। 1921 में 4.9 और 1931 में 4.3 प्रतिशत रह गया। 38 करोड़ की जनसंख्या में 20 लाख श्रमिक थे। सन् 1840 में ब्रिटिश संसद द्वारा गठित जांच आयोग के सामने मिन्टगुमरी मर्टिन का ब्यान इसका स्पष्ट उल्लेख करता है[13]। इस काल में लागू शोषण युक्त नीतियों के चलते भूख और गरीबी छा गई। स्वयं सरकारी रिपोर्टों में माना गया कि

> *"भारत में अति कुशल कारीगरों को वेतन इतना ही दिया जाता है जो मात्र उनका पेट भरने व तन ढ़कने के लिए अपर्याप्त है। हर जगह भिनभिनाती गरीबी, गन्दगी और भीड़ देखी जा सकती है"। (1927–28 का भारत)*

"भारत के अधिक संख्यक निवासी गरीबी में धंसे हैं जिसका पश्चिमी देशों में कहीं नाम नहीं मिलेगा और जो सिसकते जीवन की सीमा पर खड़े हैं।" "जनसंख्या का 70 से 80 प्रतिशत भाग अभी भी सिसकते रहने के स्तर पर है।"[14]

इंग्लैण्ड ने वही अन्याय भारत के साथ किया जिसे करने के लिये उसने यहां कब्जा किया था। उक्त संसदीय जांच के सामने पेश एक कारखानेदार मिस्टर कोप ने कहा – *"मुझे ईस्ट इण्डियन श्रमिक की होती तबाही पर तरस जरूर आता है, लेकिन साथ ही मुझे इस ईस्ट इण्डियन श्रमिक के परिवार की बजाय स्वयं अपने परिवार की चिन्ता कहीं ज्यादा है। मैं सोचता हूं कि ईस्ट इण्डियन लेबर के वास्ते मेरे परिवार की सुविधाओं को कुर्बान करना गलत है, क्योंकि उसकी हालत मेरे परिवार की स्थिति से पहले ही खराब है।"*

13. पहले उद्धृत
14. ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन जनरल में सर ऐलफर्ड चैटर्टन, जुलाई 1930

यही तर्क है जिसे हर संगदिल लुटेरा दिया करता है। इसी नज़रिये के चलते उस जमाने में भूखे भारत से अनाज का निर्यात हुआ। 1849 में गेहूं व चावल का निर्यात 8,58,000 पाऊण्ड का था जो 1858 में 38 लाख पाऊण्ड पर जा पहुंचा। 1877 में 79 लाख, 1901 में 93 लाख व 1914 में 193 लाख पाऊण्ड का हो गया। सीधा परिणाम दुर्भिक्षों का बढ़ता सिलसिला था[15]। इनमें मरने वालों की संख्या में बेहिसाब बढ़ौतरी हुई :

वर्ष	दुर्भिक्ष में मृत्यु संख्या
1800–25	10,00,000
1825–50	4,00,000
1850–75	50,00,000
1875–1900	1,50,00,000

सन् 1932 से 41 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 62 लाख लोग मरे जिनमें 36 लाख मृत्यु का सरकार ने कारण 'बुखार' बताया। कुछ नामी अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उस समय चार में से तीन की मृत्यु "गरीबी की बीमारी" के कारण हुई।

यही नहीं, इस नरसंहार पर सभ्य इंग्लैण्ड के किसी प्रतिनिधि ने 'क्षमा–याचना' अथवा प्रायश्चित प्रकट करने का कभी साहस नहीं दिखाया। ऐसी किसी सभ्यता के ये साम्राज्यवादी अभ्यस्त नहीं रहे हैं, न ऐसी याचना इस बहे खून के चिन्हों को इतिहास के पन्नों से धोने की क्षमता रखती है, न इस तबाही के कारण सन् 1857 में फूटी बगावत को कुचलने के लिये बरते गये तरीकों में कथित ब्रिटिश सभ्यता का कहीं कोई मामूली संकेत दिखाई ही पड़ता है।

जो हो, 1858 के बाद भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेने के बाद इंग्लैण्ड की सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से और 'कानूनी' जामा पहना कर इस देश की सर्वांगीण तबाही का सामान जुटाना आरम्भ किया था ताकि यह देश उसके साम्राज्य का "तारा" बना रहे और फिर बगावत का साहस न कर सके। इस दौर की तबाही दूरगामी प्रभाव की साबित हुई जिसका असर 'आजादी' के बाद भी दैत्य की पूंछ की तरह तना खड़ा है।

15. इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त , पृष्ठ 106

अलग थी। स्वंय क्लाइव का खाता देख लें: 2.5 लाख पाऊण्ड घर भेजे, भारत में जायदाद से 27,000 पाऊण्ड वार्षिक की आय अलग। इसने स्वयं बताया कि 'दो वर्ष में उसने एक लाख पाऊण्ड की दौलत अर्जित की थी'। 1766–68 के बीच निर्यात–आयात से दस गुणा धन ब्रिटेन भेजा गया। अब कम्पनी को भारत से माल खरीदने के लिये इंग्लैण्ड से कुछ भी लाने की चिन्ता नहीं रही थी। *प्लासी युद्ध के बाद तीन वर्ष में इसे इंग्लैण्ड से एक ग्राम सोना लाना नहीं पड़ा। उलट, इंग्लैण्ड को तीस लाख पाऊण्ड का धन भेजा।* याद रहे, इसी काल में बंगाल से यह रकम दिन–पर–दिन मालिया बढ़ा कर वसूली गई, जिसे अदा करने में किसानों को अपनी पूरी फसल, बीज, बैल यहां तक कि घर का सामान तक बेच देना पड़ा। 1764–65 में, अन्तिम देशी राजा के अन्तिम साल में, कुल मालिया 8,17,000 पाऊण्ड था। कम्पनी शासन के पहले वर्ष में 14,70,000 पाऊण्ड हो गया। 1771–72 में 23,41,000,1775–76 में 28,18,000 और 1793 में 34,00,000 पाऊण्ड तक जा पहुंचा। नतीजा हुआ कि बंगाल का एक तिहाई भाग बंजर हो गया। सन् 1770 में वहां अकाल पड़ा, जिसमें एक करोड़ लोग खत्म हो गये। लेकिन राजस्व में कमी नहीं होने दी गई, बल्कि इसमें बढ़ौतरी हुई! इस वसूली में हिंसक तरीके बरते गये। 1787 में सांसद विलियम फुलर्टन ने बताया

> *"पहले समय में बंगाल राष्ट्रों का अनाज भण्डार था और पूर्व में धन सम्पदा, व्यापार और उत्पादन का खजाना। लेकिन हमारे कुशासन की बेचैन शक्ति ने बीस साल के छोटे से काल में इसके, भारत के बड़े भाग को रेगिस्तान में बदल दिया है..... । दुर्भिक्ष बार–बार पड़ रहे है और जनसंख्या खत्म हो रही है।"*

1789 में गर्वनर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि *"कम्पनी के कब्जे में हिन्दुस्तान का एक तिहाई क्षेत्र अब जंगल है जिसमें जंगली जानवरों का निवास है"।*[9]

भारत की बर्बादी और इंग्लैण्ड की समृद्धि :

अठारहवीं सदी के मध्य तक इंग्लैण्ड कृषि प्रधान देश था। 1770 तक उसका प्रमुख निर्यात ऊनी वस्त्र थे। 1760 तक सूती वस्त्र उद्योग की मशीनें इतनी साधारण थी जितनी भारत की। इंग्लैण्ड की हालत उपयुक्त होते हुए भी औद्योगिक प्रगति के लिये प्रारम्भिक पूंजी का अभाव था। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने इसका रास्ता खोला व भारत से धन की नदी इंग्लैण्ड की ओर बहने लगी, जो वहां की "औद्योगिक क्रान्ति" का आधार बनी[10]।

इसके बाद लूट और तबाही का दूसरा अध्याय आरम्भ हुआ। जिस भारत से छीनी गई दौलत ने इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास का मार्ग खोला अब उसी उद्योग के माल की मण्डी भारत को बनाया गया और यहां के उद्योग व दस्तकारी को तबाह कर दिया गया। सन् 1840 में संसदीय जांच के दौरान मिन्टगुमरी मार्टिन की टिप्पणी[11] महत्वपूर्ण है :

> *"मैं सहमत नहीं हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है; भारत उतना ही निमार्ण उत्पादक है जितना कृषि उत्पादक देश और जो इसे कृषि प्रधान देश में बदलना चाह रहे हैं वे सभ्यता के पलड़े में इसे नीचे गिराना चाह रहे हैं..... यह भारत के साथ अन्याय होगा'।*

सत्रहवीं शताब्दी तक भारत आने वालों का कहना था कि 'छोटे से छोटे गांव में भी चावल, आटा, घी, दूध औ सब्जी, गुड़, शक्कर या मिठाई बहुतायत में उपलब्ध हो जाती है।[12]

यहां ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पैर पसारने से पहले औद्योगिक विकास पश्चिम यूरोप में औद्योगिक विकास के लगभग बराबर स्तर का था और यहां की आबादी का जीवन–स्तर भी सामान्यतः खुशहाली

9. सभी सन्दर्भ इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त,पष्ठ 90–93
10.,11 विस्तृत जानकारी के लिये देखें बुक्स ऐडम की पुस्तक 'सभ्यता और उसके पतन का सिद्धान्त–पृष्ठ 259–264। इंडिया टुडे पृष्ठ 104
12. 'भारत भ्रमण' में ट्रेवर नियर, 1925 का संस्करण पृष्ठ 238

घ) ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में लगाई गई सेना के खर्च में एक करोड़ रूपया भारत दे।

इसके अतिरिक्त भारत की सेना को उसकी सीमाओं से बाहर भेजकर लड़ने, उसकी ट्रेनिंग और उसके गोला बारूद का सारा खर्च भारत के खाते चढ़ा। युद्धकाल में भारत के प्रतिरक्षा खर्च में बढ़त के आंकड़े[19] :

1939–40	49.54 करोड़
1940–41	73.61 करोड़
1941–42	103.93 करोड़
1942–43	267.13 करोड़
1943–44	395.86 करोड़
1944–45	458.32 करोड़
1945–46	391.35 करोड़
कुल	**1739.74 करोड़**

इसी काल में अलग से 1712.18 करोड़ का वह खर्च था जो इंग्लैण्ड की सरकार से भारत को मिलना था। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में, जून 1946 के अन्त में भारत की जमा रकम 2129.26 करोड़ थी। युद्ध की समाप्ति पर इस रकम को कब्जाने के लिये तरह–तरह के बहाने तैयार हुए। इसके अतिरिक्त भारत से अमरीका को बेचे सामान से मिले डालर की पूरी राशि 'डालर पूल' में जमा कर ली गई जिसे इंग्लैण्ड ने युद्ध में खर्च किया था। अमरीकी सूत्रों का अनुमान है कि यह रकम 1942–45 के दौरान कम से कम 41.1 करोड़ डालर थी, एक दूसरे अनुमान के अनुसार यह 114 करोड़ रूपये के बराबर थी जबकि एक नामी अखबार का अनुमान था कि अक्तूबर 1945 तक डालर पूल में भारत के 90 करोड़ जमा थे, जबकि इंगलैण्ड के वित्तमंत्री का कहना रहा कि यह रकम मात्र 49.2 करोड़ रूपये थी[20]।

भारत पर ब्रिटिश शासन के पड़ने वाले आगामी प्रभावों/कुप्रभावों पर बहस का उस समय एक सिलसिलसा ही चल निकला था।

19. रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1945–46
20. इंडिया टुडे, 150–51

मूल्यांकन हुए, मत रखे गए कि इतिहास की इस अवधि के गर्भ में क्या छिपा है। इस बहस की आरम्भिक लय को निर्धारित करने में न्यूयार्क ट्रिब्यून नामक एक अमरीकी अखबार के लिए वर्ष 1853 में लिखे मार्क्स के दो लेखों ने अहम भूमिका निभाई। *भारत में ब्रिटिश शासन* व *भारत में ब्रिटिश शासन का भावी परिणाम* नामक ये दो लेखों की इस बहस पर छाप अब तक महसूस की जाती रही है जो 25 जून व 8 अगस्त 1853 को छपे। भारत पर मार्क्स के लेख और इसके बाद 1853 से 1862 के बीच मार्क्स–एंगेल्स के पत्राचार का इस बहस में बहुत महत्व बना। अपने इन दो लेखों में कहा गया कि भारत पर ब्रिटिश शासन के नकारात्मक व सकारात्मक ये दो तरह के प्रभाव रहेंगे। इसके अनुसार भारत पर लद चुकी औपनिवेशिक सत्ता के ध्वंसमूलक प्रभाव से भारतीय समाज अपनी ठहरी अवस्था से निकलेगा तो, इसके गर्भ से कुछ नया बन कर निकलेगा जिससे पूंजीवाद के विकास से औद्योगीकरण की सम्भावना तैयार होगी और इस तरह ब्रिटिश राज यहां इतिहास के 'प्रगतिशील' काम को पूरा करेगा! उस समय तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भारत एक ठहरा हुआ एशियाई समाज है जिस अवस्था को ध्वंस करने की आवश्यकता है और यह काम यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता करेगी, हालांकि बाद की प्राप्त जानकारियों के आधार पर स्वयं मार्क्स ने अपनी इस गलती को सुधार लिया और भारत के दादा भाई नॉरोजी, आर.सी.दत्त, जस्टिस राणाडे जैसे राष्ट्रवादियों की तरह मानने लगे थे कि पूंजीवाद/ औद्योगिकरण का विकास इस औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के मार्ग से ही प्रशस्त होगा, जैसा हुआ भी। लेनिन, रोजा लक्जम्बर्ग व हाब्सन ने भी इस प्रश्न पर मार्क्स की पहली प्रस्थापना से हट कर विचार किया। किन्तु, भारत में ब्रिटिश शासन के बहुत पैरोकार तथा पश्चिमी नजरिये से दुनियां को आंकने के अभ्यस्त विद्वान अभी तक भारत में ब्रिटिश सत्ता की कुछ प्रगतिशीलता पर मोहित हैं! किन्तु, आजाद देश के लिए दिशा तय करने के लिए गठित संविधान सभा में स्वतन्त्रता आन्दोलन की लौ में तपे किसी प्रतिनिधि ने ऐसा भ्रम नहीं पाला। ब्रिटिश शासन की इस पृष्ठभूमि से

नज़राना :

इसका यह मायने नहीं है कि 1858 के बाद सीधी लूट पूरी तरह बन्द हो गई थी। तथ्य दूसरी कहानी कहते हैं। उन्नीसवीं सदी तक 'नज़राना' अथवा लाखों पाऊण्ड इंग्लैण्ड को "होम चार्जेज़" के नाम पर हर वर्ष भेजा जाता रहा। 1848 में यह नज़राना 35 लाख पाऊण्ड प्रति वर्ष था। 1851 से 1901 के बीच, व्यक्तिगत भेजी गई राशि के अतिरिक्त गृहसेवा कर यानि 'होम चार्जेज' 25 लाख से बढ़कर 173 लाख पाऊण्ड तक पहुंच गया जिसमें से मात्र 20 लाख का सामान यहां आया। 1913–14 में यह रकम 180 लाख पाऊण्ड हो गई और 1933–34 में 260 लाख जो 1914 की कीमतों के हिसाब से 300 करोड़ पाऊण्ड बैठती थी। 1933–34 तक 592 लाख पाऊण्ड की कीमत का सोना यहां से ले जाया गया।[16]

भारत में जो भी उस अवधि में पूंजी लगी वह यहां से पहले लूटा गया धन था और फिर उसे ही भारत के खाते में कर्ज दिखाया गया। इंग्लैण्ड ने भारत से बाहर जो युद्ध लड़े उनकी लागत भी इस देश के खाते में चढ़ाई। 1857 की बगावत को दबाने पर खर्च या कम्पनी के हक में बादशाह की हुकूमत को पलटने पर आया खर्च, चीन व एबीसीनिया में लड़े गये युद्ध का खर्च, लन्दन में हुआ खर्च जिसका दूर का भी रिश्ता भारत से न था और लन्दन के इण्डिया आफिस में सफाई मज़दूर पर हुए खर्च, सभी कुछ भारत के खाते में कर्ज चढ़ाया जाता रहा जो इस देश की जनता से जबरन वसूल किया गया। नये दौर के पहले 13 वर्ष में राजस्व वसूली 330 लाख पाऊण्ड से बढ़कर 520 लाख पाऊण्ड वार्षिक पहुंच गई। इस पर 30 लाख पाऊण्ड का कर्ज अलग लिखा गया[17]। यह सब 'कानून के अधीन हुआ!

कुल मिलाकर, जहां पहले कम्पनी शासन में भारत से वसूले गए नजराने की रकम 15 करोड़ पाऊण्ड बनती थी, अब नये शासन में पहले महायुद्ध से पहले के बीस वर्ष में 14 से 15 करोड़ पाऊण्ड प्रति

16. इंडिया टुडे, आर. पी. दत्त, 1947, पृष्ठ 111, 133
17. ब्रिटिश पूंजी का निर्वासन पृष्ठ 223–4

वर्ष नज़राने के खाते इंग्लैण्ड को जाता रहा। रजवाड़ाशाही में प्रजा अपने पीड़क को राज करने के एवज़ में हर अवसर पर नजराना चढ़ाती थी, जनतान्त्रिक ब्रिटिश शासन के कथित 'सभ्य' दौर में यह सामंती नज़राना जारी ही नहीं रहा, बल्कि इस देश को खोखला करने के तरीकों में एक प्रमुख जरिया बना। ब्रिटेन के जनतन्त्र में रजवाड़ाशाही के रिवाजों को बचाकर रखने के पीछे लूट की ऐसी ही क्रूर कहानी है, जिसपर वे बड़ा नाज़ करते हैं और अनेक बुद्धिजीवी आज तक इस परम्परा का गुणगान करते अघाते भी नहीं हैं!!

लगी पूंजी की कहानी :

कहानी का दूसरा रूप भी है : पहले महायुद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के पूंजीधारकों ने यहां के संसाधनों व सस्ती श्रम शक्ति के तीव्र दोहन का मन बनाकर, मुख्यतः कपड़ा व पटसन उद्योग में कुछ पूंजी लगानी आरम्भ की थी। उसकी इस अप्रोक्ष लूट का भी एक नमूना देखा जा सकता है : ब्रिटिश मालिकाना के 41 पटसन मिलों में इन्होंने कुल 61 लाख पाऊंड पूंजी लगाई जिससे 1918–21 तक, 229 लाख पाऊंड मुनाफा और 190 लाख पाऊंड रिजर्व फंड खाते में रख लिया। इस तरह 61 लाख की लागत पर मात्र चार साल में 420 लाख पाऊंड की शुद्ध 'आय'!

महायुद्ध का खर्च भी भारत से वसूला[18]:

दूसरे महायुद्ध के दौरान इंग्लैण्ड के हाथ भारत की लूट इससे भी तीव्र गति से हुई। नवम्बर 1939 में भारत को इस युद्ध का खर्च बांटने के लिये कहा गया जिसकी प्रमुख शर्तें यह थी :

क) हर वर्ष भारत 3677 लाख रूपये खर्च करेगा
ख) इस राशि में कीमतों के बढ़ जाने पर उसी अनुपात में बढ़ौतरी हो।
ग) भारत के अपने हित में लड़े जाने वाले युद्ध का खर्च वह उठाये।

18. इंडिया टुडे– पृष्ठ 148

सराबोर ये लोग तो मन–वचन–कर्म से आगे की ओर देख रहे थे। इनमें हरियाणा के सपूत एक चौधरी रणबीर सिंह थे।

परतन्त्रता की अवधि के शासन की इस कथा को याद रख कर चलने वालों का नजरिया रहा कि औपनिवेशिक सत्ता ने भारत को निचोड़ कर इसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध करने का काम किया है और इंग्लैण्ड में पूंजी की सत्ता को पुख्ता करने तथा औद्योगीकरण को सींचा गया है[21]।

इस कहानी से सबक लेकर चलने वालों का तर्क रहा कि इतिहास के साथ इंग्लैण्ड की इस गलती को कहीं भी फिर दोहराया नहीं जाना चाहिए। भारत ही नहीं, अन्य गुलाम देशों में भी औपनिवेशिक सत्ता से हुई तबाही की एक जैसी कहानी है। हर ऐसे देश में विकास की गति अवरुद्ध हुई और पूरे समाज को इसकी क्षति पहुंची। कुछ चुनिंदा आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होगा कि इससे मानवता को कुछ लाभ नहीं हुआ, जबतक कि लुटेरी जमात को ही मानवता न मान लिया जाए! कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यह कहानी बखूबी कहते है :

सूचि : 1 विश्व के कुल उत्पादन में भाग (प्रतिशत में)[22]

वर्ष	**1500**	**1700**	**1820**	**1870**	**1913**	**1950**	**1973**	**2001**
इंगलैण्ड	1.1	1.9	5.2	9.0	8.2	6.5	4.2	3.2
पश्चिम यूरोप	17.8	21.9	23.0	33.0	33.0	26.2	25.6	20.3
संयुक्त अमरीका	0.3	0.1	1.8	8.8	18.9	27.3	22.3	21.4
चीन	**24.9**	**22.3**	**32.9**	**17.1**	**8.8**	**4.5**	**4.6**	**12.3**
भारत	***24.4***	***24.4***	***16.0***	***12.1***	***7.5***	***4.2***	***3.1***	***5.4***
एशिया (जापान रहित)	**61.9**	**57.7**	**56.4**	**36.1**	**22.3**	**15.4**	**16.4**	**30.9**

स्पष्ट है कि एशिया ने 1500 में यूरोप से तीन गुणा अधिक उत्पादन किया था और औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में उसका हिस्सा

21. इंडिया टुडे, आर.पी. दत्त, बंबई, 1947

22. स्रोतः ऐतिहासिक आंकडे, ओ.ई.सी.डी. 2006 भारतीय संस्करण 2007, नई दिल्ली टेबिल 8बी, 641

घटता चला गया। स्वतन्त्रता के बाद फिर उसका अंश उठने लगा है। गुलामी की ऐसी ही कथा है।

असफलता में सफलता के बीज :

ऐसी बाहरी व्यापारिक जमात को प्लासी युद्ध के बाद मिले हौसले को भरी–पूरी चुनौती 1857 के जन–उभार से मिली। वर्ष 1857 के उस व्यापक जनविद्रोह की विफलता में सफलता के बीज थे। इतिहास रचा जा चुका था। जन–विद्रोह ने राष्ट्रीयता की पुख्ता नींव रख दी थी। विद्रोह को दबाने की हवश में अंग्रेज तहजीब हैवान बन कर नाच उठी[23]। इस देश की आत्मा को डराने की खातिर हैवानियत को शर्मिंदा करने वाले हथकण्डे प्रयोग में आए। इस बेपनाह जुल्म के सिलसिले से यहां के आमजन की सोच में बदलाव आने लगा। एक तरफ दोनों, ब्रिटिश व देशी रजवाड़ों के अधीन क्षेत्रों में इस विदेशी शासन के विरुद्ध उठे प्रतिरोध ने जनता में एकजुटता की भावना को आधार दिया, परतन्त्रता से स्वतन्त्रता के लिए ललक जगी, तो दूसरी ओर सरकार का डर मन–मस्तिष्क में समा गया था। सरकार का भय से नाता जुड़ गया। भारत के इतिहास में सम्भवतः पहली बार हुआ कि शासन व भय एक दूसरे के साथ गुंथ गए। इसी के बाद कहावत बनी कि *''सरकार की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी कभी खड़े नहीं हों''*, जो अपने आप में भयग्रस्त पलायनवादिता का ऐलान–नामा ही बन गया है।

इस जन–विद्रोह की सामयिक विफलता के बाद, राज ने *दमन* व *लालच* की दो मुंही राह पकड़ी। इतिहास के सबसे भयानक प्रतिशोध ने एक बार तो देश की रुह को झिंझोड़ दिया था। भारत की सम्पदा को हथियाने की खातिर सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए खूंखार जुल्म की कहानी सम्भवतः तब तक इकलौती थी। साथ ही अपनी दलाल जमात को खड़ा करने के प्रयास तेज हुए और सभ्यता के स्वयं नये पैमाने बना कर *'लॉ एण्ड ऑर्डर'*; एक तरह से *कानून के*

23. हरियाणा के रोहनात, हांसी व लिवासपुर में बेपनाह दमन मिसाल हैं

भय की अवधारणा को खड़ा करके इस पराधीन देश के मन–मस्तिष्क व हाथ–पांव बांधने पर वह जुट गया। पहली बार भारत के अवाम का शासक के मनमुताबिक बनाये कानून के भय से परिचय हुआ। अपने कब्जे को स्थिर रखने के लिए यह अवधारणा खड़ी की गई। सन् 1858 के बाद बीसवीं सदी के आरम्भ तक यहां नित नये कानूनों का जाल बुनने पर सरकार जुटी। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल लॉ कोड, पुलिस कानून, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आदि तभी प्रस्थापित में किए गए। साथ ही जमीनों पर अपना कब्जा पक्का करके रिवेन्यू कोड लादा। हर क्षेत्र में जनजीवन पर बंदिशों का जाल रचा गया।

वर्ष 1857 में उठी बगावत से निपटने के बाद अपने शासन की सलामती के लिए भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। इनमें एक बड़ा काम ग्रामीण भारत में भूपतियों का एक बिचौलिया तबका खड़ा करने का था, साथ–साथ रजवाड़ों को रीढ़विहीन करके अपनी बगल में रखने का काम किया और अपने अनुकूल एक प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया। गांव स्तर पर यहां की 'गांव–गणराज्य व्यवस्था से भयभीत हुई ब्रिटिश सरकार ने इसे ध्वस्त करके इसकी जगह व्यक्ति–केन्द्रित प्रशासनिक ढांचा बनाया। 'समाज' को खारिज करके भारत की जनतान्त्रिक जीवन पद्धति में यह एक *बुनियादी* उलटफेर था। आगे चलकर बागी तेवनरों को ठंडा करने और अपने औपनिवेशिक हितों को सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1907–08 में गठित रॉयल विकेन्द्रीकरण आयोग ने माना[24] कि :

> *''जितना भी उचित क्यों न हो, हम नहीं समझते हैं कि (भारत की) प्राचीन गांव व्यवस्था की पुनर्स्थापना सम्भव है जिसमें अपने हर सदस्य के लिए गांव समाज जिम्मेदार होता था और उसके कार्यों को संचालित करने का अधिकारी था. लेकिन हम इसे वांछनीय समझते हैं कि विकेन्द्रीयकरण के हित की तरह ही लोगों को प्रशासन के स्थानीय काम के साथ जोडने के लिए गांव पंचायतों का गठन किया जाये ताकि स्थानीय मामलों की व्यवस्था हो. ''*

आयोग की मंशा पहले की गांव–गणराज्य व्यवस्था की जगह ऐसी पंचायत व्यवस्था गठित करना था जो प्रशासन का अंग होकर काम करे, न कि वह स्वतन्त्र व स्वःशासी हो।

इरादे जो हों, इससे सकून भरे समाज के हित पर भारी चोट पड़ी। इसने यहां की फितरत को पलट कर रख दिया। भारत में राजा सर्वग्रासी शासक नहीं, क्षेत्र की कुछेक जिम्मेदारियां निभाने वाला पालक भर था जहां सामाजिक–राजनीतिक प्रणाली की इकाई व्यक्ति न हो कर गांव अर्थात मनुष्य का अपना समाज था जो साझे की मलकियत पर गुजर–बसर करने का अभ्यस्त था। विदेशी शासन पुराने को चलने नहीं दे सकता था जिसे तोड़ कर ही कोई लुटेरी सभ्यता यहां फल सकती थी। आजादी आन्दोलन की आकांक्षा इसके उलट खड़ी थी।

पूरे देश को पटवार, कानूनगोई, जैल, तहसील, जिला व प्रान्तों में बांट दिया गया जिनपर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी बैठा कर राज चलाने की पद्धति चल निकली। पहली बार स्वयंभू जनता शासित हो गई। तीसरे, शिक्षा के पराये ढांचे को खड़ा करके आमजन की सोच को अपने अनुकूल रंगने का प्रबंध किया गया और इसके लिए इंग्लैण्ड से शिक्षाविदों की कतार लग गई। बताया जाने लगा कि इस शिक्षा को जो प्राप्त करे वह विद्वान, अन्यथा जाहिल! भारत के 'जाहिल' लोगों को 'सभ्य' बनाने पर यह परायी सेना पिल पड़ी; शिक्षा वह जो इंग्लैण्ड की सभ्यता को आज का सच बनाए, भाषा वह जिसे षासक पसंद करें और उसे सुविधा हो! यह एक पैकेज था जो इस बगावत के बाद की शासन–व्यवस्था को नया रूप देने के लक्ष्य से तैयार किया गया था। इसे अलग–अलग टुकड़ो में न देखा जा सकता है, न इसके किसी अंश को बेहतर या खराब कहा जा सकता है।

साथ ही साथ भारत की अपनी शिक्षा–संस्कृति को पलटने पर योजनाबद्ध काम हुआ। इसमें कौन सा कदम लाभकारी रहा, कौन सा

24. रॉयल विकेन्द्रीकरण आयोग, 1907–08,पैरा 699, पृष्ट 239

हानिकारक, यह अब बहस का प्रश्न बन गया है, जबतक कि इस पूरी पद्धति को ही पलट कर अपनी माटी के रस से कुछ नया खड़ा करने का मन न हो। ब्रिटिशकाल की शिक्षा के लक्ष्य को उस समय के गर्वनर–जनरल की परिषद में विधि सदस्य, मैकॉले की ने तय कर दिया थाः ‘

> *हमें यहां (भारत में) एक ऐसा वर्ग खड़ा करने में वह सब करना चाहिए जिसे कर सकते हैं, जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच दुभाषिये का काम करेंगे जिन पर हम राज करते हैं; एक ऐसे व्यक्तियों का वर्ग जो खून व रंग से भारतीय हों, लेकिन रुचि, नैतिकता, अभिमत अथवा विचार और बुद्धि से अंग्रेज हों*[25]।

संदेह नहीं, ब्रिटिश शासकों ने अपने लिए सब से बड़ा खतरा भारत के लोगों की अपनी संस्कृति अर्थात रुचि, नैतिकता व विचार यानी जीवनदर्शन में देखा था जिसे उन्होंने ठीक से पहचान कर इसको पलटने हेतु एक अलग तरह की शिक्षा–प्रणाली को खड़ा किया। कुल मिला कर इन हालात ने यहां स्वतन्त्रता आन्दोलन को ठोस आधार दिया।

आन्दोलन की यह पृष्ठभूमि थी जिससे ब्रिटिश शासन भय खाता था। वह जानता था कि प्लासी युद्ध के बाद भारत में उसके शासन में हुए बदलाव/उलटफेर व संसाधनों की बर्बादी से उत्पन्न परिस्थिति उनके विरुद्ध पड़ती है। यहां लगी हुई उसकी पूंजी और उसके हिमायती तबकों का हित इससे उलट पड़ता था। जाने से पहले उसने जो बन पड़ा वह किया; यहां खड़े राजनीतिक दलों व उनके नेताओं व अधिकारियों के आपसी झगड़ों के बीच वह स्वयं न्यायधीश बन गया और जितना सम्भव था स्थिति को अपने अनुकूल ढ़ालने में जी–जान से लगा रहा। आन्दोलन को बांट कर रखने में सफल हुआ और राजनीति दलों के बीच टकराहट बढती गई। बहुसंख्यक व

25. संसद हमारे गांव की, सहयोग पुस्तक कुटीर, नई दिल्ली

अल्पसंख्यक आबादी के बीच हितों की सुरक्षा का प्रश्न बड़ी रुकावट हो गया।

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर बदले हालात में इंग्लैण्ड की नयी सरकार ने भारत से अपने निकलने की समय–सीमा निर्धारित करके जिस अन्तरिम मिलीजुली सरकार का गठन किया उसमें आपसी रंजिश व एक–दूसरे की नीयत पर संदेह ने जहां देश के बंटवारे की जमीन तैयार करने का काम किया, वहीं शर्तनामे[26] में ब्रिटिश हितों को प्रमुख स्थान रखने का उन्हे हौसला मिला। आजादी की पूर्व संध्या पर जब नयी राह और प्रशासनिक ढांचा तय करने की बात उठी तो हालात ने मामले को कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग बनाम् ब्रिटिश इन तीन पक्षों का प्रश्न बना दिया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग की भागीदारी अधर में लटक गई और अन्ततः भारत व पाकिस्तान के लिए अलग–अलग संविधान सभा बनीं।

IV

स्वतन्त्रता आन्दोलन के तीव्रतर होते जाने के ऐसे ही कारण मौजूद थे। यही वह ठोस पृष्ठभूमि थी जिसके सन्दर्भ में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और उससे उम्मीद लगाई गई कि वह देश के लिए नयी दिशा तय करेगी। आजाद देश के बतौर स्वतन्त्रता आन्दोलन में उभरी आकांक्षाओं को वाणी देने का इसमें प्रश्न उठा। कहा गया कि नये भारत को अपने 7 लाख गांव –गणराज्यों का परिसंघ होना चाहिए। यह पूर्ण रूप से अपने अतीत की स्वस्थ विरासत के अनुरूप चाहत थी जिसे बीच में सात समंदर पार से आ कर एक चालाक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापारी ने जबरन तहस नहस कर दिया था और जिसको 1857 के बाद कुचलने का कुचक्र चला था। संविधान सभा में इस चाहत के पीछे का तर्क उसी स्वशासी राजन्य रूपी स्वशासी गणराज्य की धारणा का था। उनका कहना था कि गुलामी के दौर में की गई प्रशासनिक उलटफेर को मिटाते हुए यह सब होने पर ही लगेगा कि हम आजाद हुए हैं।

26. काबिना मिशन–1946 व भारत स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 की शर्तें

संविधान सभा में 4 नवम्बर 1948 के दिन देश के लिए प्रस्तावित ढांचे का मसौदा पेश किया गया। मसौदे में लोगों की इस चाहत की जगह एक अत्यंत केन्द्रीभूत एवं शक्तिशाली राजसत्ता का प्रारूप था जिसमें आन्दोलन की चाहत के अनुरूप प्रस्तावित ढांचा न पा कर तीव्र मतभेद उभरे। संविधान के प्रारूप में न गांव कहीं था, न गांव समाज या परिवार था। अनेक सदस्यों ने अतीत को याद कराया। सदन इन दो मतों में बंट गया। समयाभाव का तर्क उठा और आगे के लिए वायदा करके, वही ब्रिटिश काल का पुराना प्रशासनिक ढांचा मंजूर कर लिया गया।

संविधान सभा में स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़े रहे एक–पर–एक अनेक प्रतिनिधियों ने गांव–गणराज्य पर लौटने की वकालत की। चौधरी रणबीर सिंह ने अपने को ग्रामीण भारत के साथ जोड़ कर पेश किया। इनके हक की बात उठाई। संविधान के मसौदे पर चर्चा में भाग लेते हुए 6 नवम्बर, 1948 को सदन में उनका पहला भाषण इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बाद में भी सदन में अपने लगभग हर वक्तव्य में उन्होंने अपने को ग्रामीण भारत के साथ जोड़ कर बात रखी, संविधान सभा में उनके भाषण इसकी प्रयाप्त झलक पेश करते हैं। उन्हें इसके लिए याद किया जाता रहेगा। यह प्रस्तुतियां इस प्रकाशन की विषयवस्तु है। इसमें उनके वक्तव्यों का संकलन है जो उस पृष्ठभूमि को समेटे हुए हैं। इन प्रस्तुतियों में उठे प्रश्नों को समझने–परखने के लिए उस परिस्थिति को सन्दर्भ में रख कर विचार करना होगा जिससे संविधान सभा जूझ रही थी। इस प्रकाशन का यही औचित्य है।

चौधरी रणबीर सिंह साधारण व्यक्ति थे; हरियाणा के साधारण ग्रामीण परिवेश से आए, साधारण बन कर रहे। यह उनका बड़प्पन था। किन्तु असाधारण बन कर गए। यह उनकी करामात थी और, कहें तो, उपलब्धि भी। अन्य इतिहास पुरुषों की तरह चौधरी साहिब भी अपने हालात की देन हैं। इनकी यह विशिष्टता रही है कि वे अपने सिद्धान्तों के साथ जिये।

V

भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन अपने आप में अनूठा अध्याय है। उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी दमन–शोषण तथा दासता के विरुद्ध दर्शन से प्रभावित मुक्ति आन्दोलन का काल रहा है। भारत का मुक्ति आन्दोलन इस विश्व इतिहास की अनोखी कड़ी है जिसने एक दमित व भयभीत राष्ट्र को जगा कर आजादी के लिए उद्वेलित किया और तन कर खड़े होना सिखाया। इसके लिए नये प्रयोग हुए। निहत्था आम जन भयमुक्त हो कर आजादी की हुंकार भरने को लालायित हुआ। यहां निराशा में आशा के दीप जले हैं तो आशा में निराशा को झेला है। इसने सोते हुओं को जगाया है, भयभीत को सहारा दिया है और उपेक्षितों को दुलारा है। इस आन्दोलन की लहर ने पराए की गुलामी को नकारना सिखाया है। न्याय और अन्याय, गलत व सही में अन्तर को समझा है, समझाया है। यह नजारा इसकी वादियों ने देखा। यह ऐसी दास्तान है जो चकित करती है और सिखाती है। विभिन्नता में एकता को इसने सूत्रबद्ध किया है।

सन् 1857 के बाद जिस शासन ने अपने बचाव की रणनीति के अधीन यहां के पूरे जनमानस को भयभीत किया स्वयं उसके जिग्र में आतंक बैठाने का प्रचण्ड प्रयास यहां हुआ तो उसकी अगली कड़ी में इंकलाबी लहर भी खड़ी हुई जिसको भगत सिंह–चन्द्रशेखर आजाद की अजब जोड़ी ने वाणी दी। चिटागांग में मास्टदा व प्रतीतिलता वाडेकर ने बहादुरी का अलग इतिहास रचा। सरदार अजीत सिंह व नेताजी ने सरकार की घेराबंदी से बाहर निकल कर ब्रिटिश शासन के अत्याचार को ललकारा। संघर्ष की इस कड़ी में असहयोग का अजब और व्यक्तिगत सत्याग्रह का नया प्रयोग हुआ।

सन् 1857 की जन–बगावत की सफलता में विफलता देश ने देखी है और विफलता में सफलता को महसूस किया है। इंग्लैण्ड से यहां आ धमके एक चालाक एवं धूर्त व्यापारी के दुर्दान्त शासन का चेहरा उसने देखा है। कहने को ‘सभ्य बनाने’ यहां आए एक दम्भी राष्ट्र के प्रतिनिधि इस देश की पहली जंग–ए–आजादी की विफलता

पर प्रतिशोध में कितने वहशी हो सकते हैं इसे जानने का दुर्योग उसे हुआ है; उनका जनतान्त्रिक सूत्र चमड़ी के नींचे ही रुकते देखा है। उनके सभ्य व शालीन चेहरे की काली परत को उघड़ते देखा है।

हिमालय के उस पार, रूस की 1917 में सफल क्रांति के उपरान्त छिड़े गृहयुद्ध की तबाही से शिक्षा लेकर यहां चला गया; अपनी अलग कार्यनीति अपनाई गई। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह व असहयोग आन्दोलन के प्रयोग इसे उजागर करते हैं। असहयोग अन्दोलन इनमें अनोखा प्रयोग था। जनता की पहलकदमी इसका विलक्षण व अत्यन्त प्रभावकारी तत्व है। ब्रिटिश शासन की एक बार चूलें ही हिल गईं थीं। इससे जनगण आत्मबल से लबालब हुआ। एक समय का भयग्रस्त देश जागा। यह इसका अन्य महत्वपूर्ण तत्व सामने आया।

गुलामी किस तरह एक उभरते देश को अन्दर से खोखला करके छोड़ती है यह भी इस स्वतन्त्रता आन्दोलन की तपस ने उजागर किया। अपनी कमजोरियों से परिचय कराया। मैकॉले की रणनीति से देश रू–ब–रू हुआ, जब एक स्थानीय प्रभावशाली तबका ब्रिटिश शासन के कथित गुणों का प्रशंसक बन कर आजादी आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा दिखाई दिया। इनमें स्थानीय राजे–रजवाड़ों के अतिरिक्त पश्चिमी तर्ज की शिक्षा से तैयार उच्च व मध्यम श्रेणी के वे लोग रहे जिन्हें इस शासन ने आर्थिक तौर पर पाला–पोसा या इस विदेशी शासन की सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया था। दो विभिन्न तहजीबों के बीच अन्तर को परखने का अवसर भी इस काल में भारतवासियों को मिला। पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता और एशिया की कृषिकर्म पर फली सामूहिक जीवनशैली पर पनपी तहज़ीब के अन्तर को आमने–सामने खड़े हुए देखने का सुयोग भी इसे मिला है। असहयोग आन्दोलन व व्यक्तिगत सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आन्दोलन तक के क्रम ने इन दो विपरीतगामी शक्तियों के चेहरों के दर्शन कराये और दुनियां को परखने के लिए भी अवसर प्रदान किया है।

VI

शासक के नाते इंग्लैण्ड इस देश को डराना चाहता था। वस्तुतः स्वयं वह भारत के अपने शौर्य से भयभीत हो गया था। सन् 1857 के जन–युद्ध की सजा के बतौर वह उसकी हैसियत को ही मलियामेट करने पर उतर गया था। उसका लक्ष्य इस देश के आत्मबल को मसलना था। किन्तु, बेइंतहा दमन के बावजूद विरोध की चिंगारी यहां लगातार जलती रही। पचास वर्ष बीतते–बीतते यह उबाल फिर हिलोरे लेने लगा। उत्तर भारत में चुप्पी को तोड़ते हुए सरदार अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय व चौधरी मातू राम सरीखों के साथ मिलकर 1905–1907 की अवधि में जिस लगन व निर्भीकता से पंजाब–हरियाणा के किसानों को स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जोडा, खड़ा किया वह इस तथ्य का प्रमाण है कि कोई भी दमनकारी शासन मनुष्य की गुलामी से बाहर आने की चाह को रौंद कर अधिक समय तक चैन से नहीं बैठ सकता है। इस किसान आन्दोलन के आगे झुकने के बाद सरकार ने सरदार अजीत सिंह व लाला लाजपत राय को काला पानी भेज दिया गया और चौधरी मातू राम की जैलदारी छीन कर कालापानी भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि प्रान्त में प्रतिरोध की सम्भावना देख कदम पीछे हटा लिए।

सरकार की ओर से हालात को शांत करने के लिए प्रयास हुए। प्रलोभन के रास्ते भी खोले। इस प्रारम्भिक दौर से पार आने के बाद, असहयोग–सत्याग्रह से लेकर इंकलाबी आन्दोलन की यह कड़ी आजादी की दहलीज तक जा पहुंची थी। भगत सिंह की शहादत के बाद सूर्य सैन–प्रीतिलता वाडेकर से लेकर 1942 का 'भारत छोडो' आन्दोलन मिसाल हैं। इसने देश की युवा पीढी, बुजुर्ग किसान मजदूर–दस्तकार व महिलाओं को दासता के विरुद्ध संगठित किया। जैलदार मातू राम, स्वतन्त्रता सेनानी चौधरी मातू राम बने और उनके सुपुत्र रणबीर सिंह ने इसी सीख को सीने से लगा कर देश सेवा का कांटों भरा कठिन मार्ग चुना और आगे बढे। आन्दोलन की तपस से कुंदन बन कर निकले चौधरी रणबीर सिंह ने इस अध्याय के नैतिक मूल्यों का बखूबी निर्वाह किया और अन्त तक तप पर खरे उतरे।

यह वह समय था जब भारत देश की किसानी गहरे भंवर में फंसी खड़ी थी। मालगुजारी व कर्ज की मार तथा उंची लागत व कम आय के दोहरे पाटों के बीच पिसती खेती का धंधा चौपट हो रहा था। साहूकारी कर्ज में डूबा देहात सिसक उठा। 1883–84 के कर्जा राहत व कृषि विकास कानूनों के बावजूद साहूकारी के जंजाल ने उसे घेर लिया था। माहौल को शांत करने के लिए सन् 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना। सीमित स्वायतता का नाटक हुआ।

वर्ष 1935 के इस अधिनियम के अधीन आयोजित होने वाले चुनावों में साहूकारी का विरोध पूरे भारत में राजनीतिक दलों का प्रमुख ऐजेण्डा बना। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई और मंत्रीमंडलों ने प्रान्तीय कमान संभाली। बिहार राज्य में वर्ष 1938 का कर्जा निवारण कानून अपनी व्यापकता का नमूना बना। ऐसे ही दूरगामी प्रभाव वाले कानून मद्रास व पंजाब में भी बने। इससे देहात को राहत मिली। पंजाब में गैर–कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। इसमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी छोटू राम माल विभाग के प्रभावशाली मंत्री बने। किन्तु, ब्रिटिश शासन ने गर्वनर की शक्ति का प्रयोग कर बिहार के कानून को एक साल में ही सारहीन कर दिया। गर्वनर वहां सरकार व टाटा के पूंजी व्यापार को बचाने के लिए आगे आ गए। सीमित अधिकार वाली चुनी हुई सरकारें कुछ नहीं कर पाई और बाद में पार्टी के आदेश पर कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। बंगाल व पंजाब में हालात कुछ अलग राह पर चले। पंजाब में गैर–कांग्रसी सरकार थी। उसके कर्जा कानून से किसानों को बडी राहत मिली।

हरियाणा क्षेत्र में इस समय हालात जिस तरह के थे उसके चलते ग्रामीण आंचल कांग्रेस के कम असर में था। उधर, ऐसे समय चौधरी मातू राम व उनके भाई डा. रामजी लाल ने आर्य समाज को अपना लिया था और अपने क्षेत्र में उनकी सक्रियता से ग्रामीण हरियाणा में समाज का प्रभाव बढा। साथ ही, वे कांग्रेस के साथ जुड़ गए और आजादी आन्दोलन के लिए जमीन तैयार करने में लग गए। चौधरी मातू राम महात्मा गांधी के परम भक्त थे। रौलेट एक्ट विरोधी मुहीम तथा असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने असाधारण

योगदान दिया। 16 फरवरी 1921 को गाँधी जी की रोहतक में आयोजित ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता चौधरी. मातू राम ने ही की थी जिसमें अखबारी समाचार के अनुसार 25 हजार से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गाँधी ने चौधरी मातू राम के व्यक्तित्व एवं कार्यों की तथा 'राष्ट्रीय' संस्था 'जाट राष्ट्रीय स्कूल' की भूरी–भूरी प्रशंसा की। उनके असर से रोहतक का एंगलो संस्कृत स्कूल सरकार से नाता तोड़ कर असहयोग आन्दोलन का अंग बन गया था।

संभवतः चौधरी मातूराम उत्तरी भारत के ऐसे पहले राजनेता थे जो अपने भाई ड़ा. रामजी लाल के साथ मिल कर कांग्रेस संगठन और उसके संदेश को गाँव–गांव लेकर गए और बेहद विपरीत परिस्थितियों में देहात, विशेषकर किसान समुदाय को स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जोड़ा। उनसे पहले इस क्षेत्र में कांग्रेस का आधार प्रायः शहरी तबकों तक सीमित था।

चौधरी मातू राम प्रारम्भिक दौर में ही रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रहे। उनकी राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण गति– विधियों ने ब्रिटिश सरकार के कान खड़े कर दिये थे। आर्य समाज की ग्रामीण आंचल में बढ़ती गतिविधियां और इसपर सरदार अजीत सिंह से मिलकर किसानों को जगाने का काम सरकार को रास नहीं आ रहा था। वह इन गतिविधियों के प्रति अत्यन्त सतर्क हो गई थी। सरकार के इरादे चोधरी साहब कों देश–बदर करने के थे। इन सब बातों की परवाह किए बिना वे आगे बढते चले गए। उनकी कर्मठता का असर था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में ग्रामीण हरियाणा की भागीदारी बढती चली गई[27]। इसी क्रम को आगे चलकर चौधरी रणबीर सिंह ने अपने हाथ में ले लिया। परिणामस्वरूप, स्वतन्त्रता आन्दोलन की देहाती क्षेत्र, विशेषकर किसान समुदाय में जड़ें फैलती चली गई और कठिन परिस्थिति में आन्दोलन मजबूत होता गया। चौधरी मातू राम और बाद में चौधरी रणबीर सिंह की इस अति विशिष्ट भूमिका का फल था कि

27. हरियाणा में स्वतन्त्रता आन्दोलन और चौधरी रणबीर सिंह पृष्ठ 145–154

कठिन परिस्थिति के बावजूद देहात, विशेष कर किसान समुदाय स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ जुड़ा।

VII

देश अब स्वतन्त्र है। किन्तु, एक साझा दर्द सालता है। अपार सम्भावनाओं के इस देश को गुलामी की एक पीड़ादायक अवधि से गुजरना पड़ा। यह सब सहना न होता तो प्रबल सम्भावना थी कि यहां की कहानी एकदम अलग होती। एक चालाक व्यापारी ने इस देश की मौलिक शराफ़त का लाभ लेकर उसे ठग लिया था; उसकी साजिशों, उसकी करतूतों से यह देश कराहता रहा! अपनी डगर पर, अपनी कुव्वत से भारत आगे बढता इससे पहले ही उसे बौना बनाने की साजिशें हुईं। उसकी काया पर निपट पराये धब्बों ने उसे बदरंग ही कर छोड़ा।

यह भी इतिहास की सीख है कि आजादी यानी अपने जीवन तथा अपने घर को अपने हाथ चलाने संवारने का हक इंसान का अपना है; यह मनुष्य के मनुष्य रहने की कुंजी है अथवा शर्त है। यह उसकी फितरत का अभिन्न अंग है। बहुत दिन गुलामी उसे बर्दाश्त नहीं। ब्रिटिश शासनकाल की दासता ने भारत के सामान्य विकास को अवरुद्ध ही नहीं किया, उसकी तहजीब, यहां के जीवनमूल्य एवं जीवनशैली को पराये रंगों से बदरंग कर छोड़ा। वह अपनी सम्भावित ऊंचाईयों को लम्बे समय तक छूने से रह गया। फिर, एक लम्बी और कठिन आजादी की जंग चली। तब से, देश–प्रदेश ने फिर अंगडाई लेना आरम्भ किया है। इस युद्ध ने देश को तपाया और वह कुंदन बनने को बेकरार है। यह ऐसा युद्ध था जिसमें एक पूरी पीढी खप गई और जो बच गई उस पीढी को अपने हाथों गढ़ा। इस संघर्ष में अन्याय के विरुद्ध व इंसाफ के लिए लडाई का एक सिलसिला है जिस पर कोई कौम नाज से सिर ऊंचा कर सकती है। इनमें एक विलक्षण प्रतिभा पाने वाले और अदम्य साहस के योद्धा, हरियाणा की माटी के दमकते सितारे चौधरी रणबीर सिंह थे।

मान्यता है कि इतिहास मनुष्य को गढ़ता है। प्रकृति के गतिक्रम अथवा समय का बहाव सामान्यतः मनुष्य के मनोभाव व आचरण को आकार देता है। इस गतिक्रम की एक व्यापक सीमा रेखा रहती है, जिसे लांघ कर छलांग सम्भव नहीं। किन्तु, व्यक्ति इतिहास का दास नहीं है; सचेतन प्रयास हो तो वह इतिहास को रंगता है, अनेक बार इतिहास की रचना भी करता है। कुछ अचरज नहीं कि चौधरी रणबीर सिंह साधारण से असाधारण बने। उनकी जीवन–गाथा का यह सार है। निश्चित ही, अपने समय की ज्वलंत प्रवृतियों की वे देन बने, यह उनका तप था। उन्होंने अपने समय के इतिहास को भरसक रंगा, यह उनकी निष्ठा व लगन थी, इसमें दो मत नहीं हैं। यह उनकी कर्मठता का परिणाम है। संक्षेप में कहें: उनके संघर्ष का इतिहास सीखने–सिखाने की क्षमता का धनी है। चौधरी रणबीर सिंह को अपने पिता चौधरी मातू राम के कुल–इतिहास को लेकर आगे बढने का अवसर मिला जब, उन्होंने उन गुणों व जीवन मूल्यों को संजोकर अपने जमाने में नया औचित्य प्रदान किया तथा सार्थक बनाया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह कर्मठ सिपाही सामान्य से हट कर था। आमजन के प्रति अटूट निष्ठा, कर्तव्य के प्रति गहरी लगन और निष्कपट स्वभाव ने उन्हें असाधारण बनाया। अपनी सात्विक जीवनशैली, दूसरों के दर्द में सदा साझीदार रहने वाले इस व्यक्तित्व को एक सहज, सरल आचरण से सराबोर, सादगी व बेबाक अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्पष्टता ने महामानव के दर्जे पर ला बैठाया था। जिंदगी भर सिद्धान्त व मूल्यों के प्रति सदा संवेदनशील रहे। वृति से वे संत थे। बुरा सोचना, बुरा करना उनके वश में नहीं था। हरियाणा की धरती को उन्होंने अपनी काया से, अपनी सोच से, जितना बन पाया, गरिमामय किया है और कांग्रेस की राजनीति में अपने तपस्वी चरित्र से कर्मठ स्वभाव की मिसाल बन गए।

चौधरी रणबीर सिंह हम और आप जैसे सामान्य घर–परिवार के लाडले थे। उन्हें अपने इस परिवेश, अपनी इस विरासत पर गर्व था। वे ''सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्मे'' किसी बिगडैल परिवार की औलाद नहीं थे जिन्हें धन और प्रतिष्ठा रास्ते में पड़ी मिल जाती

हैं। वे सच में धरतीपुत्र थे और जीवनभर लगन से अपनी माटी से जुड़े रहे। उनका जैसा जीवन चरित्र बना, स्वयं की लगन और तपस्या का अद्भुत परिणाम था। वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे और राजनीति हो अथवा कृषिकर्म पूरी ईमानदारी से इन्हें निभाया और सिर ऊंचा करके जिए! राजनीति में छलकपट, धोखेबाजी अथवा धड़ेबंदी से मुक्त रह कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। बेहिचक कहा जा सकता है कि आज की चालू परिभाषा से अलग वे राजनेता ही नहीं, राजनीतिज्ञ (Statesman) के दर्जे पर जा पहुंचे थे। हरियाणा के इस अनोखे सुपुत्र को इतिहास सदा याद रखेगा।

VIII

जीवनवृत

चौधरी रणबीर सिंह जिस घर में जन्मे वह अपने समय का उल्लेखनीय सामाजिक व राजनीतिक कुल था। एक सामान्य किसान परिवार जो अपने आर्य समाजी संस्कारों को संजो कर चलता आ रहा था! उनके पिता चौधरी मातू राम एक ख्याती प्राप्त आर्य समाजी नेता थे। घर–परिवार का वातावरण धार्मिक, सामाजिक व समय की राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ था। परिवेश के प्रति संवेदनशीलता ने चौधरी मातू राम को एक बुलंदी छूने को अग्रसर किया। ऐसे पिता के घर आजादी की जंग के इस रणबांकुरे का जन्म रोहतक जिले के प्रमुख गांव साघी में 26 नवम्बर, 1914 को हुआ। चौधरी साहब चार भाई–बहनों में तीसरी संतान थे। उनकी जीवन–यात्रा सामान्य किसान परिवार के सामाजिक व राजनीतिक होने की है। अन्तिम क्षणों तक उन्होंने उस उच्च सामाजिक मूल्यों पर टिकी धरोहर को संजोकर रखा और अपनी क्षमता से उसे समृद्ध किया।

चौधरी मातू राम ने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में जो अमूल्य योगदान दिया, उसे अब तक याद किया जाता है। उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया। 7 मार्च 1911 को तत्कालीन

जिला रोहतक के बरोणा में हुई ऐतिहासिक महापंचायत को आयोजित करने में भरापूरा हाथ बंटाया और इसके 28 निर्णयों को लागू करने में जान लगा दी। इसी क्रम में रोहतक के एंग्लो संस्कृत जाट स्कूल की स्थापना में वे अग्रणी रहे। निःसन्देह वे इस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीयता के एक अग्रदूत थे। उनके लाला लाजपतराय, अपने समय के ख्याती प्राप्त इंकलाबी सरदार अजीत सिंह (अमर शहीद सरदार भगतसिंह के चाचा), बाबू मुरलीधर, स्वामी श्रद्धानन्द, आदि पुरानी पीढी के अनेक राष्ट्रीय नेताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

चौधरी मातू राम की प्रतिष्ठा और कार्यों को देखते हुए कांग्रेस (स्वराज पार्टी) ने उन्हें 1923 में रोहतक से पंजाब विधान परिषद के चुनावों में खड़ा किया। चुनाव में तो उनके प्रतिद्वंद्वी समय की सरकार से मदद और गलत तरीके अपना कर जीत गए, किन्तु हाई कोर्ट ने गलत तरीके अपनाने के आरोप में फैसला चौधरी मातू राम के हक में दिया।

ऐसे माहौल में बालक रणबीर सिंह को 'राष्ट्रप्रेम', 'राष्ट्रभक्ति', विरासत में मिली। बाल्यकाल से घर–परिवार का माहौल आर्य समाज की मान्यताओं और स्वदेशी आकांक्षाओं से सराबोर नयी चेतना और संघर्ष का था। उन्हें अपने पिताश्री के अनेक मित्र व सहयोगी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द, भगत फूल सिंह जैसे अनेक महान देशभक्तों का आशीर्वाद नसीब हुआ। देशभक्ति, समाजसेवा, त्याग एवं बलिदान वाले पारिवारिक वातावरण ने उनको बचपन से जनसेवा के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव सांघी के सरकारी स्कूल में हुई। भक्त फूल सिंह जी के आग्रह पर वर्ष 1924 में बालक रणबीर को भैंसवाल गुरूकुल में प्रवेष दिला दिया गया। बाद में, आर्यसमाज के अन्य मित्रों की सलाह पर उन्हें उच्च शिक्षा हेतु रोहतक के वैश्य हाई स्कूल में दाखिल कर दिया। उन दिनों यह स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय रंग में रंगा हुआ था। आगे चलकर उन्होंने राजकीय महाविद्यालय, रोहतक से वर्ष 1935 में एफ. एस.सी. की परीक्षा पास की और उसके दो साल बाद वर्ष 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बी.ए. की डिग्री हासिल कर लौटे।

यह वातावरण था जिसने युवा रणबीर सिंह के मन–मस्तिष्क को ढालने का काम किया। उनके सामने शिक्षा समाप्त होते ही प्रश्न खड़ा था कि अब क्या करें? सरकारी नौकरी, खेतीबाड़ी, व्यापार या वकालत? हालात ऐसे थे जिनमें उनके लिए प्रचलित शान और शौहरत हासिल करने वाले अनेक अवसर खुले थे। वे किस क्षेत्र में जाएं, यह वैचारिक अन्तर्द्वन्द्व सामने था। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अन्य सब पर भारी पड़ा और निर्णय हुआ कि आगे वे देश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल हो कर अपना सामाजिक दायित्व निभायेंगे; उनके लिए पहले आजादी और फिर अन्य कोई बात महत्वपूर्ण रहेगी। स्पष्ट था कि उनके इस निर्णय पर पिताश्री चौधरी मातू राम को बेहद सन्तोष का अनुभव हुआ। इसके पश्चात् उन्होंने दिन–रात एक करके देश को आजाद करवाने की धुन में अपना सामान्य सुख, ऐश्वर्य, आनंद, अभिलाषाएं आदि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा 1940 के दशक से राष्ट्रीय कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करा दी।

वर्ष 1941 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम आया तो चौधरी रणबीर सिंह के लिए इस आन्दोलन में कूदने का समय आ गया था। वृद्ध एवं अस्वस्थ पिता ने बड़े गर्व के साथ बेटे को आर्शीवाद दिया और साथ ही इस कंटीली राह में चक्रान्तों से सावधान रह कर काम करने की होशियारी भी दी। इस तरह यह विरासत उनके कंधे आ गई।

व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चौधरी रणबीर सिंह पहली बार 5 अप्रैल 1941 को जेल गए जहां उदनका ब्रिटिश सरकार के दमनमूलक व्यवहार से साक्षात्कार हुआ। अपनी किस्म का उनका पहला अनुभव था जिसने इस तन्त्र के विरुद्ध लड़ने के उनके संकल्प को और भी दृढ करने का काम किया। वे कई गुणा ताकत से आन्दोलन में जुट गए। पंजाब सरकार के आदेश से मई 1941 में अन्य कैदियों के साथ चौधरी साहिब को भी जेल से छोड़ दिया गया। परन्तु, कांग्रेस दल के आदेश आ पहुंचे कि 'जो जेल से रिहा कर दिए गए हैं, वे दोबारा सत्याग्रह करें'। उन्होने तुरन्त आदेशों का पालन किया और वे फिर से जेल पहुंच गए।

इस बार उनके लिए जेल का अनुभव पहले से कहीं अधिक कठोर था। ठीक एक सत्याग्रही की तरह जेल की यातनाओं को उन्होंने खुशी–खुशी सहन किया। इस बार वे 24 सितम्बर 1941 को जेल से रिहा हुए। इसी बीच उनके पिताश्री चौधरी मातू राम का साया सिर से उठ गया। 14 जुलाई 1942 के दिन चौधरी मातू राम जी का निधन हो गया। अपनी वेदना को यूं बयान किया:

"मेरी हालत ऐसी हो गई, मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। बहुत गहरा घाव लगा था।"

अत्यन्त पीड़ा की इस घड़ी में चौधरी रणबीर सिंह ने सत्याग्रही के धर्म का पहले जैसी तत्परता के साथ निर्वाह किया। निजी व पारिवारिक दुःख की घड़ी में भी अपने पिताश्री से मिली सीख पर चलते हुए आन्दोलन के मैदान में डटे रहे!

भारत छोड़ो आन्दोलन में शिरकत

भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में आरम्भ हुआ। दूसरा महायुद्ध जारी था। उस समय चौधरी रणबीर सिंह ने ब्रिटिश शासन के 'युद्ध प्रयासों की जमकर भर्त्सना की'। परिणामस्वरूप, सितम्बर 1942 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन स्थानीय जेलों में रखा और फिर उन्हें मुल्तान जेल (अब पाकिस्तान) में भेज दिया गया।

जेल के कठिन वातावरण में उनको आंखों का भंयकर रोग लग गया। कुछ अन्य व्याधियों ने आ घेरा। वे निरन्तर दुर्बल होते चले गए। वजन गिरने लगा। उनकी बिगड़ती स्थिति को भांपते हुए सरकार ने अप्रैल, 1943 में चौधरी रणबीर सिंह को लाहौर जेल में स्थानांतरित कर दिया। यहां बेहतर वातावरण व इलाज की ठीक–ठाक व्यवस्था से उनकी सेहत में सुधार आया। 24 जुलाई, 1944 को पंजाब सरकार ने उन्हें जेल से रिहा किया।

आन्दोलन में चौधरी रणबीर सिंह की जेल यात्राएं एक तरह से उनकी नियति सी बन गई थीं। भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल से रिहा

होने के बाद जैसे ही वे अपने गाँव पहुंचे तो रोहतक पुलिस नजरबंदी तोड़ने वाले पुराने केस के सिलसिले में गिरफ्तार करने आ धमकी। सरकार उन्हें एक खतरनाक कार्यकर्त्ता मानती थी। पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब हो गए थे।

इस बीच दल का आदेश आ गया कि जो लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं और फरार हैं वे 9 अगस्त, 1944 को अपने को पेश कर दें। चौधरी साहिब ने बिना हिचक फिर गिरफ्तारी दी। इस बार वे 14 फरवरी 1945 तक जेल में रहे। जब जेल से बाहर आए तो सरकार ने तत्काल नजरबंदी की बेड़ियों में जकड़ने का हुक्म सुना दिया। इसके तहत उन्हें गाँव छोड़ कर बाहर जाने की पूर्णतः मनाही थी। युवा सत्याग्रही पर नजरबंदी जैसी पाबंदी का भला क्या प्रभाव पड़ता? वे अपने काम में लगे रहे।

उन दिनों पंजाब विधान सभा के लिए झज्जर का उप–चुनाव हो रहा था। पाबंदी की कोई परवाह किए बिना वे कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद में झज्जर पहुंच गए। पुलिस उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने पुलिस को खूब छकाया जब तक उनका काम पूरा नहीं हो गया। चुनाव के बाद उन्होने स्वयं को पुलिस के समक्ष पेश कर दिया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अधीन उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक वर्ष की सख्त कैद की सजा भुगतने के बाद वे 18 दिसम्बर 1945 को जेल से रिहा हुए।

कांग्रेस के इस वीर युवा सत्याग्रही ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल साढ़े तीन वर्ष की कठोर कैद और दो वर्ष की नजरबंदी को भुगता। उन्होंने रोहतक, हिसार, अम्बाला, मुल्तान, फिरोजपुर, सियालकोट, लाहोर (बोर्स्टल और केन्द्रीय) जेलों में बेहद कठिन यातनाएं स्वाभिमान के साथ सहन कीं।

स्वतंत्र भारत में सफरनामा

आजादी की पूर्व संध्या पर नवगठित संविधान सभा बैठी। इसमें अपने–अपने क्षेत्र के एक से बढ़कर एक दिग्गज जुटे। एक लक्ष्य लेकर 26 नवम्बर, 1949 को संविधान तैयार हुआ। 15 अगस्त 1947

को भारत पराधीनता से मुक्त हो गया था। चौधरी रणबीर सिंह खुश थे[28]। उनके अपने शब्दों में,

'मन की मुराद पूरी तो हुई, लेकिन कुछ कसर रह गई। देश के टुकड़े हो गए। पंजाब भी बंट गया। बंटवारे के फौरन बाद जो हुआ उससे मन और भी खिन्न हुआ। कई बार जान जोखिम में डाल कर स्थिति को संभालने की कोशिश की पर नतीजा तसल्लीबख्स नहीं रहा।'

देश के बंटवारे के बाद दंगे भड़क उठे थे। चौधरी रणबीर सिंह ने एक बार फिर दिन–रात शांति और सद्भावना की अलख जगाई। रोहतक और आस–पास के क्षेत्रों में उन्होने असंख्य निर्दोष लोगों की जान व माल की रक्षा की। रोहतक में स्थिति कुछ संभली तो वे मेवात (गुड़गांव) में पहुंच गए। वहां भी आग फैली हुई थी। गांधी जी सद्भावना मिशन पर रोहतक, पानीपत एवं मेवात पहुंचे। इसके बाद बेघर लोगों को बसाने की विकट समस्या देश के सामने थी। नित नयी समस्याओं से निपटने में भी चौधरी साहिब ने भरपूर प्रयास किए। विस्थापित लोगों की समस्याओं के निराकरण में उन्होंने स्वयं को लगा दिया।

संविधान सभा में

राष्ट्र के प्रति अनुपम सेवाओं तथा कुर्बानियों के मद्देनजर चौधरी रणबीर सिंह को भारत की संविधान सभा के लिए चुन लिया। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस सर्वोच्च सभा में देश–प्रदेश की भावी तस्वीर को वे जिस रंग में देखना चाहते थे उसका अहसास इन शब्दों में गुंथ सा गया था :

" मैं एक देहाती हूं, किसान के घर में पला हूं और परवरिश पाया हूं। कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह एवं उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं"।

---

28. स्वराज के स्वर, रणबीर सिंह, होप इंछिया गुडगांव, पृष्ठ

जब भी अवसर रहता चौधरी रणबीर सिंह अपने देश, अपने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की व्यथा बयान करते और न्याय की गुहार लगाने से नहीं चूकते। उनके भाषण अपनी सीधी–सपाट बेबाकी की मिसाल हैं। इसके जरिये वे संविधान के मसविदे को लेकर उठे मतभेद पर खुलकर अपना स्थान बता रहे होते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह स्वतन्त्रता आन्दोलन की तपस से हो कर गुजरे थे। उनकी वैचारिक परिपक्वता परवान चढने लगी थी। उनका मन वंचितों के साथ खड़ा था। उन्होने इसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी विवाद, देहात की समस्याएं, आरक्षण का मुद्दा और किसानों पर लगे भारी टैक्स आदि को शामिल करते हुए अपने अनूठे ढ़ंग से सुझाव रखे। सही मायने में दृष्टि उनकी राष्ट्र की थी, दिल देहात के साथ जुड़ा हुआ था।

उन्होंने देश–प्रदेश तथा देहात की विभिन्न समस्याओं, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों आदि हर तबके की वास्तविक स्थिति से न केवल परिचित करवाया, अपितु उनके समाधान हेतु सुझाव भी संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावित किए। अपने क्षेत्र व अपने लोगों की पैरवी की। उनके हर संबोधन में देहात का मर्म और गरीब व मजदूर लोगों का दर्द बखूबी उस पटल पर रखा। एक तरह से वे आम जनमानस की आवाज बन गए थे। संविधान सभा में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त कहा गया:

''मेरा यह नम्र निवेदन है कि प्रस्ताव को पूरे तरीके से माना जाय, बल्कि उसका विस्तार इस तरह कर दिया जाय:

"In discharge of the primary duty of the State to provide adequate food, water and clothing to the nationals and improve their standard of living the State shall endeavour:-

(a) as soon as possible to undertake the execution of irrigation and hydro-electric projects by harnessing rivers and construction of dams and adopt means of increasing production of food and fodder.

(b) to preserve, project and improve the useful breeds of cattle and ban the slaughter of useful cattle, specially milch and draught cattle and the young stocks."

प्रस्ताव का अर्थ था कि सरकार सिंचाई व बिज ली के अधिक उत्पादन के लिए योजनाएं बनाए, खाद्य पदार्थों व पशु चारे के उत्पादन में वृद्धि करे, पशुओं की नस्ल सुधारे तथा उन के वध पर, खास कर 'गोवध पर' रोक लगाए, जिससे हर व्यक्ति को यथा–जरूरत भोजन, पानी और कपड़ा मिल पाए।

संविधान सभा में पहली बार जब चौधरी साहिब बोलने के लिए खड़े हुए, उस समय पूरी सभा दो तरह के मतों में विभाजित हो चुकी थी। विधिमंत्री ने प्रस्तावित संविधान का मसविदा सभा में 4 नवम्बर 1948 को विचार के लिए पेश किया। ऐतराज उठा कि इसमें गांव गायब है। विधिमन्त्री ने कह दिया कि संविधान की आधार इकाई 'व्यक्ति' है। यह समाज के प्रति पश्चिमी नजरिया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी द्वारा 'गांव–गणराज्य' की अवधारणा का प्रतिपादन इससे गायब था। कह दिया गया कि 'गांव' कूपमंडूकता व पिछड़ेपनइ का कुंड है। संविधान के इस स्वरूप पर तीव्र विरोध उठ खड़ा हुआ। स्थिति यह बन गई थी कि भाग लेने वाले हर वक्ता को दोनों ओर से उठे सवालों पर अपनी बात कहना आवश्यक हो गया।

सदन में मसविदे पर विधिमन्त्री द्वारा पेश नजरिये के उलट, स्वतन्त्रता आन्दोलन की चेतना एक अकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था की थी। गांधी जी ने इसे 7 लाख ''गांव गणराज्यों के महासंघ'' का नाम दिया था। मसविदे पर चर्चा में मामला पश्चिम की औद्योगिक प्रणाली व देशज ग्रामीण प्रणाली के बीच उठ गया और भारी तकरार हुई। अनेक सदस्यों ने कड़ा रुख अपनाया और मूलभूत बदलाव का आग्रह किया। यह भी कहा गया कि यह देशज संविधान नहीं है। इसे आजादी आन्दोलन की आत्मा के उलट बताया। ऐसे में, चौधरी रणबीर सिंह ने अपना नजरिया बयान किया कि वे इस विवाद पर कहां खड़े हैं। उन्होंने बड़े साहस के साथ अपना पक्ष चुना। उन्होंने ग्रामीण भारत के साथ अपनी आत्मा को जोड़ कर बात रखी। तर्क

सीधा और सपाट था। इसमें पूर्वाग्रह से हट कर भावी व्यवस्था पर अपने पक्ष का तर्क था –स्वाभाविक और सच्चा। अपने इसी वक्तव्य में उन्होने ग्रामीण भारत की बात उठाते हुए कहा

''देश के अन्दर उसके निर्माण करने में जितना बड़ा हक देहातियों का होना चाहिए, उतना उनको मिलना चाहिए और हर एक चीज के अन्दर देहात का प्रभुत्व होना चाहिए।''

इसी वक्तव्य में उन्होंने भाषा के सवाल पर बोलते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने पर बल दिया तो अन्य महत्वपूर्ण सवालों को भी छुआ। उन्होंने गांधी जी के मत का हवाला देते हुए सरकार में शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात कही। गाँव और शहर के फर्क को बताते हुए, उन्होंने ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का पक्ष रखा। आगे चलकर वे कहते हैं:

''.....दरअसल यदि संरक्षण मिलना है और मिलना ही चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि पिछड़े हुए हैं.....जो श्रम करने वाली जातियां हैं, किसान और मजदूर, उनके लिए हम संरक्षण रखें।...उन्हीं को संरक्षण दिया जा सकता है।.....अगर हरेक इंसान श्रम करके खाएगा, तो यह देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी।''

अपने श्रम से अर्जित जीविका के पक्ष में उनका यह बेबाक मत था। इसके नैतिक पक्ष के वे हिमायती थे। 23 नवम्बर 1948 को कृषि उपज के लिए 'आर्थिक मूल्य' देने की उन्होंने जम कर वकालत की। अवसर मिलते ही उन्होंने अपने समय के ज्वलंत सवालों को सदन में रखा। .

उसी दिन उन्होंने एक संशोधन भी पेश किया। वे चाहते थे कि अनुच्छेद 34 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद 34–ए जोड़ दिया जाए:

"34–ए (क) राज्य समुचित कानून–निर्माण अथवा आर्थिक संगठन अथवा किसी अन्य प्रकार से कृषक को कृषिजन्य पदार्थों का न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा।

(ख) राज्य उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय सहकारी संगठन को सहायता देगा।

(ग) विशेष कानून–निर्माण द्वारा कृषि–सम्बन्धी बीमे का नियमन किया जायेगा।

(घ) किसी रूप में भी अत्यधिक ब्याज लेना वर्जित किया जाता है।"

इस संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा: 'सभापति महोदय, जिस हालत में अब अनुच्छेद 34 खड़ा है ..... उससे भी एक अन्य वर्ग बाकी रह जाता है जिसके आर्थिक हित सुरक्षित नहीं होते, और वह वर्ग भूपतियों (लैंडलार्ड्स) का नहीं है क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि वह पंजाब के किसान (पीज़ेंट प्रोपराइटर्स) का वर्ग है जो न तो किसी का शोषण करता है और न किसी से शोषित होना चाहता है। किसानों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम उसके उत्पाद (प्रोड्यूस) की कोई इकानमिक प्राइस (मूल्य) तय नहीं करेंगे तब तक उनके साथ बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा। आज सरकार की ड्यूटी लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखना ही नहीं है, बल्कि आर्थिक उलझनों को सुलझाना भी है और यह खेती करने वालों के लिये आज एक बड़ी भारी समस्या है। उन्होंने आयकर की तर्ज पर ही कृषि पर कर (लगान) का सुझाव दिया, और छोटी जोतों को बिल्कुल कर से मुक्त करने की बात कही जबकि उस समय छोटी–बड़ी सब जोत पर कर लिया जाता था।

संविधान सभा में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने राजनीति में मूल्यबोध के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 'हमें अपने ध्येय को हासिल करने में मीन्स (साधन) का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साधन का असर ध्येय पर अवश्य पड़ता है।.....'' गांधी जी जब 'end justifies means' यानी 'लक्ष्य प्राप्ति साधन की प्रकृति को वैधता देने वाली उक्ति का विरोध करते हैं तो घोर अनैतिक आचरण व राजनीति में अवसरवादिता के दर्शन की जड़ पर चोट कर रहे होते हैं और कहते थे कि गलत साधन कभी सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। चौधरी साहिब ने भी इस प्रश्न पर शुद्ध राजनीति के पक्ष में मत दिया।

22 अगस्त, 1949 को उन्होंने देहात व शहरी शिक्षा व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करके साबित कर दिया कि देहात में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सरकारी स्तर पर बड़ा छल किया जा रहा है। उन्होने देहात में मौजूद बच्चों के सिविल सेवा में न जा पाने की हकीकत को सुलझे हुए अन्दाज में प्रस्तुत करके ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े बच्चों के शिक्षा स्तर में भारी सुधार एवं लोकसेवा आयोग में ग्रामीण बच्चों को कुछ ढ़ील देने की पैरवी की।

चौधरी रणबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत सुझावों की महत्ता इसी से सहज स्पष्ट हो जाती है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव रखे उनमें से अनेकों को राज्य के निदेशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया और कुछ पर आगे चल कर केन्द्र व राज्य सरकारों ने ध्यान दिया। मात्र कहने तक वे सीमित नहीं रहे। बाद में, जब उन्हें पंजाब व हरियाणा में बतौर मन्त्री जिम्मेदारी मिली तो पूरी तनदेही से इस दिशा में अपनी भरी–पूरी क्षमता दिखाई।

चौधरी साहब सन् 1950 से 1952 तक संविधान सभा (विधायी) और भारत की अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। वर्ष 1952 में स्वतन्त्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। गाँव–देहात, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों की पैरवी करते–करते चौधरी रणबीर सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में अपना एक अहम स्थान स्थापित कर चुके थे। देहात में भी उनके कद का कोई अन्य नेता उस समय नजर नहीं आता था। परिणामस्वरूप, रोहतक लोक सभा सीट के लिए चौधरी रणबीर सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। अपने अटूट संघर्ष, आम जनमानस के प्रति उनका सच्चा लगाव और राष्ट्र उत्थान में उनकी उल्लेखनीय आस्था आदि के चलते चौधरी रणबीर सिंह ने भारी मतों से रोहतक लोक सभा सीट से अपनी जीत का परचम फहराया। लोक सभा में पहुंचने के बाद भी उन्होंने देहात की समस्याओं और दबे–कुचले व वंचितों की आवाज को सदन में गुंजाये रखा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार का ध्यान गाँव की समस्याओं और ग्रामीणों की दयनीय हालत पर गया। प्रथम लोक सभा की पारी में चौधरी रणबीर सिंह के खाते में रोहतक–गोहाना रेल मार्ग, खरखौदा

हाई स्कूल, बसन्तपुर, बहुजमालपुर प्राथमिक स्कूल, गाँधी स्मारक स्कूल, गौरड़ आदि अनेक उपलब्धियां दर्ज हुईं।

वर्ष 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। ग्रामीणों के हितैषी प्रतिष्ठित हो चुके चौधरी रणबीर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। वे अपने अनूठे त्याग, तप एवं समाज के प्रति समर्पण भाव के बल पर ऐतिहासिक विजय हासिल करके लगातार दूसरी बार लोक सभा में विजयी होकर पहुंचे। उनके प्रयत्नों से रोहतक मैडिकल कालेज (अब विश्वविद्यालय) जैसी अनुपम सौगातें समाज को मिलीं और आम लोगों की खूब जमकर वकालत की।

सन् 1962 में पंजाब विधान सभा के चुनाव हुए। आपने कलानौर हलके से पंजाब विधान सभा के लिए चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से जीते। पंजाब मंत्रिमंडल में बिजली तथा सिंचाई महकमों के काबीना–स्तर के मंत्री बने और जनहित के कई ऐसे कार्य किए कि आज तक भी लोग याद करते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में किए गए चौधरी साहब के काम निःसंदेह स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के योग्य हैं। इन दिनों की उन की सब से बड़ी उपलब्धि है भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य को पूरा कराना था। मृत्यु से एक दिन पूर्व (8 जनवरी 1945) को चौधरी छोटू राम ने राजा बिलासपुर से पंजाब सरकार के लिए वह भू–भाग लिया था, जिसपर यहां के दूसरे महान सपूत, चौधरी रणबीर सिंह ने भाखड़ा बांध का निर्माण पूर्ण कराया, जिसे पं. जवाहर लाल नेहरू ने 22 अक्तूबर 1963 के दिन राष्ट्र को समर्पित किया।

आप के कार्यकाल में ही पोंग बांध और ब्यास–सतलुज लिंक का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, जिस से हरियाणा को भाखड़ा से ब्यास का पानी मिलने में सहायता मिली। इसी दौरान, पंजाब और यू. पी. के बीच यमुना के पानी के बंटवारे पर समझौते में बड़ी दूरदर्शिता से हरियाणा के हितों की रक्षा की। किशाऊ और रेणुका योजनाओं की रूप–रेखा, जिनकी मंजूरी भारत सरकार ने हाल ही में दी है, और गुड़गाँव नहर योजना के बनाने के प्रस्ताव आप के समय में ही मंजूर हुए थे। ऐसी ही कई अन्य योजनाओं को आप ने शुरू करने की व्यवस्था की।

हरियाणा का गठन

देश की संविधान सभा में वे उस समय के संयुक्त पंजाब प्रान्त से चुने गए थे; उसके प्रतिनिधि थे। तब भी उन्हें हरयाणवी होने का गर्व था और चाहते थे कि हरियाणा का अलग अस्तित्व कायम हो और दिल्ली उसके साथ जुड़े। संविधान सभा में 18 नवम्बर, 1948 को चौधरी रणबीर सिंह ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने का प्रश्न उठाया और कहाः

'सच यह है कि अगर हरियाणा प्रान्त बनता, जैसे अंग्रेजों के समय में भी जिस समय गोलमेज (राउन्ड टेबुल) कान्फ्रेंस का समय था, उस समय कारवेट स्कीम के मुताबिक एक नया प्रान्त बनाने की योजना थी। उस समय भी इस प्रान्त का कोई बड़ा नेता न था। इसलिये उस स्कीम को टारपीडो कर दिया गया।

चौधरी रणबीर सिंह के दिल में हरियाणा के निर्माण की बेहद कड़ी कसक थी। इस सन्दर्भ में उनका मानना था कि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में मिलाने का फैसला एकदम गलत था। जब आप पंजाब में मंत्री थे तब हरियाणा के पिछड़े क्षेत्र का आप विशेष ख्याल रखते थे – खासकर अपने महकमों में। इस से पंजाब के बहुत से भाई नाराज रहते थे। कई बार मुख्यमंत्री से भी खिंच जाती थी। लेकिन आप सदैव यह दलील देकर सबको चुप कर देते थे कि परिवार में गरीब और बीमार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और हरियाणा को आपने दोनों ही स्थितियों में पहुंचा रखा है!

एक समय पर अलग हरियाणा के गठन का सवाल खड़ा हो गया। चौधरी साहब ने इस अवसर को गम्भीरता से लिया। जब हरियाणा की मांग जोर पकड़ने लगी तो आप ने इसके औचित्य से केन्द्र तथा स्थानीय नेतृत्व को पूरी तरह अवगत किया। पंजाब मन्त्रीमण्डल का सदस्य रहते हुए अलग गठन के समय आपने हरियाणा के हितों की भरपूर वकालत की। अबोहर –फाजिल्का के हिन्दी भाषी क्षेत्र को पंजाब को देने का आप ने मन्त्री रहते हुए विरोध किया। शाह हदबंदी आयोग के समक्ष इस सवाल पर डट कर वकालत की व कई महत्त्वपूर्ण फैसले हरियाणा के हित में करवाने में आप सफल हुए।

चौधरी रणबीर सिंह जैसे महान लोगों के अमूल्य योगदान से 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया। अलग राज्य बनने के बाद, पंजाब विधान सभा में जितने भी हरियाणा क्षेत्र के विधायक थे उनसे हरियाणा विधान सभा बना दी गई थी। उन्हीं विधायकों में से हरियाणा का पहला मंत्रीमंडल बना। चौधरी साहब फिर काबीना मंत्री बने और जुट गए अपने काम में! उस समय प्रान्त हर लिहाज से पिछड़ा प्रदेश था। परन्तु, लोगों की मेहनत से अब यह शीघ्र ही समृद्ध एवं सम्पन्न राज्य बनने की डगर पर बढ चला। इसमें चौधरी साहब की भूमिका बहुत अहम थी। 1967 में चुनाव हुए तो उन्हें किलोई क्षेत्र से नामित किया गया। थोड़े दिन बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 1968 में फिर चुनाव हुए। उन्होंने एकबार फिर चिरपरिचित अन्दाज में भारी मतों से विजय हासिल की।

उसके बाद केन्द्रीय नेतृत्व के कहने पर आप 4 अप्रैल 1972 को राज्य सभा में पहुंच गए। वहां गरीब, गाँव और हरियाणा राज्य की जोरदार वकालत की। इन दिनों आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे और कांग्रेस संसदीय दल (राज्य सभा) के उप–नेता भी चुन लिए गए।

राज्य सभा के काम के अतिरिक्त, इन दिनों कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने में भी आप ने बहुत काम किया। हरियाणा में उन दिनों कांग्रेस संगठन में कमजोरी आ गई थी। उसे चुस्त–दुरूस्त बनाने हेतु प्रदेश कांग्रेस का 1977 से 1980 तक अध्यक्ष बनाया। शीघ्र ही 'बीमार' दल को स्वास्थ्य लाभ हुआ।

राज्य सभा में सदस्यता की 1978 में अवधि समाप्त होने पर सक्रिय सत्ता–राजनीति से सन्यास लेने का निर्णय ले लिया। उस समय, राजनीति में आपका खूब ऊँचा कद था। किन्तु, अलग राज्य बन जाने के बाद हरियाणा में जिस तरह का वातावरण बन गया था उस में एक ओर समग्र विकास के लिए लोगों में आकांक्षा ने जन्म लिया, दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में संकीर्णता, स्वार्थ–भावना और 'आयाराम–गयाराम', 'जात–पात' एव 'धड़ेबंदी' खड़ी हो गई। इससे चौधरी रणबीर सिंह बड़े दुखी हुए। राजनीति में वे उन सब हत्थकण्डे

भारतीय विधान परिषद्

सोमवार, 14 जुलाई, 1947 ई.*

———————

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार तारीख 14 जुलाई सन् 1947 को प्रातःकाल 10 बजे माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

———————

परिचय पत्रों की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

.....

पूर्वी पंजाब

28. माननीय सरदार बलदेव सिंह
29. दीवान चमनलाल
30. मौलाना दाऊद गजनवी
31. ज्ञानी गुरूमुखसिंह मुसाफिर
32. शेख महबूब इलाही
33. सूफी अब्दुल हमीद खां
34. चौधरी रणवीर सिंह
35. चौधरी मुहम्मद हसन
36. श्री विक्रमलाल सेंधी
37. प्रो. यशवन्त राय

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 2, खण्ड संख्या V से VI, 14 जुलाई, 1947 से 27 फरवरी, 1948, पृष्ठ सं. 3

भाग : एक
संविधान सभा में भाषण

प्रयोग नहीं कर सकते थे जिनका दखल अब हो चला था। वे स्वतन्त्रता आन्दोलन के मूल्यों को नष्ट करना उनको गवारा नहीं था। वे सामाजिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लगे। उनका कहना था:

> *'राजनीति के अतिरिक्त और भी तो बहुत–से क्षेत्र हैं जहां मेरी जरूरत है। राजनीति में बहुत रह लिए, अब यहाँ भी कुछ करना चाहिए।'*

चौधरी साहब पहले से ही हरिजन सेवक संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, भारत कृषक समाज, आदि संगठनों से जुड़े हुए थे। सक्रिय राजनीति की वजह से इन्हें पूरा समय नहीं दे पाते थे। इस बात से उन्हें सदैव आत्म–ग्लानि रहती थी। सन्यास का फैसला इसी जिम्मेदारी को ठीक तरह से संभालने के लिए था। कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी के बाद, अब आपने इन संस्थाओं को खूब समय दिया और काफी महत्वपूर्ण काम किए। इसके इलावा, आप ने स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति की तरफ भी ध्यान दिया। आप के अपने शब्दों में,

> *'वे (स्वतंत्रता सेनानी) अब बूढ़े हो चले थे। उन की उपेक्षा भी हो रही थी'।*

श्री शीलभद्र याजी और प्रो. एन.जी. रंगा के साथ मिलकर उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को समय देना आरम्भ किया और उनकी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान लगाया। श्रीमती इन्दिरा गांधी से उनके लिए, 1972 में, पेंशन मंजूर कराई गई। 1980 में इस पेंशन योजना को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का नया रूप दिया गया। बाद में, बहुत–से राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। आप की रहनुमाई में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याणार्थ और भी बहुत से कार्य, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा किए गए जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें।

–ज्ञान सिंह

भारतीय विधान परिषद्

शनिवार, 6 नवम्बर, सन् 1948 ई.*

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक प्रातः 10 बजे कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में समवेत हुई। उपाध्यक्ष महोदय (डा. एच.सी. मुखर्जी) अध्यक्ष पद पर आसीन थे।

————

संविधान के मसौदे से संबंधित विवाद

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : सभापति महोदय, मैं डा. अम्बेदकर के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दो–एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं सेठ गोविन्ददासजी की तरह इस बात का हामी हूं कि यह अच्छा होता कि हम आरम्भ में ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रपताका और राष्ट्रभाषा का फैसला करते। मंत्री जी ने जो बात कल कही थी, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम दक्षिण के साथियों से आज यह तवक्को नहीं कर सकते कि वह एकदम से हिन्दी में ही बोलें और हिन्दी में ही काम चलावें। लेकिन राष्ट्रभाषा का फैसला पहले होने से एक फायदा यह था और अब भी लाभ है कि लोगों को यह पता लग जायेगा कि देश की कौनसी राष्ट्रभाषा है और उनको कौनसी राष्ट्र–भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 4 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 246, 247, 248, 249 व 250

इसके बाद मैं ताकत के एकीकरण या प्रथक्करण के झगड़े में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस सभा का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र, उसके अन्दर प्रथक्करण से जो ताकत पैदा होती है, वह ज्यादा मजबूत होती है और मेरे लिए इसके अलावा और भी दूसरे कारण हैं। मैं एक देहाती हूं, किसान के घर पला हूं और परवरिश पाया हूं। कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह और उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं। मैं यह समझता हूं कि इस देश के अन्दर उसके निर्माण करने में जितना बड़ा हक देहातियों का होना चाहिए, उतना उनको मिलना चाहिए और हरेक चीज में देहात का प्रभुत्व होना चाहिए।

इसके आगे एक और चीज है, जिसकी तरफ आज सुबह बाबू ठाकुरदास ने ध्यान दिलाया था। वह यह है कि देहाती और शहरी नशिस्तों (स्थानों) की तफरीक मिटा दी जाय। इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसको मानता हूं कि अगर हम बहुत आगे की बातें सोचें, तो इसमें देहात का फायदा है, खासतौर पर हिन्दुस्तान जैसे देश के अन्दर, जहां पर कि 7 लाख देहात हैं और चन्द शहर हैं। पर आज जैसे हालात हैं, उनको हम भूल नहीं सकते। हम कितने ही अच्छे ढंग से देहातियों को समझावें और कितने ही अच्छे गीत गाकर उनको हम भुलाना चाहें, वह इस बात को भूल नहीं सकते कि आज देश के अन्दर प्रेस की ताकत और पढ़े–लिखे इंटेलीजैंसियों की जो ताकत देश में प्रभुत्व रखती है, वह शहरों तक ही महदूद है और देहात की आवाज का देश के निर्माण में बहुत थोड़ा हिस्सा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम आज जो हालात हैं, उसको भुला नहीं सकते। आज देश में यह जरूरत है कि अभी देहात की जो धारा सभायें नशिस्तें हैं, वह अलहदा रखी जायें, क्योंकि दरअसल अगर संरक्षण मिलना है और मिलना भी चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, जो कि पिछड़े हुए हैं। संरक्षण जो कि हमारे ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन में दिया गया है, वह संरक्षण तो अजीब है। हमें एक चीज़ को याद

करना चाहिए, जो कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिखाई है कि हमें अपने ध्येय को हासिल करने में मीन्स (साधन) का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मीन्स का असर ध्येय पर अवश्य पड़ता है। तो जब हम एक सैक्युलर स्टेट बनाना चाहते हैं और निर्धर्मी सरकार बनाने का हमारा ध्येय है, तो फिर उसको हासिल करने के तरीके में अगर हम सीटें माइनारिटीज के लिये या कुछ सम्प्रदायों, रिलीजियन्स के लिये संरक्षित कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझता कि यह चीज जो मीन्स हैं, यह कहां तक ठीक हैं। क्या इन मीन्स का असर ध्येय पर नहीं पड़ेगा? मैं तो समझता हूं कि हमारा जो यह स्वप्न है कि देश के अन्दर एक निर्धर्मी सरकार बनावें, वह स्वप्न ही रह जायगा, अगर आज भी हमने इस तरह का फैसला किया कि संरक्षण जो मिलें, वह धर्म के आधार पर मिले। आज देश की हालत को देखें तो जहां तक कि मुसलमान मजहब के मानने वालों का ताल्लुक है, उनकी तरबियत और शिक्षा और उनकी ताकत का हम सबूत देख चुके हैं। हमने यह देखा कि उन्होंने अपने ऑरगेनाइजेशन की ताकत से और विदेशी ताकत की मदद से देश के दो हिस्से कराए। दूसरी माइनारिटीज भी, जिनका जिक्र पहले आ चुका है, वह भी कोई कम ताकतवर नहीं हैं। उनको किसी तरह हम पिछड़ी हुई जातियां नहीं कह सकते हैं। हां, यह बात कही जा सकती है कि हरिजन भाई पिछड़े हुए हैं। तालीम के लिहाज से और आर्थिक दशा के हिसाब से वह पिछड़ी हुई जाति कही जा सकती है। लेकिन इस सिलसिले में भी हमको एक बात और सोचने की है, वह यह है कि अगर हम आज उनको हरिजनों के नाम से संरक्षण देते हैं, तो हम उनके हरिजन नाम को पक्का कर देंगे, जो कि हमारा ध्येय नहीं है। हम देश के अन्दर एक क्लासलैस सोसाइटी (वर्गविहीन समाज) बनाना चाहते हैं। तो उस क्लासलैस सोसाइटी के अन्दर अगर हम इस तरह सुरक्षित स्थान देंगे, तो वह क्लासलैस सोसाइटी नहीं बन सकेंगी। बल्कि इस तरह से तो हम हरिजन शब्द को पक्का करेंगे। मेरी समझ में उनको सुरक्षित स्थान देने का दूसरा तरीका है, जो बहुत अच्छा है और वह यह है कि पिछड़े हुए जितने आदमी हैं, वह या तो किसान हैं या वह मजदूर हैं। रशिया में जो मनुष्य हाथ से मेहनत नहीं करते थे और जो दूसरे ढंग से अर्थात्, रूपया से रूपया कमाते थे और जिनकी श्रम से कमाई नहीं थी, उनको डीफ्रैंचाइज कर दिया गया था। हम अपने देश में चाहे आज उनको डीफ्रैंचाइज न करें, उनको उनकी आबादी के हिसाब से पूरा अधिकार दे दें। लेकिन जो श्रम करने वाली जातियां हैं, किसान और मजदूर, उनके लिए हम संरक्षण रखें। और अगर संरक्षण देना है, तो उन्हीं आदमियों को देना है, जो कि किसान हैं और मजदूर हैं और उन्हीं को यह सही तौर पर दिया जा सकता है।

एक बात और है। जैसा मैंने पहले कहा था, शायद कोई कह सकता है कि इस तरह से एक और बीमारी पैदा हो जायगी, वह यह है कि किसान और मजदूर का शब्द भी पक्का घर कर जायगा। परन्तु मैं समझता हूं कि इससे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर सारा देश मजदूर बन जाय या किसान बन जाय, तो वह सबसे बेहतर है। अगर हर एक इन्सान श्रम करके खायेगा, तो यह देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी और जो देश का आज का मसला अनाज और कपड़े का है, वह भी आसानी से हल हो सकेगा।

इसके बाद मेरा नम्र निवेदन, जो कि एक किसान के नाते हो सकता है, वह गौरक्षा के बारे में है। गौवध के बारे में मैंने और पंडित डाकुरदास भार्गव जी ने कांग्रेस–पार्टी में एक प्रस्ताव (रिजोल्यूशन) रखा था और उस वक्त वह सर्वसम्मति से माना गया था। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि उसका जिक्र हमारे कान्स्टीट्यूशन में किसी तरह से भी नहीं आया है। हालांकि हिन्दी के बारे में भी ऐसी ही बात हुई थी। हिन्दी का जो फैसला था, वह पार्टी के अन्दर हो चुका था, लेकिन वह भी इस हाउस के अन्दर नहीं आया था। फिर भी मसौदे में उसका प्रवेश कर दिया गया है। लेकिन गौरक्षा का जो रिजोल्यूशन था, उसका जिक्र नहीं आता। मेरा यह नम्र निवेदन है कि उस रिजोल्यूशन को पूरे तरीके से माना जाय, बल्कि उसका विस्तार इस तरह कर दिया जायः

"राज्य को प्राथमिक कर्तव्य में अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और कपड़े प्रदान करने के लिए छूट होगी :

ध्येय था। और उस विधर्मी सरकार का नियम भी यह होना चाहिये था कि यह धर्म और जाति की बिना पर यह जो चीजें हैं, इनका खात्मा किया जाय।

इसके विपरीत जैसा कि पहले सुझाव के अनुसार किसी इलाके की आक्सीरियत को, जो कि स्टेट में माइनोरिटी में था, उसको मौका था, उसकी आवाज का जो वजन था। मुझे डर है कि इस सुझाव के मंजूर हो जाने से वह उतना नहीं रहेगा, जितना कि पहिले सुझाव के अनुसार था।

भारतीय विधान परिषद्

बृहस्पतिवार, 18 नवम्बर, सन् 1948 ई.*

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक उपाध्यक्ष (डा. एच.सी. मुखर्जी) की अध्यक्षता में कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः दस बजे आरम्भ हुई।

विधान का मसौदा

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : सभापति महोदय, कल मैं यह बता रहा था कि इस संशोधन के अनुसार धार्मिक या किसी जात–पात की माइनोरिटी जिसकी किसी स्टेट या किसी इलाके में मैजोरिटी नहीं है, तो भी उसके लिये, इसमें कोई शक नहीं कि इस संशोधन से गुंजायश पैदा हो जाती है कि प्रेसीडेंट या भारत सरकार चाहे तो उनको उनकी मर्जी की स्टेट के अंदर हदबंदी की तब्दीली की जा सकती है। लेकिन मुझे डर है कि इस संशोधन के अनुसार वह, ऐसे इलाकों के लिए जो किसी स्टेट के इलाकों में मैजोरिटी में हों, लेकिन स्टेट के अंदर माइनोरिटी में हो, उनकी कामयाबी के चान्सेज जो हैं, वह कम कर देती है और उनकी मांग का वजन तथा उनकी आवाज का वजन भी कम हो जाने का डर है क्योंकि इस संशोधन के अनुसार वह मसला स्टेट के लेजिस्लेचर की बहस के

* विधान के वाद विवाद / लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 4 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 559

(क) जितना जल्दी संभव हो सके, नदियों और बांधों के निर्माण के दोहन के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य व खाद्य और चारा का उत्पादन बढ़ाने के साधन अपनाने की।

(ख) परियोजना और पशुओं की नस्लों में सुधार उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध विशेष तौरपर दुधारू पशु और पशु मसौदा व उच्च संरक्षण करने की।''

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन मैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं। मुझे इसमें तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे बड़ी खुशी है कि सैन्टर बड़ा भारी मजबूत हो, लेकिन एक चीज, जो मैं निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं, वह यह है कि सूबों के फाइनेन्सेज मजबूत किये जायें। आज एक किसान, जिसकी कमाई खून और पीसने की कमाई है, उसकी आमदनी का एक पाई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एक बीघा भी जमीन अगर वह काश्त करता है, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इसके मुकाबले में इस भारत के दूसरे निवासियों की दो हजार तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। किसान के साथ यह एक बहुत बड़ा अन्याय है और एक ऐसे देश में, जिसके अन्दर कि किसानों का प्रभुत्व है और जिसमें किसानों की इतनी बड़ी आबादी है, बल्कि यों कहना चाहिए कि जो देश किसानों का ही है, उसके अन्दर उनके साथ यह अन्याय जारी रहेगा, तो यह कैसा मालूम देगा? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सूबे की सरकारें जमीन का जो लगान है, उसको भी इन्कमटैक्स के ढंग से लागू करें। इसके लिए उनके फाइनेन्सेज को मजबूत किया जाय।

दूसरी बात एक पंजाबी होने के नाते में कहना चाहता हूं कि इस देश के आज़ाद होने से पंजाब तकसीम हुआ और पंजाब के तकसीम होने से सूबे का तमाम काम उथल–पुथल हो गया। उसको फिर दुबारा दूसरे सूबों की बराबर लाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम दस साल तक, जहां तक आर्थिक व्यवस्था का ताल्लुक है, ईस्ट पंजाब के साथ खास रियायत बरती जाय।

भारतीय विधान परिषद्

बुधवार, 17 नवम्बर, सन् 1948 ई.*

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक अध्यक्ष महोदय (डा. राजेन्द्र प्रसाद) की अध्यक्षता में कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे आरम्भ हुई।

संविधान का मसौदा

चौधरी रणबीर सिंह (पूवी पंजाब : जनरल) : सभापति महोदय, मैं डा. अम्बेदकर साहब के संशोधन का समर्थन करते हुए एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस संशोधन के अनुसार हमें इसमें कोई शक नहीं है कि केन्द्रीय धारा–सभा के मेम्बरों के लिये कुछ थोड़ी बहुत प्राईवेट बिल लाने की आज़ादी देंगे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मजहब की या किसी जाति के अकलियत के लिये भी हम कुछ आज़ादी देंगे और मौका देंगे कि वह जिस किस्म से किसी सूबे के बनाने में वह अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वह अपनी आवाज उठा सकेंगे।

लेकिन एक बात में इस बारे में जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश का ध्येय जो है, वह तो एक सेकुलर स्टेट बनाने का

* संविधान के वाद विवाद / लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड VII (क), 4 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 246, 247, 248, 249 व 250

भारतीय विधान परिषद्

मंगलवार, 23 नवम्बर, 1948 ई.*

———————

भारतीय विधान–परिषद! कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे उपाध्यक्ष महोदय (डा. एच.सी. मुखर्जी) के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————

विधान का मसौदा

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं, किन्तु मैं अनुच्छेद पर बोलना चाहता हूं।

चौधरी रणवीर सिंह : मिस्टर वाइस प्रेसीडेण्ट, मैं इसीलिये पहले खड़ा हुआ था कि जो अपनी दो–चार बातें एक्सप्रैस करना चाहता हूं वह जनरल आर्टिकल पर कह लेता। लेकिन चूंकि मुझे उस वक्त समय नहीं दिया गया; अगर आप इजाजत दें तो एक दो मिनट में अपनी बात कह लेना चाहता हूं। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपने संशोधन को प्रैस नहीं करूंगा। इसके अलावा एक बात और भी है। जैसे कि श्री आयंगर साहब ने बताया .....

उपाध्यक्ष : कृपया संशोधन पर बोलिये।

चौधरी रणवीर सिंह : मेरा संशोधन इस प्रकार है :

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 3, खण्ड टप्प (क), 04 नवम्बर, 1948 से 30 नवम्बर, 1948, पृष्ठ सं. 722, 723 व 724

"कि अनुच्छेद 34 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद 34–ए जोड़ दिया जायः

"34–ए (क) राज्य समुचित कानून–निर्माण अथवा आर्थिक संगठन अथवा किसी अन्य प्रकार से कृषक को कृषिजन्य पदार्थों का न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा।

(ख) राज्य उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के राष्ट्रीय सहकारी संगठन को सहायता देगा।

(ग) विशेष कानून–निर्माण द्वारा कृषि–सम्बन्धी बीमे का नियमन किया जायेगा।

(घ) किसी रूप में भी अत्यधिक ब्याज लेना वर्जित किया जाता है।"

उपाध्यक्षः मान लो कि आप इस बात को छोड़ देते हैं। अब श्री चौधरी, आप वक्तृता दे सकते हैं।

चौधरी रणवीर सिंह : सभापति महोदय, जिस हालत में अब आर्टिकिल 34 स्टेंड करता है और डाक्टर अम्बेडकर साहब ने नागप्पा जी का जो सुझाव माना है उससे भी एक क्लास और बाकी रह जाती है जिसके इकानमिक इंटरेरट्स सुरक्षित नहीं होते, और वह क्लास लैंडलार्ड्स का नहीं है क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि वह पंजाब के पीज़ेंट प्रोपराइटर्स का क्लास है जो कि न तो किसी को शोषण करता है और न किसी से शोषित होना चाहता है। पीज़ेंटरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक कि हम उसकी उपज की कोई इकोनोमिक प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक उसके साथ बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा। आज स्टेट की ड्यूटी लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखना ही नहीं है, बल्कि आर्थिक उलझनों को सुलझाना भी है और यह एग्रीकल्चरिस्ट के लिये आज एक बड़ी भारी समस्या है। पिछले दिनों का जिक्र है कि गुड़ और कई चीजों की प्राइस इतनी गिरी कि जो प्राइस 4 या 5 महीने पहले थी उसकी चौथाई रह गई। यह एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे देश में इस

अंदर आयेगा, क्योंकि वह इलाका स्टेट के अंदर एक माइनोरिटी है, चाहे वह स्टेट के किसी इलाके में मैजोरिटी में भी है, कुदरती तौर पर इसका नतीजा यह होगा कि यह लिख दिया जायेगा कि चन्द विधायिका के सदस्य राज्य की सीमाओं में तब्दीली चाहते हैं। तो इससे जिस तरह से पहले संशोधन के अनुसार यह था कि किसी इलाके की मैजोरिटी मेम्बरों की यह चाहें कि वह इलाका किसी दूसरी स्टेट या एक नयी रियासत के साथ जोड़ दिया जाये, तो उसके ऊपर विचार हो सकता था। अब जो नया संशोधन है, उससे मुझे डर है कि उनकी आवाज के असर में फर्क पड़ जायेगा और खास तौर पर ऐसे इलाकों की, जिनके पास न कोई नेता है, न जिनके पास कोई अपना प्रेस है और न कोई दूसरा आवाज उठाने का जरिया (साधन) है, उनके लिये खास तौर पर यह मुश्किल पैदा होगी। यू.पी. को ही ले लीजिए। जिस समय हम पिछली दफा विधान के बारे में विचार कर रहे थे, हमारी पार्टी के अन्दर कई दफा इस मसले पर विचार होते हुये यह बात साफ हुई कि यू.पी. वाले यह महसूस करते हैं कि उनका सूबा बहुत बड़ा सूबा है। मिसाल के तौर पर उस समय यू.पी. वालों ने कहा था कि दूसरे सूबों की तरह एक लाख के ऊपर एक मेम्बर की नुमायन्दगी आयेगी। तो यू.पी. का हाउस 600 का बन जायेगा और वह बहुत बड़ा हाउस होगा। इस किस्म की समहंस और प्रशासनिक कठिनाईयों को मानते हुए भी यह कहा जाता है कि कोई भी इलाका दिल्ली को या हरियाणा प्रान्त को न दिया जाये। हालांकि इस इलाके के लोग यह चाहते हैं कि वह दिल्ली या हरियाणा प्रान्त के अन्दर मिला दिया जाये। लेकिन हुआ क्या? चूंकि उनके पास अपना कोई नेता नहीं था, न अपना प्रेस था। पहले तो यू.पी. में, जिन्होंने इस किस्म की आवाज उठाई थी, उनकी वफादारी के ऊपर शक किया गया और उनकी आवाज को इतनी बुरी तरह से दबाया गया कि जिसका कोई अन्दाज नहीं। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने उनको बैन कर दिया और कहा कि वह कोई आवाज सूबे की तब्दीली के लिए नहीं उठा सकते।

अतः मुझे डर है कि यह जो संशोधन है, इससे उन आदमियों के लिये जिनकी सभ्यता एक है, बोली एक है, ढंग एक है, जिनका कानूनी और प्रशासनिक दूसरे नुक्ते निगाह से इकट्ठा होना देश के लिये फायदेमन्द है, वह कुछ न कर सकेंगे। मेरी राय में जैसा कल ठाकुरदास ने बतलाया था, हरियाणा प्रान्त के बारे में जब आवाज को उठाया गया, तो उससे कुछ आदमियों की वफादरी पर शक किया गया और कहा गया कि यह जाट सूबा बनाना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर हरियाणा प्रान्त बनता, जैसे अंग्रेजों के समय में भी जिस समय राउन्डटेबुल कान्फ्रेंस का समय था, उस समय कारवेट स्कीम के मुताबिक एक नया सूबा बनाने की स्कीम थी। उस समय भी इस प्रान्त का कोई बड़ा नेता न था। इसलिये उस स्कीम को टारपीडो कर दिया गया। तो आज भी यही कह दिया जाता है कि यह लोग जाट सूबा अलग बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसा अभी मैं बताना चाहता था, सच यह है कि जाट इसके अंदर एक माइनोरिटी हैं और उनकी अकेली कम्यूनिटी के नाते भी और कोमों के मुकाबले में मैजोरिटी नहीं होती है। अगर कोई ज्यादा गिनती वाली कम्यूनिटी हैं तो वह हरिजन भाइयों के अंदर चमार कम्यूनिटी है। अगर कोई स्थान या सूबा बनता है, तो वह चमारों का सूबा बनता है। परन्तु चूंकि उनके पास अपना प्रेस नहीं है, इसलिये उनकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता।

इसमें कोई शक नहीं कि मैं संशोधन का समर्थन करता हूं, पर इसके साथ–साथ मैं यह चाहता हूं कि इसके अंदर कोई इस किस्म की तब्दीली जरूर कर दी जाये, जिससे जब केन्द्र प्रान्तीय धारा सभा से उसकी राय पूछे, तो उसके अन्दर यह भी दर्ज हो कि उस इलाके की, जो इलाका पृथक होकर दूसरे के साथ मिलना चाहता है, उसके प्रतिनिधित्व के बहुमत की राय क्या है? उसकी राय केन्द्रीय असेम्बली में दर्ज होकर आये और पता लगे कि इलाका क्या चाहता है।

और न राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने में रूकावट होगी जो भूमि को जोतने वालों अथवा कृषकों के हित की रक्षा के लिये उन लोगों पर, जो खेतिहर नहीं हैं कृषि–भूमि की अवाप्ति अथवा संधारण के बारे में आयंत्रण लगाती है। (8) उक्त खण्ड (घ) (ड़) और (च) की कोई बात राज्य को न्यूनातिन्यून अविच्छेद्य भूमि के आर्थिक संधारण की घोषणा करने वाले कानून के निर्माण करने से नहीं रोकेगी।"

श्रीमान्, आगे और विचार करने पर मैंने अपने विचार बदल दिये और इन संशोधनों को पेश नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि इस अनुच्छेद के उपखण्ड (5) में "जन–सामान्य के हित में" शब्द से मेरा आशय पूर्णतया पूरा हो जाता है अर्थात् कृषि करने वालों अथवा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये जब कभी प्रतिबन्धों का लगाना आवश्यक समझा जायगा, सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समाज के किसी वर्ग पर प्रतिबन्ध लगा दे अथवा उन कानूनों को जो लागू हैं लागू रहने दे और जिनके बारे में सरकार यह समझे कि किसानों अथवा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये वे आवश्यक हैं।

मैं पूर्वी पंजाब से आया हूं और वहां एक ऐसा कानून है कि भूमि–विच्छेद–अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके अनुसार कुछ वर्गो को कानून से भूमि अवापन करने का अधिकार नहीं है। मैं अपने मित्रों, विशेषकर हरिजनों से इस बात में सहमत हूं कि हरिजनों तथा अन्य लोगों को जो कि वास्तव में कृषि करने वाले हैं, भूमि अवापन का अधिकार हो। पर मैं यह नहीं समझ पाता कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कृषि करता हो या नहीं कृषकों के समान समझा जाय और उसे कृष्य भूमि अवापन करने की स्वतंत्रता हो। यदि यह दशा होगी तब तो हम एक नयी समस्या खड़ी करेंगे – जमींदारी की समस्या – वह समस्या जिसे हम देश से मिटा रहे हैं अथवा मिटाने का वचन दे चुके हैं। अनेकों प्रान्तों में जमींदारी–प्रथा मिटाने का कानून बन चुका है। पंजाब के सम्बन्ध में मेरा विचार है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भूमि–विच्छेद–अधिनियम के

फलस्वरूप पंजाब में जमींदारी–प्रथा का अभाव है और जिस उग्र रूप में यह अन्य प्रान्तों में है वैसे रूप में यहां नहीं है और यही वास्तविक कारण है कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब के किसान अधिक उन्नत अवस्था में हैं। अतः मेरा यह पुष्ट और ठीक विचार है कि राज्य के विधान–मण्डलों तथा विभिन्न सरकारों को अकृषकों पर कृषि भूमि के अवापन करने और संधारण के बारे में प्रतिबन्ध लगाने की स्वतन्त्रता हो और कृषि करने वाले अथवा किसानों की रक्षा के लिये न्यूनातिन्यून अविच्छेद्य भूमि के आर्थिक संधारण की घोषणा करने की स्वतंत्रता हो।

हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है और वे ही कृषि करने वाले हैं। अतः "जन–सामान्य के हित" शब्दों का आशय केवल कृषकों और मजदूरों से ही है न कि केवल मध्यवर्गीय बौद्धिक तथा श्वेतवस्त्रधारी वाचाल लोगों से।

किस्म की उथल–पुथल एग्रीकल्चरल इकानमी को उथल–पुथल किये बगैर नहीं रह सकती। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रैस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूं कि पिछली आर्टिकिल से यह बात हल हो जाती है, पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिये। मेरे कहने के मायने यह हैं कि एग्रीकल्चर की चीजों की इकानमिक प्राइस मुकर्रर किये बगैर एग्रीकलचरिस्ट की इकानमिक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और उसको स्टेबिल करना जरूरी है। बाकी जो तीन हिस्से हैं वह भी थोड़ा–बहुत इसी की सपोर्ट करते हैं। चूंकि हाउस के बहुत ज्यादा मेम्बर यह समझते हैं कि यह आशय इससे पहले वाले आर्टिकिल से हल हो जाता है, इसलिये मैं अपने इस संशोधन को पेश नहीं करता।

भारतीय विधान परिषद्

बृहस्पतिवार, 02 दिसम्बर, 1948 ई.*

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः साढ़े नौ बजे उपाध्यक्ष (डाक्टर एच.सी. मुखर्जी) की अध्यक्षता में हुई।

विधान का मसौदा

अनुच्छेद 13–(जारी)

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सज्जनों से सहमत नहीं हूं जो इस अन्तर्वर्त्ती काल में इन प्रावधानों के हटाने के पक्ष में हैं। इसी कारण मैंने अनुच्छेद 13 में दो और प्रावधानों की सूचना दी है। वे निम्न रूप में हैं कि '

"अनुच्छेद 13 में निम्न नये (7) और (8) खण्ड जोड़ दिये जायः

(7) इस खण्ड के उपखण्ड (घ), (ड़) तथा (च) की किसी बात से किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्त्तन पर प्रभाव न होगा

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 4, खण्ड VII (ख), 1 दिम्बर, 1948 से 8 जनवरी, 1949, पृष्ठ सं. 1175 व 1176

परन्तु ओल्ड देहली और देहली प्रान्त के देहात, जो मुश्किल से 300 हैं, उनको एक सूबे की शक्ल में रखना और इतना टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन रखना देश के हित में नहीं हो सकता है।

अभी चन्द दिनों का जिक्र है कि अजमेर और दिल्ली के लिये रुपये के लेन–देन को रेगुलेट करने के लिये एक बिल विचार के लिए हमारी स्टैण्डिग कमेटी के सामने आया। उसमें जो उन्होंने अफ़सरों के स्केल्स रखने तज़वीज़ किये थे वह किसी बड़े से बड़े सूबे का मुकाबला करते थे। इस तरह से और महकमों की हालत है; हालांकि दिल्ली में मुश्किल से 300 गांव हैं और वह एक जिले की तहसील के बराबर भी नहीं। अगर हम इसे अलहदा रखेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा कि इतना टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन रखें। इसलिये मैं इसका समर्थन करते हुये यह जरूर उम्मीद करता हूं और कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली को छोड़कर बाक़ी दिल्ली का देहात और शहर पंजाब के अन्दर मिला दिया जाये।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत : जनरल) : इसको यू.पी. में क्यों न मिला दिया जाए?

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे त्यागी भाई यू.पी. से मिलाने की बात करते हैं। यू.पी. से देहली को मिलाने के लिये एक नैचुरल बाउण्डरी यानी जमुना को पार करके मिलाना होगा। पंजाब से अगर वह मिला दिया जाय तो उसमें पंजाब की नैचुरल बाउण्डरी हो जायगी।

आज पंजाब के चने को बन्द किया जाता है। उसको उबूर करने के लिये कोई यमुना नहीं पड़ती है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके बहुत सारे आदमियों के खेत पंजाब में हैं और दूसरे दिल्ली में। इसलिये यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन अगर नई दिल्ली को छोड़ कर बाकी इलाके को पंजाब में मिला दिया गया तो आसानी हो जायगी। और यू.पी. में मिलाने का जो ख्याल है वह वैसे भी गलत है क्योंकि यू.पी. बहुत बड़ा सूबा है। पहले ही यह इतना भारी है कि

भारतीय विधान परिषद्

सोमवार, 01 अगस्त, 1949 ई.*

———————

भारतीय संविधान–सभा कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय, (माननीय डा. राजेन्द्रप्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————.

संविधान का प्रारूप

अनुच्छेद 213–(जारी)

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : सभापति जी, मैं इस धारा का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन समर्थन करते हुये मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इन छोटे–छोटे टुकड़ों को अलहदा सूबों की शक्ल में रखना देश के हित में नहीं है। सिवाय न्यू देहली और पांडीचेरी और चन्द्रनगर के, मेरे ख्याल में, देश के लाभ में नहीं है कि किसी दूसरे छोटे टुकड़ों को सूबे की शक्ल में रखा जाय। मिसाल के तौर पर दिल्ली को लीजिये। नई दिल्ली का, इसमें कोई शक नहीं, कि एक अलग प्रश्न है। इसको हमें एक अलग प्रान्त के तौर पर रखना ही होगा क्योंकि यह सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट की सीट है।

* संविधान के वाद विवाद / लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 109 व 110

उसको एक यूनिट के तौर पर संभालना आसान नहीं है। पंजाब, जो एक बहुत छोटा सूबा है उसकी दस लाख के करीब और संख्या बढ़ जायेगी। दूसरे, एक माकूल बाउण्डरी हो जायेगी। तो मैं इसका समर्थन करते हुये इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पुरानी दिल्ली और दिल्ली का जो देहात है वह पंजाब के साथ मिलाया जाना चाहिये और इसका फ़ैसला विधान–सभा द्वारा ही कर देना चाहिये।

भारतीय विधान परिषद्

मंगलवार, 02 अगस्त, 1949 ई.*

———————

भारतीय संविधान–सभा कान्स्टीट्यशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय, (माननीय डा. राजेन्द्रप्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————

संविधान का प्रारूप

अनुच्छेद 213–(जारी)

चौधरी रणवीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल) : सभापति जी, इस सवाल का हल पार्लियामेण्ट के ऊपर छोड़ने से कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर यह फैसला कर दिया जाय कि दिल्ली का फैसला क्या होगा, पुरानी दिल्ली और इसके देहात को पंजाब के अन्दर मिला दिया जाय और हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब के अन्दर मिला दिया जाय और दूसरे छोटे–छोटे जितने इलाके हैं उनके बारे में भी कान्स्टीटच्यूएंट असेम्बली फैसला कर दे तो मैं यह समझता हूं कि आसानी से, जो सेण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं, उनका कान्स्टीट्यूशन बनाया जा सकता है और इस सवाल को पार्लियामेण्ट पर छोड़ने के

* संविधान के वाद विवाद / लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 137, 138 व 139

लिये कोई जरूरत नहीं है। त्यागी जी से यह प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से वह आज तक इस आशा में बैठे रहे कि एक दिन आयेगा जब उनकी मांग पूरी होगी वह कुछ दिन और अपने स्वप्नों को पूरा करने में ठहर जायें तो वह अभिलाषा अवश्य पूरी हो जायेगी।

यू.पी. बहुत बड़ा प्रान्त है और मेरा तो यह ख्याल है कि इतने बड़े प्रान्त का राज्य वह आसानी से नहीं चला सकेगा। एक न एक दिन उनको उसके दो हिस्से करने ही होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वह हमारे साथ अवश्य जोड़ा जायेगा। आगे चल कर यदि पंजाब सूबे के भी दो हिस्सा हुए तो जो हिन्दी बोलने वाला हिस्सा है वह हिस्सा यू.पी. वाले हिस्से में मिल जायेगा। तो इस तरह से एक पंजाबी बोलने वाला हिस्सा हो जायेगा और एक हिन्दी बोलने वाला हिस्सा हो जाये। गुप्ता जी ने जिस तरह से कल मांग की है वह मांग और उनका स्वप्न इस तरह से ही पूरा हो सकता है। अगर गुप्ता जी ने मेरा सुझाव न माना और चाहा कि उनका स्वाधीन अलग सूबा बन जाये तो उनका स्वप्न धरा का धरा रह जायेगा। अगर उनकी यह बात चली तो हम हिन्दी बोलने वाले पंजाब के अन्दर एक माइनोरटी में ही रह जायेंगे।

इसलिये मैं समझता हूं कि गुप्ता जी का जो ख्याल है उसको पूरा करने के लिये गुप्ता जी को यह मांग करनी चाहिये कि दिल्ली का जो रूरल एरिया और पुराना दिल्ली शहर है इसको पंजाब में मिला दिया जाय और ऐसा होने के बाद गुप्ता जी को अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिये, अपने अखबार के जरिये अपनी आवाज को उठाना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि वह इस काम को अपने हाथ में लेंगे और कामयाबी का मुह देखेंगे।

दूसरी बात जो गुप्ता जी ने कही है और जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता वह यह है कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब से ही आता रहा है। दिल्ली ने सिविल और एक्जिक्यूटिव सर्विसेज तो हमेशा से ही पंजाब से उधार ली हैं। आज भी दिल्ली का जो हाईकोर्ट है वह भी पंजाब ही में है। और यहां से लोगों को अपना काम कराने के लिये शिमले

जाना पड़ता है। इस चीज की हमको भी तकलीफ़ है। परन्तु हाईकोर्ट कोई दूसरी जगह रखा गया तो दूसरे दूर वाले ज़िलों को तक़लीफ़ हो जायेगी।

एक और चीज कल गुप्ता जी ने कही है वह और मैं उसके लिये उनको चैलेन्ज करना चाहता हूं। नई दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के लोगों से अगर पूछा जाय तो मैं यह दावा करता कि वहां के 60 और 70 प्रतिशत आदमी इस बात के हक़ में जरूर होंगे और मुझे तो यह भी उम्मीद है और मुझे यक़ीन है कि शायद 80 और 90 प्रतिशत लोग ऐसे निकलेंगे जो यह चाहेंगे कि उनको ईस्ट पंजाब के साथ मिला दिया जाय। रूरल एरिया के बारे में, मैं पुख्ता तौर से यह कह सकता हूं कि वह लोग दिल्ली के देहात को रोहतक, गुड़गांव और करनाल से मिलाना पसन्द करेंगे और इस बात में ज़रा भी शक़ नहीं कि देहात में कम से कम ऐसे 99 प्रतिशत हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली वालों का सवाल है कल ही एक कांफ्रेस पं. ठाकुरदास भार्गव की प्रधानता में हुई और उसमें खास तौर से यह मांग की गई कि दिल्ली को अनाज के राशन के लिये कम से कम पंजाब के अन्दर मिला दिया जाय। मैं भी उस कांफ्रेंस में गया था वहां पर भी मैंने यह मांग की थी कि हरियाणा प्रान्त ओर दिल्ली एक कर दिया जाये। अगर यह किसी तरह से नहीं किया जा सकता है तो वह उसको पंजाब में मिलाने के लिये पूरी मांग करते हैं।

देहात का जहां तक वास्ता है, मैं देहात के बारे में दावे से यह कहता हूं कि 99 प्रतिशत देहात इस बात को पसन्द करेंगे कि वह दिल्ली से मिल जायें।

मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुये आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली का प्रश्न हल हो जाय तो यह जो हम समझते हैं कि इसे पार्लियामेण्ट के ऊपर छोड़ दिया जाय, उसको पार्लियामेण्ट पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि नई दिल्ली का जहां तक वास्ता है वह तो अलग ही उससे रहेगा। उसके लिये रास्ता खुल जायेगा और जो हिचकिचाहट है वह नहीं रहेगी। पांडिचेरी के बारे में जैसा भी

हम कान्स्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। इस प्रश्न को हमें बहुत ज्यादा होल्ड ओवर करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि आठ दस दिन के अन्दर जब तक इस असेम्बली के चलने की उम्मीद है इसका फ़ैसला हो सकता है और मैं और गुप्ता जी के इस कथन का समर्थन करता हूं कि इस प्रश्न का हल जो हो वह कान्स्टीच्यूएंट असेम्बली ही करे तो ज्यादा अच्छा है।

भारतीय विधान परिषद्

मंगलवार, 09 अगस्त, 1949 ई.*

———————

भारतीय संविधान–सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————

संविधान के प्रारूप

अनुच्छेद 255–(जारी)

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : सभापति महोदय, इस अनुच्छेद का समर्थन करने में मुझे झिझक है। वह इसलिये कि जो संशोधन भाई शिब्बनलाल सक्सेना ने पेश किया है, मेरी समझ में वह एक प्रिन्सिपल पर बेस्ड है और यदि यह न माना गया तो सब के साथ न्याय नहीं होगा। अब आज कल ऐसा है कि आम तौर पर छोटे छोटे आदमियों के हाथ में पेशेवर कर लगाना होता है वह गरीब हरिजनों से एक तरफ तो बीस बीस और चौबीस रूपये, प्रोफेशनल टैक्स के नाम से लेते हैं, हालांकि उनकी कैपेसिटी दो या तीन रूपये की भी नहीं होती है, दूसरी तरफ वह बड़े कारखानेदार जो हरिजनों से कहीं ज्यादा रूपया दे सकते हैं, पूरा हिस्सा नहीं देते। इस

* 'संविधान के वाद विवाद / लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 450 व 451

प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तब एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्णय करने की कसौटी वही होती है कि क्या वह पूछे गये उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है या नहीं;। हमारा देश गांवों का देश है और ग्रामीण जनता अधिक है, परन्तु तथ्यों के आधार पर इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि शहर के लोगों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और वे ग्रामीण जनता की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हैं और इन परिस्थितियों में यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति का शहरी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ मुकाबला कराया जाता है और उनसे एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण व्यक्ति शहरी व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक अथवा समानता के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकेगा।

इस स्थिति के समाधान के दो तरीके हैं। एक यह है कि ग्रामवासी उम्मीदवारों के लिये सरकारी सेवाओं में कुछ अनुपात आरक्षित कर दिया जाये और सेवाओं में उन्हें आरक्षित संख्या के पद आबंटित किये जायें। उन पदों के लिये केवल ग्रामीण जनता के उम्मीदवारों को ही मुकाबला करने की अनुमति दी जाये।

दूसरा तरीका यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाये कि उनमें 60–70 प्रतिशत सदस्य ऐसे होने चाहियें जो ग्रामवासियों की कठिनाइयों को समझते हों और उनके साथ सहानुभूति रखें। मैं आपको एक सामान्य दृष्टान्त देना चाहता हूं। हमारी सेना में भर्ती के लिये एक नियम लागू किया गया है कि प्रारम्भिक प्रतियोगिता लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह लड़ाई के दाव–पेंच में भी पारंगत हो, क्योंकि लड़ाई में केवल ऐसा व्यक्ति ही सफल हो सकता है जिसका शरीर गठा हुआ हो और दिल मजबूत हो। लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप ऐसे लोगों का चयन कर सकते हैं जो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, परन्तु यदि ऐसे लोग सेना में भेजे जाते हैं तो इस बात को

आप निश्चित समझें कि सेना को अपने कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सेना का कार्य बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। सेना के एक अधिकारी के सम्बन्ध में हमें यह देखना होता है कि उसमें बलिदान की भावना कितनी है, उसमें कितना साहस है और वह कितना शारीरिक कष्ट झेल सकता है। परन्तु यदि सेना के लिये भर्ती प्रारम्भिक प्रतियोगिता के आधार पर की गयी तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि सेना के लिए भर्ती के क्षेत्र में भी ग्रामीण लोग पीछे रह जायेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले जिन लोगों को युद्धप्रिय जातियां कहा जाता था, वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती थीं, वे लोग अब भी सेना में सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं। परन्तु सैनिक अधिकारी अधिकांशतः शहरी लोग होते हैं। समय की मांग यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने में मदद की जाये और इस समय उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें सैनिक अधिकारी के रूप में उचित स्थान दिया जाये।

आजकल ऐसे बहुत से गांव हैं जहां प्राथमिक विद्यालय तक नहीं हैं। सर्वप्रथम तो एक ग्रामीण की खर्च करने की क्षमता इतनी कम होती है कि वह अपने बच्चों को शहर में माध्यमिक अथवा उच्चतर विद्यालयों में भेज ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त आप विचार कर सकते हैं कि कितने गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिये सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं।

इन परिस्थितियों में यदि आप एक यन्त्र की तरह काम करना चाहते हैं तो मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि डा. देशमुख द्वारा व्यक्त की गयी शंकाएं सही प्रमाणित होंगी। यदि देश को अहिंसा के आधार पर प्रगति करनी है तो हमें परिस्थितियों के अनुरूप इस पहलू पर विचार करना होगा। जैसा कि हमने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किये हैं, संभवतः वही तरीका ग्रामीण जनता के संबंध में भी अपना सकते हैं। यह तरीका या तो लोक सेवा आयोग के संबंध में या सरकारी सेवाओं के संबंध में अपनाया जा सकता है। यदि कुछ पद आरक्षित कर दिये जायें व उन पदों के लिये प्रतियोगिता में केवल ग्रामीण युवकों को ही अनुमति दी जाये तो बेहतर होगा।

अनुच्छेद द्वारा दो सौ, ढाई सौ तक ही उन की हद बांधी जा रही है। एक और बात जो मैं एक किसान होने के नाते कहना जरूरी समझता हूं वह है कि सारे किसानों से लैन्ड रेवेन्यू के अलावा जो टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और लोकल बाडीज के द्वारा लिया जाता है वह पंजाब में एक रूपये पर दो पैसा है, और अब उसको और बढ़ाने की कोशिश है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां इन्कम टैक्स दो हजार रूपये की आमदनी तक बिलकुल फ्री है वहां एक बीघा तक भी लैंड रेवेन्यू फ्री नहीं है। इससे किसान घाटे में रहते हैं। चाहे उस की एकानमिक होल्डिंग है कि नहीं, लेकिन उस से लैन्ड रेवेन्यू जरूर लिया जाता है, और उस लैंड रेवेन्यू पर प्रति रूपया दो पैसा पेशेवर कर दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो बड़े बड़े आदमी हैं उन से भी उसी प्रिन्सिपल पर क्यों और न लिया जाय। ढाई सौ रूपये की पाबन्दी से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और लोकल बाडीज की आमदनी में काफ़ी घाटा पड़ेगा जिस से उन्हें गरीबों पर और ज्यादा टैक्स लगाना होगा, या गरीबों की भलाई के कामों को कम करना होगा। अगर उन्हें गरीबों की भलाई करना है और अस्पताल वग़ैरह बढ़ाना है तो जरूरी तौर पर उन को अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना होगा। ये तभी लग सकता है कि प्रोफ़ेसर शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन मंजूर किया जाय और मैं समझता हूं कि यह कर का भार कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, इस को देखते हुए जो किसानों से लिया जाता है। लैंड रेवेन्यू का जो प्रिन्सिपल है उसे देखते हुए वह बिल्कुल ज्यादा नहीं है। जब कि किसानों से एक पर्सेन्ट से भी कई पर्सेन्ट ज्यादा लिया जायेगा। इसलिये मैं इस धारा के अन्दर चाहता हूं कि शिब्बनलाल सक्सेना का संशोधन मंजूर कर लिया जाय।

भारतीय विधान परिषद्

सोमवार, 22 अगस्त, 1949 ई.*

भारतीय संविधान–सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा

अनुच्छेद 284

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के समर्थन में डा. पंजाबराव देशमुख द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं खूब समझता हूं कि इन परिस्थितियों में खुली प्रतियोगिता का क्या अर्थ हो सकता है। शहर में पैदा हुआ बच्चा अपने बचपन से ही रेडियो सुनता है, उसको घर में दैनिक समाचार पत्र प्राप्त होता है और अनेक सुविधायें उपलब्ध होती हैं, स्कूल भी उसके निवास स्थान से कुछ गज की दूरी पर ही होता है। जब वह बच्चा तीन या चार वर्ष का होता है, वह स्कूल एवं बाजार में अनेक बातें सीख सकता है। जो गांव का कोई आठवीं कक्षा पास लड़का भी नहीं सीख सकता। जब लोक सेवा आयोग द्वारा कोई

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 7, खण्ड IX (ख), 1 जुलाई, 1949 से 31 अगस्त, 1949, पृष्ठ सं. 842, 843 व 844

और इस समय हमारे देश में अनाज की कमी है इसलिये यह मामला एग्रीकलचर से ताल्लुक रखत है और सारे देश में इसका सम्बन्ध है इसलिये इसको कांकरेट लिस्ट में जाना चाहिये।

भारतीय विधान परिषद्

षुक्रवार, 02 सितम्बर, सन् 1949 ई.*

————————

भारतीय संविधान–सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे अध्यक्ष महोदय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

————————

संविधान का मसौदा

सप्तम अनुसूची – सूची 2 प्रविष्टि 15 – (जारी)

चौधरी रणवीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल) : सभापति जी, इस सिलसिले में मेरी यह अर्ज है कि बहुत सारे पेस्ट ऐसे हैं जो इन्टर प्राविन्शयल हैं। मिसाल के तौर पर लोकस्ट वह इन्टरनेशनल है और कई पेस्ट हैं कि जो कि इन्टरप्रोविन्शयल है और सूबों को शायद उसके खतरे का पता भी न हो जबकि थोड़े दिनों बाद उस पेस्ट का दूसरे प्रान्त में हमला हो जाता है। वह इस चीज के लिये तैयार भी नहीं रहता और न उसका मुकाबला ही कर सकता है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि (पेस्ट) को खास तौर से कांकरेट लिस्ट के अन्दर आना चाहिये। दूसरी बात यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 8, खण्ड IX (ख), 1 सितम्बर, 1949 से 18 सितम्बर, 1949, पृष्ठ सं. 1358

एक बात और है। हममें से बहुत से लोग हैं जिनका जन्म शहरों में हुआ है और जिन्होंने शहरों में शिक्षा प्राप्त की है और जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्हीं का लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता में चयन किया जाता है, परन्तु उनमें से अधिकांश को ग्रामीण जीवन की जानकारी नहीं होती और वे ग्रामीण जीवन में होने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते। वहां पर न तो सड़कें हैं और न शहरों में उपलब्ध होने वाली सुविधायें हैं। इसलिये वहां पर जाकर काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिये वे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से जी चुराते हैं और सब काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार ग्रामीण लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए मेरे विचार में लोक सेवा आयोग गठित करते समय डा. देशमुख द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मैं श्री साहू की इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवावधि बढ़ा दी जानी चाहिये। राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे भूतपूर्व प्रधान आचार्य कृपलानी ने घोषणा की है कि सरकार सफल नहीं हुई है। इसका एक कारण यह है कि सरकार लोक सेवा आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है और इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोक सेवा आयोग का गठन पुरानी व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था और पिछली सरकार ने उसके सदस्यों को अपने विचारों के अनुसार नियुक्त किया था।

यह आवश्यक है कि सरकार बदल जाने के साथ–साथ सेवाओं में भी बदलाव आये। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिये जिससे, जब वह आवश्यक समझे, आयोग के किसी सदस्य को सेवा से हटा सके। इसलिये मैं डा. देशमुख के विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

जहां तक भाई–भतीजावाद का संबंध है, यह तो भविष्य में भी चलता रहेगा, इसको रोकना इतना सरल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सामने कई बातें विचार किये जाने के लिये होती हैं। मेरे इस विचार में इस बुराई से हमें

अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाई भतीजावाद को तभी रोका जा सकता है जब उनका अन्तःकरण निर्मल व मजबूत हो जाये और उनके विचारों में परिवर्तन आ जाये। जब तक लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वर्तमान विचारों और मन में परिवर्तन नहीं आता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवावधि बढ़ाकर उसको रोक नहीं सकते।

भारतीय विधान परिषद्

शुक्रवार, 02 सितम्बर, सन् 1949 ई.*

———————

भारतीय संविधान–सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे अध्यक्ष महोदय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————

संविधान का मसौदा

प्रविष्टि 46

चौधरी रणवीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं समय पर संशोधन न दे सका। मैं ब्रजेश्वर दयाल जी की तरह से इसको फर्स्ट लिस्ट में नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको कांकरेन्ट लिस्ट में भेज दिया जाये और उसके लिये मेरा जो कारण है वह यह है कि अभी तक लैंड रेवेन्यू जो एसेज़ की जाती है वह मुखतलिफ प्रान्तों में मुखतलिफ सिस्टम की बिना पर की जाती है। मैं यह चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स युनीफार्म तरीके से एसेज़ हो सके जिस तरह से दूसरे इन्कम टैक्स एसेज किये जाते हैं। उसी तरह से लैंड रेवेन्यू भी उसी बेसिस पर टैक्स हो सके। सारे देश के

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 8, खण्ड IX (ख),1 सितम्बरे, 1949 से 18 सितम्बर, 1949, पृष्ठ सं. 1401 व 1402

अन्दर हम एक ही ढंग के सिस्टम काम में ला सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह ढंग सब से बेहतर है जो हमारा प्रिंसिपल है दूसरे इन्कम्स को टैक्स करने का वही हमारा लैंड रेवेन्यू के टैक्स करने का होना चाहिये। जैसे आपने इन्कम टैक्स में तीन हजार तक माफी दी है उसी तरह एक किसान की भी जिसकी आमदनी तीन हजार तक नहीं है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। लाखों करोड़ों किसान जो हैं वह कान्सटीच्युएन्ट असेम्बली की तरफ देख रहे हैं और वह यह तव्क्को करते हैं कि यह असेम्बली कोई न कोई ऐसा कानून उनके लिये बनायेगी जिससे उनके साथ हजारों साल से जो अन्याय होता आया है वह दूर हो।

वह अन्याय मैं समझता हूं कि दूर हो सकता है जब हम इसको कान्करेन्ट लिस्ट में भेज दें ताकि भविष्य के लिये एक जैसा कानून बने और कानून भी उसी आधार पर बनाया जाये जिससे दूसरे इन्कम टैक्स किये जाते हैं।

भारतीय विधान परिषद्

शनिवार, 03 सितम्बर, सन् 1949 ई.*

———————

भारतीय संविधान–सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे उपाध्यक्ष महोदय श्री वी.टी. कृष्णमाचारी के सभापतित्व में समवेत हुई।

———————

सविधान का मसौदा

सप्तम अनुसूची – (जारी)
सूची 3 (समवर्ती सूची) प्रविष्टि 2–क

चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं डा. देशमुख के संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं। आज आप देखिये, लेबर का ही मुकाबला कर लीजिये किसानों के साथ, कि हालत कितनी मुखतलिफ है। लेबर के लिये हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक धारा आने वाली है इस धारा के अन्दर अगर उसकी बोली बोलने वाले पच्चीस बच्चे भी इकट्ठे हो जायेंगे तो भी स्टेट जिम्मेवारी लेगी उसको पढ़ाने के लिये। लेकिन करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके बच्चों के लिये न कोई स्कूल की सहूलियत है न उनके लिये कोई अस्पताल

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 8, खण्ड IX (ख), 1 सितम्बर, 1949 से 18 सितम्बर, 1949, पृष्ठ सं. 1442

की सहूलियत है। मुझे जो कोई हमारे वेस्ट पंजाब या दूसरे इलाकों से आये हुये हैं उनसे पूरी हमदर्दी है। मैं किसी से पीछे नहीं, उनके लिये उनके बच्चों के लिये अस्पताल मिले, स्कूल मिले, लेकिन किसानों के बच्चों के लिये न कोई स्कूल है न कोई अस्पताल है। तो अगर जैसा डाक्टर साहब ने कहा कि एक एंट्री का सवाल है, मैं कहता हूं कि एंट्री का सवाल नहीं। वह किसानों की जान और मौत का सवाल है। अगर आप इस एंट्री को यहां दाखिल कर देते हैं तो उन्हें कुछ आशा बंधती है। आज लाखों और करोड़ों किसान आपकी तरफ, इस सभा की तरफ देख रहे हैं और वह इस उम्मीद में बैठे हैं कि नया कानून जब लागू होगा तो उनके लिये कोई न कोई भलाई वाला होगा। लेकिन अगर आप उनके वेलफेयर के नाम को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे उन्हें कितनी निराशा होगी।

इसलिये मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुये इस संशोधन का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि यह भाई जिन्हें कल एडल्ट एलेक्टोरेट के सामने जाना है वह अपने आगे का और भविष्य का ध्यान रखेंगे।

भारतीय विधान परिषद्

बृहस्पतिवार, 24 नवम्बर, सन् 1949 ई.*

भारतीय संविधान सभा कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः दस बजे अध्यक्ष महोदय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

सविधान का मसौदा

चौधरी रनबीर सिंह (ईस्ट पंजाब : जनरल) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के ऊपर अपने विचार प्रकट करने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और दूसरे देशभक्तों के आदर में, जिन्होंने देश की वेदी पर अपने जीवन की कुर्बानी दी और तरह तरह की तकलीफें उठाई, श्रद्धा के फूल भेंट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज बहुत सारे भाई इस बात का गिला जाहिर करते हैं कि हमने संविधान के बनाने में काफी वक्त लिया है, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जिस वक्त यह सभा बैठी थी उस वक्त हिन्दुस्तान एक गुलाम देश था और 600 से ज्यादा हिस्सों में बंटा हुआ देश था, उस में तरह तरह के आदमी थे और तरह तरह की पार्टियां थीं जो देश का बंटवारा करना चाहती थीं। इस तीन साल के अन्दर जो देश में तबदीली हुई है वह इतिहास

* संविधान के वाद विवाद/लोक सभा सचिवालय, पुस्तक सं. 10, खण्ड XI एवं XII, 14 नवम्बर, 1949 से 24 जनवरी, 1950, पृष्ठ सं. 4064, 4065 व 4066

के अन्दर एक निराली चीज है। इस में हमारा देश दो हिस्सों में बंटा, लेकिन इस के बावजूद कोई आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आप की प्रधानता के अन्दर हम भारत के इतिहास में पहली दफा इतने बड़े व मज़बूत रूप में स्थापित करेंगे जितना वह पहले कभी नहीं था।

कई भाई कह सकते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में भारत इस से ज्यादा बड़ा देश था, पर इस बात के मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी राज्य में भारत में जो 562 रियासतें थीं उन का अधिकार अजीब था और उन का राज्य शासन भी अजीब ढंग से चलता था। कोई आदमी इस से इन्कार नहीं कर सकता कि सन् 1857 से पहले अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि भारत की रियासतों को तोड़ कर एक मज़बूत राज्य बना लें, लेकिन अंग्रेज थोड़ी ही रियासतों को तोड़ने में कामयाब हुए थे कि देश के अन्दर उथल पुथल हुई और अंग्रेजों को यह ख्याल छोड़ना पड़ा। पर हम ने आप की प्रधानता में और हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चल कर देश में से एक नहीं सैंकड़ों रियासतों को शान्ति से समझाया बुझाया और उन को देश के अन्दर संगठित किया और वह देश जो कि इस सभा के शुरू होते समय 600 से ज्यादा हिस्सों में बंटा था अब मुश्किल से 27 प्रान्तों का देश बन जायेगा। समझता हूं कि थोड़े ही दिनों में 15 या 20 हिस्सों में ही रह जायेगा। इस तरह देश को इतने कम हिस्सों में संगठित कर के हम ने एक मज़बूत संघ की बुनियाद डाली है। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देर ज़रूर हुई पर उस देर के अन्दर काम बहुत ज्यादा हुआ। मैं समझता हूं कि अगर हम एक साल के अन्दर अन्दर यह विधान बना लेते तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यहां कितना कम्युनिटीज़ के लिये रिजरवेशन होता। वह जो झगड़ा या बीमारी थी उस को हम ने दूर कर दिया और यह कामयाबी हमारे नेताओं की होशियारी की वजह से मिली।

सभापति महोदय, मैं अब संविधान की दो चार धाराओं पर, जिन पर मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। इस

संविधान में हमने बालिग मताधिकार को मान कर हर एक हिन्दुस्तानी को राजनीतिक तौर पर आजाद किया है और इसी तरह से धारा 17 के द्वारा बेगार खत्म करके और धारा 23 के द्वारा छुआछूत को गैर कानूनी करार दे कर हम ने सामाजिक तौर पर देश के हर एक अंग को आज़ाद किया है। इस से आगे चल कर हम ने जहां तक आर्थिक आजादी का ताल्लुक है, धारा 31(4) को मान कर देश के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा की है कि जिससे जैसे हमने अपने नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की 562 रियासतों का मसला हल किया है, उसी तरह मुझे पूर्ण आशा है कि अगले साल के अन्दर हिन्दुस्तान में जमींदारी प्रथा जोकि एक बोझ की तरह है और देश की तरक्की में रोड़ा बना हुई है, वह भी समाप्त हो जायेगी और पंजाब जैसे प्रदेश में जिसका कि मैं रहने वाला हूं और जो कि आम तौर पर छोटे छोटे किसान मालिकों का प्रदेश है, जहां पर दस फीसदी बड़े बड़े जमींदार हैं, मैं समझता हूं कि उन का मसला भी शान्ति के साथ हल हो जायेगा। जो किसान बेजमीन हैं उन को आर्थिक तौर पर हम इस धारा के तहत आजाद कर पायेंगे। इसी तरह से जो भाई खेत मजदूर हैं या कारखाने के मज़दूर हैं उनको भी हम इस संविधान के द्वारा आजाद कर सकेंगे। लेकिन सभापति महोदय, जिस इन्टरेस्ट का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं यानी खेत मालिक किसान, उनको मुझे खेद है कि इस संविधान के अन्दर कुछ न कुछ पहले से भी पीछे फेंका गया है। उन को आर्थिक आज़ादी तभी मिल सकती थी जब ऐसा कायदा माना जाता कि जिस चीज़ को वह पैदा करते हैं, उन को उस चीज को जिस कीमत पर उससे पैदा करते हैं उससे कम कीमत पर बेचने को मजबूर न किया जा सकता होता। अगर हम ऐसा मानते और इस विधान में कोई ऐसी धारा पैदा कर देते तो उन को भी हम आर्थिक लूट से बचा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हम ने 12(एफ) को मान लिया है जिस का असर हमारे प्रान्त पर बुरा पड़ता है। हमारे इन्तकाल अराज़ी का कानून है। मैं मानता हूं कि उस के अन्दर कुछ खामियां हैं, लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस कानून के द्वारा

पंजाब के लाखों किसानों को जो दिन रात मेहनत करते हैं यह फायदा हुआ है कि उन की ज़मीनें उन के पास रह सकती हैं। मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि स्वतंत्र भारत के आप प्रधान होंगे और यह बात जो मैं कहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे हाउस के एक बहुत बड़ी तादाद की इच्छा है और मुझे पूर्ण आशा है कि आप हाउस की इस इच्छा को ठुकरायेंगे नहीं। इस विधान के अन्दर एक धारा है जिसके द्वारा प्रधान को यह अख्तियार है कि वह जो कानून थोड़ा बहुत संविधान से टकराते हों उनको अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है। इसलिये मैं आप से विशेषतया यह प्रार्थना करता हूं कि इस से लाखों किसानों का सम्बन्ध है और आप इसे संशोधन बेशक कर दें। हमें ऐतराज नहीं कि आप हरिजनों को जो जमीन के अन्दर काम करते हैं उनको अधिकार दे दें कि वह जमीन खरीद सकें, लेकिन इतनी मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ऐसी हालत न पैदा होने दीजिये कि जिस से वह आदमी जिस का सम्बन्ध जमीन से बिल्कुल नहीं रहा हो वह जमीन को खरीद सके। अगर ऐसा हुआ तो इस में शक नहीं कि लूट खसोट होने लगेगी और ज़मींदारी उन्मूलन के फायदे का खातमा हो जायेगा।

एक चीज जिस के बारे में हाउस में किसी ने ज़िक्र नहीं किया और जिस के बारे में मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूं वह चीज़ आती है 327 में हलकाबन्दी के सिलसिले में। मैं यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर देहात जो हैं वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और अगर शहर वालों को देहात वालों के हल्के के साथ मिला दिया गया तो उन के साथ यह एक बड़ी भारी ज्यादती होगी। हम हिन्दुस्तान में राष्ट्र भाषा हिन्दी को इतनी जल्दी लागू नहीं कर सके। इसका कारण यह था कि कुछ लोगों को यह ख्याल था कि उनकी नौकरी छिन जायेगी। लेकिन वह आदमी जिन्हें न बोलना आता है, न जिन के पास प्रेस है, न लीडरशिप है, उनके साथ आप एक बड़ा भारी घोर अन्याय करेंगे अगर शहर और देहात की हलके बन्दी को एक कर देंगे तो, इस संविधान के द्वारा उनको अलग भी रखा जा सकता है और एक भी किया जा सकता है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि बाद

में जो कमीशन इस काम के लिये बनेगा वह शहर और देहात के हलकों को अलहदा अलहदा रखेगा।

मैं दो तीन बातों के ऊपर अपने विचार और प्रकट करना चाहता था, लेकिन मैं दूसरे साथियों के समय पर छापा नहीं मारना चाहता और समाप्त करता हूं।

सूती वस्त्र उपकर विधेयक, 1948*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कपड़े का स्टाक (Stock) देहात या मुफस्सिल दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है, इस किस्म का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि वह जो कपड़ा है वह किसानों को उस कंट्रोल प्राइस पर मिले जो कि पहले थी। जो बड़े–बड़े सरमायेदार होंगे इसमें कोई शक नहीं कि यह जो बिल आया है उससे उनका मुनाफा हिन्दुस्तान के मजदूरों और किसानों के लिये हिन्दुस्तान की सरकार के पास आ जाएगा। इस तरह से हिन्दुस्तान के मजदूर और किसान फायदा उठा सकेंगे। लेकिन जो कपड़ा देहात के दुकानदारों और मुफस्सिल के दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं उतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जरूर कोई न कोई ऐसा एमेन्डमेन्ट (Amendment) कर दिया जाए या इसमें ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि उसका फायदा किसानों और मजदूरों को पहुंचे।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 2, 16 फरवरी, 1948, पृष्ठ 293

भाग : दो
संविधान सभा (विधायी) में भाषण

भाखड़ा यमुना घाटी निगम की स्थापना पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान के नाते मंत्रिमंडल और शेषतया मंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूं कि उन्होंने यह बिल लाकर भारत के अन्दर एक नया युग आरम्भ किया है। लेकिन इसके साथ–साथ मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि अंग्रेजी राज के जमाने में, 10 और 15 साल हमारे यहां जो युनियनिस्ट पार्टी थी वह भाखड़ा डैम का नाम इस्तैमाल करती आई और इस पार्टी ने इसका नारा लगाकर लोगों से राय लेने का साधन बनाये रखा। मैं मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह विरोधी दल को यह अवसर नहीं देंगे कि कांग्रेस ने सिर्फ इलैक्शन में राय लेने के लिए यह स्टन्ट (stunt) खड़ा किया है बल्कि वह इसको जल्दी से कार्यक्रम में परिणित करेंगे। इसके साथ–साथ मैं एक चीज मंत्री महोयद के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह कि देहाती मसल है : "दिया तले अन्धेरा।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि देश बदला, हम गुलामी से आज़ाद हुए। पहिले दीपक की रोशनी के अन्दर पढ़ते थे आज बिजली की रोशनी देखते हैं। तो कम से कम अब दीपक के नीचे जब कि दीपक के स्थान में बिजली आ गई है अन्धेरा नहीं रहना चाहिये। अन्धेरा ऊपर होना चाहिये, नीचे नहीं। लेकिन अभी तक इससे विपरीत है। ऊपर चांदनी है और दीप के नीचे अन्धेरा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम यहां यमुना के किनारे बैठे हैं। जैसी दामोदर वैली (valley) की हालत है वैसी हालत यमुना की घाटी की है। जहां हम बैठे हैं वहां से यमुना गुजरती है और यहां से पांच मील के फासले पर वही हालत देखते हैं जो शायद आपने बंगाल और बिहार में देखी है। बहुत अधिक बड़ी ज़मीन खाली पड़ी है जहां पर अच्छे–अच्छे फल फूल और साग सब्जी तैयार हो सकती हैं। हर साल वहां पर बाढ़ के कारण किसानों को लाखों रूपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके साथ–साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस में भी यू.पी., पंजाब, देहली प्रान्तों को फायदा पहुंचता है। अतः यह विषय एक प्रान्त का नहीं है और इस घाटी का सुधार एक प्रान्त की सरकार नहीं कन्टीन्यू (continue) कर सकती बल्कि केन्द्र की सरकार ही कर सकती है।

अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि बगैर किसी विलम्ब के एक ऐसा बिल जिसका नाम 'यमुना घाटी संस्था' होगा जल्द से जल्द हमारे सामने लायेंगे। और ज्यादा न कहते हुए अन्त में फिर मैं मन्त्री महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और बैठते हुए यह आशा करता हूं कि इस संस्था को जल्द से जल्द कार्यरूप देंगे और हम जल्द से जल्द तमाम भारत के किसानों को बहुत अच्छी हालत में देख पायेंगे।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 18 फरवरी, 1948, पृष्ठ 909–910

रेल बजट पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाबी होने के नाते मंत्री महोदय को 30 लाख पंजाबियों को पाकिस्तान से हिन्दुस्तान लाने और इसी तरह का हिन्दुस्तान से पाकिस्तान ले जाने में जो भारी मदद की और इन लोगों की जान बचाई उसके लिए कृतज्ञता प्रगट करना पहिला कर्तव्य समझता हूं।

जिस तरह का कट मोशन (Cut motion) श्री रंगा ने भेजा है उसी तरह कट मोशन मैंने भी फोडर (Fodder) गुड़ और अनाज की जो स्पलाई (Supply) है उसके लिए वैगन (Wagon) का स्पलाई न किए जाने पर किसानों को जो बहुत भारी मुश्किल हो रही है, उसके लिए रखा था। कल ही गुड़ के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि गुड़ जहां पैदा होता है वहां 7 रू. मन बिकता है और हिन्दुस्तान के बहुत से हिस्सों में गुड़ की कीमत 40 रूपए और 50 रूपए मन हैं। इसका कारण यह है कि वैगन न मिलने की वजह से गुड़ वाली जगह से दूसरे जरूरत की जगहों पर नहीं भेजा जा सकता। इसका नतीजा यह होता है कि जो गुड़ पैदा करने वाला किसान है, उसको तो इस बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा नहीं मिलता है; लेकिन व्यापारी जोकि इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करता वह सारा मुनाफा ले जाता है और इसी की वजह से ब्लैक मारकेट बढ़ता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह अनाज और चारे के लिए भी तकलीफ बयान करना चाहता हूं। जब पाकिस्तान से हजारों भाई अपने साथ पशु लाये तो वह अपने साथ चारा नहीं ला सके थे। यहा भी चारा नहीं मिलता था। इसका कारण यह था कि जो मुसलमान भाई थे, उन्होंने चारे की काश्त नहीं की। यू.पी. और सी.पी. से भी चारा नहीं पहुंच पाया। इसका कारण यह था कि चारा लाने के लिए वैगन न मिल सके। इससे 30 और 40 फीसदी पशु जो हिन्दुस्तान के अन्दर पहुंचे वह चारा न मिलने की वजह से मर गये। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेषतः इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं। अगर किसानों का सामान इधर से उधर नहीं भेजा गया तो इससे रेल को ज्यादा आमदनी किसानों से होती है, वह कम हो जायेगी। रेल में जो ज्यादा सवारी बैठती है, वह किसान ही है। अगर उनका सामान इधर से उधर करने के लिए सहूलियत नहीं दी गई और उनके सामान का वह पैसा उनको नहीं पहुंचा तो जो रेविन्यू (Revenue) मंत्री महोदय को मिला है वह भी गायब हो जायेगा और लड़ाई के पहिले जिस तरह से खाली गाड़ी चलती थी, उसी तरह से चलनी शुरू हो जायेंगी। किसानों के पास जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ (Industries) है वह खत्म हो जोयंगी। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पहली प्रारोरिटी (Priority) किसानों के सामान के लिए दी जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने हाल ही में गुड़ के लिए पहली प्रारोरिटी देने का एलान किया था कि जहां भी गुड़ बनता है वहां यह प्रारोरिटी दी जायेगी। इस तरह से मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अनाज और चारे के लिए भी पहली प्रारोरिटी दे जो मनुष्य तथा पशु की जिन्दगी बचाने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। यह कहकर मैं इस कट मोशन का समर्थन करता हूं।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 24 फरवरी, 1948, पृष्ठ 1163–64

आम बजट 1948 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं विश्वनाथदासजी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंत्री महोदया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर हजारों ऐसे आदमी हैं जो अपने आपको वैद्य कहते हैं और जो देहातियों की जिन्दगियों पर खेल खेलते हैं। हर कोई आदमी जो एक दिन भी किसी वैद्य के पास बैठ जाता है, देहात में एक बहुत अच्छा डाक्टर बन जाता है, उन लोगों के लिए। इसमें कोई शक नहीं चूंकि उनके यहां तो 20–20 मील की एरिया (Areaa) में एक भी अस्पताल नहीं होता क्या आयुर्वेदिक क्या दूसरा किसी किस्म का औषद्यालय होता ही नहीं। इसलिये वह उनको एक बहुत अच्छा और बहुत विद्वान आदमी प्रतीत होता है और वह बगैर किसी हिचक के साथ अपनी जिन्दगी की कुर्बानी देने के लिये उसके सामने अपने शरीर को, अपने जीवन को उसके तजुर्बा करने के लिये पेश कर देते हैं।

उस तकलीफ को जिससे इस समय हिन्दुस्तान के 80 फिसदी आदमी मुब्तिला हैं, दूर करने के लिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आज वैद्यों के सुधार के लिये, जिस प्रकार एलोपैथ डाक्टरों के लिये रजिस्टरों के खोलने का अभी बिल आया था उसी तरह से वैद्यों को भी दर्ज किया जाये और वही लोग जो आपसे सर्टिफ़ाइड (Certified) हों उनको ही चिकित्सा करने की इजाजत मिले, क्योंकि, इससे हिन्दुस्तान के बहुत से आदमियों एक दवा के सिस्टम से अर्थात् आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक प्रकार से आराम पहुंच सकेगा।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 10 मार्च, 1948, पृष्ठ 1861–62

दूसरी बात है जिसकी तरफ मैं राजकुमारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि देहातों के अन्दर आज भी लाखों ऐसी बहनें हैं जब उन्हें डिलिविरी (delivery) होती है तो उनके यहां ऐसी–ऐसी डाक्टरनी जिन्हें शायद किसी चीज़ का भी पता नहीं है, वह डाक्टरनी बन जाती हैं और उनकी जिन्दगियों पर खेल खेलती हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान के अन्दर मृत्यु संख्या के अन्दर सबसे ज्यादा संख्या आज भी उन बहिनों की है जिनके ऊपर डिलिविरी (delivery) के समय तर्जुबा का खेल खेला जाता है। इसलिये, इस चीज की तरफ भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कोई इस किस्म की बात की ओर ध्यान दें। यह कहा जाता है कि यह subject या विषय सूबों का विषय है। कल और परसों ही हमारे माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहिब ने यह बात कही थी कि देहात या देहातियों के बारे में यहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जा सकती है, बल्कि उन्होंने एक तरह से यह बात भी कह दी थी कि हमने उनके लाभ के लिये ऐसा किया है कि सूबों को एक बड़ा भारी तीस करोड़ का दान दे दिया है। लेकिन, मैं खासतौर से राजकुमारी जी से यह चाहता हूं कि वह इस दान के अन्दर एक बहुत बड़ी रकम इस विषय के लिये दें अर्थात् बहनों के लाभ के लिये और जो मैंने उस समय निवेदन किया था, वैद्यों के सुधार के लिये कोई न कोई बिल जल्दी ही लाएं।

मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ और कहूं। क्योंकि मैं भी एक देहाती हूं, देहात में पैदा हुआ हूं और देहात में पला और आज भी मैं देहात में रहता हूं। इसलिये मेरा बड़ा दिल करता था आज मैं कुछ और बातें आप से निवेदन कर दूं। देहात हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख देहातों में लोग पड़े हैं लेकिन जहां तक अस्पतालों या दवा दारू का ताल्लुक है मैं पूछता हूं कितना हिस्सा इसमें देहात के लिये जाता है। इसके लिये भी मैंने दो कटौती के प्रस्ताव भेजे थे। एक देहात में चिकित्सालय या औषधालय खोलने के लिये था। उनसे मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि देहात के अन्दर चाहे वह केन्द्रीय शासित क्षेत्र ;सैन्ट्रल्ली ऐडमिनिस्टर्ड

एरियाद्ध हो चाहे सूबों के, अस्पताल खुलवायें। जिनके ऊपर आज इतनी तकलीफ है और जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, उनका ठीक तरह से पालन हो सके और वह जिस प्रकार आज मरते हैं उस प्रकार लाखों भाई न मरें।

रेल बजट, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो कटौती के प्रस्ताव भेजे थे। एक का आशय यह था कि एग्रीकल्चररिस्टस (agriculturists) की प्राडक्टस products) की प्राइसीज़ स्टेबिलाइज (prices stabilize) कर दी जायं। और दूसरे का आशय पैदावार ज्यादा करने का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक देहाती हूं और किसान हूं। मैं जब देहात में जाता हूं तो मेरे देहाती भाई और किसान भाई खासतौर पर मेरे से पूछते हैं कि पहली सरकार एक सौतेली मां की तरह से हमेशा हमारे साथ बर्ताव करती रही। क्या यह सरकार भी हमारे साथ सौतेली मां जैसा बर्ताव रक्खेगी? मिसाल के तौर पर वह मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि कीमतों को जब बांधा जाता है तो वह शहरियों के फायदे के लिये किया जाता है। जब कभी एक किसान को अपने अनाज पर एक पैसा भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है तो सरकार के कायदे और कानून उसके रास्ते में आ जाते हैं, और उसकी प्राइस कन्ट्रोल (price control) कर दी जाती है और यह कानूनन जुर्म करार दे दिया जाता है कि इससे ज्यादा कीमत पर वह बेच न सके। लेकिन, जब उसका सवाल पैदा होता है तो कोई आदमी नहीं पूछता। इसमें कोई शक नहीं कि मैं उन आदमियों में से नहीं जो अपने नेताओं पर किसी किस्म का अविश्वास रखता हो। मैं तो उन्हें यही विश्वास दिलाता रहता हूं कि पं0 जवाहरलाल के नेतृत्व में किसानों का फायदा है, वह किसानों के फायदे के लिये ही वज़ारत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 16 मार्च, 1948, पृष्ठ 2221–23

कि इसमें से अगर चन्द करोड़ रूपया भी मन्त्री महोदय कुंए बनवाने के लिये किसानों को दान कर दें। मिसाल के तौर पर, एक सौ दस करोड़ के मुकाबिले में चार करोड़ रूपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चार करोड़ रूपया कुएं बनवाने की मद में सूबों को भेज दें और उसमें यह भी रख दें कि चार सौ रूपया हर कुएं बनाने वाले के लिये दान की शक्ल में या ग्रांट के तौर पर दे दिया जाय तो इस तरीके से इस देश के अन्दर एक लाख कुंए बन सकते हैं। और उनके पानी के द्वारा एक फसल में एक करोड़ बीस लाख मन अनाज पैदा किया जा सकता है। अब मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए मन्त्री महोदय का और अपने नेता का ध्यान किसानों की हालत की तरफ विशेषतया दिलाना चाहता हूं और मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है कि मन्त्री महोदय और हमारे नेता किसानों के लाभ के लिये हमेशा जो कुछ उनसे बन सकेगा, वह करते रहेंगे।

कृषि मंत्रालय के लिए स्थायी समिति का चुनाव*

अध्यक्ष महोदय : मैं निम्नलिखित सदस्य के निर्वाचित होने की घोषणा करता हूँ.....

.....***चौधरी रणबीर सिंह***

राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय के लिए स्थायी समिति का चुनाव*

अध्यक्ष महोदय : मैं निम्नलिखित सदस्य के निर्वाचित होने की घोषणा करता हूँ.....

.....***चौधरी रणबीर सिंह***

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 26 मार्च, 1948, पृष्ठ 1996

विद्युत आपूर्ति विधेयक, 1948 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और किसानों की तरफ से मंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूं। उनकी सेवा में दो तीन नम्र निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि आमतौर से ऐसी कारपोरेशन के अन्दर जो सामर्थ्यशाली लोग हैं और जिनके हाथ में प्रैस होता है और जो वोकल (टवबंस) होते हैं उनके फायदों का ज्यादा अच्छा ध्यान रखा जाता है। अतः मैं उनसे यह अपील करूंगा कि वे विशेषतः देहाती भाइयों का जिनके पास न तो प्रेस है और न जिनकी आवाज ही है उनके फायदों का अच्छी तरह से ध्यान रखें।

दूसरा निवेदन मैं ईस्ट पंजाब के बारे में करूंगा। ईस्ट पंजाब एक बच्चा सूबा है, उसको पैदा हुये मुश्किल से एक साल हुआ है, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रातः बताया था। टैक्स लगाने से पांच लाख का सालाना घाटा पड़ेगा और वह पांच लाख का टैक्स सैन्ट्रल गवर्नमैंट को देना पड़ेगा। ईस्ट पंजाब एक डैफीसिट (Deficit) प्रान्त है और वह अपना खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकता। जैसा कि प्रातः मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया कि वह क्लाज 80 (clause 80) को जब तक इस सूबे वाले राजी नहीं होंगे, लागू नहीं करेंगे। मैं समझता और यह विश्वास रखता हूं कि मंत्री महोदय ने जो विश्वास दिलाया है वह उसके ऊपर आरूढ़ रहेंगे। दूसरा एक और खतरा है जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने इस बिल पर जब बहस हो रही थी अपने खयालात

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 10 अगस्त, 1948, पृष्ठ 338–39

वह जब तक यहां मौजूद हैं, तब तक उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन, फिर भी मैं इस बात को जानता हूं कि उनके आसपास मोटरवाले फिरते रहते हैं और एक देहाती आदमी जिसके पास न मोटर है, न उसके पास अखबार है, उसकी आवाज़ प्रेस (press) में आ नहीं सकती। मैं आज आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक दफ़ा पहले भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराया था कि गुड़ की कीमत इस मौसम के अन्दर 24 से घट कर के 4 मन तक पहुंची। मैं यह दावे से कहता हूं कि अगर किसी दूसरी वस्तु की कीमत में इतना घटाव–बढ़ाव आता तो अखबारात हिन्दुस्तान के कोने कोने में शोर मचाते और इस हुकूमत तक पहुंचाने के लिये उनकी जितनी शक्ति होती वह लगा देते। मिसाल के तौर पर मीठे का सवाल लीजिये। दूसरा मीठा गुड़ के अलावा चीनी है। चीनी का कन्ट्रोल (control) हटा और जितने चीनी पैदा करने वाले बड़े–बड़े अमीर थे उन्होंने कन्ट्रोल बांध दिया, और इससे डीकन्ट्रोल (decontrol) होने के बाद कीमत घटी नहीं बल्कि बढ़ी। इसके मुकाबिले में गुड़ की कीमत छः गुनी कम हो गई। कहां 24 कहां 4 रूपया? इस मौसम में भी, मिसाल के लिये उन्हें एक चर्खी या उसे काल्हू कहिये, उसको किराये पर लेने के लिये कन्ट्रोल प्राइस देनी पड़ी और ब्लैक मारकेट प्राइस (black market price) भी देनी पड़ी। परसों 14 तारीख को मैं एक दिल्ली के देहात में एक मीटिंग थी, उसके अन्दर उन्होंने मुझे बुलाया। तो वहां उन्होंने बताया कि दिल्ली की सरकार ने एक कन्ट्रोल (c तय किया था और इस कन्ट्रोल प्राइस पर एक भी आदमी ने एक भी ऐसी चर्खी नहीं जिसे उठाया हो। उसकी कन्ट्रोल प्राइस से फालतू लिया गया। और उनसे रसीद कन्ट्रोल प्राइस की ली गई। चूंकि समय भी, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा ही मिलेगा इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्राइस सब–कमेटी की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। एग्रीकल्चरसिस्टस (Agriculturists) की प्रोडक्टस की कीमत अच्छी रखी जायगी तो उसमें सिर्फ एग्रीकलचरिस्टस का ही फ़ायदा नहीं है बल्कि तमाम हिन्दुस्तान का फ़ायदा होगा। एग्रीकलचरल इकोनमी (Agricultural

economy) ठीक होगी। हमारा देश देहाती और किसानों का देश है, अगर एग्रीकलचरिसटस और देहातियों की इकोनमी खराब हो जाती है तो तमाम हिन्दुस्तान की इकोनमी खराब समझनी चाहिये। जो हमारे दूसरे भाई यहां बैठे हुए हैं उनका भी ध्यान इस रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में साफ़ तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि एग्रीकलचरिस्ट इकोनमी के साथ तमाम देश की इकोनमी बनी हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ़ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी बजट सैशन के अन्दर जब (finance) वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया तो उस वक्त बताया था कि शिकागो के अन्दर जो गेहूं पैदा करते हैं उन देशों ने गेहूं के पैदावार के फ़ायदे के लिये गेहूं की कीमत पर एक किस्म का नियन्त्रण सा कर दिया है और उस देश से जो देश गेहूं लेना चाहते हैं उससे यह कहते हैं कि उतनी कीमत पर उन्हें पांच सालों तक उसमें थोड़ी बहुत घटती बढ़ती होगी। उस किस्म का कन्ट्रोल कर दिया गया है। ऐसी ही चीज़ मैं अपने माननीय मंत्री से भारत देश के किसानों के लिये चाहता हूं। वह यह कि पहली चीज़ जिसकी तरफ़ मैंने अभी उनका ध्यान आकर्षित कराया, गुड़ की कीमत को वह कन्ट्रोल करें ताकि हिन्दुस्तान के उन गरीब किसानों को, इन मेहनत करने वालों का फ़ायदा हो। एक चीज और मैं इस दौरान कहना चाहता हूं कि सब से ज्यादा मेहनत जिस में एक किसान को करनी पड़ती है वह ईख की पैदावार है। माननीय मंत्री महोदय का मैं इस तरफ़ ध्यान आकर्षित करा रहा था कि गुड़ की कीमत जरूर नियन्त्रित करें। इस नियन्त्रण में शक नहीं कि शहरी भाइयों का फ़ायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन पहले उसे कन्ट्रोल करें।

अब चूंकि समय बहुत थोड़ा रह गया है। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ़ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह (Grow More Food) ग्रो मोर फूड है। इस साल भी एक सौ दस करोड़ रूपया बजट में रक्खा गया है। जो बाहर से अनाज मंगाने के लिये खर्च किया गया है। मैं मन्त्री महोदय का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं

भारतीय रेल विधेयक, 1948 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर देशमुख के सुझाव से सहमत हूं। पिछली बार हमारी एग्रीकल्चर स्टेंडिंग कमेटी (Agriculture Standing Committee) में डाक्टर साहिब ने बताया था कि एक तरफ तो यहां दिल्ली में संतरे नीलाम कर दिए थे, क्योंकि भेजने के लिए वैगन नहीं मिले और वह सड़ गई और तबाह हो गई। पिछले सत्र में मैंने कई दफा मंत्री महोदय से गुड़ के बारे में प्रार्थना की। यू. पी. और पंजाब के कुछ हिस्से में जोकि गुड़ पैदा करता है, गुड़ की कीमत चार और छः रूपये तक गिरी। इसके मुकाबले में बम्बई ने 50 और 40 रूपये तक गुड़ की कीमत चढ़ी। इसी तरह चन्द दिन हुए गोकुलभाई भट्ट ने आपसे यह बात कही थी कि बीकानेर के अन्दर चने सड़ रहे हैं। बीकानेर तो दूर है, हिसार के अन्दर चने का भाव किसानों को सिर्फ छः रूपये फी मन मिलता है। लेकिन ,आप मद्रास में चले जाइये वहां चला आपको 30 रूपये में भी नहीं मिलता। इस तरह जो और चीजें किसान पैदा करता है उनकी उसको ठीक कीमत इसलिये नहीं मिलती क्योंकि ट्रांसपोर्ट (Transport) की कठिनाई है। ऐसी हालत में जब कि यह सरकार अपने को किसानों की और प्रोलेटेरियट (proletariate) की सरकार कहती है, किसानों का, पैदा करने वालों का कोई नुमायन्दा ऐसे ट्रीब्यूनल में न होना, मैं समझता हूं उनके साथ अन्याय होगा। और मैं मंत्री महोदय से पुरजोर अपील करता हूं कि इस अन्याय को दूर करने की कोशिश करें।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 17 अगस्त, 1948, पृष्ठ 397

रिज़र्व बैंक विधेयक, 1948 (लोक स्वामित्व में स्थानांतरण) पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए माननीय मंत्री से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और जब बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् भी कृषि को बढ़ावा नहीं दिया गया, खेती की उन्नति के लिये नीति इस्तेमाल नहीं की गई तो मैं तो यही कहूंगा कि वह बैंक राष्ट्रीय बैंक कहलाने का मुस्तहक नहीं रहेगा। खेती का बढ़ावा या कृषि को बढ़ावा किस तरह से दिया जा सकता है, इस सिलसिले में मैं अपने दो तीन नम्र निवेदन करना चाहता हूं। कल परसों का ही ज़िक्र है कि हमारे ईस्ट पंजाब के प्रधान मंत्री, डाक्टर गोपीचन्द साहब, यहां आये हुए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने हमें बताया कि सैंटर (centre) के प्रधान मंत्री की तरफ़ से या किसी और मंत्री की तरफ़ से कोई पत्र उनके पास भेजा गया है जिसके अन्दर यह ज़ाहिर किया गया है कि अगर पंजाब के अन्दर ज़मींदारी को अबोलिश (abolish) करना है, तो इसके लिये वह रूपया खुद तलाश करें। आप जानते हैं कि ईस्ट पंजाब का सूबा एक गरीब सूबा है। वह इस ज़मींदारी सिस्टम को अबोलिश करने का रूपया तो दूर रहा, अपने खर्च चलाने के लिये भी रूपया हासिल नहीं कर सकता। खेती को बढ़ावा किस तरह दिया जा सकता है इस सम्बन्ध में मेरा सबसे पहला नम्र निवेदन यही है कि नेशनलाइज़ेशन

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 2 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 912–13

का इजहार किया कि प्रान्त अपने फायदों की रक्षा इस तरह कर सकते हैं कि वह पूंजी पर इन्ट्रस्ट या ब्याज ज्यादा लगा दें। इस तरह से एक संघर्ष पैदा हो जायेगा और प्रान्त और सेन्टर (centre) में जो संघर्ष का खतरा है उसको बचाने की कोशिश करें।

अभी मेरे लायक दोस्त श्री अनन्थासायानम आयंगर ने मद्रास का केस प्लीड (plead) किया। मद्रास के अन्दर बड़े बड़े वक्ता हैं। हमेशा इस असेम्बली के अन्दर मद्रास का ही बोलबाला रखते हैं। मद्रास तो एक बहुत आगे बढ़ा हुआ सूबा है। ईस्ट पंजाब के प्रतिनिधि (रिप्रेजेन्टेटिव) आमतौर से इस सभा के अन्दर शान्त और चुप रहते हैं। उनके फायदे के बारे में उनसे अपील करूंगा कि वह उनका ध्यान रक्खें। ईस्ट पंजाब के अन्दर भाखरा बांध की स्कीम है। और भी स्कीमें हैं। इस समय भी प्रान्त को मण्डी हाईड्रो इलेक्ट्रिक से 10 लाख रूपये की प्रतिवर्ष आय होती है। ईस्ट पंजाब की जो स्कीम होगी उसमें देहातियों का बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह पुरजोर अपील करता हूं कि वह इस सूबे का खास तौर से ख्याल रखें। जैसा मैंने मद्रास के बारे में बताया, वह तो एक अच्छा सूबा है, पढ़े लिखे और बोलने वालों का सूबा है। उसका अगर थोड़ा कम ध्यान भी रखें, तो कोई हर्ज नहीं। मगर, ईस्ट पंजाब का ध्यान जरूर रखें क्योंकि ईस्ट पंजाब मद्रास के मुकाबले में एक छोटा सूबा है और मैं समझता हूं वहां मद्रास से ज्यादा काम हो रहा है।

मद्रास के लिए प्राहिबिशन (prohibition) स्वीकार किया गया है। मैं ईस्ट पंजाब के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की सरकार ने अक्तूबर के महीने से विशेषतया मेरे जिले रोहतक में, जो कि देहली के पड़ोस का जिला है, शराबबंदी जारी करने का इरादा किया है। ईस्ट पंजाब यों हीं घाटे का सूबा है और इस तरह की स्कीमें चलाने से उसे और भी घाटा होगा। अतः पंजाब को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। वह यह है कि किसानों की आवाज़ अगर कहीं थोड़ी बहुत सुनाई देती है या उसका असर है तो वह सिर्फ ईस्ट पंजाब के ही सूबे के अंदर है। इस सूबे

के बारे में आप विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं आपसे यह अपील करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमने क्लाज 80 (clause 80) पास कर दी है, मगर प्रथम तो आप उसको पंजाब के लिये लागू ही न करें और अगर लागू करें तो उसी हालत में जबकि पंजाब की फाइनेन्शियल पोज़ीशन (financial position) बहुत स्टेबिल (stable) हो जाए। अपील करते हुए और यह विश्वास रखते हुए कि मंत्री महोदय ईस्ट पंजाब को अपने ध्यान से नहीं जाने देंगे, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

आवश्यक चीज़ों की कीमतों की पुनः जांच*

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में अपने मंत्रीमंडल के प्रति किसानों की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है। जिस ढंग से आज हाउस के अन्दर बातें कहीं गई हैं और जितनी खतरनाक हालत बतलाई जाती हैं मैं नहीं समझता कि हालत इतनी ख़राब है। इस देश के अन्दर 60 या 70 फीसदी आदमी अनाज पैदा करते हैं। इस तरह, जहां तक अनाज का सवाल है वह 60 या 70 फीसदी लोगों के लिए तो हल हो ही जाता है। बाकी कपड़े का सवाल रहा। उसके बारे में हाउस के अन्दर यह ऐलान कर ही दिया गया है कि तमाम कपड़े को फ्रीज़ (Freeze) कर दिया जाएगा और बंधी कीमत (कंट्रोल्ड प्राइस) पर बांट दिया जाएगा।

अब जो सवाल बाकी रह गया है वह 25 या 30 फीसदी का कहा जा सकता है। मैं तो इसको दूसरे ढंग से समझता हूं। यह आवाज़ जो देश के नाम पर उठाई जा रही है, यह उन लोगों की है जो कि वोकल (vocal) हैं जिनके पास अखबार है इसमें कोई शक नहीं कि उनको कठिनाई हुई हैं और यही वजह है कि देश में जो शोर है उसका कारण यही है कि जो भाई बोलता है वह देश का नाम लेकर बोलता है। लेकिन देश सिर्फ पढ़े लिखे आदमियों तक या मध्यम वर्ग (मिडिल क्लासेज़) तक महदूद नहीं है। इस देश को चार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक इंडस्ट्रियल लोग–उनके

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 3 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 962–63

ऊपर कोई आफत नहीं है। दूसरे मिडिल क्लासेज़ या पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी बंधी (फिक्सड) तनख्वाहें हैं इसमें शक नहीं कि उनके ऊपर आफत है। तीसरे मज़दूर है। जहां तक देहात के मज़दूर और हाथ से काम करने वाले मज़दूरों का सवाल है वह बहुत आराम से है। एक बढ़ई आज आसानी से पांच रूपये रोज़ कमा सकता है, एक लुहार भी रोज़ाना आसानी से पांच रूपये कमा सकता है जो सन् 38 या 39 में मुश्किल से चार आना या पांच आना कमा सकता था। खेती का मज़दूर आसानी से दो तीन रूपये रोज़ाना कमा सकता है। तो जहां तक मज़दूरों का ताल्लूक है उनका भी मसला हल हो जाता है। अब बाकी रहे किसान। किसानों के बारे में मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि किसान तो अनाज को पैदा करता है। इसलिए अनाज का तो उसके लिए कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ कपड़ा है। कपड़े का गवर्नमेंट ने इन्तज़ाम कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह एक बहुत अच्छे ढंग से और जायज कीमत पर उन तक पहुंच जायेगा। तो, देखना यह है कि देश के अन्दर क्या आफत आ गयी है और क्या इन्कलाब आ गया है, जिसका इतना शोर है। मैं समझता हूं कि अगर इन्कलाब है तो वह सिर्फ मिडिल क्लासेज या बंधी तनख्वाह वालों तक ही महदूद है। मैं मानता हूं कि मिडिल क्लासेज़ ने हमेशा हर एक मुल्क में काफी बड़ा पार्ट अदा किया है। लेकिन देश के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की रीढ़ की हड्डी कौन है। वह किसान हैं। आज किसान देहातों में है। आप शहरों में मुद्रा–प्रसार (inflation) की बीमारी देखते हैं पर अगर आप देहात में जायं तो आपको तकलीफ नहीं मालूम देंगी, न यहां कोई तकलीफ है ओर न यहां यह मालूम होता है कि देश में इनकलाब आने वाला है। बल्कि वह लोग खुशहाल दिखाई देते हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर थोड़ी तकलीफ है तो वह बीच के दर्जे वाली क्लासेज़ तक ही महदूद है। उनके लिये सारे देश में चीप रेट ग्रेन (Cheap Rate Grain) की दूकानें खुली हुई हैं। मैं समझता हूं कि यह मसला और भी आसानी से हल किया जा सकता है, अगर माननीय रेल मंत्री लोगों की सहायता करें। श्री भट्ट ने कुछ दिन हुए कि

आफ़ लेंड (nationalisation of land) के लिये यह राष्ट्रीय बैंक ज्यादा से ज्यादा रूपया दे।

मेरा दूसरा नम्र निवेदन यही है कि जहां खेती का यान्त्रीकरण (amechanised) हो सकती हो वहां खेती का यान्त्रीकरण करने के लिये ज्यादा से ज्यादा रूपया दिये जाने की नीति बनाई जाए और इस काम के लिये ज्यादा से ज्यादा रूपया दिया जाए।

इस सिलसिले में मेरा तीसरा निवेदन यह है कि अभी कुछ चन्द दिन पहले ही इस हाउस में एक बड़ी गर्म और बड़ी जोरदार बहस अनाज की महंगाई और दूसरी चीज़ों की महंगाई के बारे में हुई थी। मैं इस सिलसिले में यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप चने का ही मामला लीजिये। चना हिसार ज़िले में, जो यहां से 100 मील है, पांच रूपया मन पर बिका। किसान को वहा उसके लिये ज्यादा से ज्यादा पांच रूपया मन मिला होगा और मद्रास के अन्दर उसी वक्त वह 50 रूपये मन बिक रहा था। इसी तरह से दिल्ली से रोहतक मुश्किल से 44 मील है। रोहतक में गेहूं के लिये किसान की मुश्किल से 13 या 14 रूपये मन मिले। आज वही गेहूं दिल्ली में 20, 22 और 23 रूपये मन पर भी मुश्किल से मिलता है। इस सिलसिल में मैं यह समझता हूं कि यह बैंक इस तरह से मददगार हो सकता है कि जो कोआपरेटिव दूकानें हों उनको वह ज़्यादा से ज़्यादा रूपया दे ताकि जो मिडिल मैन हैं जिसकी वज़ह से देश के अन्दर एक किस्म का हाहाकार मचा हुआ है, वह हट जाय। लोगों का ख्याल है कि किसान लूट रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया किसानों को तो उतना रूपया भी नहीं मिलता जितना कि वह आज अनाज पैदा करने पर खर्च करते हैं। इसलिये सहकारी दुकानें ;कोआपरेटिव शाप्स) को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिये नीति बनाई जाए और इनको बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को उनसे पूरा पूरा लाभ मिल सके और देश को भी लाभ मिल सके।

एक मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह बैंक इस किस्म की नीति जल्दी से जल्दी बनावे कि सहकारी खेती (कोआपरेटिव मैकेनाईज़ड फार्मिंग) को बढ़ावा दिया जा सके।

चौधरी रणवीर सिंहः Certainly. मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ कहता, लेकिन कायदे और कानून की वजह से मैं उस सिलसिले में ज्यादा बात नहीं कहते हुए एक और चीज़ की तरफ़ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि राष्ट्रीयकरण (नेशनेलाइजेशन) होने के बाद आप सहकारी उद्योग (कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज) को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें।

अब मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इस बिल का स्वागत करते हुए भाषण को समाप्त करता हूं।

हाउस को याद दिलाया था कि बीकानेर के अन्दर चने सड़ रहे हैं। मैं भी मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जीन्द स्टोर के अन्दर, दादरी के अन्दर, जितना आप चना चाहें हासिल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। रोहतक की, जोकि यहां से 44 मिल दूरी पर है। वहाँ आप साढ़े नौ रूपये मन चना हासिल कर सकते हैं। मगर यहां पर चना 14 रूपये मन भी नहीं मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब सरकार ने चने को ले जाने–लाने पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं पर इसके बावजूद भी इस चीज़ को नज़र से ओझल नहीं किया जा सकता कि इस मामले में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह ट्रांसपोर्ट (transport) की है। जहाँ तक जींद स्टेट और पटियाला यूनियन का ताल्लुक है मैं बतलाना चाहता हूं कि वहाँ हजारों मन अनाज को बाहर भेजने के लिये परमिट दिये हुए हैं। लेकिन, चूंकि ट्रांसपोर्ट के लिए उनको रेल के गड्डे (वेगन) नहीं मिलते इस वजह से यह आपत्ति है।

अब मैं आपको फलों के बारे में भी बतला देना चाहता हूं। नागपुर के अन्दर सन्तरों की एक वैगन आठ रूपये में नीलाम होती है और दिल्ली में आपको एक दो और चार आने में एक संतरा नहीं मिलता। यह जो आपत्ति दिखाई देती है इसका बहुत कुछ हाल ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब से मिल सकता है। मैं एक और नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने शहर के लोगों को सस्ता अनाज बेचने के लिए साढ़े 22 करोड़ रूपया खर्च किया और मैंने अभी पिछले सेशन में आपसे निवेदन किया था कि देहात में 24 रूपये से 4 रूपये गुड़ आ गया। जब गुड़ का भाव इतना गिर गया तो आसमान नहीं टूट पड़ा तो आज मेरी समझ में नहीं आता कि अगर गेहूं का भाव 16 रूपये मन से 24 या 25 रूपये मन हो गया तो किस तरह से आसमान टूट पड़ेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए चूंकि हाऊस के पास समय बहुत कम है, केवल यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं और अपने मंत्रीमंडल को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के अन्दर कोई खतरनाक हालत नहीं है। यह देश किसानों का देश है। किसान सन् 39 और 40 की निस्बत आज बहुत आराम में है। अगर किसान

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति जी, मैं पंजाब का होने के नाते इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रगट किये बगैर नहीं रह सकता। लेकिन, मेरे रास्ते में एक दो हिचक है। मैं ज्यादा पीछे की बातों में नहीं जाऊंगा। लेकिन, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जहां पर आज हम बैठे हैं, यहां कुछ लोग आबाद थे – 25 और 30 साल पहिले उनकी जमीनें ले ली गई थी और जो बेघर कर दिये गये थे। उनमें से बहुत सारे आज तक भी बेघर हैं। जहाँ हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो पश्चिम (West) से भाई आये हैं उनको बसाया जाए तो उनके साथ साथ हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उन भाईयों को बसाने के लिए जिन्हें हम अभी उजाड़ेंगें, उन्हें बसाने के लिए मकान, ज़मीन या कोई दूसरा पेशे (Profession) का इन्तजाम करें। मैं अभी आपको एक दो बातों की मिसालें दूंगा। मेरे पास चन्द दिन हुए राजपुर गांव के लोग आये। हमारी सरकार का बड़े जोरों से प्रपेगन्डा है कि पैदावार बढ़ाई जाए। विशेषतया फल और तरकारी की पैदावार बढ़ाई जाए। राजपुर दिल्ली के करीब ही एक गांव है। उस गांव में बहुत सारे बाग़ात हैं। जिनको कटवा दिया जायेगा क्योंकि सरकार की स्कीम वहां पर मेडिकल इंस्टीट्यशन और दूसरे इंस्टीट्यशन बनाने की है। इस सिलसिले में वहाँ के लोगों की ज़मीन को एक्वायर (Acquire) करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। हालांकि इसके मुकाबले में वहां पर पास ही उन मुसलमान भाईयों की ज़मीन पड़ी है जो पाकिस्तान चले गये हैं

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062–63

और उनकी ज़मीनें तकरीबन् खाली पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ ज़मीन जो राजपुर वालों से 25 साल पहिले ली गई थी वह भी खाली पड़ी है। इसके अलावा और भी ज़मीन उसके आसपास खाली पड़ी है जो बंजर है, जोकि बसाने के काम में आ सकती है। लेकिन पता नहीं कि इस तरह से क्यों गलती की जा रही है।

इसलिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ तक मुमकिन हो वह ज़मीन ली जाय जिसको मुसलमान भाई छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं। अगर, किसी भाई की जो यहां का रहने वाला है और खेती करता है ज़मीन ली भी जाए, जैसा कि बिल के अन्दर दर्ज है कि उसको मुआवज़ा रूपये के रूप में दिया जायेगा। मैं एक किसान और एक खेती करने वाले के नाते इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि ज़मीन का मुआवजा क्या होता है। आप उसको रूपया दीजियेगा, मगर उसका पेशा जो है वह इन रूपयों से पूरा नहीं होगा। अगर आप उसको दूसरा पेशा नहीं देते हैं तो आप हज़ार रूपया बीघा भी उसको मुआवज़ा देवें तो भी उसको कोई मुआवज़ा नहीं मिलता है। वह बेघर हो जाता है, न उसके पास मकान रहता है और न उसके पास पैसा रहता है। अतः उसे ज़मीन के बदले में ज़मीन दें।

इसका एक दूसरा रूख है। कल–परसों यहां हाउस के अन्दर बड़े जोरों के साथ मुद्रा प्रसार (inflation) के ऊपर गौर किया जा रहा था कि देश के अन्दर इनफ्लेशन है। इस इनफ्लेशन की निगाह से अगर आप उनको मुआवज़ा रूपये के रूपमें दीजियेगा तो इनफ्लेशन और बढ़ेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि आप उन लोगों की जो पाकिस्तान चले गये उनकी ज़मीन दें, जितनी कीमत की उनकी ज़मीन है और जो सरकार उनको मुआवजा देगी उसी कीमत की ज़मीन उनको उस में से मिल जानी चाहिये। मैं आपके सामने राजपुर गांव वालों की मिसाल दूंगा। राजपुर वालों ने मुझे बताया कि 25 साल पहिले उनका गांव जहां पहिले आबाद था उजाड़ दिया गया था। और आज वहां शहर बसे हुए हैं उसके लिए भी उनको खाली करने का नोटिस मिला है। कितनी दुःख और करूणाजनक बात है कि वे लोग जो शहर वालों के लिए तरकारियां व फल पैदा करते हैं खुश है तो देश भी खुश है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप भाव गिराने के लिये कोई कदम (action) उठाते भी हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार हों कि जिस वक्त अनाज के भाव गिरें तो उस वक्त आप किसान का अनाज उसी भाव से खरीदने का विश्वास दिलाये, जिस भाव से उसके घर पड़ता है।

'अनाज उपजाओ अभियान' की पुनर्विफलता*

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं जयरामदास जी और प्रोफेसर रंगा से 16 आने सहमत हूं। मेरे कई एक दोस्तों ने जोर दिया है कि "Grow More Food" के अन्दर कोई खातिरखाह तरक्की नहीं हुई है। मेरे साथी सरदार भूपेन्द्र सिंह मान तो हद से भी बाहर चले गए। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जितना आपने गुड़ डाला है या जितना आपने मीठा डाला है, आपका शरबत उससे ज्यादा मीठा हुआ है। जब कोई घबराया हुआ इस हाऊस से कहता है कि जो रूपया खर्च हुआ है उसका हमें पूरा बदला नहीं मिला है, तो मैं इसको दूसरे ढंग से समझता हूं। इस हाऊस के अन्दर बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं जिनका खेती करने वालों से कोई वास्ता नहीं है। खेती पर जब उन्हें कोई रूपया जाता दिखाई देता है तो वह उन्हें भाता नहीं, चूंकि वह पढ़े–लिखे लोग हैं और उन्हें अच्छे ढंग से बोलना आता है और वह उस रूपये को किसी दूसरी तरफ डालना चाहते हैं, इसलिये वह कह देते हैं कि खर्च फिजूल किया है। मैं आपको आंकड़ों के द्वारा यह बतलाऊंगा कि आपने कितना कम रूपया खर्च किया और आपको उसके बदले में कितना वापस (Return) मिला। सरकार की रिपोर्ट के बारे में सिधवा साहब ने यह शिकायत की है कि यह रिपोर्ट देर से मिली। यह दुरस्त है कि देर से मिली, लेकिन, चूंकि मुझे इस चीज़ से

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 1, 3 फरवरी, 1949, पृष्ठ 148–52

प्रेम है इसलिए मैंने उसका एक एक शब्द पढ़ा। यदि उन्हें भी इस चीज़ से प्रेम होता तो वे शिकायत तो बेशक करते लेकिन यह नहीं कह सकते थे कि वह पढ़ कर नहीं आये हैं। जो शहर के रहने वाले हैं, उन्हें खेती से न कोई प्रेम है और न कोई वास्ता। वह बहाने बना सकते हैं और अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, अंग्रेजी के भारी–भरकम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि रूपया फ़िजूल ख़र्च हुआ है, तो मैं आपको यह बतलाना चाहता था कि थोड़े से रूपया के अन्दर हमने कितनी तरक्की की है। आप वह नक्शा उठायें जो आपने सन् 47 व 48 का दिया है। उससे आपको पता चलेगा कि मद्रास के अन्दर एक साल में 8141 कुँए बने। अब देखिये कि मद्रास को आख़िर आपने रूपया कितना दिया था।

श्री महावीर त्यागी : मद्रास के पास इसके अलावा और भी रूपया है।

चौधरी रणबीर सिंह : सरकार ने कुल चार लाख रूपया इसके लिए दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त त्यागी जी एक किसान हैं और मेरी तरह से किसानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। लेकिन उन्हें आलोचना का शौक है और कुछ और भी ख्याल है। मैं मानता हूं कि यह जो कुवें बने वह सब सरकार के खर्चे से नहीं बने हैं, पर इस चार लाख से कुछ प्रचार तो जरूर हुआ होगा और लोगों को उस तरफ रागिब किया होगा कि वह कुवें बनावें। मद्रास के अन्दर तकरीबन आठ हज़ार से कुछ ऊपर कुवें बने हैं और सरकार का चार लाख रूपया खर्च हुआ है। इसी तरह सी.पी. में 5300 कुँए बने और आपकी सरकार ने कितना रूपया दिया? सी.पी. और बरार के लिए जो आपने ग्रांट दी खेती करने वाले के लिए वह 1.2 लाख रूपया थी, और जो आलोचना त्यागी जी ने की है, उसका भी जवाब मौजूद है कि आपने 49.7 लाख कर्जा भी दिया। तो इस तरह से आप सारा हिसाब लगायेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारा रूपया जो दिया गया वह 1.7 करोड़ था और उसके बदले में 23 हज़ार कुँए बने। या तो हम मान लें कि यह आंकड़े गलत हैं और अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमें मानना होगा कि हमें काफी रूपया वापस मिला। मैं समझता हूं कि हमारी (Privincial)

आज सरकार उन सब चीजों से उनको महरूम कर रही है। मैं आपसे इस चीज़ के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जहां आप पर पश्चिम से आये हुए लोगों को बसाने का कर्त्तव्य है वहां पर आपको जो इधर रहते हैं और जिनको आप उजाड़ रहे हैं उनको भी बसाने का पहिला कर्त्तव्य हो जाता है। मैं कहता हूं कि हमको उन भाईयों को खुशी से बसाना चाहिये जो वैस्ट से आये हुए हैं। लेकिन, मैं इसके साथ ही साथ यह भी समझता हूं कि जो लोग यहा खेती करते हैं और जिनकी जमीन है, वे कोई बड़े बड़े ज़मींदार लोग नहीं हैं, जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा। उनके पास हजारों बीघा ज़मीन नहीं है। किसी के पास दो एकड़ ज़मीन है, किसी के पास पांच एकड़ ज़मीन है और किसी के पास दस एकड़ ज़मीन है। अगर, आपने बड़ी–बड़ी इमारत बनाने के लिए उनकी यह ज़मीन ले ली, तो मैं पूछता हूं कि उनका क्या हाल होगा और उनके लिए आपने क्या हल निकाला है। मैं ज्यादा इस बात पर नहीं जाता हूँ। मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि जैसा कि इस बिल में देखा गया है कि उनको उनके बदले में रूपया दिया जायेगा। इससे उन लोगों को संतोष नहीं होगा। रूपया उनके लिए कुछ चीज़ नहीं है। उनको तो पेशा और मकान चाहिये। आप उनको ज़मीन के बदले में उतनी ही कीमत की ज़मीन उनके गांव के आसपास में दीजिये जो इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि, जो लोग पाकिस्तान गये हैं, वे लोग ज्यादा हैं। मैं मानता हूं कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको भी ज़मीन मिलनी चाहिये। मगर, हम उनको नये सिरे से बसा रहे हैं, उनको मत्स्य–यूनियन, सी.पी, यू.पी. और दूसरी रियासतों में बसा सकते हैं। मगर, जिन लोगों को जोकि यहां बसे हुए हैं, जिनका आप उजाड़ रहे हैं, तो उनको उसके ही आसपास कोई उसी कीमत की ज़मीन मिलनी चाहिये। इससे उन लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार का काम भी पूरी तरह से हो जायेगा। जो लोग पाकिस्तान से आये हैं उनको तो मजबूरन अपनी ज़मीन और घरबार छोड़ना पड़ा है। मगर, यहां हम उनको अपने हाथों से बेघरबार कर रहे हैं। और हम अपनी स्कीमों को पूरा करने के लिए उनको

बेघरबार कर रहे हैं, तो, यह हमारा फर्ज़ हो जाता है कि उनको मकान के बदल में मकान, और ज़मीन के बदले में ज़मीन और पैसे के बदले में उनको पैसा देना चाहिये।

मुझे इस बात का दुःख है कि, अगर हम यह समझते हैं कि रूपया लेकर वह अपना पेशा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह आपका अन्दाज़ा गलत है, वह कोई पेशा नहीं कर सकते हैं। यह पुश्तों से खेती करते चले आये हैं, उनके बापदादाओं ने खेती की है और वह भी खुद खेती करते हैं और कोई दूसरा पेशा नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि इस बिल के अन्दर जो पैसे की शर्त है, उसको छोड़ दिया जाए और उसकी बजाय यह रख दिया जाए कि उसको ज़मीन के बदले में उसी कीमत के बराबर की ज़मीन दी जाएगी। कई साहब कहते हैं कि उनको सन् 1939 ई0 की कीमत पर मुआवजा देना चाहिये, तो मैं पूछता हूं कि उसने जो घर बनाना है, ज़मीन खरीदनी है वह उसे आजकल खरीदनी है, न कि सन् 1939 ई0 में खरीदनी है। आजकल ज़मीन और मकानों की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं अपने गांव की मिसाल देता हूं आप वहां कोई भी ज़मीन का टुकड़ा 2000 रू. बीघा के हिसाब से भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं और पुरजोर अपील करता हूं और अपनी भारतीय सरकार से यह आशा रखता हूं कि जहां वह दूसरे भाइयों को बसाने के लिए अपनी ताकत लगाएगी वहीं अपनी स्कीमों से उज़ाड़े हुए लोगों को बसाने के लिए भी पूरा यत्न करेगी और उनको ज़मीन व मकान की शक्ल में मुआवज़ा देगी।

सरकारों की जा एजेन्सी आंकड़े इकट्ठा करने की है अगर उस पर रूपये में दस आना बारह आना भी ऐतबार किया जाये तो भी मैं समझता हूं कि यह आंकड़े ज्यादा हिम्मत दिलाने वाले आंकड़े हैं। इसी तरीके से पीछे की बात कही जाती है कि सन् 43 से 46 तक इस सिलसिले में 16,16,84,159 रूपया खर्च हुआ है। तो इस रूपये में उनको और भी चीजें जैसे खाद वगैरह भी दी गई थी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा के लिए रहेगी चाहे उसे देने वाली सरकार रहे या न रहे। 50,000 कुँए हैं जोकि बनाये गये। इस सिलसिले में मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। पिछले साल हमने देश के लिए दूसरे देशों से 129 करोड़ रूपये का अनाज मंगाया, मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं हैं, और वह अनाज हमारे वकील भाइयों और शहरी भाइयों को और पढ़े लिखे आदमियों को सस्ता बेचा जिससे हमारी सरकार ने 28 या 29 करोड़ का एक साल के अन्दर घाटा खाया। मैं आपसे यह पूछता हूं कि सरकार हर साल 28 या 29 करोड़ का घाटा महंगा अनाज दूसरे देशों से खरीद कर सस्ता बेच रही है तो उसपर तो कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता बल्कि दूसरी किस्म की बातें कही जाती हैं। दूसरी तरफ जहां आपने तीन साल के अन्दर सिर्फ 16 करोड़ रूपया दिया उसके लिए इतना शोर है। मैं तो इसका अर्थ बिलकुल दूसरे ढ़ंग से समझता हूं जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि यहां बहुत सारे ऐसे भाई बैठे हुए हैं जिनका खेती करने वालों से न कोई तालमेल है और न वह उनकी तकलीफें समझते हैं। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि मैं यह तो नहीं मानता कि तरक्की बिलकुल नहीं हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि कठिनाईयां हैं और उन्हें बहुत अच्छे ढ़ंग से हमें सोचना होगा। हमारी सरकार को, सरदार वल्लभभाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और हमारे जयराम दास जी को उनका हल निकालना होगा। आप चाहते हैं कि देश को ज्यादा अनाज मिले। देश के लिए ज्यादा अनाज हासिल करने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो लोग अनाज पैदा करते हैं उनको आप कहां तक खुश करते हैं, उनकी मानसिकता को आप कहां तक बदलते हैं। जिस वक्त जैराम दास जी बोल रहे थे उस वक्त मेरी बहिन रेनुका ने तम्बाकू के बारे में कहा था। कोई

पहले का वक्त होगा, 100 या 200 वर्ष पहले का, जब किसान को अपने नुकसान का पता नहीं होता था। आज बहुत सारे किसान पूरे नहीं तो आधे परधे जागे हुए हैं। अगर कोई आदमी यह चाहता है कि जिस फसल से उनको ज्यादा रूपया मिलता है उसको वह एकदम बन्द कर दे तो यह आसान काम नहीं है। हमारे रंगा साहब ने कहा कि शायद कोई सरकार मजबूर कर देगी। मैं तो उससे भी ज्यादा कहता हूं।

मैं कहता हूं कि पिछली दफा यह अखबारनवीस और दूसरे भाई बड़े ज़ोर से यह बात कहा करते थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर बलवा हो जाएगा यदि शहर वालों के लिए सस्ता अनाज नहीं मुहय्या हुआ। तो, मैं यह कहता हूं कि उन बलवा करने वालों के हाथ में न दम है और न तलवार है। जिन आदमियों को आप मजबूर करना चाहते हैं या जिनको आप दबाना चाहते हैं उनके हाथ मजबूत हैं और उनके हाथ में तलवार है। बलवा हुआ तो ऐसी चीजों से होगा। इसलिये आपकी अपने किसानों को ऐसी बातों के लिए मजबूर न करना चाहिये जिसमें उनका कुछ फायदा न हो। अगर आप चाहते हैं कि किसान आपके लिये अनाज पैदा करे, अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भरन रहे तो आपको किसानों के दुःखों को सुनना ही पड़ेगा। और उसका इलाज भी करना पड़ेगा। आप बेशक कितने ही हथियार रखें, कितने अच्छे ढंग से पढ़ायें लिखाएं, कितना ही कहें कि अनाज उपजाओ अभियान फेल हो गया इसलिए हम रूपया नहीं देना चाहते हैं, पर इससे कुछ काम नहीं चलेगा। कितने ही देहात के लोग अनपढ़ हों लेकिन, वह आज जागृत जरूर हैं। मेरे भाई सिधवा साहब तो मज़दूरों की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यह हिन्दुस्तान किसानों का देश है, अब किसान सोये हुए नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं और हमारी सरकार और पार्टी चाहती है कि वह राज करें, वह जिन्दा रहें, तो उनको किसानों की बात सुननी होगी।

मैं कुछ एक बातें आपको इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि किस तरह से हम किसानों को रागिब कर सकते हैं जिससे वह ज्यादा अनाज पैदा करें। उनको क्या प्रोत्साहन हम दे सकते हैं कि

हौसला मिले। वह दो चार बातें जो रंगा साहब ने कही उनके अलावा मैं कहना चाहता हूं। आज जब हम देहात में जाते हैं तो हर एक देहात वाला हम से कहता है कि जरा सोचिये और बताइये, रोहतक ज़िला यहां से 44 मील के फासले पर है, वहां चने का भाव इस वक्त आठ रूपए है। उसके मुकाबले में दिल्ली है, यहां 14 रूपए का भाव है। आखिर इससे किसको आप खुश कर सकते हैं, किसके दम पर हुकूमत चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं .

श्री देशबन्धु गुप्ता : इसके लिए पूर्व पंजाब की सरकार जिम्मेदार है।

चौधरी रणबीर सिंह : यह तो मुझे पता नहीं कि कौन सी सरकार इसकी उत्तरदायी है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि ईस्ट पंजाब की गवर्नमेंट का यह हुक्म नहीं हो सकता क्योंकि उसके अन्दर कम से कम पांच आदमी ऐसे हैं जो किसान घरानों में पैदा हुए हैं जिनको उनके भाई और रिश्तेदार मजबूर कर सकते हैं कि वह किसानों के नुकसान में न रहें। मैं इसको इस ढंग से समझता हूं कि उनके ऊपर दबाव से करवाया जाता है, या वे दूसरे अखबार वालों के दबाव से करने पर मजबूर हो जाते हैं .....

पं0 ठाकुरदास भार्गव : ईस्ट पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं दो एक बातें और कहना चाहता था। मसला भी ऐसा था, लेकिन कुछ तो घंटी बज चुकी है। मेरा दिल तो था कि कम से कम दस पंद्रह मिनट और भी बोलूं पर इस बात को खत्म करके मैं कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि सभापति जी, क्योंकि यह किसानों का मसला है, इसलिये मुझे थोड़ा समय देंगे।

आज खास तौर से नौ बजे कागज़ात मिलने के बावजूद मैंने इसका एक एक शब्द पढ़ा है, इसलिये मुझे और भी आशा है कि कुछ सुविधा सभापति जी ज़रूर देंगे।

मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि अनाज किसान ज्यादा पैदा करे, तो आपको यह चीज़ हटानी पड़ेगी। आपको जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें से देख लीजिये। आप चावल को ले लीजिये। सी.पी. सरकार चावल 11 रूपए 6 आना प्रति मन के हिसाब से हासिल करेगी। इसी तरह मद्रास के अन्दर चावल 6 रू. 14 आना

3 पा. के हिसाब से किसानों से हासिल किया जायेगा। लेकिन जो सरकार देगी, मेरा मतलब यह नहीं कि उन्हीं सूबों की बल्कि आखिर हिन्दुस्तान एक देश है हिन्दुस्तान की कोई न कोई सरकार जो लोगों को देगी उस भाव का भी आप अंदाजा लगाइये। यू.पी. के अन्दर (Issue Price) 30 रू. मन होगी चावल की। बम्बई के अन्दर 34 रू. 2 आ. 8 पा. प्रति मन के हिसाब से चावल दिया जाएगा। इसी तरह से आप गेहूँ का हिसाब ले लीजिये। राजस्थान के अन्दर गेहूँ 10 रू. प्रति मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। (Procurement scheme) के तहत। दिल्ली के अन्दर 14 रू. 8 आ. के हिसाब से हासिल किया जायगा। दिल्ली के अन्दर एक और अजीब बात है कि दिल्ली में जो लोगों को दिया जाएगा वह 12 रू. कुछ आने प्रति मन होगा। लेकिन दूसरे सूबों में (Issue price) जिस पर गवर्नमेंट देगी वह भी आप अन्दाजा करके देखिये। हैदराबाद के अन्दर 25 रू. 3 आ. प्रति मन के हिसाब से सरकार देगी। सी.पी. के अन्दर 20 रू. 3 आ. के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरी चीज़ें ले लीजिये। चना लीजिये। वह जयपुर के अन्दर 6 रू. 3 आ. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। ईस्ट पंजाब के अन्दर 8 रू. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ़ 5 रू. मन के हिसाब से हासिल किया जाएगा। लेकिन सौराष्ट्र के अन्दर 16 रू. 11 आ. में और यू.पी. के अन्दर 12 रू. 10 आने में बेचा जाएगा। आप ज़रा सोचें यह देश किसानों का है और किसान भी वह लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, जो आपकी इस बात को नहीं समझ सकते कि यह ईस्ट पंजाब सरकार का कसूर है, या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का या दूसरी सरकार का कसूर है, या अखबार वालों का है। वह समझते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है। अगर आप चाहते हैं कि वह ज्यादा अनाज पैदा करें तो आप यह कीजिये कि (highest procurement price) और बेचने की कीमत, जो हिन्दुस्तान में हो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये। इतना फर्क हो जितना कि किराया लगे। इससे ज्यादा होगा तो आप याद रखिये आपकी सरकार के पास चाहे जितनी मज़बूत पुलिस हो, कितनी ही ताकत आपके पास हो, काला बाजारी नहीं रोक सकेंगे। काला बाज़ार गर्म रहेगा।

एक और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो आपको आंकड़े मिले हैं इससे आप देखें; कभी कभी कहा जाता है कि किसान जो हैं वह काला बाजारी करता है, लेकिन आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात कुछ हद तक दुरूस्त नहीं है और करता भी है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे समाज, हुकूमत और हमारे ढंग पर है। क्योंकि जब फसल आती है उस वक्त अनाज का मुल्य कुछ होता है लेकिन जब फसल के बोने का वक्ता आता है तो वह भाव दूना और तिगुना होता है। अगर आप यह चीज़ कर सकते हैं कि फसल के वक्त में और बोने के वक्त में तकरीबन एक आध रूपये से ज्यादा का फर्क हो और इससे ज्यादा फर्क न होने दें तो किसान जितना उसके पास फालतू अनाज होगा वह अभी अपने पास न रख छोड़ेगा। दिसम्बर के पहले सप्ताह में हिन्दुस्तान में अनाज के 1947 के भाव का (Index) 100 था तो आपको पता लगेगा कि अप्रेल 1948 के अन्दर पूर्वी पंजाब गेहूँ की कीमत का (Index) नम्बर 130 था और फिर नवम्बर के अन्दर 234 था। यह फसल और बोने के वक्त का फर्क है। अगर इसको आप ठीक कर सकते हैं तो किसान किसी हद तक राज़ी हो सकते हैं।

एक चीज में पंजाबी होने के नाते कहना चाहता हूं। हमारे पंजाब को तकरीबन 54 लाख रूपए कुओं के लिये दिया गया था लेकिन चूंकि पंजाब के अन्दर पिछले साल उथल पुथल हुई, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ गए, अमन नहीं रहा, वहां कुए नहीं बन सके। मैं अपने माननीय मन्त्री साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह रूपया पंजाब को जरूर दें। इससे जो आगे का हिस्सा है उसमें कोई कमी नहीं होने दें। क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा इलाका है जिसमें कुए खोद कर ज्यादा से ज्यादा आपके लिये अनाज पैदा किया जा सकता है। मैं अब ज्यादा हाऊस का समय नहीं लेना चाहता और इसके साथ साथ मैं माननीय मन्त्री साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और कहता हूं कि उनका जो आलोचना की गई है, वह सोलह आने गलत है, और जो उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान अगर चाहता है कि उसकी तरक्की हो तो उसको खेती की तरक्की पहले करनी होगी, सोलह आने सही है।

हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 1949*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं हिन्दुओं के उस समुदाय से ताल्लुक रखता हूं जो आज से नहीं बल्कि शुरू से इस बिल के सिद्धान्त को मानता चला आ रहा है। अगर हिन्दुओं के अन्दर कोई कम्युनिटी थी जिसके अन्दर किसी दूसरी कौम के साथ रिश्ता हो सकता था और उस रिश्ते के बावजूद कोई बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होता था, तो वह जाट समुदाय था। ठीक है कि थोड़ा बहुत भेदभाव था, कुछ परहेज़ भी था, लेकिन वह बहुत मामूली था। इसलिए कि इस बिल से एक चीज़ जिसको हम सदियों से मानते चले आये हैं वह सारे देश के अन्दर हो जाएगी, मुझे इसके समर्थन करने में बड़ी खुशी है।

दूसरी बात, जैसा कि त्यागी जी ने बताया, इसमें यह है कि इससे हमारे आपस के भेदभाव दूर होंगे, जिनकी वजह से हम गुलाम हुए। हमारे नेता सरदार बल्लभभाई पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को मिला कर देश को एक बना दिया और वह समस्या सुलझ गई। यह बिल आपस की सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।

जहां तक हिन्दू कोड बिल का ताल्लुक है वह एक बहुत बड़ी चीज है। पता नहीं देश या यह सभा उसकी मानती है या नहीं। उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे देश के नेताओं ने मतभेद प्रकट किया है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ यह समझ कर कि यह चीज़ एक बिल का हिस्सा है, इसको ठुकरा देना या उसको न आने देना कहां

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 2, 11 फरवरी, 1949, पृष्ठ 427

तक ठीक है। क्योंकि अगर हिन्दू कोड बिल पास हो जाता है तो कुदरती तौर पर यह चीज़ उसके अन्दर शामिल हो जाएगी। अगर वह पास नहीं होता है तो कम से कम इसको तो पास होने का मौका मिलेगा। यह बात कहते हुए मैं हार्दिक तौर पर इसका समर्थन करता हूं।

आम बजट, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, हमने अपने देश को हमारे माननीय नेता, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में लड़ते हुए आजाद कराया था। इसलिये उनका ध्येय हमेशा अपने सामने रखना चाहिये। वह हमेशा विकेन्द्रीकरण के हक में रहे। वह पावर या इकानामिक पावर के एकीकरण के खिलाफ रहे और कांग्रेस के झंडे के अन्दर जो चरखा है वह भी विकेन्द्रीकरण का प्रतीक है। सभापति महोदय, हमारे नेता पंण्डित जवाहर लाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के रास्ते में जो बड़े बड़े पहाड़ व रोड़े थे उनको साफ कर दिया है। हमारे देहात में एक मिसाल है कि जब कोई खेत बोया जाता है तो उस खेत के बोने से पहले उसमें सूड करना होता है यानी कूड़ा–करकट को साफ करना होता है। हमारे देश के रास्ते में बहुत सारा कुड़ा करकट था। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उसको साफ कर दिया। लेकिन हमारे देश का भविष्य और हमारे देश की तरक्की हमारे माननीय मंत्री श्री गाडगिल जी के महकमे के हाथ में है। उनका महकमा बेसिक महकमा है, वह हिन्दुस्तान की तरक्की के लिये बुनियादी महकमा है। अगर हमें बापू जी के सबक को कार्यरूप में लाना है, तो हमें इस बात की तरफ ध्यान देना होगा, जिस की तरफ कि आज प्रातः हमारे मंत्री महोदय ने थोड़ा सा इशारा भी किया था। अर्थात्, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जिस वक्त उन्होंने देहात के बिजलीकरण के बारे में कहा कि हमें उसको महत्व देना चाहिये तो मैंने उस वक्त अपनी जगह से एक आवाज लगाई कि यह प्राथमिकता की चीज होनी चाहिये।

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 10 मार्च, 1949, पृष्ठ 1335–38

आपने देखा होगा कि हमारे मंत्री जी के कार्य के बारे में जो कागज दिये गये हैं उनके अन्दर एस्टेट आफ़िस का एक महकमा दिया गया है और उसमें बतलाया गया है कि कितनी हजार आवेदन सरकारी कर्मचारियों की ओर से उनके पास अभी तक बाकी हैं जिनके लिये वह कोई मकान का इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। यह मसला दिन–ब–दिन बढ़ता जाता है। मगर इसका कोई हल है तो यही है कि देहात का इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाए और देहात के अन्दर बहुत आवासीय मकान हों। आज लोग देहात में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि न तो वहां बिजली है और न पानी का नलका है। अगर दिल्ली के देहात में माननीय गाडगिल साहब बिजली का इन्तजाम कर दें तो यहां के सरकारी कर्मचारियों की जो समस्या है, मकान की, वह उनके सामने बाकी नहीं रहेगी। वरना सरकार को उनके लिये मकान बनाने पड़ेंगे और बड़ा भारी खर्चा उनको इसके लिये उठाना पड़ेगा। अगर देहात में बिजली पहुंच जाय तो हर एक सरकारी कर्मचारी दिल्ली के देहात में जाकर बसना पसन्द करेगा क्योंकि वहां जीवन इतना कीमती नहीं है जितनी की शहर के अन्दर कीमती है। इसलिये मैं देहात में बिजली के लिये अपनी पुरज़ोर मांग करते हुए साथ ही साथ आगे जो दूसरी चीजें मंत्री महोदय के हाथ में हैं उनकी ओर ध्यान दिलाता हूं।

यह देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रदेश के लिये नहरें बहुत जरूरी हैं, खास तौर पर ऐसे प्रदेश में जहा ंपर कि बारिश बहुत थोड़ी हो, राजपुताना और उत्तरी भारत में इनकी खास तौर पर जरूरत है। मैं पूर्वी पंजाब का रहने वाला हूं। एक वक्त था कि हमारा प्रान्त तमाम देश में अनाज देता था। लेकिन, जब देश में आज़ादी आई तो बदकिस्मती से हमारे प्रान्त का बंटवारा हुआ और हमारे प्रान्त का जो गेहूं देने वाला इलाका था वह पाकिस्तान में गया। अगर आप चाहते हैं कि देश के 130 करोड़ रूपया सालाना अनाज के लिये दूसरे देशों में न भेजे जायें तो उसका हल यही है कि आप नहरी सिंचाई योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा तरक्की दें। पिछले सालों में बड़ा जोर था और बड़ी बड़ी स्कीमें देश के सामने रखी गयी थीं। लेकिन मुझे

डर है कि जिस वक्त उन स्कीमों का वक्त आया तो हमारे दूसरे भाई, जिनको असल में आगे चल कर फायदा होता, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि देश के अन्दर मुद्रा प्रसारण के कारण बलवे हो जावेंगे और इस तरह डरा कर सिंचाई की स्कीम में बहुत हद तक सुस्ती पैदा कर दी। अगर देश को असल में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह इरीगेशन स्कीम्स की है और देश में सही मायनों में अनाज उत्पादन की कमी दूसरी चीज़ों की कमी की वजह है। कोई चीज आप ले लीजिये, इंडस्ट्री लीजिये। अगर आप देहात में बिजली पहुंचा दें और वहां पर नहरें वगैरह चलवा दें तो उद्योग के समान खपाने का भी कोई मसला नहीं रहेगा। इसलिये मैं इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप देश की इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए जैसे कि अब तक आप इसमें समय व ताकत लगा रहे हैं उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दें।

एक और चीज़ मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे यहां कम्युनिकेशन्स का मकहमा है। उसके लिये एक डिप्टी मिनिस्टर दे दिया गया। लेकिन इस महकमे में जहां कि एक नहीं बल्कि कई मिनिस्ट्रियों की आवश्कता थी उसके लिये कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश के भविष्य को बनाना है तेा जो बुनियादी चीज है, जिससे कि देश की तरक्की होने वाली है, और जिस महकमे पर सारे देश का भविष्य निर्भर है, उसके लिये एक नहीं बल्कि कई मिनिस्ट्री पृथक पृथक होनी चाहियें। मैं तो यह चाहता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं के लिये एक अलग मंत्रालय होनी चाहिये और जो दूसरी चीजें हैं उनके लिये अलहदा मिनिस्ट्रीज बने। लेकिन अगर ज्यादा मिनिस्ट्री आपको नहीं बढ़ानी है तो कम से कम काम्युनिकेशन्स जैसे महकमों के बजाय यहां आप डिप्टी मिनिस्टर बढ़ाइये ताकि गाडगिल साहब को जो भी समय मिले और वह देश को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी खुशहाल बनाने वाली योजनाओं को तो तैयार करा सकें।

मुझे कहनी तो बहुत सी बातें हैं और कई एक शिकायतें भी मैं मिनिस्ट्री से करना चाहता हूँ। लेकिन, समय बहुत थोड़ा मिलता है।

मेरी इच्छा तो बड़ी थी कि उन्होंने जो कार्य किये हैं उनके मैं गीत गाऊं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो एक किसान हूं और जब हमें यह ख्याल आता है कि भाकड़ा बांध तकरीबन जल्दी ही कम्प्लीट होने वाला है जिससे कि सब खुशहाल होंगे तो फिर उनकी कृतज्ञता प्रकट न करना तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बुरा है, मैं तो चाहता था कि उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिये काफी देर बोलता। लेकिन चूंकि समय निश्चित है तो ज्यादा समय उधर न लगाकर मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता हूं जिनको मैं महसूस करता हूं।

आपका महकमा इस देश के लिए बड़ी बड़ी चीजें बनाता है। जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनके लिये मकान देता है। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि कुछ ऐसे भी आदमी हैं कि जिनके घर और खेत उजाड़ दिये जाते हैं, दूसरे लोगों को बसाने के लिये। एक वक्त था कि आज से कोई बीस पचीस वर्ष पहले जहां हम आज बैठे हुए हैं वहा ंकई देहात बसते थे। पचीस बरस हो गये होंगे लेकिन आजतक वे ग़रीब अपने नये घर नहीं बसा पाये। यह कहना कि साहब उनको मुआवजा दे दिया गया, सब शान्ति कर लेते हैं। लेकिन, मैं आपको इस सिलसिले में इतनी बात कहना चाहता हूं कि खेती करने वाले के लिये कोई सिला नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप उसको ज़मीन के बदले में ज़मीन न दें। अभी हाल में यहां दिल्ली के करीब विदेशी राजदूतों के लिये कोठियां बनाने के लिये कहा गया है। मुझे डर है कि उसमें बहुत सारे बदकिस्मत देहाती घर शायद उजाड़ दिये जायेंगे और उन लोगों को बेघर होना पड़ेगा (एक आवाज : नहीं होना पड़ेगा)। ऐसा है तो मुझे खुशी है।

आज ही दोपहर के वक्त मेरे पास एक भाई आये थे। उनका गांव है पसोंडा, यहां से कोई आठ नौ मील पर है। वहां एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और उसकी वजह से उनका गांव जहां कोई चार हज़ार की आबादी है उजाड़ा जाएगा। हालांकि अगर वहां से एक फरलांग हटा कर अड्डा बनाया जाए तो इधर से उधर करने में किसी को बेघर नहीं होना पड़ता। वह लोग दूसरी जमीन देना चाहते हैं। लेकिन वह चीफ़ इंजीनियर से मिलकर आये। उन्होंने कहा कि किसी

न किसी को तो उठना ही पड़ेगा। उस बेचारे ने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो किसी को भी नहीं उठना पड़ेगा। लेकिन उनका कुछ ऐसा मन बन जाता है कि वह अपने अफसराना के ढंग से ही सोचते हैं। तो मैं आपसे यह नम्र निवेदन करता हूँ कि देश की आप तरक्की कीजिये, देश के लिये आप नये नये बांध बनाइये और बिजली पैदा कीजिये और जो बेघर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिये मकान बनवाइये। लेकिन, इसके साथ–साथ आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जहां आप किसानों को बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने के लिये बेघर करते हैं या और दूसरी स्कीमें बनाने के लिये बेघर करते हैं तो उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिये। और उनको बसाने के लिए भी अवश्य प्रयत्न करें।

विशेष विधेयक, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, हमारे देश को आजाद हुए तकरीबन डेढ़ साल से ज्यादा हो गया। इससे देश में परिवर्तन आया और यदि कोई भाई यह समझे कि इस परिवर्तन के साथ हमारी सरकारी ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मैं समझता हूं कि वह गलती पर है। यह इसलिए कि यह एक ऐसा देश था जिसमें चन्द साल पहले एक नहीं कोई चौबीस–पचीस लाख इन्सान भूख की वजह से मर गए, उनके पास अनाज नहीं पहुंच पाया। हमारे आजाद होने के बाद बल्कि जिस दिन हमें आजादी मिली, उसी दिन से हमारे देश में हज़ारों आदमी बेघर होना शुरू हो गए और लाखों की संख्या में बेघर होकर इधर से उधर गए। मैं यह समझता हूं कि जो भाई यह समझते हैं कि परिवर्तन नहीं आया, वे जरा शान्ति से इस बात को सोचें। आज से तीन चार साल पहले आदमी अपने घरों पर थे, वह बेघर नहीं हुए थे। इसके बावजूद भी देश की आर्थिक स्थिति के कारण या कुछ और भी कारणों की वजह से पच्चीस लाख के करीब आदमी भूखों मर गए। लेकिन, आज़ाद होने के बाद इस देश में देखा, कि एक करोड़ से ज्यादा आदमी बेघर हुए। लेकिन, उनमें से एक इन्सान भी भूखा नहीं मरा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो भाई यह कहते हैं कि देश के आज़ाद हो जाने के बाद सरकार के ढंग में तब्दीली नहीं आई वह गलती पर हैं। हमारे ढंग में, हमारे कार्यक्रम में बड़ी भारी तबदीली आई और इसी तबदीली के कारण यह हुआ कि हालांकि इतने हमारे भाई इधर से उधर गए या उधर से इधर आए

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1680–83

और उनको आज भी बहुत सी तकलीफात हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भूखों नहीं मरा। जो कई तकलीफात मौजूद हैं तो इस सिलसिले में आलोचक भाई यह भूल जाते हैं कि यह देश एक गरीब देश है जिसकी अपनी सीमा हैं। इस देश में हजारों लाखों देहात ऐसे हैं जिनके अन्दर न कोई अस्पताल है, न कोई स्कूल हैं और न कोई दूसरी आराम की चीजें हैं। लेकिन जो भाई बेघर होकर आए उनके लिए तकरीबन हर एक जगह स्कूल का इन्तजाम हुआ, हर एक जगह उनके लिए दवा दारू का इंतजाम हुआ। मैं पिछले साल कुछ मेंबर दोस्तों के साथ केन्द्र सरकार का कैम्प देखने के लिए कुरूक्षेत्र गया था। मैंने वहां पर अस्पताल की हालत देखी और डाक्टर से बातचीत की। डाक्टर ने हमको बताया कि देश की कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो हमारे जरूरत की हो और यहां न आती हो। इस देश के अन्दर लाखों देहात ऐसे हैं कि जहां कुनैन भी नहीं पहुंचती है। जिस देश का ढांचा ऐसा हो, जहां की आर्थिक हालत ऐसी हो, उन हालात में जो कुछ काम हुआ वह कोई कम काम नहीं है।

लेकिन, इस सब के बावजूद, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश एक कृषि प्रधान देश है। इसके अन्दर 85 फीसदी आदमियों की रोटी का वास्ता सीधे खेती से है। एक मिनट के लिए अगर आप नम्बरों को भी अपने ध्यान से छोड़ दें और अपने ध्यान से यह हटा लें कि इसमें इतने आदमी लगे हैं और इस वजह से खेती को महत्व न दें तो भी आप यह मानेंगे कि इस देश के अन्दर आज ऐसी हालत पैदा हो गई है कि अगर हमने अपनी कृषि की हालत को नहीं सुधारा और उत्पादन को नहीं बढ़ाया और ठीक नहीं किया तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ है वह आर्थिक दृष्टि से आज़ाद नहीं रहेगा। इस नुक्ते निगाह से ही हमको अब यह सोचना होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थ–व्यवस्था होनी चाहिए या औद्योगिक अर्थव्यवस्था। मुझे इस बात पर ज़रा भी विरोध नहीं है और मैं इस बात को मानता हूं कि यह देश जिस हालत में आज़ाद हुआ है और आज भी जो हालत हैं, इस अवस्था में अगर हमारे देश में एक मजबूत फौज़ नहीं हुई तो हमारी आज़ादी एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। मैं

मानता हूं कि आज़ाद देश में बहुत से कारखाने होने चाहिएं। लेकिन, इस सब के बावजूद कुछ बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। यह अब ऐसा वक्त आ गया है कि इस वक्त हमें कृषि, खेती को पहली प्राथतिकता देनी पड़ेगी अपने देश की इंडस्ट्री की तरक्की के लिए, हर एक सूबे के अन्दर और केन्द्र के अन्दर इंडस्ट्रियल फ़ायनेंस क़ारपोरेशन चालू किए गए हैं। लेकिन, मैं आपसे यह कहता हूं कि इस देश के अन्दर, जो कि कृषि प्रधान देश, सबसे पहले अगर कोई फाइनेंस कारपोरेशन बनना चाहिए था, तो वह एग्रीकल्चरल फायनेंस कारपोरेशन बनना चाहिए था। क्या आपने या किसी सूबे ने कोई एग्रीकल्चरल फायनेंस कारपोरेशन जारी की? अगर आप चाहते हैं कि आप जो 130 करोड़ या 133 करोड़ रूपए सालाना का अनाज दूसरे देशों से मंगाते हैं और जिसकी वज़ह से न आप कारखानों की मशीनें मंगा सकते है, न कोई और दूसरी चीजें, अगर आप चाहते हैं कि यह हालत बदल जाए, तो क्या आप समझते हैं कि खेती करने वालों के भावों की चोट लगाकर आप बदल सकते हैं? कई भाइयों ने कई विचार प्रकट किए हैं। हमारे एक भाई ने अपने बयान में जिक्र किया कि गन्ने की कीमत कम कर दी जाए, ताकि किसान ज्यादा बो सकें। लेकिन, मैं उनसे और अपनी सरकार से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृषक मशीन नहीं है, कृषक एक इन्सान है, उसके भाव को अगर आपने चोट लगाई तो आप कभी अपने मसलों को हल नहीं कर पावेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश अनाज के हिसाब से एक आत्म–निर्भर देश हो तो आपको कम से कम एक बात जरूर करनी पड़ेगी, वह यह कि आप खेती को प्रोत्साहन दीजिए ताकि वह ज्यादा पैदा करे, और वह इनसेंटिव आप किस ढंग से दे सकते हैं। त्रिपाठी जी और मैं साथ थे जब हमने मिस्टर डाड से बातें की। मिस्टर डाड ने हमें बताया था कि अमेरिका में वह तब तक ज्यादा पैदा नहीं करा सके, जबतक कि अमेरिका की सरकार ने किसानों को यह यकीन नहीं दिलाया कि सरकार खास भाव पर अनाज जरूर खरीदेगी। मैंने कई एक दफा हमारे कृषि मंत्री साहब से बातें की और उन्होंने बताया कि देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि सरकार इस बात का जिम्मा नहीं ले

सकती। मैं इस बात के लिए पूरा जोर देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर ज्यादा अनाज पैदा हो तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप इस जिम्मेवारी को लें। चाहे यह कितनी ही मुश्किल हो या चाहे इसमें कितना ही खतरा हो। अगर, आप चाहते हैं कि ज्यादा अनाज पैदा हो तो आपको यह जिम्मा लेना होगा कि खास भाव तक अगर देश के अन्दर कोई दाम देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार खरीदेगी।

इस सिलसिले में एक और सुझाव देना चाहता हूं जिससे मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा। देश के अन्दर बिचौलियों की एजेन्सी इतनी लम्बी चौड़ी बढ़ गयी है और बढ़ती ही जा रही है। यदि आप इस मिडिलमैन की एजेन्सी को कुछ देर के लिए कम कर दें और मैं समझता हूं कि चूंकि उनके पास कुछ अपना धन भी हैं इससे ज्यादा तकलीफ उनको नहीं होगी। कोआपरेटिव कंज्यूमर्स सोसायटी और कोआपरेटिव प्रोड्यूसर्स सोसायटी को तरक्की देवें। आज हम क्या देखते हैं? लोग बड़ी आवाज से किसानों से मांग करते हैं कि ज़्यादा अनाज पैदा करो। लेकिन हम देखते हैं कि अनाज की कीमत, जो तय की जाती है, तकरीबन वह पहले से कम की जाती है और कन्ट्रोल करते हुए कपड़े की कीमत जो मुकर्रर की जाती है तो वह 25 परसेंट ज्यादा तय की जाती है। आज ही सोंधी साहब से बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कारखानेदार सबसे कम कीमत पर पैदा करके देश को और दुनिया को कपड़ा दे सकते हैं तो इसमें हमारे देश की भलाई जरूर है। इसके बावजूद मैं यह समझता हूं कि चाहे दुनिया में आपके यहां सबसे कम कीमत हो इससे आप आम आदमी को राजी नहीं कर सकते कि कपड़े की कीमत 25 फीसदी ज्यादा बढ़ा दी जाए और उसका किसान पर असर भी न हो। आसानी से यह चीज़ हल की जा सकती है, क्योंकि बिचौलिये को तकरीबन 25 फीसदी का मुनाफा दिया जाता है। मैं आपको यह भी नहीं कहता कि कीमत को घटा दीजिये। अगर घटा सकते हैं तो बेशक घटा दें। लेकिन, अगर घटा नहीं सकते तो कम से कम बिचौलिये को हटा दीजिए और सब

पुनः विस्तार नियन्त्रण अवधि*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति जी, यह कहा जाता है कि लोगों की स्मृति बहुत थोड़ी होती है। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि जो विधायक हैं उनकी भी स्मृति थोड़ी है। पिछले साल जब कपड़े पर डी–कन्ट्रोल हुआ तो कपड़े की कीमत तिगुनी और चौगुनी चढ़ गई थी। मैं नहीं मानता कि एक साल के अन्दर इस किस्म की हालत पैदा हो गई जिससे अगर डी–कन्ट्रोल कर दिया जाए तो कपड़े की कीमत कम हो जाएगी। पिछले जून, जुलाई और अगस्त के महीने से मैं समझता हूं तकरीबन हर एक विधायक या आम आदमी जो थोड़ी बहुत सूझबूझ रखता था वह जरूर यह चाहता है कि जो कपड़े की, तीन गुनी और चौगुनी कीमत ली जा रही है उसका कोई न कोई इलाज होना चाहिए।

मैं यह कहने के साथ–साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस चीज़ के ऊपर कन्ट्रोल जरूरी हैं–कन्ट्रोल होना चाहिए। अन्न पर कन्ट्रोल की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं यह मानता हूं कि अगर अनाज के ऊपर कन्ट्रोल नहीं रहेगा तो जो अनाज हमको बाहर से मंगाना पड़ता है उतनी तादाद में नहीं मंगाना पड़ेगा। इस समस्या का हल दूसरे ढंग से भी आसानी से किया जा सकता है। शायद कुछ भाई यह समझें कि अनाज के पैदा करने वाले खाद्य उत्पाद की कीमत ज्यादा लेना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है मगर सरकार फसल के वक्त जितनी जरूरत शहर वालों को होती है वह एकदम खरीद लें तो वह महंगा भी नहीं पड़ेगा। मैं तो यह समझता

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 23 मार्च, 1949, पृष्ठ 800–01

हूं कि पिछले साल में अनाज में जितनी महंगाई हुई है उसकी जिम्मेवारी किसानों के ऊपर नहीं है, बल्कि मिडिल–मैन के ऊपर है। मैं कन्ट्रोल के खिलाफ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जितनी चीजों के ऊपर कन्ट्रोल आवश्यक है उनके ऊपर जरूर होना चाहिए। अभी हमारे माननीय मंत्री श्री गाडगिल ने बतलाया कि मिट्टी के तेल की कीमत पर नियन्त्रण नहीं है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कन्ट्रोल के वक्त मिट्टी के तेल के एक पीपे की कीमत 6 रूपया थी। लेकिन, अब 24 और 25 रूपए से कम पीपा नहीं मिलता है। इस हालत में कोई आम आदमी ही यह कह सकता है कि कन्ट्रोल ठीक नहीं है। मैं भी देहात का रहने वाला हूं। मद्रास के रहने वाले देहाती भाई यह समझते हैं कि कन्ट्रोल से उनको नुकसान होता है। उसके कुछ कारण और भी हैं जिनको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जहां तक कपड़े का, सीमेन्ट का और लोहे के कन्ट्रोल का ताल्लुक है, अगर उसकी वितरण ठीक ढंग से हो तो इसमें शक नहीं कि वह उपभोक्ता के लिए, देहात वालों के लिए और किसानों के लिए कन्ट्रोल बहुत अच्छी चीज़ हैं।

मैं यह समझता हूं कि कन्ट्रोल के साथ–साथ एक बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह है कि कन्ट्रोल से मिडिल–मैन को जो बहुत अधिक मुनाफा मिलता है उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। कपड़े का कन्ट्रोल है और उसके अन्दर एक्स–मिल प्राइस और खुदरा कीमत में 20 फीसदी और 25 फीसदी का फर्क है। यह मुनाफा जो मिडिल–मैन को दिया जाता है मेरी समझ में बहुत ज्यादा है। अगर सरकार इस मुनाफे को सहकारी समितियों को देगी तो बहुत फायदा होगा। परन्तु, मिडिल–मैन को यह मुनाफा देने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे अभी पंजाबराव साहब ने कहा कि सिमेन्ट, लोहा और मिट्टी के तेल के कन्ट्रोल से खेती की बढ़ोतरी में बड़ा वास्ता है। कल ही हमने पूसा इन्स्टीट्यूट में एक हल देखा। यह हल दो बैल से चार बैलों के बराबर काम करता है। वह हल तब ही ज्यादा बनाया जा सकता है अगर कृषि विभाग को ज्यादा से ज्यादा लोहा मिले। इसी तरह से हमने एक बोने

डिलीवरी कोआपरेटिव सोसायटी को दिला दीजिए। आपूर्ति जिला और प्राविंशियल सहकारी इकाई को दिलाइए इससे लाभ किसान को पहुंच जाएगा और देहाती यह समझेगा कि देश की जो सरकार है यह मेरे लिए है और सरकार का ध्यान अब कृषि की उन्नति करने के लिए लग गया है।

मैं आपसे नम्र निवेदन इन दो चीज़ों का करना चाहता हूं। एक तो कृषि वित्त निगम को आप जल्द से जल्द स्थापित करें, ताकि लोग यह समझ पायें कि सरकार इस बात में लगनशील है कि ज़्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें। और जो निगम, जमीन सुधारने के लिये, ट्रैक्टरस खरीदने के लिये कल ही मैं देखकर आया, पूसा संस्थान में, वहां हमने एक हल देखा जो दुगना काम कर सकता है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उसे तैयार करा कर देहात में भेजे, तो उसे देहात के लोग बहुत पसन्द करेंगे। वे यह समझेंगे कि सरकार की तबदीली के साथ–साथ उनकी भी किस्मत में तबदीली करने के लिये कोई तरक्की होने वाली है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जिसका कि मैंने पहले ज़िक्र किया था वह कीमतों की स्थिरता है। सरकार को चाहिये कि जो कृष्णामचारी कमेटी की रिपोर्ट है उसको कार्य रूप में जल्द से जल्द लाने का यत्न किया जाये। जब तक आप यह दो बातें नहीं करेगे, आप का विश्वास जीत नहीं सकते। जब तक आप उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, उस वक्त तक आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह अधिक अनाज पैदा कर देगा। साथ ही, मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस वक्त उनके लिये कुछ नहीं कर सकते, तो फिलहाल आप कोई ऐसा कदम हरगिज न उठायें, जिससे किसानों को चोट पहुंचे।

एक छोटी सी चीज़ और है। आप देखिये कि रेल तार और हवाई जहाज की वजह से यह हिन्दुस्तान का मुल्क एक छोटा सा देश बना दिया गया है। बम्बई के अन्दर जो कीमत है, और पंजाब के अन्दर जो कीमत है, कृषक चाहते हैं कि उनकी कीमतों में एक दो रूपये मन से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रोक्योरमेन्ट स्कीम अगर आप लागू करें तो खरीद और बेचने में इससे

ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये, जिससे रेल का और थोड़ा बहुत मिडिलमैन का खर्चा पूरा हो सके। मैंने प्रोक्योरमेंन्ट प्राईस पढ़ी हैं, आज मैं गलती से उसको लाना भूल गया, वरना मैं उसके आंकड़े इक्ट्ठा करके यह बतलाता कि एक जगह जो खरीद कीमत है, वह दस रूपया है, और उसी चीज़ की दूसरे मुकाम पर बेचने की कीमत उससे डबल है। अगर इतना ज्यादा फर्क होगा, तो आप कैसे किसान को यकीन दिला सकते हैं कि जो सरकार का सारा का सारा ढांचा है, वह उसकी मदद के लिये है। जब तक उसे यकीन नहीं दिला देते कि सारी सरकार की मशीनरी उसकी मदद के लिये है, तब तक आप अनाज़ की पैदावार नहीं बढ़ा पायेंगे। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल कृषि का है। जब तक अनाज और कृषि की तरक्की नहीं होगी, अनाज का आयात बन्द नहीं होगा उस वक्त तक मैं समझता हूं कि देश में कोई इन्डस्ट्री नहीं बढ़ पायेगी, और न ही दूसरी बड़ी–बड़ी समस्याएं हल हो पायेंगी। इसीलिये, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज ही इसका एलान कर दें कि कृषि वित्त निगम बनाने जा रहे हैं। देश के अन्दर ऐसी वित्त निगम बन जायेगी, तो उसमें बड़ा फायदा है। सरकार अगर इसी बात का जिम्मा ले ले कि जो उसकी प्रोक्योरमेन्ट प्राईस है उससे नीचे कीमत नहीं गिराने देगी। अगर आप इतना भी कर लेंगे, तो भी किसानों को प्रोत्साहन देंगे। मैं हाऊस का ज्यादा समय न लेते हुए यह विश्वास रखता हूं कि मैंने जो हाऊस के सामने अपने सुझाव रखे हैं, उन्हें मन्त्री महोदय ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

मैं समझता हूं कि कई बातें ऐसी होती हैं जो देश के लिये फ़ायदेमन्द होती हैं। हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है। तउसके बदले में हमारे पास भेजने के लिये आखिर दूसरी क्या चीज है जो हम अनाज के बदले में दूसरों को दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि चाय सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको कि दूसरे देश हम से फायदेमन्द शर्त पर लेने पर मजबूर होंगे। वह चीज़ चाय है और हमारे पास है।

इसलिये, मैं समझता हूं कि देश की इकोनोमी को ठीक रखने के लिये, यह सही है कि देश के अन्दर चाय के प्रचार में पैसा न खर्चा जाए। बल्कि, जितना पैसा उसके प्रचार के लिये खर्चना हो, वह दूसरे देशों में खर्चा जाए और जैसा कामत साहिब ने कहा है, उससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं। इस देश में बुरी है, या इस देश की बुराई किसी दूसरे देश में बुराई भेजना चाहते हैं, सही नहीं है। जैसा कि हमारे माननयी मंत्री साहब ने बतलाया कि शराब के बदले यह चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। हमारे देश में शराब कितनी है, और खासतौर से देहात में शराब कितनी है। जहां आदमी शराबी हैं, वहां पाबन्दी है, वहां चाय का सवाल पैदा नहीं होता, और जो हैं वह पहिले ही चाय पीना शुरू कर देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अब देश के अन्दर इसके लिये प्रोपैगैडा करने और पैसा खर्चना फिजूल है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी आपके यहां चाय बेचने की ज़रूरत थी, वह तो बिकती जा रही है, और चाय का वैसे ही मार्केट आपका बढ़ता जा रहा है। देश के अन्दर देश का पैसा खर्चने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि इससे हमारे देश का कितना फायदा है और हमारा खर्चा हुआ पैसा बेकार तो नही जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि देश की आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को जरूर मानें।

बाल विवाह निषेध विधेयक, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : मैं बाबू ठाकुर दासजी के कानूनी मससिवदे का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि अगर इस कानून को एक डैड लैटर नहीं बनाना है तो इसके लिये निहायत जरूरी है कि आप इसकी कागनिजेबल आफेन्स करार दें। इस सिलसिले में यह कहा गया है कि कुछ सोसायटियां इस कानून को कामयाब बनाने में मदद कर सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब शारदा ऐक्ट पास हुआ था तो तमाम देश के अन्दर बड़ा जोश था। मेरे पिता चौ. मातूराम जी ने शारदा ऐक्ट के तहत देश में सबसे पहले एक आदमी के खिलाफ दावा दायर किया था। उनके दिल में भी बड़ा जोश था जैसा कि आज मेरे दूसरे भाई समझते हैं, उनका भी यही ख्याल था कि कोई सार्वजनिक सोसायटी की मदद कारगर हो सकती। लेकिन, एक केस लड़ने के बाद ही वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह ख्याल बिलकुल कारगर नहीं था और इससे कोई फायदा नहीं था।

दूसरी बात मैं एक देहात के रहने वाले की हैसियत से आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर देहात में आपको इस कानून को कार्य रूप दिलाना है तो यह बिलकुल जरूरी है कि यह कागनिजेबल आफेन्स हो। देहात में एक किस्म का समझौता हो जाता है जिसके कारण और तकरीबन, जैसा कि बाबूजी ने बताया है, 40 प्रतिशत कम उम्र में शादियां होती हैं। यह बात बिलकुल दुरुस्त है। वह इसलिये

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 14 अप्रैल, 1949, पृष्ठ 2306–07

की मशीन देखी जो दो बैलों से 8 बैलों के बराबर काम कर सकती है। परन्तु जब तक कि काफी लोहा कृषि विभाग को नहीं मिलेगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

एक और बात इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ। शायद कोई भाई यह समझे कि इससे कृषि को फायदा होगा और उत्पादन लागत कम हो जाएगी। लेकिन, अनाज की बढ़ोतरी नहीं होगी। इस सिलसिले में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप हिसार जिले को लीजिए। इसमें कभी–कभी बारिश होती है और तीन चार दिन में ही फसल बोई जा सकती है उसके पश्चात् नहीं। अगर, उन दिनों में कोई ऐसी चीज़ जो 2 बैलों से दुगना और चौगुना ज़मीन काश्त कर सकती है तो वहां की सारी ज़मीन बोई जा सकती है। इस तरह से हमारे देश की उपज भी बढ़ जायेगी।

मैं समझता हूं कि जिन चीजों के ऊपर कन्ट्रोल की जरूरत है उन पर रहना चाहिए। एक और चीज़ है जो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। इस वक्त सलाहकार बोर्ड में मिडिल–मैन के नुमाइन्दे को रखा जाता है। जब तक इस किस्म की बात होती रहेगी तो कृषक समुदाय की कोई तरक्की नहीं हो सकेगी। किसान आज जो कन्ट्रोल के खिलाफ है उसका कारण यह है कि उनका अनाज तो कन्ट्रोल की कीमत पर लिया जा रहा है, मगर उनको उनकी जरूरत की चीजें कन्ट्रोल प्राइस पर नहीं मिल रही हैं। पूसा इन्स्टीच्यूट में जब हम लोग गए थे तो दिल्ली के कुछ गांव वालों ने हमारे माननीय मंत्री जयराम दास जी से यह शिकायत की थी कि उनको देहात के अन्दर कन्ट्रोल पर कपड़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन उनसे अनाज कन्ट्रोल के भाव पर ले लिया जाता है। उन्हें यह शिकायत है कि जिन चीजों के ऊपर कन्ट्रोल है उनको कन्ट्रोल के भाव पर नहीं मिल रही हैं।

मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रस्ताव को पास करके यह कर दें कि जिन चीज़ों के ऊपर कन्ट्रोल है वे चीज़ें जनता के पास कन्ट्रोल भाव पर पहुंच जावें तो यह जनता के लिए बहुत फायदेमन्द सिद्ध होगा।

चाय समिति विधेयक, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कामत साहिब ने अभी एक बात कहीं है कि संशोधन का समर्थन करने वाले कामों में भेदभाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो चीजें हिन्दुस्तान में फ़ायदेमन्द नहीं हैं, वह विलायत में भी लोगों के लिये फायदेमन्द नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। यहां भी सरदी के मौसम में जो हम खाते हैं वह गरमी के मौसम में हमें अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर गरमी के मौसम में देश के अन्दर शरबत पिया जाता है। लेकिन, सर्दी के मौसम में कोई आदमी शरबत नहीं पीता। इसलिये जो चीज़ हिन्दुस्तान के लिये अच्छी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि वह विलायत के लिये या दूसरे देशों के लिये भी अच्छी न हो।

दूसरा कारण मेरा यह है कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिस के अन्दर तकरीबन 85 फीसदी आदमी अनपढ़ हैं। वह आपके प्रोपैगैन्डे से सही बात नहीं ले सकेंगे। यह मानी हुई बात है कि चाय के अन्दर एक निकोटीन जैसा ज़हर होता है, बल्कि उससे भी बुरा ज़हर उसके अन्दर होता है। मुझे उस ज़हर का नाम याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जहर उसके अन्दर ज़रूर है। अगर उसको ठीक तरह से न तैयार किया जाए, तो हिन्दुस्तान जिसके अन्दर 85 फ़ीसदी आदमी अनपढ़ हैं, उनसे यह उम्मीद रखना कि वह ढंग से उन्हें सिखाया जायेगा, उस पर वह ठीक तरह से चलेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा ख्याल करना बिलकुल गलत होगा। तीसरे, आर्थिक दृष्टि से

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 25 मार्च, 1949, पृष्ठ 1903–04

आवश्यक आपूर्ति विधेयक, 1949 पर बहस*

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं मसविदे का समर्थन करते हुये यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि नियन्त्रण से जो ताकत हासिल की जाती है उससे कपास पैदा नहीं की जा सकती। काटन तो खेत में उगेगी और उसे किसान ही उगायेगा। देश काटन के आयात की बीमारी से छूट नहीं सकता, जब तक आप किसान के लिये ऐसे हालात पैदा न कर दें, जिससे कि वह ज्यादा कपास पैदा कर सके। इस वक्त को नियन्त्रण के इस बिल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि देश में कपड़ा और अनाज बहुत ज्यादा हो। इसके लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि पंजाब के भाखड़ा बान्ध को पूरा किया जाए। कल भी मैंने इसके बारे में ज़िक्र किया था कि इसका बनाना बहुत जरूरी है। वहां पर सुरंग खोदी जा चुकी है और वह तैयार भी हो गई है। अगर पंजाब सरकार को रूपया नहीं दिया गया तो इस बात का बहुत खतरा है कि अगले मौसम में वह टनल फट जाए। अगर, यह सुरंग फट गई तो फिर यह बांध कभी भी नहीं बन सकता है। यह बात आसानी से कही जा सकती है कि इस समय रूपया कहां से आयें। बचत के नाम पर ऐसी बड़ी परियोजना को टाला नहीं जा सकता है। अगर इस किस्म की बात की गई तो मैं समझता हूं कि इस तरह के एक दो बिल तो क्या हज़ारों बिल भी देश के अन्दर कपास पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर

* संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 2 दिसम्बर, 1949, पृष्ठ 217–19

आप सही मानों में यह चाहते हैं कि आपकी इण्डस्ट्री (industry) के लिए कपास मिले तो आपको उस किस्म का इन्तजाम करना चाहिये। मैं दो तीन बातों के लिये आपसे निवेदन करता हूं और उनका इन्तजाम आपको करना होगा।

एक बात तो यह है, जिसकी तरफ सरकार का बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। जैसाकि मैंने कल भी कहा था और मैंने इस बात को अपने रेलवे मंत्री साहब को भी बतला दिया था और उन्होंने इस बात को सुन कर ताज्जुब भी किया था और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पास इस बात का सबूत है। इसके लिये कृषि मंत्रालय के एक आपूर्ति अधिकारी की मदद ली गयी, जो 2 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। घेराबन्दी करने वाली तार को को कृषि विभाग ने अपने खेत के लिये मंगवाया था। एक आदमी ने नहीं मंगाया था बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वालों ने इसकी मांग भेजी थी। दो साल तक मुतवातर कहने पर भी वह अभी तक नहीं पहुंचा। कम से कम चार पांच महीने से मैं अपनी एग्रीकल्चरल स्टैंडिंग कमेटी (Agricultural Standing Committee) द्वारा और मंत्रालय द्वारा भी यह कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से वह पहुंचे। मुझे खेद है कि जब मैं बाजपुर गया तो वहां के लोगों ने मुझे इस बात की याद दिलाई कि वह अभी तक नहीं पहुंचा। इसके वहां पर न पहूंचने में बहुत घाटा होता है। वह जो तराई भावर का एरिया है बहुत लम्बा फैला हुआ है। जंगली पशुओं से अनाज को बचाने के लिये यह तार मंगाया गया था। उस एरिया में काफी तादाद में कपास और अनाज पैदा हो सकता है। इसके लिये सरकार को न बहुत खर्च करना पड़ता है, न बाहर से कोई ऐसी चीज मंगानी पड़ती है।

दूसरी चीज़ जिसे मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि बाजपुर के एरिया को साफ करने के लिये वहां पर ट्रैक्टर आये हुये हैं और वहां पर एक ट्रैक्टर का संगठन भी है। वह ट्रैक्टर जब रेलवे को पार करते हैं तो उनके साथ हैरो (Harrow½ लगते हैं और रेलवे का दरवाजा जब तक निकाल न दिया जाए या बड़ा न कर दिया जाए तो बराबर तकलीफ़ होती रहेगी। लेकिन, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह काम किसी एक आदमी का नहीं था, किसी एक आदमी की ज़मीन

कि देहात में कुछ इस किस्म का रिश्ता होता है कि गांव की तकसीम पानों में हो जाती है और पानों की ठोलों में। और उनके आपस में संबंध होते हैं। फर्ज कीजिये कि मैं अपने लड़के और लड़की की शादी ठीक उमर के बाद करता हूं लेकिन मेरे ठोले का दूसरा भाई हो सकता है कि गलती करे। तो उस ठोले के भाई की हैसियत की वजह से मैं उस बात के लिये मजबूर होता हूं कि गांव में अगर दूसरा या तीसरा आदमी कोई गलती करता है तो मैं उनके खिलाफ दावा दायर न करूं, क्योंकि मुझे ख्याल है कि मेरे भाई मुझे तंग कर देंगे, कुनबा सामने आ जाएगा।

इसलिए अगर इसको संज्ञेय अपराध नहीं बनाइयेगा तो यह नामुमकिन चीज़ है कि यह कानून देहात में प्रभावी साबित हो सके। एक बात यह भी है कि कागनिजेबल आफेन्स में पुलिस ही वकील होती है और वकील का खर्चा पुलिस के जिम्मे होता है। असंज्ञेय अपराध में जो आदमी खबर देता है, उसी को अपना वकील करना पड़ता है और तमाम खर्चा उसी को बर्दास्त करना होता है। इसलिये, आप ख्याल कर सकते हैं कि जब किसी आदमी को कोई आर्थिक हित न हो तो कोई क्यों अपने आपसे वकील खड़ा करके किसी के खिलाफ मुक़दमा लड़ेगा। इसलिये, मैं समझता हूं कि, जैसा कि सभापति महोदय अपने अपने इलाके के बारे में बताया कि आज कुछ जातियों के पढ़े–लिखे आदमियों के लिये इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो शादियां इस उम्र के बाहर ही करते हैं। यह बात बिलकुल सही है, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर संज्ञेय अपराध की आवश्यकता है तो उन्हीं के लिये है कि जो आज तक इस चीज पर राजी नहीं हुए हैं। उन्हीं के ऊपर इसका असर पड़ेगा। यह अच्छा है कि देश में इसके लिये माहौल पैदा किया जाए। लेकिन, बहुत सारे ऐसे भी कायदे और कानून बने हैं जिनके बारे में माहौल पहले नहीं बनाया गया था। इसलिये आपको तो यह देखना है कि यहां पर जो कानून है इससे देश का फ़ायदा होता है या नहीं। अगर, देश का फ़ायदा होता है, तो उसके अन्दर एक दिन के लिये भी देर नहीं करनी चाहिये। बल्कि, सच तो यह है

कि आम देहातियों के यह समझ में नहीं आता और न उनको पता होता है कि कागनिज़ेबल या नानकागनिज़ेबल दफ़ा होती क्या है। गांव में तो यह होता है कि जब किसी छोटी उम्र के लड़के या लड़की की शादी ऐसे समय होती है जब कि वहां थानेदार भी हो या मैजिस्ट्रेट भी हो और उनको कोई रोकता नहीं और न उनको कोई सज़ा देता है तो वे इसको बड़ा मज़ाक सा समझते हैं; क्योंकि वह इसको तो समझता ही नहीं कि यह कोई जुर्म है। जब तक यह कागनिज़ेबल आफ़ेन्स न हो तब तक पुलिस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती। इसलिये, मैं यह समझता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि यह कानून का सम्मान हो, इसका कोई खास मतलब निकल सके और यह लाभ लोगों तक पहुंचे, तो इसको जरूर संज्ञेय अपराध करार देना चाहिये।

आयु के बारे में जैसा कि मेरे एक राजस्थानी भाई ने कहा, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि 18 या 19 या 20 की आयु कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं है। बीस की आयु लड़के के लिये और 15 की आयु लड़की के लिये अवश्य होनी चाहिये। इसलिए मैं बाबूजी के बिल का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसकी बेहद जरूरत है। और जो कागनिज़ेबल और नानकागनिज़ेबल की बात है उसके लिये यह बहुत जरूरी है कि यह कागनिज़ेबुल हो। अगर आप चाहते हैं कि देहात के अन्दर लड़के लड़कियों की शादियां जो छोटी उम्र में होती हैं उनको आप रोकना चाहते हैं तो वह तभी रोक सकते हैं जब आप इसको कागनिज़ेबल आफ़ेन्स करार दें।

ज्यादा नहीं लाते। कल ही भोपेन्द्र सिंह जी मान ने कहा था कि इस देश में छोटे ट्रैक्टर्स नहीं आये मुझे इसका दुःख नहीं है क्योंकि धरती तो भारी ट्रैक्टर्स से ही टूट सकती है और सरकार ने बड़ी अक्लमन्दी की कि उन्होंने बड़े ट्रैक्टर्स मंगवायें लेकिन आप अगर मैं और दस पांच किसान जो सोचते हैं कि मिलकर एक सहकारी समितियां बनावें और ट्रैक्टर खरीदें तो सरकार हमको कोई सस्ती दर पर पैसा वितरित करने का ढंग नहीं अपनाती। मुझे इसके कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैंने दो तीन भाईयों के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदने की कोशिश की। हमें इसके लिये कुछ रूपये की जरूरत थी। लेकिन, मुझे दस रूपये सैंकड़े से कम पर रूपया नहीं मिल सका और मैं चाहता था कि अपने दोस्तों को इसके लिये तंग न करूं। लेकिन, आख़िर मजबूरन मुझे अपने दोस्तों के दरवाजे पर जाना ही पड़ा और रूपया बगैर इन्टरेस्ट के लेना चाहा। मगर, एक आम किसान को वह रूपया नहीं मिल सकता। जब, मैं एक आम किसान के नाते रूपये के बाज़ार में गया तो मुझे रूपया दस रूपये और बारह रूपये के भाव की ब्याज–दर से कम नहीं मिला।

मैंने आपको यह दो तीन बातें बतायीं। यह किसानों की कठिनाईयां हैं जो उसके बगैर किसी उपभोक्ता के टक्कर में आये हल हो सकती हैं। आपका जो यह ख्याल है कि कपास और ईंख और जूट मे आपस में टक्कर है, मैं यह दावे से कहता हूं कि अगर आप कृषकों को सस्ती दर पर पैसाद दे दें और पंजाबी किसान को यू.पी. और सी.पी. में खुला हाथ दे दें, तो यह समस्या एकदम हल हो जाती है। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि नैनीताल एक छोटा सा ज़िला है। वहां बाजपुर तहसील में 70 फीसदी ज़मीन अब पंजाब कृषकों के हाथ में है। तो अगर आप पंजाबी कृषकों को जरा खुली छुट्टी दे दें और चीप मनी दे दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक साल के अन्दर देश के लिये न तो गेहूं की प्राबलम रहेगी, न ईख की समस्या रहेगी, न चावल की समस्या रहेगी, न कपास की प्राबलम रहेगी और न पटसन की ही कठिनाई रहेगी।

श्री महावीर त्यागी : और यू.पी. वाले कहां जायेंगे?

चौधरी रणबीर सिंह : यू.पी. वाले तो कुछ करते ही नहीं।

भाग : तीन
पूछे गए प्रश्न

नहीं है, वह तो सरकारी ज़मीन है। इसके बावजूद ओ.टी.आर. (O.T.R.) से एक मामूली डिमाण्ड जिससे कि अनाज और दूसरी चीजों की पैदावार में काफी नुकसान पहुंच रहा है, उसको पूरा करने से इन्कार कर दिया। यह एक दो चीज़ें मैंने आपसे सामने रख दी हैं।

आज सुबह मंत्री महोदय साहब ने कहा था कि किसानों की जो मांग है वह बहुत बेजा मांग है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि चीज़ों के दाम कम होने चाहिये और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसानों को ज़्यादा पैसा देना चाहिये। तो यह दोनों बातें एक दूसरे के विरूद्ध हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई चीज़ पैदा करते हैं तो स्वभाविक एक बात करनी पड़ेगी वह यह है कि जो उत्पादन करने में खर्च होता है, उसी हिसाब रखकर उसको बाजार में रखना होगा। लेकिन अर्थ विभाग के कायदे कानून खेती पर लागू नहीं होते। ऐसा कुछ भाई समझते हैं जो नियम हैं, जो कानून हैं वह सिर्फ़ कारखानों पर ही लागू होते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि जब आप किसी कारखाने की पैदावार को बढ़ाते हैं, उसकी कीमत को भी बढ़ाना पड़ता है तो आप कैसे यह बात मान सकते हैं कि अनाज और कपास की पैदावार देश में उसकी कीमत कम करके बढ़ सकती है। जो किसान ज्यादा दाम मांग रहे हैं वह आपको ज्यादा दिखाई देता है। जैसा कि आपने कहा कि यह कोई किसान का स्वार्थ है, यह गलत बात है। किसानों का इन्ट्रस्ट नहीं है।

एक बात मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं। आपने कहा कि किसानों का हित प्रान्तीय सरकार काफ़ी पैरवी करती है। इसलिए, वह कृषकों से घबराती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह ज़माना दूर नहीं कि इस सदन को भी एग्रकलचरिस्टों से डरना होगा और बगैर उनकी मरज़ी के वह इस सदन के अन्दर नहीं आ सकेंगे। यह देश किसानों का देश है। इस देश की आबादी 75 फीसदी से भी ज्यादा किसानों की आबादी है। आप कहते हैं कि प्रान्तीय सरकार उन पर निर्भर है, सो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि सिर्फ एक साल की बात है, इस बात का पता आप सब लोगों को चल जायेगा।

मैं एक दो बात नियन्त्रण के बारे में भी कहना चाहता हूँ। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिये कि उत्पादक और उपभोक्ता के

दामों में बहुत अन्तर न हो। आजकल हम इस तरह देखते हैं कि अगर प्रोड्यूसर कोई चीज 10 रूपया में तैयार करता है, तो कंज़्यूमर को वह 16 रूपये में मिलती है। मैं कहता हूं कि जो चीज़ 10 रूपया में तैयार होती है, उसे उपभोक्ता को 11 रूपये में मिलना चाहिये। इस तरह का इन्तजाम आप कर सकते हैं, तो सब जनता को फायदा होगा। इसकी एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने देता हूं। पंजाब से जो चना मद्रास को जाता है वह पंजाब से 7 रूपये मन में जाता है और मद्रास में वह 21 रूपया मन जनता को दिया जाता है। यह बहुत खराब बात है इस तरह की बातों को सरकार को दूर करना चाहिये।

प्रो. एन.जी. रंगा : क्योंकि वह रेलवे की अड़चन है। आप परिवहन नहीं दे सकते।

माननीय श्री सन्थानम : हम उन्हें सब सहूलियत देंगे जो वे चाहते हैं

चौधरी रणबीर सिंह : मैं परिवहन मंत्रालय को दावे के साथ कह सकता हूं और मैं उनको गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के सप्लाई आफिसर की चिट्ठी दिखा सकता हूं। इसके बावजूद भी 6 महीने हो गये अभी तक वह तार फार्म में नहीं पहुंची जो कि बहुत ही आवष्यक है।

मैं आपको यह बता रहा था कि कंज़्यूमर से नहीं टकरा कर भी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप जरा दिल और गुरदे के साथ चलें और कोशिश करना चाहें तो मैंने आपको बताया कि आप काफी कर सकते हैं।

दूसरी चीज़ सस्ती दर मुद्रा के बारे में है। आपने एक औद्योगिक वित्त निगम बनाया है, इसलिए कि उद्योग बढ़ सकें। मुझे दुःख है कि हमारे वित्त मंत्री साहब चले गये। पिछले दफ़ा जब बजट पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर कपास ज्यादा पैदा हो तो आप एक कृषि वित्त निगम पैदा कीजिये। आप उस वक्त तक ज़्यादा कपास पैदा नहीं कर सकते, जब तक कि आप देश के उन हिस्सों की जमीनों को जो कि बेकार जमीन हैं, न तुड़वावें। और वह उस वक्त तक नहीं टूट सकतीं जब तक कि आप ट्रैक्टर्स देश में

'रोहतक और दिल्ली के बीच शटल गाडी' [2]

992. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रेलवे मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रोहतक एवम् दिल्ली के मध्य 1 सितम्बर 1947 से पूर्व एक सवारी गाड़ी चलती थी।

(ब) क्या यह भी सत्य है कि यह सवारी गाड़ी क्षेत्री में गड़बड़ी के कारण निलम्बित कर दी गयी थी।

(स) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का उसे पुनः चलाने का प्रस्ताव है। यदि नहीं तो, क्यों नही?

सम्मानीय डॉ. जॉन मथाई –

(अ) हाँ।

(ब) हाँ।

(स) 20 मार्च 1948 को एक स्थानीय रेलगाड़ी रोहतक और दिल्ली के बीच पुनः चालू कर दी गयी है।

2 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 19 मार्च, 1948, पृष्ठ 2436

गुड के लिए यातायात सुविधा [3]

993. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रेलवे मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का बोध है कि दिल्ली प्रांत के बाजारों और अम्बाला उपखंड विशेषतः रोहतक मण्डी में उपलब्ध गुड़ की बहुत बड़ी खेप के लिए रेलवे पर यातायात सुविधा की जरूरत है?

(ब) क्या यह सत्य है कि दिल्ली प्रांत तथा अम्बाला उपखंड की मण्डी से गुड की ढुलाई को बम्बई, बड़ोदा व मध्य भारत के स्टेशनों के लिए बंद कर दिया गया है?

(स) क्या यह भी सत्य है कि इन (अ) में वर्णित उत्पादित गुड़ की बहुत बड़ी मात्रा बम्बई, बड़ौदा तथा मध्य भारत के स्टेशनों पर भेजी जाती थी?

(ड़) यदि ऐसा है तो क्या सरकार के पास पूर्वी पंजाब के रेलवे स्टेशनों से बम्बई, बड़ौदा तथा मध्य रेलवे लाइन पर राजपूताना के स्टेशनों तक गुड़ के यातायात के लिए विशेष सुविधा देने का प्रस्ताव है?

सम्मानीय डॉ. जॉन मथाई –

'अ' तथा 'ब', हाँ।

मुख्यतः क्योंकि बी.बी. तथा सी.आई. स्टेशनों पर आवागमन की आवश्यकता है, जिस पर बुकिंग अभी काफी सीमित है।

3 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2651

'लावारिस शवों का इरविन अस्पताल, दिल्ली से निपटारा' [1]

903. चौधरी रणबीर सिंह : क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे –

अ. इरविन अस्पताल में हिन्दू और मुस्लिम रोगियों के लावारिस शवों का निपटारा किस तरह किया गया है; तथा

ब. हिन्दू रोगियों के लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए, यदि लकड़ियाँ प्रदान की गयी थी तो उसकी मात्रा कितनी थी?

माननीया राजकुमारी अमृत कौर :

अ. एक हिन्दू लावारिस शव पुलिस द्वारा 'इन्द्रप्रस्थ सेवक मण्डली' दिल्ली को दिया गया। एक लावारिस मुस्लिम का शव 'मैय्यत–उल–इस्लाम–अंजुमन' दिल्ली को दिया गया। ये दोनों संस्थाएँ शव का अन्तिम संस्कार या दफन करने का कार्य करने के पश्चात् उसका बिल नयी दिल्ली, नगर परिषद् को भेज देती हैं और नगर–परिषद् उस बिल का भुगतान सम्बन्धित संस्था को भेज देती हैं।

ब. प्रश्न नहीं बनता।

1 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2651

ई.पी. रेलवे स्टेशनों से बी.बी. और सी.आई. रेलवे तक खाद्य मंत्रालय ने गुड़ की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि अब इन निश्चित क्षेत्रों से अतिरिक्त रेलगाड़ियों के आवागमन के संचालन के लिए खाद्य मंत्रालय विचार कर रहा है।

पूर्वी पंजाब मण्डल के डाक तार विभाग में क्लर्कों की भर्ती[4]

994. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पंजाब तथा उत्तर–पश्चिम सीमान्त मण्डल में डाक एवं तार विभाग के क्लर्कों की भर्ती हेतु अन्तिम प्रतियोगी परीक्षा 1943 में आयोजित की गयी थी?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि क्लर्क नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं सफल व्यक्तियों की सूची बनाई गयी थी जो प्रतियोगी परीक्षा में पास हुए थे?

(स) यदि यह भी तथ्य है कि नियमानुसार विभाग के रिक्त स्थानों को उन्हीं अभ्यार्थियों द्वारा भरा जाना था जो अनुमोदित सूची में थे?

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से रिक्त स्थान स्थाई तौर पर उन अभ्यार्थियों द्वारा भर दिए गये जिन्होंने न तो प्रतियोगी परीक्षा पास की और न ही वे पूर्वी पंजाब क्षेत्र के लिए बनाई गयी अनुमोदित सूची में थे?

(इ) यदि 'स' और 'ड़' भाग का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार उन व्यक्तियों पर पुनः विचार करेगी, जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है?

4 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2652

माननीय रफ़ी अहमद किदवई :–

(अ) हाँ।

(ब) और (स) 1941 के बाद नहीं।

(ड़) नहीं।

(इ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों हेतु मिल निर्मित कपडे की वर्दी के स्थान पर खादी के कपडे से बनी वर्दी का योग[5]

1021 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को पूर्वी पंजाब रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप और रंग की मिल निर्मित कपड़े के स्थान पर शुद्ध खादी की वर्दी पहनने की अनुमति सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है?

(ब) यदि ऐसा है तो क्या उन्हें खादी की वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है?
यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. जॉन मथाई :–

(अ) पूर्वी पंजाब रेलवे कर्मचारियों का ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

5 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2670–71

आकाशवाणी दिल्ली से भद्दे एवं अश्लील गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध [6]

1097 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि 14 मार्च 1948 को दिल्ली प्रांत के गढ़ी गाँव में देहाती राजनीतिक सभा हुई थी?

(ब) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उस सभा में यह प्रस्ताव पास किय गया था कि माननीय मंत्री महोदय एक आदेश पास करें कि आकाशवाणी दिल्ली से देहाती कार्यक्रम के दौरान अश्लील एवं असभ्य/अशिष्ट गीतों का प्रसारण बंद किया जाये?

(स) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू : –

(अ) हाँ।

(ब) नहीं।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

6 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2815

निमराणा के स्वामित्व का पूर्वी पंजाब में विलय [7]

1112. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) क्या माननीय राज्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि निमराणा के प्रधान ने राजपुताना के स्वामित्व को पूर्वी पंजाब में विलय करने की इच्छा जाहिर की है?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि प्रजा पंचायत, रियासत की चुनी हुई संस्था ने भी पूर्वी पंजाब में विलय की इच्छा व्यक्त की है?

(स) क्या यह भी सत्य है कि निमराणा रियासत की सारी जनता ने ही पूर्वी पंजाब में विलय की इच्छा जाहिर की है?

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि रियासत का क्षेत्र गुड़गाँव जिले के निकटवर्ती है?

(च) यदि अ, अ, स, ड़ के उत्तर हाँ में है, तो क्या सरकार इस रियासत का पूर्वी पंजाब क्षेत्र में विलय करने के लिए तैयार है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू –

(अ) से (स) – भारत सरकार के पास इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं है।

(ड़) हाँ।

(च) नहीं महोदय, निमराणा की रियासत अलवर राज्य का एक अटूट हिस्सा है जो मत्स्य संगठन से जुड़ गया है।

7 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 2821

पाकिस्तान के साथ गुड का व्यापार [8]

1174 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी 1948 के दौरान पाकिस्तान को कितना गुड़ निर्यात किया गया?

(ब) यदि निर्यात किया गया है, तो सरकार भारत एवम् पाकिस्तान के बीच गुड़ के व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय श्री जयरामदास दौलतराम –

(अ) दिसम्बर 1947 में पाकिस्तान को चीनी एवम् गुड़ का निर्यात रोक दिया गया था तद्नुरूप इन वस्तुओं को अप्रतिबन्धित करने हेतु माह जनवरी तथा फरवरी 1948 में पाकिस्तान को गुड़ नहीं भेजा गया।

(ब) जनवरी 1948 में जब पाकिस्तान से खाद्य जत्था दिल्ली आया था तो गुड़ के बारे में पूछा था और उन्हें 10,000 टन गुड़ की मात्रा का तदर्थ कोटा प्रदान किया गया था। किन्तु, कोई निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं थी और निर्यात के लिए यह मात्रा अब भी उपलब्ध है।

भारत के व्यापारियों ने सरकार से पाकिस्तान को गुड़ निर्यात सम्बन्धी जानकारी मांगी है। सरकार उन्हें 10,000 टन गुड़ के निर्यात का अनुमति पत्र जारी करने की इच्छुक है।

यह ज्ञात है कि पाकिस्तान में गुड़ का आयात प्रतिबन्धित है, इसलिए, गुड़ के निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें पाकिस्तानी सरकार से गुड़ आयात करने के अनुमति पत्र उपलब्ध हो सकें। यद्यपि सरकार द्वारा सुनिश्चित मूल समझौता 31 मार्च। 1948 को समाप्त हो रहा है, किन्तु सरकार 10,000 टन गुड़ के कोटे का निर्यात जारी रखने की इच्छा रखती है।

आज गुड़ के उत्पादक क्षेत्रों में गुड़ के भाव में गिरावट का कारण आवागमन के साधनों की समस्या है तथा पाकिस्तान को गुड़ निर्यात करना इस समस्या का समाधान नहीं है, देश में गुड़ की अधिकता नहीं है।

8 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृश्ठ 2921

फरीदकोट तथा नाभा प्रान्तों की जनता की समानान्तर सरकार [9]

1229 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फरीदकोट तथा नाभा प्रान्त में वर्तमान सत्ता के विरूद्ध लड़ने हेतु एक समानान्तर सरकार चलाई जा रही है?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों प्रान्तों में जनता की सरकार ने काफी बड़े भू–भाग पर कब्जा करके राज्य सरकार के कर्मचारियों को बंदी बना लिया है?

(स) क्या यह भी सत्य है कि यहाँ राज्य पुलिस द्वारा लाठी चार्ज़ की सूचना मिली है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक दुर्घटनाएँ हुई व सैकड़ों घायल हुए?

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि इन प्रान्तों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी खतरा है?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) तथा (ब) राज्य कांग्रेस ने इन दोनों प्रान्तो में जवाबदेह सरकार की स्थापना हेतु सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था। सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ समानान्तर सरकार की स्थापना की गयी थी किन्तु, राज्य सरकार की मध्यस्थता से आन्दोलन स्थगित हो गया तथा राज्य सरकार ने 'प्रजा मण्डल' के नेताओं तथा कुछ पदाधिकारियों को मुक्त कर दिया, जिन पर राज्य सरकार को शक था कि वे प्रजा मण्डल आन्दोलन से सहानुभूति रखते थे।

(स) फरीदकोट में लाठी चार्ज़ की सूचना है, जहाँ कुछ लोग घायल हुए हैं। किन्तु, सरकार के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि नाभा प्रान्त में भी सरकार द्वारा लाठी चार्ज़ करवाया गया।

(ड़) माननीय राज्य मन्त्री तथा अखिल भारतीय राज्य प्रजा समिति के अध्यक्ष के अनुरोध पर आन्दोलन स्थगित कर दिया गया तथा सूचना के अनुसार कानून व्यवस्था पर कोई खतरा नहीं है।

(द) प्रश्न नहीं उठता।

[9] संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 3137

पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज का फाडा जाना तथा जलाया जाना [10]

1230 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि, क्या यह तथ्य है कि 29 फरवरी 1948 को भारतीय संघ का ध्वज टुकड़ों में फाड़कर पटियाला में जलाया गया था?

(ब) यदि ऐसा था तो क्या भारत सरकार उस प्रान्त की सरकार से उन लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखेगी, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) तथा (ब) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

10 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 3137

भरतपुर राज्य के जाट किसानों द्वारा विरोध [11]

1231 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च 1948 के 'स्टेटसमेन' अखबार में मत्स्य राज्य के शुभारम्भ उत्सव समारोह के अवसर पर भरतपुर में हुए किसान मुख्यतः जाटों के विरोध प्रदर्शन की खबर पर गया है, जिसमें उनके प्रतिनिधियों की केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात उठायी गई है।

(ब) यदि ऐसा है तो, इस संदर्भ में सरकार क्या कदम उठा रही है?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) हाँ।

(ब) यह मामला राज्य प्रमुख तथा मत्स्य संघ के अंतरिम मंत्रीमंडल को सुनिश्चित करना है।

11. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 29 मार्च, 1948, पृष्ठ 3137

गुड के गिरते भाव तथा कृषि व्यवस्था पर इसका प्रभाव [12]

365 चौधरी रणबीर सिंह : क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि –

(अ) क्या यह तथ्य है कि गुड़ के भाव 24 रू. प्रति मन से 8 रू. प्रति मन तक गिर गये हैं तथा

(ब) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार गुड़ के भावों को नियन्त्रित करने के लिए कदम उठा रही है, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था में कोई समस्या खड़ी न हो?

माननीय जयरामदास दौलतराम :

(अ) माननीय सदस्य ने किसी क्षेत्र विशेष तथा समय विशेष का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें मूल्यों में गिरावट आई। मेरे विचार से उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जहाँ गुड़ एवं चीनी के भाव नियंत्रण न होने की वजह से एकदम गिरते चले गये। उत्तर प्रदेश में सितम्बर 1947 में गुड़ के बाज़ार भाव लगभग 20 रू. प्रति मन थे, तो अभियंत्रण के समय यानि 1 दिसम्बर 1947 को मुजफ्फरनगर में नियंत्रित मूल्य 14–4–0 प्रति मन के विरूद्ध बाज़ार भाव 15–12–0 रू. था, जबकि 6 फरवरी 1948 को उसी बाज़ार में गुड़ का बाज़ार भाव 8–8–0 से 9–4–0 रू. प्रति मन था। गुड़ के बाज़ार भाव अन्य प्रदेशों में विशेष तौर पर मद्रास एवं कोल्हापुर में भी गिरे थे। यद्यपि वह गिरावट अधिक नहीं थी। मद्रास में यह गिरावट 15 रू. से दस रू. प्रति मन तथा बम्बई में यह गिरावट 20 रू. से 15 रू. प्रति मन थी।

(ब) उत्तर प्रदेश में गुड़ के भावों में इतनी बड़ी गिरावट का कारण यातायात के साधनों की कमी का होना था। सरकार अधिक से अधिक यातायात के साधनों की तलाश कर रही है। सरकार की यह दृढ इच्छा है कि गुड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा हो। पुनः नियंत्रण को लागू करने के लिए सरकार अन्य साधनों का उपयोग करने पर विचार करेगी, जिससे गुड़ उद्योग की मदद की जा सके।

12 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 20 फरवरी , 1948, पृष्ठ 992–93

असहयोग आंदोलन में प्रतिभागी रक्षा सेनानियों का पेंशन का अधिकार [13]

412 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि क्या यह सत्य है कि जिन रक्षा कर्मियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा के तहत जेलों में ठूस दिया गया था और तब से उन रक्षाकर्मियों को कोई पेंशन नहीं दी गयी है?

(ब) यदि ऐसा है तो क्या सरकार परिवर्तित परिस्थितियों में उनकी स्थिति पर पुनर्विचार करेगी?

माननीय सरदार बलदेव सिंह :

(अ) हाँ।

(ब) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

13 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 20 फरवरी , 1948, पृष्ठ 1072

कुंओं के गिरते जल स्तर के लिए पूर्वी पंजाब को अनुदान [14]

444. चौधरी रणबीर सिंह : क्या माननीय कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि:–

(अ) सूखते कुँओं के संदर्भ में वर्ष 1947–48 पूर्वी पंजाब को कितना अनुदान दिया गया।

(ब) उस अनुदान राशि में से इस उद्देश्य के लिए कितना खर्च हुआ?

(स) क्या यह सत्य है कि उपद्रवों तथा विभाजन के कारण इस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया? तथा

(ड़) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार उक्त राशि को वर्ष 1948–49 के निर्धारित बजट में शामिल करेगी तथा वर्ष 1948–49 के बजट प्रारूप में प्रस्ताव लेकर आयेगी?

माननीय जयरामदास दौलतराम :

(अ), (ब) तथा (स) वर्ष 1947–48 में विभाजन से पूर्व पंजाब सरकार को सूखते हुए कुंओं को बचाने के लिए 50 लाख रूपये का अनुदान दिया गया था। इस मद पर पूर्वी पंजाब में कितनी राशि खर्च हुई, इसके संदर्भ में जानकारी नहीं है। विभाजन एवं उपद्रवों ने निश्चित तौर पर इस योजना

14 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 24 फरवरी , 1948, पृष्ठ 1148

जींद राज्य का पूर्वी पंजाब में विलय[15]

722. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जींद की राज्य कांग्रेस ने जींद राज्य का विलय पूर्वी पंजाब प्रांत में करने की मांग रखी है?

(ब) यदि ऐसा है तो, इस संदर्भ में सरकार के पास क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) तथा (ब) हाँ, हाँ, यह प्रश्न पूर्वी पंजाब के निर्माण तथा भविष्य की सामान्य योजना के तहत विचारार्थ है।

---

15 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 12 मार्च , 1948, पृष्ठ 1976

को प्रभावित किया है। विभाजन के पश्चात् पूर्वी पंजाब की सरकार से कहा गया था कि वह राज्य की पुनर्योजना भेजें, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं भेजी गयी हैं।

(ड़) यदि पूर्वी पंजाब सरकार, स्थगन की क्षतिपूर्ति के प्रभाव स्वरूप 1948–49 के दौरान, सूखते कुँओं को बचाने की योजना लागू करती है तो भारत सरकार अपने स्तर पर, पूर्वी पंजाब के लिए निर्धारित बची हुई राशि को शामिल करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु तैयार होगी।

भरतपुर के सीमावर्ती गांवों पर गुडगांव की सीमाओं से धावा[16]

788 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गुड़गाँव जिले के समीपवर्ती गांवों में रहने वाले मेव, भरतपुर राज्य के सीमावर्ती गाँवों के लोगों पर कई बार आक्रमण कर चुके हैं?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि वे कई बार भरतपुर राज्य के ग्रामीणें के पालतु पशुओं को ले जाते हैं?

(स) क्या यह भी सत्य है कि भरतपुर राज्य के सीमावर्ती ग्रामीणों को, उनके लाइसेंसी हथियारों से भी प्रशासन द्वारा वंचित कर दिया गया।?

(ड़) यदि ऐसा है तो, सरकार भरतपुर राज्य के सीमावर्ती ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखेगी?

माननीय सरदार बलदेव सिंह :

(अ) हाँ, किन्तु ये आक्रमण पिछले वर्श हुए थे।

(ब) हाँ।

(स) नहीं।

(ड़) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

16 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 16 मार्च , 1948, पृष्ठ 2208

जींद में प्रजा की सरकार[17]

789 चौधरी रणबीर सिंह का प्रश्न :

(अ) क्या माननीय राज्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जींद में एक समानान्तर सरकार बना दी गयी है?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि सामान्य प्रजा की सरकार ने दादरी जिले के बाढ़ड़ा पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है?

(स) क्या यह भी सत्य है कि 184 गाँवों पर सामान्य प्रजा की सरकार द्वारा शासन चलाया जा रहा है और राज्य सरकार राज्य में शांति स्थापना एवम् आदेश पालना में असफल हो गयी है। यदि ऐसा है, तो सरकार राज्य में शांति स्थापना और आदेशों की अनुपालना हेतू क्या कर रही है?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ), (ब) तथा (स) जींद राज्य के दादरी जिले में राज्य प्रशासन के खिलाफ एक विद्रोह था। राज्य सरकार के सुझाव पर जींद राज्य में यह विद्रोह शांत हो गया है और राज्य सरकार ने सभी राज्य कांग्रेसी नेताओं को जिन्हें विद्रोह के सम्बन्ध में बंदी बनाया गया था, मुक्त कर दिया है।

चौ. निहाल सिंह तक्षक : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह तथ्य है कि 25 फरवरी से राज्य के न्यायालयों में कोई भी मुकद्दमा नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्येक गांव में पंचायती राज है?

---

17 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 4, प. 1, 16 मार्च , 1948, पृष्ठ 2209

विदेश मंत्रालय में नियुक्तियाँ [19]

1305 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय प्रधानमंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि – उनके मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय में अधीक्षकों, सहायकों तथा परामर्शदाताओं आदि की नियुक्तियाँ, उनके मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा, बिना उनकी जानकारी के की जाती हैं?

(ब) 1947 से अब तक कुल कितने स्थान उक्त वर्ग में खाली हैं?

(स) क्या सरकार इस संदर्भ में संसद पटल पर एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें उन सभी पदोन्नत व्यक्तियों के नाम, उनके पद तथा वेतन सहित, पदोन्नति से पूर्व उनका वेतन और पदोन्नति के बाद उनके वेतन का ब्यौरा दिया गया हो। विशेषतः विदेशों में नियुक्त व्यक्तियों के संदर्भ में।

(ड) कर्मचारियों के चयन में भाई–भतीजावाद एवम् पक्षपात को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का प्रस्ताव ला रही है?

माननीय जवाहर लाल नेहरू :

(अ) हाँ।

(ब) 53 रिक्त स्थान
अधीक्षक – 45
सहायक – 08

19 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 7 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3370

(स) इस सम्बन्ध में संसद–पटल पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना शब्दशः की गयी है।

माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू :

मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि जींद राज्य में मुकदमेबाजी खत्म हो रही है।

चौधरी रणबीर सिंह :–

महोदय यह तथ्य है कि कुछ प्रजा मण्डली कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा बन्दी बनाया गया था जिन्हें अभी तक भी मुक्त नहीं किया गया है?

माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू :

मैंने अभी–अभी कहा कि जिन्हें बंदी बनाया गया था उन्हें मुक्त कर दिया गया है। अभी कुछ हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य इस संदर्भ में कुछ जानकारी देंगे, तो, हम इस मामले में कार्यवाही करेंगे।

विस्थापितों को बसाने हेतु ग्रामीण (नगरीकरण) भूमि का पुनः अधिग्रहण[18]

788 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय पुनर्वास एवम् सहायता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली के आसपास प्रस्तावित चार उपनगरीय क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रशासन द्वारा, दिल्ली प्रदेश के भू–स्वामियों की भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा?

18 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 7 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3369

जनाना टिबिया कॉलेज दिल्ली के परिसर में होटल [20]

1330 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 'जनाना टिबिया कॉलेज परिसर', दिल्ली में एक होटल शुरू किया गया है?

(ब) यदि ऐसा है तो, सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है?

माननीया राजकुमारी अमृतकौर :

(अ) तथा (ब) टिबिया कॉलेज एक निजी संस्था है। इस संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है, उसकी जांच की जायेगी और जो सूचना प्राप्त होगी उसे कुछ समय में सदन–पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

---

20 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3447

टिबिया कॉलेज ट्रस्ट द्वारा सरकार को कॉलेज अधिग्रहण के लिए अनुरोध [21]

1331. चौधरी रणबीर सिंह :

माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि टिबिया कॉलेज ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टीज़ ने, जिनमें हकीम जामिल खान भी है, सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार टिबिया कॉलेज का प्रशासन संभाल ले?

माननीय सरदार बलदेव सिंह :

ट्रस्ट के कुछ सदस्य माननीय शिक्षा मंत्री के पास इस अनुरोध के साथ आये थे कि सरकार टिबिया कॉलेज का प्रशासनिक दायित्व संभाल ले।

---

21 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3447

जबलपुर में भारतीय सिग्नल कोर के कर्मचारियों को दण्ड [22]

चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय सिगनल कोर बटालियन–2 के कुछ कर्मचारियों ने, जो जबलपुर में कार्यरत थे, 27 फरवरी 1946 को ब्रिटेन राज के विरूद्ध जबलपुर में एक विरोध–प्रदर्शन–मीटिंग में हिस्सा लिया था?

(ब) यह भी सत्य है कि इनमें से कुछ व्यक्तियों को सेना से कार्यमुक्त कर दिया गया और इन्हें युद्ध भत्ते, वेतन तथा प्रतिभूति राशि आदि से वंचित कर दिया गया?

(स) क्या यह भी सत्य है कि उनकी सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र में उन्हें किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी टिप्पणी लिख दी गयी है?

(ड़) यदि ऐसा है तो क्या सरकार भविष्य में उन पर लगे इस प्रतिबन्ध को दूर करेगी और उन्हें उनके देय भत्तों और सेवा भुगतान को देने का आदेश देगी?

माननीय सरदार बलदेव सिंह :

(अ) 27 फरवरी 1946 को जबलपुर में ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध कोई निश्चित विरोध–प्रस्ताव, गोष्ठी नहीं थी। यद्यपि कुछ सिगनल कर्मचारियों द्वारा उनके अपनी सैन्य शिकायतों सम्बन्धी एक बगावत जरूर की गयी थी, जो खाने में कमी, निकृष्ट राशन जैसे, गुड़, आटा, खाना पकाने सम्बन्धी शिकायतें, जरूरत के साधनों की कमी तथा देख–रेख एवम् आवागमन के साधनों की कमी आदि को लेकर यह बगावत की गयी थी।

(ब) इन बागियों में से 17 आदमियों का कोर्ट–मार्शल, 27 को प्रशासनिक तौर पर बरखास्त तथा 62 व्यक्तियों को सेवा–मुक्त कर दिया गया। जो बरखास्त किये गये, उन्हें जुर्माने के रूप में सेवा भुगतान राशि तथा वेतन आदि नहीं दिया गया, जैसा कि प्रायः बरखास्त कर्मचारियों के साथ होता है।

(स) जिन्हें बरखास्त किया गया है, वे सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं। जिनकी सेवानिवृत्ति हुई है, उनका चरित्र साधारण माना जा सकता है।

(ड़) नहीं, महोदय।

---

22 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3464–65

देहली प्रान्त तथा अम्बाला उपखण्ड में गुड़ के न्यूनतम भाव का निर्धारण [23]

1372. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली प्रान्त और पूर्वी पंजाब के अम्बाला उपखण्ड में गुड़ के भाव प्रतिदिन गिर रहे हैं और यह चार रूपये प्रति मन तक नीचे आ गये हैं?

(ब) यदि जानकारी है तो क्या सरकार गुड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी तथा उस मूल्य पर गुड़ खरीदने का आश्वासन देगी जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य दिया जा सके? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय श्री जयरामोदास दौलत राम :

(अ) यह सत्य है कि गुड़ के भाव अम्बाला उपखण्ड के कुछ हिस्सों में नीचे गिर गये हैं, किन्तु यह मूल्य सामान्यतः 9 रूपये मण से नीचे नहीं हैं। कहीं–कहीं छोटे व्यापारियों के सन्दर्भ में तथा विशेष परिस्थितियों में यह और नीचे भी होंगे।

(ब) गुड़ के मूल्यों में गिरावट, जो कुछ गुड़ उत्पादक जिलों में है, वह मुख्यतः गुड़ की खपत वाले क्षेत्रों में आवागमन के साधनों की कमी के चलते हैं, जैसे राजपूताना क्षेत्र। पिछले कुछ हफ्तों में गुड़ के मूल्यों में गिरावट के कारण यह आदेश जारी किये गये हैं कि वहाँ आवागमन के साधन बढ़ाये जायें। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों – अनुपालना से अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा राज्य वितरण प्रणाली उलझ जायेगी और भारी नुकसान के साथ–साथ यह अप्रत्यक्ष रूप से करदाता के ऊपर बोझ भी बढ़ायेगा।

23 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृश्ठ 3550

सचिवालय में राजपत्रित पद–वितरण [24]

1403. चौधरी रणबीर सिंह :

क्या माननीय गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय में राजपत्रित पदों के समान वितरण तथा उन पदों पर सभी प्रान्तों के समान प्रतिनिधित्व के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू :

मैं माननीय सदस्य का ध्यान 31 मार्च 1948 को श्री किशोर मोहन त्रिपाठी द्वारा दिये गये प्रश्न संख्या 1071 के उत्तर की ओर दिलाना चाहूँगा।

24 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3570

दिल्ली प्रान्त में पुलिस की भर्ती [25]

1405 चौधरी रणबीर सिंह :

माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सदन पटल पर निम्नलिखित प्रस्ताव लाएगी –

(अ) 15 अगस्त 1947 के पश्चात् दिल्ली राज्य में, 'दिल्ली पुलिस विभाग' में विभिन्न रैंकों पर कितने स्थान रिक्त हुए,

(ब) दिल्ली प्रान्त से कितने व्यक्तियों की भर्ती की गयी तथा अन्य प्रान्तों से विभिन्न पदों पर कितनी भर्तियां हुई?

(स) दिल्ली प्रान्त के विभिन्न पदों के कितने व्यक्तियों ने इसके लिए आवेदन किया था या अपनी सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की थी?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) तथा (ब) इस संदर्भ में एक सूचना सदन पटल पर रखी जाती है –

(स) सामुहिक भर्ती स्थानों पर/अथवा एकल रूप में अभ्यार्थियों को बुलाया गया और उनका साक्षात्कार लिया गया और उनकी शारीरिक योग्यता के आधार पर उनका चयन किया गया। साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए व्यक्तियों का कोई ब्यौरा नहीं रखा गया।

25 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3571

कृषि उत्पादकों के उत्पादन का लागत मूल्य[2]

239.चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्तमान में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसी कोई संस्था है जो विभिन्न राज्यों तथा सूबों में विभिन्न कृषि उत्पादों के लागत मूल्य के बारे में खोज करती हो?

(ब) इसका उत्तर हाँ में है तो – (अ) क्या सरकार इस संदर्भ में एक दस्तावेज़ सदन–पटल पर प्रस्तुत करेगी, जिसमें विभिन्न प्रदेशों में गेहूँ, गुड़, चावल आदि के लागत मूल्य की जानकारी हो?

(स) उपर्युक्त का उत्तर नहीं में है, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र किसी ऐसी संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव रखती है जो कृषि उत्पादों के लागू मूल्यों की जानकारी रख सकें?

माननीय श्री जयरामदास दौलत राम :

(अ) भारत सरकार के पास अब तक कोई ऐसी विशेष संस्था नहीं है, जो कृषि लागत मूल्यों की जानकारी देने का कार्य करती हो। 1933–36 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में मुख्यतः गन्ना तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में लागत मूल्य सम्बन्धी जानकारी ली गयी थी। वर्तमान में केन्द्रीय भारतीय जूट परिषद् जूट उत्पादन में कुछ अनुसंधान कर रही है। राज्यों के संदर्भ में यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार कृषि लागत मूल्यों तथा कृषकों के जीवन जीने के खर्च सम्बन्धी जानकारी लेने की योजना बना रही है।

(ब) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि उत्पाद मूल्यों पर प्राप्त रिपोर्ट दो अंकों (भाग–1 तथा भाग–2 पंजाब पर) को सदन–पटल पर रखा गया है। बाकी 16 भाग सदन के पुस्तकालय में रखे गये हैं। 1947 में संयुक्त बंगाल में जूट और धान पर कुल उत्पादन खर्च का ब्यौरा सदन–पटल पर रखा गया है।

(स) कृषि, वानिकी, तथा मत्स्य पर नीति–समिति की, मूल्य उपसमिति की अनुशंसा की अनुपालना के प्रभाव स्वरूप फसलों के उत्पादन मूल्यों में विस्तृत तथा निरंतर जाँच पड़ताल तथा कृषि उत्पादकों के जीवन–लागत मूल्य की योजना बनाई जानी चाहिए और उसकी अनुपालना होनी चाहिए। फसलों के लागत मूल्यों को लेकर जाँच–परख सम्बन्धी एक योजना बनाई गई है और उसे प्रान्तों को भेजा गया है। प्रान्तीय सरकारों को राजी किया गया है कि वे ऐसी जाँच–पड़ताल अपनी अगुवाई में करवाएँ।

2 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 16 अगस्त , 1948, पृष्ठ 286

वक्तव्य (II)

		एस.पी.	डी.एस.पी.	इन्सपेक्टर	सिपाही	एस.आई.	ए.एस.आई.	एच.सी.	एफ.सी.
क.	*15.08.1947 के बाद रिक्तियां*	*3*	*11*	*17*	*6*	*77*	*107*	*302*	*2458*
ख.	*भर्ती की गई*								
	एन.डब्लू.एफ. प्रान्त	1	1	6	....	31	40	130	261
	सिन्ध	....	....	1	....	13	13	80	155
	क्यूटा ब्लूचिस्तान	....	....	3	....	7	....	15	17
	पश्चिमी पंजाब	....	....	....	....	9	10	36	435
	पश्चिमी पंजाब राज्य	....	....	....	....	....	4	6	16
	यू.पी. एवं सी.पी.	....	....	....	....	....	1	....	163
	पूर्वी पंजाब	....	....	....	....	....	3	7	585
	दिल्ली	....	....	....	....	....	4	1	430
	अन्य राज्य आदि	....	....	....	....	....	....	10	232
	कुल	**1**	**1**	**10**	**....**	**60**	**75**	**291**	**2294**
	स्थानान्तरण से	1	8	....	....	9	9	....	....
	एक रैंक से दूसरे रैंक द्वारा पदोन्नति से भर्ती	1	2	7	....	5	7	10	....
	कुल	**2**	**10**	**7**	**....**	**14**	**16**	**10**	**....**

महाराजा फरीदकोट द्वारा प्रसारण केन्द्र स्थापित करना[1]

1406 चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय राज्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जानकारी है कि मजाराजा फरीदकोट ने अपना निजी प्रसारण केन्द्र अपने महल में स्थापित कर लिया है?

(ब) यदि ऐसा है तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है?

माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू :

(अ) तथा (ब) भारत सरकार ने सूचना दी है कि एक राज्य में प्रसारक स्थापित किया गया है, किन्तु इस स्थिति के बारे में मुझे सूचना नहीं है। इसकी जांच की जा रही है, जांच का जो निष्कर्ष होगा तद्नुरूप इस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

1 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 9 अप्रेल , 1948, पृष्ठ 3571

कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति [3]

240. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा कृषि मजदूरों तथा किसानों के कल्याण हेतु किसी कल्याण–अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिससे इनकी सामान्य स्थिति को ऊपर जा सके?

(ब) यदि उपर्युक्त का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या सरकार भविष्य में किसान कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव ला रही है?

माननीय श्री जयरामदास दौलत राम :

यह प्रश्न माननीय श्रम मंत्री से किया जाना चाहिए था। इसलिए यह प्रश्न उन प्रश्नों में हस्तान्तरित कर दिया गया है जो प्रश्न 20 अगस्त 1948 को पूछे जाने हैं। इसका जवाब माननीय श्रम मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

3 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 16 अगस्त , 1948, पृष्ठ 287

विवरण

भारतीय केन्द्रिय जज समिति
बंगाल के जूट उत्पादन क्षेत्रों का विवरण – 1947
जूट तथा धान के उत्पादन में औसत लागत*

केन्द्र	जूट	धान			
		औंस अमन	*अमन अमन*	*औंस–*	*बोरो–*
हाजीपुर	21–11	17.15	12–3	–––	–––
नारायणपुर	16–11	8–14	–––	8–11	–––
मिर्ज़ापुर	22–6	–––	5–14	5–9	5–7
किशोरगंज	15–12	11–3	–––	–––	–––
शिरखारा	14–11	–––	14.9	11–5	–––
सभी केन्द्र	17–9	–––	–––	–––	–––

**लागत रुपये में प्रति मण के हिसाब से।*

कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति [5]

380. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि मज़दूरों, श्रमिकों तथा किसानों की सामान्य स्थिति के सुधार हेतु सरकार द्वारा कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है?

(ब) यदि (अ) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार निकट भविष्य में कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी?

माननीय श्री जगजीवन राम :

(अ) नहीं, (ब) नहीं। सरकार इस संदर्भ में एक जांच समिति बैठा रही है, जो कृषि मज़दूरों को दी जाने वाली मज़दूरी तथा उनकी आमदनी कार्य की निरन्तरता और उनके कार्य व रहने की परिस्थितियों को सुधारने हेतु उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करेगी। यह समिति इस बात के लिए आंकड़े उपलब्ध करवायेगी कि न्यूनतम मज़दूरी कानून के तहत न्यूनतम कितनी निश्चित की जायें।

5 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 16 अगस्त , 1948, पृष्ठ 405

किसानों को अध्ययन हेतु अमेरिका तथा जापान भेजना [4]

241. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई किसान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान भेजा गया है जिससे किसान उन राष्ट्रों में खेती के तरीकों का अध्ययन कर सकें तथा अपने निजी फार्म विकसित कर सकें।

(ब) यदि खण्ड (अ) का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या सरकार कुछ कृषकों को विदेशी राष्ट्रों में वहाँ की कृषि सम्बन्धी उन्नति का अध्ययन करने हेतु भेजेगी?

माननीय जयराम दास दौलतराम का जवाब :

नहीं, इस सलाह पर विचार किया जायेगा।

4 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 16 अगस्त , 1948, पृष्ठ 287

मजदूरी कितनी निश्चित की जायें [6]

492. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय प्रधानमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि
अ) फारस में कुल कितने भारती हैं,
ब) उस देश में उन भारतीयों की जान–माल तथा हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तथा
स) जो भारत वापिस लौटना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू :

(अ) उस समय फारस में रहने वाले भारतीयों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। 1931 की जनगणना के अनुसार 55 भारतीयों द्वारा फारस में प्रवास किया गया तो 1937–45 के आंकड़ों के अनुसाार 47 लोग वापस लौटे तथा 18 लोग गये। इस बात की जानकारी नहीं है कि इनमें से कितने लोग पाकिस्तान के थे और कितने भारत के।

(ब) और (स) फारस में भारतीयों को सुरक्षा–संरक्षण प्रदान करने का जिम्मा वहाँ के प्रशासन का है। भारत सरकार के पास इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं है कि फारस में भारतीयों को कोई खतरा है और न ही इस बारे में कोई विशेष अर्जी मिली है। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता है, तो वह स्वतंत्र है, भारत सरकार अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करेगी।

6 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 25 अगस्त , 1948, पृष्ठ 542–43

पानीपत–रोहतक रेलवे लाइन का जीर्णोद्धार [7]

556. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानीपत से रोहतक के बीच रेल लाइन को 1941 में युद्ध की परिस्थितियों के कारण विखण्डित कर दिया गया था?

(ब) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोहाना से होते हुए पानीपत–रोहतक को जोड़ने वाला कोई पक्का रास्ता नहीं है?

(स) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोहाना और मुण्डलाना की अनाज मंडियाँ आवागमन के साधनों के अभाव में बेकार हैं?

(ड़) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस रेल लाइन के आस–पास रहने वाले किसान सड़क तथा रेल यातायात के अभाव में अपने उत्पाद को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं?

(इ) यदि ऐसी स्थिति है, तो क्या सरकार गोहाना से होते हुए पानीपत–रोहतक रेलवे लाइन को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव लायेगी? यदि 'नहीं' तो क्यों नहीं?

7 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 25 अगस्त , 1948, पृष्ठ 543

माननीय डॉ. जॉन मथाई :

(अ) हाँ।

(ब) रोहतक तथा गोहाना के बीच एक पक्की सड़क है तथा संपूर्ण सड़क प्रान्तीय/राज्य हाइवे के रुप में वर्गीकृत है।

(स) जहाँ तक सरकार को जानकारी है गोहाना तथा मुण्डलाना की मंडियाँ तब से क्रियान्वित हैं, जब रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया है।

(ड़) इस मुद्दे पर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(इ) यह लाईन निर्माण की शुरुआत से ही निरन्तर घाटे में चल रही थी। इसके जीर्णोद्धार का प्रश्न/मुद्दा केन्द्रीय यातायात बोर्ड की बारहवीं (12वीं) मीटिंग में उठाया गया था, जो 29 जुलाई 1948 को हुई थी। उसमें यह निश्चय किया गया था कि इसका पूरा प्रारुप विभाजन तथा ओद्योगिक एवम् अन्य विकास के मद्देनज़र तैयार किया जायेगा। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि यातायात के लिए नया सर्वेक्षण किया जाये। इस लाइन के जीर्णोद्धार का प्रश्न यातायात सर्वेक्षण होने के बाद ही किया जायेगा।

दिल्ली के पास नयी शिक्षण संस्थाओं हेतु भूमि–अधिग्रहण/अर्जन [8]

662. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजपुर छावनी, मलिकपुर तथा आजादपुर गाव की लगभग 550 एकड़ भूमि का नयी शिक्षण संस्थाएं विकसित करने हेतु अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है?

(ब) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने यह निर्णय किया था कि दिल्ली के आस–पास नयी शिक्षण संस्थाएँ विकसति नहीं होंगी?

(स) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार इस संदर्भ में उक्त गांवों की भूमि अधिग्रहण नहीं करने सम्बनधी हिदायतें जारी करेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद :

(अ) हाँ, सरकार लगभग 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थाओं के लिए कर रही है।

(ब) नहीं।

(स) प्रश्न नहीं बनता।

8 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 25 अगस्त , 1948, पृष्ठ 542–43

पाकिस्तान द्वारा जोधपुर राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में आक्रमण/धावा [9]

चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछल 15 दिनों में पाकिस्तान के सीमावर्ती गाँव छिरहुरी, तहसील बिलारा, भादवास तहसील मेड़ता तथा गाँव देरास की कुछ ढ़ाणियों में दो किसानों की हत्या कर दी गयी है तथा 9 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया है तथा लूट एवम् घरों को जलाने की घटनाएँ हुई हैं?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल :

(अ) प्रश्न से बोध होता है कि इन घटनाओं की प्रकृति सीमावर्ती आक्रमणों से सम्बन्धित है। ऐसा नहीं है, जोधपुर सरकार ने भारत सरकार को सूचना दी थी कि सात फरवरी को छिरहुरी गाँव के चरवाहों ने अपनी ढ़ाणियों में आग लगा दी थी। यह किसी निजी रोश का परिणाम था। जोधपुर पुलिस अब तक हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब रही है, यद्यपि उनकी तलाश जारी है। कोई चोरी अथवा लूट की वारदात नहीं हुई है। दोषी राईकास गाँव की कोई सम्पत्ति नहीं ले गये थे। 8 फरवरी को भद्‌वाज गाँव के 15 घरों में डाका पड़ा था। डाके की सूचना जोधपुर पुलिस को डाके के 24 घण्टे बाद मिली और यह शक किया जा रहा है कि बिकानेर तथा मारवाड़ क्षेत्र के असामाजिक तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोषियों को पकड़ने हेतु विशेष पुलिस दस्ते गठित किये गये हैं।

तीसरी घटना के संदर्भ में पुलिस से यह जानकारी मिली है कि हथियारों से लैस 6 डाकू किसी गांव की ढ़ाणी को लूट रहे थे, किन्तु पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि बात को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया गया था। यह लूट की घटना नहीं थी। बल्कि, यह दो गुटों की आपसी रंजिश का दुष्परिणाम था।

(ब) प्रश्न नहीं बनता।

9 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 17 फरवरी, 1949, पृष्ठ 807

रोहतक तथा दिल्ली में चने के भाव में अन्तर [10]

650. चौधरी रणबीर सिंह और ज्ञानी गुरूमुख सिंह मुसाफिर :

(अ) माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोहतक मंडी में चना 8 रुपये मण के भाव से बिक रहा है।

(ब) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में यह ग्राहक को 14 रुपये प्रति मण के भाव पर बेचा जा रहा है?

यदि भाग (अ) तथा (ब) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार चने के भाव में इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय श्री जयरामदास दौलत राम :

(अ) तथा (ब) हाँ, रोहतक तथा दिल्ली के बाज़ार में चने के भावों में अन्तर है।

(ख) चना अब दिल्ली में राषन का हिस्सा है तथा यह 10 रूपये से आठ रुपये प्रति मण के हिसाब से खुरदरे मूल्य पर बेचा जाता है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ राशनीकरण नहीं है, वहाँ भी सहायतानुदान दुकानों के माध्यम से चुना दिया जाता है। यह निर्णय किया गया है कि चने सहित सभी अनाज़ों के मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए और दिल्ली में उसके आयात पर भी रोक लगे। मैं आशा करता हूँ कि ये कदम निष्चित तौर पर दिल्ली में चने के भावों को नियंत्रित करेंगे।

10.संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 17 फरवरी, 1949, पृष्ठ 999–1000

रोहतक जिले के गाँवों के लिए डाकघर [11]

747. चौधरी रणबीर सिंह :

माननीय संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

(अ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी पंजाब के, रोहतक जिले के, गाँव बलियाणा तथा बिधलान, (तहसील रोहतक) जगसी और शामड़ी (तहसील गोहाना) तथा पुरखास (तहसील सोनीपत) के गाँवों में डाकघर नहीं है?

(ब) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से प्रत्येक गाँव की जनसंख्या लगभग 4000 है?

(स) यदि उपर्युक्त (अ) तथा (ब) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इनमें से प्रत्येक गाँव में डाकघर प्रारंभ करेगी यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय श्री खुशैद लाल : उप–संचार मंत्री

(अ) वर्तमान में, इन गाँवों में से किसी में भी डाक–घर मौजूद नहीं है

(ब) नहीं, इनमें से प्रत्येक गाँव की जनसंख्या का ब्यौरा सदन–पटल पर प्रस्तुत है।

11 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 28 फरवरी, 1949, पृष्ठ 1093

(अ) उपलब्ध बीज गोदामों में संरचना सम्बन्धी विकास –

(ब) गोदाम रक्षकों/पालों को कीड़ों तथा चूहों से बीजों को सुरक्षित एवं साफ–सुथरा रखने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण

(स) ग्रामीणों तथा कृषि मजदूरों के फायदे के लिए पौधों के संरक्षण कोर्स के साथ भंडारण कोर्स करवाये जा रहे हैं।

(ड़) मोटे खाद्य अनाज को विशेषतः गेहूँ तथा ज्वार का फफूंदनाशक से उपचार करना, जिससे वे रोगमुक्त हों तथा उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ सके। 1948–49 के मध्य अजमेर तथा मारवाड़ा क्षेत्र में लगभग 8000 मण गेहूँ तथा ज्वार के बीजों का उपचार करके कृषकों को बाँटा गया है। दिल्ली में रबी की फसल के पहले लगभग 4000 मण गेहूँ के बीज का उपचार किया गया।

(इ) कृषि अधिकारियों को बीज–भंडारण–गृह के गोदाम वालों को जानकारी देने हेतु जरुरी निर्देश दे दिये हैं।

इस संदर्भ में कुछ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में केन्द्रीय सरकार के पौधा–संरक्षण निदेशालय की मदद से कार्य कर रही हैं।

पूर्वी पंजाब के साथ पंजाब का विलय[13]

492. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) क्या राज्य के माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह एक सच है कि दुजाना राज्य (पूर्व पंजाब), पाकिस्तान को चला गया है?

(ख) यह भी एक सच है कि राज्य का प्रशासन भारत सरकार द्वारा लिया गया है?

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य के लोग पूर्वी पंजाब प्रांत के साथ राज्य का विलय करना चाहते हैं?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले में कदम उठाने का प्रस्ताव है?

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल :

(क) हाँ, लेकिन केवल अस्थायी तौर पर.

(ख) जी हां.

(ग) हाँ

(घ) मामला विचाराधीन है

13 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1277

(स) हाँ, पुरखास में डाक–घर खोला जा रहा है। बिधलान, जागसी, बलियाणा में डाकघर खोलने का मुद्दा विचाराधीन है।

विवरण

गाँव की संख्या

पुरखास	–	2,714
बिधलान	–	2,120
जागसी	–	3,736
बलियाणा	–	2,513
शामड़ी	–	3,040

बीजों का संग्रहण तथा उपलब्धता [12]

866. चौधरी रणबीर सिंह :

(अ) माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बीजों को कीड़ों तथा रोगों से बचाने तथा उनकी उगने की शक्ति सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है?

माननीय श्री जयरामदास दौलत राम :

सामान्यतः प्रान्तीय तथा केन्द्र संचालित क्षेत्रों से यह आषा की जाती है कि वे अपनी जरुरतें स्वयं पूरी करें। प्रथम स्तर पर सरकारी बीज़ केन्द्रों के माध्यम से – 'अ' श्रेणी के उत्पादकों को बीज वितरित किया जाता है जो अपने उत्पादित अनाज को सरकार को लौटाते हैं और इसे पुनः 'ब' वर्ग के उत्पादकों को दिया जाता है, जिनके उत्पादित अनाज को पुनः बीज के रुप में सामान्य किसानों को बांट दिया जाता है।

सामान्यतः सभी राज्यों द्वारा इसी पद्धति को अपनाया जाता है। जब कभी किसी राज्य को आने वाली फसल के बीज सम्बन्धित किसी विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, तो केन्द्र सरकार उसे पड़ौसी राज्य से बीज उपलब्ध करवाती है। बीजों के संग्रहण सन्दर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा अजमेर–मेवाड़ क्षेत्रों में अब तक निम्न कदम उठाये गये हैं –

12 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 3 मार्च, 1949, पृष्ठ 1188

अनुसंधान के लिए फसलों पर संगठन [14]

969. चौधरी रणबीर सिंह :

माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही सच है कि वहाँ अलग केंद्रीय संगठन धान, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट, तंबाकू नारियल, आलू और लेई पर अनुसंधान के लिए जिम्मेदार रहे हैं?

माननीय श्री जयरामदास दौलताराम : हाँ।

14 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1361

भारतीय कृषि का विस्तार अनुसंधान संस्थान [15]

970. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का विस्तार 1940 से 1949 की अवधि तक किया जा रहा है और इसकी लागत में भी लगभग एक करोड़ रूपयों का इजाफा किया जा रहा है ?

(ख) यह सच है कि विस्तार योजनाओं के तहत, अधिकांश बेहतर कर्मचारियों के वेतन, जब वे ड्राइंग थे, की तुलना में दोगुने हो गए हैं?

(ग) यह भी सच है कि ब्रिटेन के एक अंग्रेज को संस्थान के एक भाग के प्रमुख के रूप में लाया जा रहा है?

माननीय श्री जयरामदास दौलताराम :

(क) 1946 से कुछ विस्तार किया गया है।

पांच साल बाद विस्तार योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया था, जिसका 1948–49 में लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यय शामिल था. लेकिन इसे वित्तीय तंगी के कारण स्थगित कर दिया गया.

15 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1361–62

(ख) नहीं, सारे कर्मचारियों के वेतन भुगतान नियम, 1947 की केन्द्रीय सेवाओं अवतरण के तहत दोबारा सुनिश्चित किए गए हैं।

(ग) हाँ, वहाँ एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके तहत दो वर्ष की अवधि के लिए एक अंग्रेज व्यक्ति, जोकि एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैं, कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में होंगे,जो नया अनुसंधान आरम्भ करने के लिए नियुक्त होंगे।

आईएआरआई कृषि विभाग में अधिकारियों की संख्या [16]

971. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विभाग में राज्य के अधिकारियों की संख्या क्या है और कृषि में स्नातक कितने हैं?

माननीय श्री जयरामदास दौलताराम :

कृषि विभाग (अब कृषि–शास्त्रीय विभाग कहा जाता है) के अधिकारियों में, एक विभाग के प्रमुख, प्रथम श्रेणी के तीन और द्वितीय श्रेणी के दस अधिकारी हैं.

उनमें प्रथम श्रेणी से एक और द्वितीय श्रेणी से छह कृषि में स्नातक हैं, उनमें से कुछ उच्च योग्यता रखने वाले हैं.

अन्य बुनियादी कृषि विज्ञान में, जैसे मृदा रसायन (कृषि–शास्त्रीय), वनस्पति विज्ञान, पशुपालन, और सांख्यिकी के स्नातक हैं.

16 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1361–62

पशुओं की नस्ल सुधार[17]

972. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) कृषि माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विभाग द्वारा पुरानी दुधारू गायों और नयी नस्ल पैदा करने के लिए इस देश में कोई प्रयास किया गया है?

(ख) यह भी सच है कि केन्दीय डेयरी संस्थान, बंगलोर अथवा भारतीय पशुपालन और पशु चिकित्सा संस्थान, इज्जत नगर भी पशु–नस्ल सुधार के लिए काम कर रहे हैं?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन संस्थानों से तालमेल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने प्रस्तावित किए हैं?

माननीय श्री जयरामदास दौलताराम :

कृषि विभाग, जो अब कृषि–शास्त्रीय विभाग कहा जाता है, के प्रयोगात्मक कार्य, अधिक दूध देने वाले सायवाल और थारपार्कर पशुओं की नस्लों के वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन और पशु पालन के बेहतर तरीके अपनाने से संबंधित हैं. सायवाल नस्ल को पूसा (नई दिल्ली) में और थारपार्कर को करनाल में बनाए रखा गया है। दोनों नस्लों के दूध उत्पादन में काफी प्रभावी सुधार आया है। भारत के पास अच्छी मात्रा में अपनी खुद की अच्छी नस्ल हैं और इसके परिणामस्वरूप नई नस्लों के लिए अन्य देषों से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हाँ, लेकिन प्रत्येक नस्ल अलग–अलग विकसित की जा रही हैं। थारकर और सायवाल सबसे पहले, सिन्धी और मुर्राह भैंस दूसरे और हरियाणवी व कुमाऊंनी पहाड़ी तरह की तीसरे दर्जे में हैं।

(ग) इन संस्थानों का काम एक दूसरे का पूरक हैं और तकनीकी कार्यक्रमों एवं सभी कृषि अनुसंधान की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है.

17 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1361–62

नजफगढ रोड, दिल्ली पर भूमि का अधिग्रहण[18]

1148. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री देशबंधु गुप्ता द्वारा उठाए गये अनुपूरक प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जोकि तारांकित प्रश्न संख्या 581 के रूप में 22 फरवरी, 1949 को पूछा गया था और कैसे राज्य के लोगों ने प्रस्तावित औद्योगिक पूरक योजना क्षेत्र के लिए नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली पर जमीनों के अधिग्रहण प्रस्ताव का विरोध किया?

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या अभ्यावेदन प्रत्येक से लेने का आदेश पारित किया गया है, यदि कोई हो?

(ग) सरकार को पता है कि कुछ लोग अपनी जमीन बचाने के इच्छुक हैं? यदि हां, तो सरकार कृपया देखे कि किन परिस्थितियों में दिल्ली उन्नति ट्रस्ट ने दिल्ली कपड़ा और जनरल मिल को अनुमति दी है?

माननीय राजकुमारी अमृत कौर :

(क) पांच

(ख) दो प्रतिवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है और दो अन्य लोगों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है, समझा जाता है कि एक याचिकाकर्ता इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहा है, जबकि पांचवें प्रतिनिधि के संबंध में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को आवंटन की योजना में कड़ा जवाब देने की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है।

(ग) एक मामला सरकार की जानकारी में आ गया है, जहां याचिकाकर्ता अपने ही कारखाने की स्थापना करना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों को उनकी जमीन में बनाए रखने की संभावना की जांच की जाएगी.

18 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 5, प. 1, 8 मार्च, 1949, पृष्ठ 1580–81

रेलवे बोर्ड के कार्यालय का स्थायी ताकत बल[19]

1188. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) रेल माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक सौ से अधिक सहायक और एक बड़ी संख्या में क्लर्क, पिछले तीन या चार वर्षों से रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कार्यरत हैं?

(ख) बोर्ड कार्यालय के संशोधित स्थायी ताकत बल के लिए इतना लंबा समय क्यों लिया है?

माननीय श्री गोपालस्वामी अयंगर :

(क) जी हाँ.

(ख) रेलवे बोर्ड के संशोधित स्थायी ताकत का निर्धारण, अभी तक नहीं किया गया है, फिर भी अंततः बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है। युद्ध के दौरान कार्यों में भारी वृद्धि से निपटने के लिए बोर्ड कार्यालय की शक्ति में बढ़ौतरी की जानी थी। परिस्थितियों से निपटने के बाद जल्द ही परिवर्तित परिस्थितियों में स्थायी ताकत बल के सवाल पर एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया। सबसे पहले इस अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा सकती है, रेलवे का विभाजन बदली हुई परिस्थितियों के प्रभाव के कारण किया गया था। समय की स्थिति के अनुसार दोबारा भारतीय रेलवे पूछताछ समिति, की रिपोर्ट और सिफारिशें इसकी वजह बन गया था। पूछताछ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अब यह रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है.

19 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 18 मार्च, 1949, पृष्ठ 1642

खाद्यान्नों का केंद्रीय भण्डारण[20]

1189. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय खाद्य मंत्री राज्य को बताएंगे कि खाद्य मंत्रालय के केन्द्रीय भण्डार में विभिन्न जगहों से एक फरवरी, 1947 से 1 फरवरी, 1948 तक खरीदे गए खाद्यान्न की वास्तविक राशि कितनी है और 1 फरवरी, 1949 को क्रमशः क्या थी?

(ख) वर्ष 1948 1947 और 1949 के वर्षों के दौरान किन तारीखों में सरकार ने गोदामों में न्यूनतम स्टाक किया था?

(ग) प्रत्येक प्रांत और राज्यों को कुल कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया था और कौन सी तिथियाँ हैं, जिनमें उपर्युक्त अवधि के दौरान आवंटन किया गया था?

(घ) उपर्युक्त सरकारी भण्डार की देखभाल के लिए पदनामों सहित मंत्रियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी और उपर्युक्त भाग–क में वर्णित प्रत्येक तिथि से खाद्यान्न रखने के लिए नियुक्त किया गया?

माननीय श्री जयरामदास दौलताराम :

(क) एक फरवरी, 1947 को केंद्रीय भण्डार में खाद्यान्न की कुल मात्रा 1,33,569 टन, एक फरवरी, 1948 को 55,237 टन और एक फरवरी, 1949 को 28,846 टन था.

(ख) वर्ष 1947 और 1948 में केन्द्रीय भण्डार डिपों में शेयरों की न्युनतम मात्रा अक्तूबर, 1947 और नवम्बर, 1948 के दौरान रही। इन महीनों के अंत में शेष मात्रा क्रमशः 12,034 टन और 33,917 टन थी।

(ग) एक बयान (संख्या. एक) में केन्द्र द्वारा प्रान्तों/राज्यों को वर्ष 1947, 1948 और वर्ष 1949 के दो महीनों जनवरी व फरवरी के दौरान किए गए आवंटन को दिखाया गया है, सदन की मेज पर रखा है।

खाद्यान्न की कुल आपूर्ति प्रत्येक प्रान्त और राज्य को अलग तिथियों में नहीं की गई थी, लेकिन खाद्यान्न की आपूर्ति सभी प्रान्तों और राज्यों में सतत् और समकालिक प्रक्रिया से की गई थी, अन्य कोई विशेष तिथियां बताना संभव नहीं है, जिसमें कुल आपूर्ति की गई थी।

(घ) एक विवरण (संख्या. दो) सदन की मेज पर रखा गया है और एक फरवरी, 1947, एक फरवरी, 1948 और एक फरवरी, 1949 को खाद्यान्न के केंद्रीय भण्डार की देखभाल के लिए कार्यरत अधिकारियों और मंत्रियों को दिखाया गया है।

वकतव्य : एक

केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रान्तों/राज्यों को वर्ष 1947, 1948 और 1949 (जनवरी–फरवरी) अवधि के दौरान की गई आपूर्ति

	1947	*1948*	*जन–फरवरी, 1949*
प्रान्त			
असम	8	22	3
पश्चिम बंगाल	220	296	56
बिहार	223	166	24
बाम्बे	596	746	150

20 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 18 मार्च, 1949, पृष्ठ 1361–62

सी.पी. और बिहार	215	54	14
मद्रास	182	540	53
उड़ीसा	6	6	1
पूर्वी पंजाब	105	93	16
यू.पी.	246	139	56
अजमेर–मेवाड़	28	23	6
कच्छ	15	34	5
दिल्ली	112	130	22
हिमाचल प्रदेश	1	1	2
अण्डेमान	......	1	......
कुल (प्रान्त)	**1,957**	**2,251**	**417**
राज्य			
बरोदा	32	41	19
भोपाल	.....	.....	1
हैदराबाद	94	28	14
कश्मीर	8	19	1
मैसूर	65	70	16
मध्य भारत	177	43	14
मत्सय संगठन	.....	3	1
पटियाला व पूर्वी प्रान्त एवं राज्य	1	......	2
राजपूताना राज्य	34	42	21
सौराष्ट्र	81	114	36
ट्रावंकोरो	246	272	50
कोच्चिन	90	99	13
रामपुर	0.3	2	1
सिरोही	....	.....	1
कुल (राज्य)	**828.3**	**733**	**199**

अन्य			
रक्षा सेवाएं	130	104	30
शरणार्थी शिविर	.....	41	4
अन्य 38	29	6	
कुल (अन्य)	168	174	65
समस्त कुल	**29,533**	**3,158**	**681**

वक्तव्य (II)

क्र.	पद का नाम	मद्रास (सामान्य स्टाफ) 1.2.47	कलकता			बाम्बे			मानमद			अवदी			कोचिन			विशाखा पट्टम		
			1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47	1.2.47
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	उप–आर.एफ.सी.	1																		
2.	अनाज निदेशक				1		1	1												
3.	सहायक बी.एफ.सी.	1																		
4.	अनाज सहायक निदेशक				1															
5.	कार्यालय प्रभारी (उप–निदेशक)										1									
6.	केन्द्रीय डिपो अधिकारी																1			
7.	डिपो कार्यकारी अधिकारी										1									
8.	उप–निदेशक लेखा							1												
9.	भण्डारण सहायक निदेशक		1	1	1		4	5						1						
10.	अनाज सहायक निदेशक				1															
11.	लेखा सहायक निदेशक	1			1									1						
12.	सहायक निदेशक भण्डारण इंस्पेक्टर													1						
13.	तकनीकी अधिकारी				2															
14.	लेखा अधिकारी																			
15.	तकनीकी सहायक							2												

स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव और उप सचिव[1]

1262. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सचिव और उप सचिव के पद पिछले कई महीनों से रिक्त हैं?

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इन दो वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में मंत्रालय का काम आसान एवं सामान्य रहेगा? यदि हां, तो सरकार अर्थव्यवस्था के हित में इन पदों को खत्म करने का प्रस्ताव पास करती हैं?

माननीय राजकुमारी अमृत कौर :

(क) और (ख) 7 दिसंबर 1948 से सचिव पद और 23 दिसम्बर, 1948 के बाद से एक उप सचिव पद खाली हो गया है। सच यह है कि वर्तमान में मैं और मेरे सहकर्मी पूर्णतः टिप्पणी नहीं कर रहे कि ये अधिकारी अतिरिक्त तनाव के पूरक हैं और यदि मंत्रालय के काम कुशल तरीके से चलाए जा रहे हैं तो इन पदों को समाप्त करना संभव नहीं है।

1 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1717

स्वास्थ्य मंत्रालय में रिक्तियों[2]

1263. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य को बताएंगे कि कितनी रिक्तियां राजपत्रित हैं और पिछले चार महीनों के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय में कितने वर्गीय कर्मचारी लगाए गएं?

(ख) इनमें से कितने पदोन्नति द्वारा भरे गए थे और कितने सीधी भर्ती द्वारा?

(ग) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले चार महीनों के दौरान पुरूषों द्वारा भरे गए सभी पदों में एक विशेष प्रांत से भरा गया है, यदि हां, तो क्यों?

माननीय राजकुमारी अमृत कौर :

(क) चौबीस

(ख) छह पदोन्नति से भरे थे, सात भर्ती से और 11 अभी तक भरे नहीं किया गये हैं।

(ग) नहीं। तेरह नियुक्तियों में मद्रास से चार उम्मीदवार, पंजाब से आठ उम्मीदवार और एक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से भरा गया था।

2 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 21 मार्च, 1949, पृष्ठ 1718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36.	डॉक इस्पेक्टर								10														
37.	वरिष्ठ गोदाम रक्षक						3	5	13			6											
38.	गोदाम रक्षक																1						
39.	कनिष्ठ गोदाम रक्षक						4	12	24			12											
40.	वरिष्ठ श्रेणी क्लर्क													3					2	2			1
41.	भण्डार सहायक		1	1								2											
42.	वरिष्ठ क्लर्क	2				4		16	16			2					1						
43.	कनिष्ठ क्लर्क	3				4		32	32			2											1
44.	कनिष्ठ श्रेणी क्लर्क																		2	2			
45.	टैली क्लर्क											24											
46.	क्लर्क						2							1									
47.	लेखा क्लर्क						2	1						1									
48.	तोल क्लर्क							12	72														
49.	खजांची							1	1														
50.	आशुलिपिक								2					1									
51.	आशु–टंकक							1	1			1					1				1		
52.	टंकक											1											
53.	इलैक्ट्रीशियन											1											
54.	चपड़ासी					4		24	24			3			10				2	3	1		2
55.	चपड़ासी मुखिया											29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
56.	चौकीदार							2	2											
57.	स्टाफ कार ड्राईवर																			
58.	नमूना व तोलक		14	14	28															
59.	वॉचमैन मुखिया											1								
60.	वॉचमैन						15	9	13 4							3				2
61.	हवलदार वॉचमैन				1			1	10											
62.	सीने वाली मशीन						3	4	31			12								
63.	प्लीकर्स							6	6											
64.	शिफ्टर्स							12	61											
65.	मुलेरड्डस (पुरुष)										2									
66.	मुलेरड्डस (महिला)										2									
67.	श्रमिक (पुरुष)										24									
68.	श्रमिक (महिला)										24									
69.	सफाई कर्मचारी										6									
70.	सफाई जमादार							6												
71.	सफाई महिलाकर्मी																			
72.	सफाई गैंग						12	49												
73.	भारी श्रमिक						6	6												
74.	टिन बढ़ई / मिस्त्री										1 या अधिक									
	कुल	10	35	35	77	35	182	542			163			38			5	3	7	15

मजदूरी अधिनियम, 1939 के अधीन किए गए भुगतानों की संख्या [3]

115. चौधरी रणबीर सिंह :
क्या माननीय श्रम मंत्री राज्य को यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) पिछले छह महीनों के दौरान मजदूरी अधिनियम, 1939 के अधीन दिल्ली क्षेत्र से मजदूरी भुगतान के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों की संख्या?

(ख) क्या उन आवेदनों को मजदूरी अवधि (एक माह) के भीतर निपटाया गया है, और नहीं तो क्या कारण हैं?

(ग) प्रत्येक आवेदन और स्थगन के कारणों की सुनवाई के लिए निश्चित तारीख?

(घ) क्या सरकार को द्वारा आवेदन के निपटान में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं, और

(ङ) क्या सरकार के पास कानून द्वारा इस अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा किये जाने का कोई प्रस्ताव है?

माननीय श्री जगजीवन राम :

(क) आठ

(ख) नहीं, एक ही अवधि के आवेदन नहीं निपटाए जा सकते, जो मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

3 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 21 मार्च, 1949, पृश्ठ 1793

(ग)

संस्था की तिथि	सुनवाई की तिथि	स्थगन के लिए जो भी कारण रहे
1. 20.11.48	2.2.49	2.2.49 को आवेदन का निपटारा।
2. 18.12.48	12.3.49	12.03.49 को आवेदन का निपटारा।
3. 12.1.49	19.3.49	नियोक्ता की सूचना के अभाव में।
4. 13.12.48	24.3.49	नियोक्ता (रेलवे पूछताछ के लिए समय ले लिया नियोक्ता (रेलवे पूछताछ के लिए समय ले लिया है।)
6. 18.10.48	26.3.49	नियोक्ता के सम्मन सेवा के अभाव में।
7. 18.12.48	30.3.49	नियोक्ता को नोटिस के अभाव में।
8. 6.12.48	2.4.49	मामला साक्ष्य के लिए तय।

औद्योगिक नियोजन अधिनियम, 1946 के आवेदन [4]

116. चौधरी रणबीर सिंह :
माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किस तारीख से औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) 1946 के अधिनियम संख्या ग्ग के तहत ऑपरेटिव बने हैं?

(ख) दिल्ली प्रांत के भीतर के उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम, जिनमें ये लागू किया, और

(ग) एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और महिलाओं व बच्चों के लिए अस्पताल के प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए क्या स्थायी आदेश बनाए गए हैं?

माननीय श्री जगजीवन राम :

(क) 23 अप्रैल, 1946 से।

(ख) जानकारी युक्त बयान जोड़ दिया गया है।

(ग) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर लागू नहीं होता, इसलिए इसपर सवाल नहीं बनता।

4 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 23 मार्च, 1949, पृश्ठ 1794

वक्तव्य

दिल्ली प्रान्त के उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें औद्योगिक रोजगार अधिनियम (स्थायी आदेश) लागू होता है

1. वे औद्योगिक इकाईयां, जिनको स्थायी आदेश प्रमाणित किया गया है :

(1) हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस, लिमिटेड नयी दिल्ली।
(2) जी.एस. कष्यप एंड संस लिमिटेड, पटौदी हाऊस, नयी दिल्ली।
(3) पश्चिमी होजरी और जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।
(4) बिरला कपड़ा और जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।
(5) दिल्ली आयरन वर्क्स, चावड़ी बाजार, दिल्ली।
(6) दिल्ली क्लॉथ और जनरल मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।
(7) डी.सी.ई.पी.ए., लिमिटेड, नई दिल्ली और डी.ई.एस. एवं टी. कं, लिमिटेड, दिल्ली।
(8) महावीर कॉटन स्पिनिंग एंड बुन मिल्स कंपनी लिमिटेड, दिल्ली।
(9) दिल्ली फ्लोर मिल्स कंपनी, रोशनारा रोड, दिल्ली।
(10) ईश्वर पोट्रीज़ लिमिटेड, दिल्ली ।
(11) ग्वालियर पोट्रीज़ (दिल्ली) फैक्टरी रोड, नयी दिल्ली।
(12) गणेश फ्लोर मिल्स (वनस्पति उत्पाद) फैक्टरी, दिल्ली।
(13) भारतीय राष्ट्रीय वायुमार्ग लिमिटेड,विलींगटन वायु स्टेशन, नयी दिल्ली।
(14) ग्वालियर एवं उत्तरी भारत परिवहन कंपनी लिमिटेड, नयी दिल्ली।
(15) अजुधिया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली।
(16) कृष्णा गोल्ड और सिल्वर धागा फैक्ट्री, तुर्कमन गेट, दिल्ली।
(17) दिल्ली क्लॉथ मिल्स रासायनिक वर्क्स, और डी.सी.

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के श्रम पर्यवेक्षक [6]

120. चौधरी रणबीर सिंह :

(क) माननीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य को यह बताने का कष्ट करेंगे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के श्रम पर्यवेक्षक के भुगतान व कर्तव्यों की स्थिति क्या है?

(ख) क्या वह भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त के तहत है?

माननीय राजकुमारी अमृत कौर :

(क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नई दिल्ली के श्रम पर्यवेक्षक सूबेदार पद के एक पूर्व कमीशंड अधिकारी हैं। वे संस्था के अधीनस्थ स्टाफ के एक सदस्य है। वह 150 रुपये प्रतिमास और सामान्य भत्ता प्राप्त करता है। संस्था के लगभग 300 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सामान्य निरीक्षण करना और कॉलेज व अस्पताल के विभिन्न विभागों में उनकी जिम्मेदारियां, कौशल और समय की पाबन्दी सुनिश्चित करना, उसके कर्त्तव्य हैं।

(ख) जी, नहीं।

---

6 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 24 मार्च, 1949, पृष्ठ 1534

सातरोड से डाबडा तक कच्चा रोड पर समतल रेलवे क्रासिंग [7]

1402. चौधरी रणबीर सिह :

क्या माननीय रेलमंत्री बताने की कृपा करें कि :

अ. क्या उन्हें जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित, हिसार जिले के सातरोड़ तथा उसके पड़ौसी ग्रामों के ग्रामीणों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कच्चा रोड़ पर बैलगाड़ियों के लिए समतल रास्ता – सातरोड़ से डाबड़ा बनाने का अनुरोध किया हो।

ब. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर–पार जाने के लिए मांगे गये रास्ते के अभाव में सामान्य दिनों की अपेक्षा, बरसात के दिनों में गाँव से अपने खेतों में पहुँचने के लिए ढ़ाई मील अधिक रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि कच्चा रास्ता जो इस रास्ते को जोड़ता है, वह सामान्यतः पानी में डूबा रहता है।

स. यदि (अ) और (ब) का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या सरकार ग्रामीणों की मांग को विचारार्थ रखेगी?

माननीय श्री के. सन्थानम :

अ) और (ब) हाँ, कुछ समय पूर्व जनवरी 1949 में पूर्वी पंजाब सरकार ने सातरोड़ गाँव के ग्रामीणों का एक आवेदन–पत्र

---

7 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 25 मार्च, 1949, पृष्ठ 1876

एम. वनस्पति विनिर्माण वर्क्स, दिल्ली।

(18) मैचवैट विद्युत (इंडिया) लि. सब्जी मण्डी दिल्ली।

2. औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची, जो स्थायी आदेश प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं :

(1) रघु इंजीनियरिंग वर्क्स, दिल्ली।

(2). दिल्ली के संयुक्त जल और मल बोर्ड, नई दिल्ली।

(3) राज इंजीनियरिंग वर्क्स, दिल्ली।

(4). स्वतंत्र भारत मिल्स लिमिटेड, दिल्ली।

(5) राष्ट्रीय प्रिंटिंग वर्क्स, मोरी गेट, दिल्ली।

(6) नयी गैरेज, लिमिटेड, नयी दिल्ली।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का प्रबंधन [5]

119. चौधरी रणबीर सिंह :

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य को बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 और हाउस की मेज पर रखी निर्माण समिति के सदस्यों की सूची (i) जो लेडी हार्डिंग कॉलेज और महिला एवं शिशु अस्पताल, दिल्ली के नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के लिए स्थापित एसोसिएशन में नियुक्त है, देखें और (पप) उस समिति की कार्यवाही की एक प्रति?

माननीय राजकुमारी अमृत कौर :

महिलाओं के लिए लेडी हार्डिंग कॉलेज और महिला एवं शिशु अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है। खंड के अंतर्गत एक समिति का गठन करने का काम करता है, इसलिए सवाल ही नहीं उठता।

---

5 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 24 मार्च, 1949, पृष्ठ 1534

ब. नयी दिल्ली नगर–परिषद् गौशाला बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाती बशर्ते, वे सूचित निकासी व्यवस्था तथा घर से पर्याप्त दूरी पर विनिर्मित हों।

स. फिरोजषाह मार्ग पर निकासी एवं सीवर व्यवस्था तो है, परन्तु कुल उपलब्ध क्षेत्र जो नयी दिल्ली नगर परिषद् के नियमानुसार चाहिए, वह लगभग 72.2 वर्ग फुट होना चाहिए; वह फिरोजशाह मार्ग पर स्थित एम.एल.ए. बंगलों की चारदीवारी में उपलब्ध नहीं है।

ड़. सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर नयी दिल्ली के बंगलों में गौशाला का निर्माण जारी रखा जाये इस बात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श चल रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है कि किरायेदारों द्वारा अपने खर्च पर गौशाला के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे नगरपालिका के नियमानुसार बनाये जायें।

दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर स्थित कुंए से पीने के पानी हेतु हरिजनों पर प्रतिबन्ध[9]

140. चौधरी रणबीर सिंह :

अ. माननीय रेलमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हरिजनों को दिल्ली छावनी स्टेशन पर रेलवे के कुएँ से पीने का पानी नहीं भरने दिया जाता?

ब. यह भी तथ्य है कि रेलवे स्टेशन के पास अन्य कोई कुँआ नहीं है?

स. यदि ऐसा है तो सरकार इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

माननीय गोपाल स्वामी अयंगर

अ. यह सत्य है कि स्थानीय रेलवे कर्मचारी हरिजनों को दिल्ली छावनी स्टेशन के पास बने कुँओं से पानी भरने नहीं दे रहे थे। ऐसी शिकायत रेलवे प्रशासन को कुछ समय पहले प्राप्त हुई थी। किन्तु, इस गलत परम्परा को रोका गया और अब हरजन भी बेरोक–टोक कुँए से पानी भर सकते हैं।

9 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 7 अप्रैल, 1949, पृष्ठ 2262

जिसमें आर–पार जाने के लिए नये समतल रास्ते की मांग की गयी थी, रेलवे प्रशासन को भेजा था।

स. मांगे गये समतल रास्ते के संदर्भ में रेलवे की तरफ से कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती; और यह मामला विचारार्थ है। वर्तमान समतल रास्ते को निर्धारित स्थल पर स्थानांतरण की संभावना हेतु जाँच की जा रही है।

एम.सी.ए. बंगलों में गौशाला का निर्माण[8]

1673. चौधरी रणबीर सिंह : माननीय कार्य एवम् खदान तथा ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि –

अ. क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार के आदेशानुसार इस सदन के सदस्यों को अपने खर्चे पर भी सरकारी बंगलों में गौशाला बनाने की अनुमति नहीं है।

ब. क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नगरपालिका के नियमानुसार इस तरह के निर्माण पर प्रतिबन्ध नहीं है;

स. क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नालियों, सीवर कनेक्शन तथा 40 वर्ग फुट (8X5) का क्षेत्र होने पर गौशाला की अनुमति देने का प्रावधान है; तथा

ड़. यदि ऐसा है तो क्या सरकार सरकारी बंगलों में, जहाँ संभव है, गौशाला बनाने की अनुमति देती हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

माननीय एन.वी. गाडगिल

अ. सदन के सदस्यों द्वारा अपने बंगलों में अपने खर्चे पर गौषाला बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वह निमार्ण वर्तमान नगरपालिका के नियमानुसार हो तथा बंगले के परिसर में गौशाला बनाने के लिए पर्याप्त स्थल हो।

8 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 25 मार्च, 1949, पृष्ठ 2163–64

प्रजा में वितरण हेतु पूर्वी पंजाब को सीमेन्ट आपूर्ति [10]

720. चौधरी रणबीर सिंह :
क्या माननीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि –

अ. भारत सरकार के सीमेन्ट सलाहकार द्वारा 1 अप्रैल से 15 अगस्त 1948 तक (प्रतिमाह) कितने कट्टे सीमेन्ट पूर्वी पंजाब सरकार को संस्तुत किये गये।

ब. भारत सरकार के सीमेन्ट सलाहकार द्वारा पूर्वी पंजाब सरकार को 1 अप्रैल 1948 से 15 अगस्त 1948 तक प्रतिमाह कितने कट्टे सीमेन्ट आम जनता में वितरण हेतु दिये गये।

स. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डालमिया दादरी से 10 रू. प्रति कट्टे के हिसाब से कितनी भी सीमेन्ट ली जा सकती है?

माननीय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

(अ) तथा (ब) इस सम्बन्ध में दी गयी सूचना का विवरण संसद पटल पर रखा गया है।

स. नहीं, महोदय।

10. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 1, 1 सितम्बर, 1949, पृष्ठ 754–55

विवरण

अ. पूर्वी पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय सीमेन्ट सलाहकार को केवल जून माह से (1948) सामान्य प्रजा के लिए सीमेन्ट जारी करने की अनुशंसा करने के आदेश जारी किये थे।

अनुमोदित मात्रा इस प्रकार है –

जून 1948	19,240 कट्टे (962 टन)
जुलाई 1948	28,400 कट्टे (1,420 टन)
1 अगस्त से 15 अगस्त	आँकड़े प्राप्त नहीं

ब. पूर्वी पंजाब सरकार को सामान्य जनता में आबंटन हेतु दी गई मात्रा –

	कट्टे	टन
अप्रैल 1948	11,800	590
मई 1948	5,320	266
जून 1948	11,180	599
जुलाई 1948	11,640	582
अगस्त 1 से 15 तक	20,880	1044

भाखडा बांध तथा नांगल परियोजना के लिए निगम [12]

754. चौ. रणबीर सिंह : माननीय श्रम, खदान तथा ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि –

अ. क्या यह सत्य है कि भाखड़ा बांध तथा नांगल परियोजना का विकास एक से अधिक प्रदेश एवं राज्यों–पूर्वी पंजाब, पटियाला, पूर्वी पंजाब प्रदेश समूह तथा बीकानेर को प्रभावित करेगा, तथा

ब. यदि (अ) भाग का उत्तर 'हाँ' में है तो क्या भारत सरकार, पूर्वी पंजाब सरकार, तथा अन्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक निगम बनाने पर विचार करेगी जो इस कार्य के विकास एवम् देख–रेख का कार्य देखें, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय एन.वी. गाडगिल

अ. यह उत्तर सकारात्मक है।

ब. वर्तमान में परियोजना की सारी कार्यवाही पूर्वी पंजाब सरकार के अधीन है। इसमें कोई परिवर्तन होगा तो, वह अन्तर्राज्यीय सम्मेलन/सभा में होगा, जो निकट भविष्य में होने जा रहा है।

12संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 1, 25 सितम्बर, 1949, पृष्ठ 796

पूर्वी पंजाब के लिए कोयला–चूरा [11]

721. चौधरी रणबीर सिंह :

अ. माननीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी पंजाब सरकार द्वारा कोयले की बड़ी मात्रा का प्रयोग विकास योजनाओं जैसे भाखड़ा–बांध–परियोजना आदि में होता है?

ब. क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी पंजाब सरकार को आवंटित कोयले की मात्रा सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने में मुश्किल से पूर्ण होती है और आम जनता के उपयोग के लिए पर्यापत कोयला उपलब्ध नहीं होता?

स. यदि सरकार के पास जानकारी है तो, क्या सरकार पूर्वी पंजाब सरकार को कोयले की अतिरिक्त मात्रा देगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय डॉ. भयामा प्रसाद मुखर्जी का जवाब

(अ) तथा (ब) सरकार प्रतिमाह 5000 टन कोयला चूरा पूर्वी पंजाब सरकार को ईंट–भट्टों के लिए दे रही है। इसमें से पंजाब सरकार द्वारा सामान्य जनता के उपयोग के लिए मई में 400 टन, जून तथा जुलाई में 500 टन तथा अगस्त में 1000 टन कोयला दिया गया।

स. हाँ, महोदय।

ड़. 1 सितम्बर 1948 से सरकार ने पूर्वी पंजाब को 5,000 टन से 7000 टन कोयला प्रतिमाह देने का निश्चय किया है। प्रान्तीय सरकार भिन्न उपयोगों के लिए इसका वितरण करेगी।

11 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 1, 1 सितम्बर, 1949, पृष्ठ 755

कालक्रम

चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम

पिताश्री : चौधरी मातू राम

माताश्री : माम कौर

दादाश्री : चौधरी बख्तावर सिंह

दादी जी : श्रीमती धन्नो

भाई–बहन

1: डा. बलबीर सिंह

2. सुश्री चन्द्रावती

3. चौधरी फतेह सिंह

वर्ष		विवरण
1914 (26 नवम्बर)	:	जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में)
1920	:	प्राथमिक शिक्षा के लिए गाँव के स्कूल में प्रवेश
1924	:	प्राथमिक शिक्षा पूर्ण
1933	:	मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण
1937	:	बी.ए. उत्तीर्ण
1937	:	गृहस्थ जीवन में प्रवेश
1941	:	सक्रिय राजनीति में प्रवेश
1941 (5 अप्रैल)	:	प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह)
1941 (24–25 मई)	:	जेल से रिहा
1941	:	दूसरी जेल यात्रा (एकता आन्दोलन)
1941 (24 दिसम्बर)	:	जेल से रिहा
1942 (14 जुलाई)	:	पिताश्री का देहांत
1942 (24 सितम्बर)	:	तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)।
1943 (25 अप्रैल)	:	मुल्तान से लाहौर जेल में
1944 (24 जुलाई)	:	जेल से रिहा
1944 (28 सितम्बर)	:	चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन)
1944 (7 अक्तूबर)	:	रोहतक जेल से अम्बाला जेल में
1945 (14 फरवरी)	:	जेल से रिहा
1945	:	पुनः गिरफ्तारी।
1945 (18 दिसम्बर)	:	जेल से रिहाई।
1947 (10 जुलाई)	:	संविधान सभा सदस्य निर्वाचित
1947 (14 जुलाई)	:	संविधान सभा सदस्यता ग्रहण
1948 (6 नवम्बर)	:	संविधान सभा में प्रथम भाषण
1948 (18नवम्बर)	:	हरियाणा प्रान्त के गठन की सदन में मांग रखी
1952	:	रोहतक लोकसभा सीट से विजयी
1957	:	दूसरी बार हुए विजयी
1962	:	पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी
1962	:	पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री
1963 (22 अक्तूबर)	:	भाखड़ा बांध देश को समर्पित
1966 (1 नवम्बर)	:	हरियाणा प्रान्त का गठन।
	:	मंत्री पद पर नियुक्त
1968 (12–14 मई)	:	मध्यावधि चुनाव; पुनः विजयी
1972 (10 अप्रैल)	:	राज्यसभा के लिए चुने गए
1977	:	हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने
1978	:	राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न
1980	:	हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न
2009 (1 फरवरी)	:	निधन
2009 (2 फरवरी)	:	रोहतक में 'समाधि–स्थल' पर अंत्येष्टि

भाखडा बाँध परियोजना के माध्यम से सिंचाई [13]

755. चौधरी रणबीर सिंह :
क्या माननीय श्रम, ऊर्जा एवं खदान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि

अ. क्या यह तथ्य है, भाखड़ा बांध परियोजना का मूल उद्देश्य पूर्वी पंजाब के जींद राज्य के रोहतक, हिसार, करनाल तथा गुड़गाँव जिलों की सिंचाई करना था।

ब. क्या यह तथ्य है कि वर्तमान योजना के अनुसार मुख्य नहर पटियाला राज्य से गुज़रेगी तथा (अ) भाग में लिखित जिले इसके लाभ से वंचित रहेंगे?

स. यदि ऐसा है तो, भारत सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है जिससे उपर्युक्त जिले इस सुविधा से वंचित न रहें?

माननीय एन.वी. गाडगिल का उत्तर

अ. हाँ, मूलतः भाखड़ा बाँध परियोजना के तहत गुड़गाँव जिले सम्मिलित नहीं था।

ब. यह समझा जा सकता है कि पूर्वी पंजाब सरकार की योजना सिंचाई के क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी समाप्त नहीं हुई है।

स. इस स्तर पर यह प्रश्न नहीं उठता, किन्तु इस प्रश्न पर अन्तर्राज्यीय सरकारी सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

13 संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 1, 25 सितम्बर, 1949, पृष्ठ 796

भारतीय विधान–परिषद्

शुक्रवार,13 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे प्रारम्भ हुई। चेयरनमैन (माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

लक्ष्य–सम्बन्धी प्रस्ताव

सभापति : पं. जवाहरलाल नेहरू अब वह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके नाम से है।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (यू.पी. : जनरल) : साहबे सदर, कई दिनों से यह कान्स्टीटयूएंट असेम्बली (Constituent Assembly) अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आइन्दा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था, लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक–एक ईंट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन, जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ–कुछ नक्शा दिमाग में

परिशिष्ट–क

मौजूद होता है और ईंट–पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमागों में एक जमाने से आज़ाद हिन्दुस्तान के तरह–तरह के नववषे रहे हैं। लेकिन, अब जबकि हम इस कान्स्टीटयूएंट असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो, मुझे यह जरूरी मालूम होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वह इस तरह के एक मक्सद को साफ करने का, कुछ थोड़ा–सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है।

आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीच्यूएंट असेम्बली है, बिलकुल उस किस्म की नहीं है जैसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरारत भी इसमें उन्होंने लगाई है। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्स्टीच्यूएंट असेम्बली की बुनियाद–सा है, मंजूर किया है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप याद रखें कि आखिर इस कान्स्टीच्यूएंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज ने इसको बनाया है।

ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नही बनती हैं। हुकूमत के जो बयान होते हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम यहा मिलें हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं। जो बात हम करें, उस दर्जे तक कर सकते हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और मंजूरी हो–कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह हर वक्त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जज्बात हों, उनका तर्जुमा हम इस विधान में करें। हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर मेम्बरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मायने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायंगे और वे भी इस आईन के बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिंदुस्तान के सभी लोग सहमत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज़ हम बनायें जो कसरत से हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसके साथ यह भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रुक नहीं सकता। अगरचे यह असेम्बली, बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे।

यह जो प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रिजोल्यशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया है। इसके अल्फाज पर गौर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें कोई ऐसी बात न हो जो खिलाफ समझी जाय और बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हुई है कि उसमें बहस–मुबाहिसे की बातें कम–से–कम हों। इसमें बुनियादी बातें हों, उसूल की बातें हों, जो कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है औ मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अब्बलन इस ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे इख्तलाफ हैं, लेकिन इन बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के–दुक्के आदमियों के अलावा कोई इख्तलाफ मैं नहीं जानता। इस प्रस्ताव का क्या बुनियादी उसूल है। वह यह है कि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क हो – एक सर्वश्रेष्ठ गणराज्य हो।

रिपब्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अभी तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में और हो क्या सकता है। सिवा रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक ही शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो।

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइन्दे इसमें शरीक नहीं हैं। यह भी तजवीज हुई है और शायद एक तरमीम की शक्ल में पेश भी हो कि चूंकि बाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह रिज़ोल्यूशन मुलतबी कर दिया जाय। मेरा ख्याल यह है कि यह तरमीम मुनासिब नहीं है। चूंकि पहली बात जो हमें करनी है और जो हमारे सामने है – दुनियां के सामने है – वह अगर हम न करेंगे तो हम बिलकुल एक बेजान चीज हो जायंगे और मुल्क हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखेगा। लेकिन, रियासतों का जो जिक्र किया गया है, उसके मुताल्लिक हमारा इरादा है और हम चाहते हैं और उसको समझना भी लाजिमी बात है कि हिन्दुस्तान की जो यूनियन बने, उसमें हिन्दुस्तान के सब हिस्से खुशी से आयें। कैसे आयें, किस ढंग से आयें, उनके क्या अख्तियारात हों – ये तो उन सबों की खुशी पर है। प्रस्ताव में कोई तफसील नहीं है, सिर्फ बुनियादी बातें हैं। उसमें कुछ खुदमुख्तार हिस्से हैं, उसकी कोई भी तफसील रिजोल्यूशन में नहीं है। लेकिन, उसकी जो मौजूदा शक्ल है, उससे रिसायतों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती है। यह गौर करने की बात है कि वह किस ढंग से आयंगे। रियासतों में अन्दरूनी हुकूमत कैसी हो, इस बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं उसको आपके सामने नहीं रखूंगा। सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता जो हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो और हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में आज़ादी कम करे। वहां किस शक्ल की हुकूमत हो, जैसे कि आजकल की तरह राजा–महाराजा या नवाब (हैं या नहीं)। इस रिजोल्यूशन को इस बात से मतलब नहीं है। यह वहां के लोगों से ताल्लुक रखता है। यह बहुत मुमकिन है कि राजाओं को अगर लोग चाहें तो रखें, क्योंकि इन

बातों से उन्हीं का ताल्लुक है, फैसला वही लोग करेंगे। हमारी रिपब्लिक सारे हिन्दुस्तान के यूनियन की है और उसके अन्दर अलग किसी हिस्से में वहां के लोग अगर चाहें तो अपना अन्दरूनी इन्तजाम दूसरा करें।

इस रिजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कमी या बेशी करें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस कान्स्टीट्यूएंट एसेम्बली में कोई ऐसी बात न हो जो मुनासिब नहीं हो और किसी वक्त में खास–तौर से वे, जिनका इन सवालों से ताल्लुक है और यहां मौजूद नहीं है, यह कहें कि इस असेम्बली में बेकायदा बातें हुई हैं। जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में उसे पेश कर दूं। एक तफसीली चीज की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि हमें हिन्दुस्तान को किस तरह पर ले जाना चाहिए। आप उसके अलफ़ाज़ों पर गौर करें और मैं समझता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन, असल चीज यह है कि इस रिजोल्यूशन का क्या जज्बा है। कानून वगैरा लफ्जों से बनते हैं, लेकिन यह उससे ज्यादा जरूरी चीज मालूम होती है। अगर, आप उसके लफ्जों में एक कानूनदां की तरह जायंगे तो आप एक बेजान चीज पैदा कर सकते हैं। हम इस वक्त एक दरवाजे पर हैं, एक जमाना खत्म हो रहा है और एक नया जमाना शुरू होने वाला है। इस मौके पर हमें एक जानदार पैगाम हिन्दुस्तान को देना है और हिन्दुस्तान के बाहर भेजना है। उसके बाद हम अपने विधान और आईन को लफ्जों का ऐसा जामा पहनायेंगे कि मुनासिब समझेंगे। लेकिन, इस वक्त एक पैगाम भेजना है और यह दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए, इस रिजोल्यूशन से, इस घोषणा से और इस ऐलान से हमें यह दिखाना है कि इससे क्या शक्ल और तस्वीर पैदा हो सकती है। यह इन्सानी दिमाग में जान पैदा करने वाली चीज है, कानूनी चीज नहीं है। लेकिन, कानून भी जरूरी चीज है, जरूरी मामलों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साहेबान इस रिजोल्यूशन को मंजूर करेंगे और जिस शक्ल में चाहें मंजूर करेंगे। रिजोल्यूशन आपके सामने आया है और यह खास हैसियत रखता है। एक तरह से यह

दें कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं! इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। प्रस्ताव होते हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा है। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हम सबों के लिए तो, हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है! मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर कानूनी शब्द–जाल की संकुचित भावना से विचार न करे बल्कि उसके मूल में जो भावना है, उसे मद्दे–नजर रखकर उस पर विचार करे। अक्सर शब्दों में जादू का–सा चमत्कार होता है; पर कभी–कभी यह शब्दों का जादू भी मानव–भावना को, जाति की जबरदस्त लालसा को पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर पाता। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्तुत प्रस्ताव उस लालसा को व्यक्त करता है जो आज भारतीय जनता के दिल और दिमाग में है। यह प्रस्ताव संसार को टूटे–फूटे शब्दों में यह बतलाना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था? और निकट भविष्य में हम लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हैं। इसी भावना से, मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभा भी इसी भावना से उस प्रस्ताव को ग्रहण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने और सभा के सामने विनम्रता पूर्वक यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव को मंजूर करने का समय आवे तो हम सिर्फ रस्म के रूप में हाथ उठाकर ही उसे न स्वीकार करें बल्कि भक्ति भाव से खड़े होकर उसे स्वीकार करें और इसे अपना नवीन व्रत समझें।

सभा को मालूम है कि यहां बहुत से लोग अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य, जिन्हें इसमें शामिल होने का हक है, यहां नहीं आये हैं। हमें इस बात का दुःख है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के भिन्न–भिन्न प्रान्तों और भिन्न–भिन्न दलों से ज्यादा–से–ज्यादा प्रतिनिधियों को, हम अपने साथ सम्मिलित करें। हमने एक महान् काम उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना हमने की है, किसी खास दल, सम्प्रदाय या प्रान्त के लिए ही सीमित न होगा

बल्कि वह तो भारत की चालीस करोड़ जनता के लिए होगा। हमें इन कुछ बेंचों को खाली देखकर और कुछ साथियों को, जो यहां उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थित पाकर बड़ा दुःख होता है। मुझे आशा है और मैं समझता हूं कि वे आयेंगे और यह सभा पीछे चलकर उन सबके सहयोग का लाभ प्राप्त करेगी। पर इस बीच में हम सब पर एक दायित्व है कि हम अपने अनुपस्थित मित्रों का ध्यान रखें और हमेशा यह स्मरण रखें कि हम यहां किसी खास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे हिन्दुस्तान का, यहां के चालीस करोड़ नर–नारियों का सदा ख्याल रखना है। हम सब फिलहाल अपनी–अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहे इस दल के या उस दल के, और शायद अपने–अपने दलों के साथ काम करना भी जारी रखेंगे। फिर भी ऐसा मौका आता है कि हमको दल–भावना से ऊपर उठ जाना पड़ता है और सारी जाति या देश का–यहां तक कि कभी–कभी उस समूचे संसार का, ख्याल रखना पड़ता है, जिसका यह देश भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जब मैं इस विधान–परिषद् के काम का ख्याल करता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है, कि जहां तक हमसे बन पड़े हम व्यक्तिगत भावना और दलबन्दी के झगड़ों से ऊपर उठकर अधिक–से–अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर विचार करें जो आज हमारे सामने है, ताकि हम जो भी विधान बनावें वह समस्त भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान् कार्य का सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था।

एक और भी व्यक्ति यहां आज अनुपस्थित है जो अवश्य ही हममें से बहुतों के दिल में मौजूद है। हमारा इशारा उस व्यक्ति की ओर है, जो सारे देश का नेता है, जो समस्त राष्ट्र का जनक है, (हर्ष–ध्वनि) जो इस सभा का निर्माता रहा है, जो हमारे कितने ही अतीत–कार्यों का कर्त्ता रहा है और हमारी भविष्य की बहुतेरी कार्रवाइयों का कर्त्ता–धर्त्ता रहेगा। आज वह यहां उपस्थित नहीं है। वह अपने महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए भारत के एक सुदूर कोने में निरंतर कार्यरत है। परंतु, मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि उसकी

एक इकरारनामा–सा है, अपने साथी–अपने लाखों करोड़ों भाई–बहनों के साथ जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर हम इसे मंजूर करते हैं तो यह एक तरह की प्रतिज्ञा या इकरार होगा कि हम इसको पूरा करेंगे। इस शक्ल में मैं इसको आपके सामने पेश करता हूं। आपके पास हिन्दुस्तानी में इस रिजोल्यूशन की नकलें मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। चुनांचे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में उसको पढ़कर सुनाये देता हूं व कुछ और भी उसकी निस्बत अंग्रेजी जबान में कहूंगा।

भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा–पत्र

यह विधान–परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतन्त्र घोषित करने का दृढ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाय, जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा (चौहद्दी) चाहे कायम रहे या विधान–सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे।

और

जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी।

तथा

जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम–धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायंगे।

और

जिसमें सभी अल्प–संख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण–विधि रहेगी।

और

जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल व हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय व सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे।

और

यह प्रचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित–साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

विधान–परिषद् की पहली बैठक का आज पांचवां दिन है। अब तक हम, कार्य–संचालन के लिए नियमादि बनाने का काम कर रहे थे और यह जरूरी भी था। अब हमारा कार्य–क्षेत्र साफ है। हमें अब आधार तैयार करना है और यह काम कुछ दिनों से कर रहे हैं। अभी हमें बहुत–कुछ करना बाकी है। इसके पहले कि हम उस परिषद् के असली काम यानी जाति की आकांक्षाओं को, उसके चिर–स्वप्नों को लिखित रूप देने का महान् काम प्रारम्भ करें, हमें कार्य–संचालन के लिए नियम पास करने हैं और समितियां बनानी हैं। परन्तु इस अवसर पर भी निश्चय ही यह बहुत वांछनीय है कि हम खुद को, उन लोगों को जिनकी निगाहें परिषद् की ओर हैं, इस देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह आभास दे

आत्मा इस भवन में वर्तमान है और इस महान् कार्य के सम्पादन में हमें सतत् आशीर्वाद दे रही है।

सभापति महोदय, यहां बोलते हए मैं चतुर्दिक व्याप्त स्मृतियों और समस्याओं के बोझ से अपने को बोझिल अनुभव करता हूं। हम लोग एक युग को समाप्त कर सम्भवतः बहुत शीघ्र ही एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा ध्यान आज भारत के महान् अतीत की ओर, उसके पांच हजार वर्ष के इतिहास की ओर जाता है, उसके इतिहास के प्रारंभ से – जो मानव–इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है – आज तक का सारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है। वह समस्त अतीत आज हमारे चतुर्दिक है और हमें आनन्द और जीवन प्रदान कर रहा है पर साथ–ही–साथ उससे, यह सोचकर मुझे कुछ वेदना भी होती है कि क्या हम उस अतीत के योग्य हैं।

शक्तिशाली अतीत और अधिकतर शक्तिशाली भविष्य के बीच स्थित वर्तमान की तलवार के धार पर खड़े होकर जब मैं भविष्य की सोचता हूं, उस भविष्य की, जो मुझे विश्वास है कि अतीत से भी महत्तर है, तो अपने महान् कार्यभार से अभिभूत हो जाता हूं और भयभीत हो जाता हूं। भारतीय इतिहास के अद्‌भूत अवसर पर हम यहां समवेत हुए हैं। इस परिवर्तन क्षण में प्राचीन युग से एक नवीन युग में प्रविष्ट होने के इस परिवर्तन काल में मुझे कुछ विस्मय–सा मालूम होता है, वैसा ही विस्मय जैसा रात से दिन होने में मालूम पड़ा है, हो सकता है दिन मेघान्छन्न हो; पर है तो आखिर दिन; इसलिए बादल फटने पर दिन अवश्य निकलेगा। इन सब बातों के कारण मुझे इस सभा के सम्मुख बोलने और अपने सारे विचार रखने में कुछ कठिनाई मालूम होती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन पांच हजार वर्षों के लम्बे सिलसिले में बड़ी–बड़ी विभूतियां, जो आईं और चली गईं, आज मेरी आंखों के सामने हैं। उन मित्रों की मूर्तियां भी मानों आज मेरे सन्मुख हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास किया है। आज हम समाप्त–प्रायः युग के छोर पर खड़े हैं और नवीन युग में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम और प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा वर्तमान अवसर की गंभीरता समझेगी और उसी

गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिसे सभा के सन्मुख उपस्थित करने का मुझे गौरव है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन सभा के सामने आ रहे हैं। इनमें से बहुतों को मैंने नहीं देखा है। सभा के किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह इसके सामने कोई भी संशोधन रखे और सभा को अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या नामंजूर। पर मैं स–सम्मान आपको यह सुझाव दूंगा कि यह अवसर ऐसा नहीं है कि हम छोटी–छोटी बातों में कानूनी और रस्मी ढंग अपनायें; जब कि हमें बड़ी–बड़ी समस्याओं का सामना करना है, बड़े–बड़े कामों को अन्जाम देना है और महत्वपूर्ण मसले तय करने हैं। अतः मैं आशा करूंगा कि सभा गंभीरता से ही इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस करेगी और शाब्दिक झगड़े में ही अपने को न भुला देगी।

मुझे विभिन्न विधान–परिषदों का भी ख्याल आता है जो पहले बैठ चुकी है। अमेरिकन राष्ट्र के निर्माताओं ने विधान–परिषद् में समवेत होकर राश्ट्र–निर्माण के लिए एक विधान तैयार किया था, जो आज डेढ़ सौ बरस की परीक्षा में पक्का साबित हुआ है। इस विधान–निर्माण में क्या–क्या बातें हुई, उन सबकी मैं कल्पना कर रहा हूं। इस विधान के फलस्वरूप जो महान् राष्ट्र उत्पन्न हुआ उसको मैं सोच रहा हूं। मेरी कल्पना उस जबर्दस्त क्रांति की ओर जा रही है जो आज से 150 वर्ष पहले हुई थी। मैं कल्पना कर रहा हूं उस विधान–परिषद् की, जो आनन्ददायक उस पेरिस नगर में समवेत हुई थी, जिसने आजादी की कितनी ही लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं सोच रहा हूं उन कठिनाइयों को जो इस विधान–परिषद् को मिलीं, मैं सोच रहा हूं उन बाधाओं को जिन्हें सम्राट् तथा अधिकारियों ने उस परिषद् की राह में रोड़े डाले। इस सभा को स्मरण होगा कि जब इसके मार्ग में रोड़े अटकाए गए, यहां तक कि उसे समवेत होने के लिए स्थान देने से भी इंकार किया गया तो परिषद् ने टेनिश कोर्ट में अपनी बैठक की और वहां ही उसने शपथ ग्रहण की; जो 'दी ओथ आव् टेनिश कोर्ट' के नाम से मशहूर है। सम्राट् और अधिकारियों की; समस्त बाधाओं के बावजूद वे समवेत होकर तब तक अपना काम करते रहे जब तक कि

उन्होंने अपने काम को पूरा न कर लिया, जिसे पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। मुझे विश्वास है कि हम लोग भी उसी गम्भीरता और पवित्र भावना से यहां समवेत हुए हैं और हम भी चाहे इस भवन में हो या अन्यत्र, मैदान में, बाजार में, कहीं भी समवेत होकर–तब तक अपना काम करते आयंगे जब तक कि उसे पूरा न कर लें।

इसके बाद हमारी याद जाती है निकट भूत की उस महती क्रांति की ओर जो रूस में हुई थी और जिसके फलस्वरूप एक नये ढंग के राज्य–रूस यूनियन आव् सोवियत् रिपब्लिक– जैसे शक्तिशाली राश्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज विश्व के कामों में प्रमुख भाग ले रहा है। यह महान् शक्तिशाली राष्ट्र हम भारतवासियों के लिए न सिर्फ एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र ही है वरन्, पड़ौसी भी है।

इस तरह हम आज इन बड़े–बड़े उदाहरणों को स्मरण करते हैं और उनकी सफलताओं से लाभ उठाने की एवं उनकी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। शायद हम असफलताओं से बच न सकें क्योंकि, कुछ–न–कुछ असफलता तो मानव प्रयास में सन्निहित रहती ही है। फिर भी, हमें निश्चय है कि हम तमाम बाधाओं और कठिनाईयों के बावजूद आगे बढेंगे और अपनी चिर–संचित आकांक्षाओं और स्पप्नों को प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव में, जो सभा जानती है कि बड़ी सावधानी से बनाया गया है, हमने अत्यधिक या अत्यल्प कथन को दूर ही रखा है, इस तरह के प्रस्ताव का बनाना बड़ा कठिन है। यदि आप उसमें बहुत कम बात व्यक्त करते हैं तो, वह केवल एक कोरा प्रस्ताव ही रह जाता है और दूसरे यदि आप उसमें अधिक कुछ कहते हैं तो यह विधान बनाने वाले सदस्यों के कार्य में कुछ हस्तक्षेप–सा होता है। यह प्रस्ताव उस विधान का मार्ग नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं और हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। सभा को विधान बनाने की पूरी स्वतन्त्रता है और दूसरे लोगों को भी, जब वे सभा में आ जायं तो विधान बनाने की पूरी आज़ादी है। अतः यह प्रस्ताव दोनों सीमाओं के बीच की राह है और केवल कुछ बुनियादी उसूलों को निर्धारित करता है जिन पर, मुझे पक्का विश्वास है, किसी दल या व्यक्ति को विवाद नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमारा

यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र, प्रजातन्त्र होकर ही रहेगा। मैं राजतन्त्र की बहस में न जाऊंगा। अवश्य ही हम भारत में शून्य से (बिना किसी आधार के) राजतन्त्र नहीं स्थापित कर सकते। जब भारत को हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। यह तो निश्चय ही प्रजातन्त्रीय (Republic) होगा। कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि मैंने प्रस्ताव में लोकतन्त्रीय (Democratic) शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें बताया कि रिपब्लिक राज्य डेमोक्रेटिक न हो ऐसा समझा जा सकता है, पर हमारा सारा अतीत इस बात का गवाह है कि हम लोकतन्त्रीय संस्था (Democratic Institution) ही की स्थापना चाहते हैं। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना ही है और उससे कम हम कुछ नहीं चाहते। उस लोकतन्त्र का क्या रूप हो, यह बात दूसरी है। वर्तमान युग के लोकतन्त्र ने यूरोप की और अन्य स्थानों की लोकतन्त्रीय शासनपद्धति ने संसार की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। इसमें संदेह है कि ये लोकतंत्र, यदि सही माने में इन्हें लोकतंत्र रहना है तो, अपना वर्तमान स्वरूप अधिक दिनों तक रख सकेंगे। मुझे आशा है कि हम लोग किसी विशेष तथाकथित लोकतन्त्रीय देश की पद्धति की नकल न करेंगे। हो सकता है हम लोग वर्तमान लोकतन्त्र को और भी अच्छा बनायें। जो भी हो, हम जो भी शासन–पद्धति यहां स्थापित करें यह हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल और सबको ग्राह्य होनी चाहिए। हम लोकतन्त्र चाहते हैं। यह काम इस सभा का है कि वह निश्चय करे उस लोकतन्त्र को, पूर्णतः लोकतन्त्र को, वह क्या स्वरूप देगा। सभा देखेगी कि हमने इस प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक शब्द नहीं रखा है, क्योंकि हमने समझा कि रिपब्लिक शब्द के अन्दर वह सन्निहित है और हम अनावश्यक अतिरिक्त शब्द रखना नहीं चाहते हैं। पर हमने प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक (लोकतन्त्रीय) शब्द से बहुत कुछ अधिक रख दिया है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतन्त्र का सार सन्निहित कर दिया है बल्कि, मैं तो कहूंगा

कि लोकतन्त्र का ही सार नहीं वरन् इसमें हमने (Economic Democracy) आर्थिक लोकतन्त्र का सार भी सन्निहित कर दिया है। कुछ लोग इस बिना पर इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं कि इसमें समाजवादी राष्ट्र (Socialist State) नहीं अपनाया है। सज्जनों, मैं समाजवाद का समर्थक हूं और मुझे आशा है कि सारा हिन्दुस्तान समाजवाद का समर्थन करेगा और वह समाजवादी शासन विधान बनायेगा और सारी दुनिया को भी इसी दिशा में चलना होगा। उस समाजवाद का स्वरूप क्या हो यह भी आपका दूसरा विचारणीय विषय है। पर असली बात यह है कि यदि मैं अपनी इच्छानुसार इस प्रस्ताव में यह रखता कि हम समाजवादी राष्ट्र चाहते हैं तो, शायद, इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती जो बहुतों को ग्राह्य होती और कुछ को आग्राह्य। हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों को लेकर यह प्रस्ताव विवादात्मक हो जाये। इसलिए प्रस्ताव में हमने पारिभाषिक शब्द नहीं रखे हैं, बल्कि हम क्या चाहते हैं इसका निचोड़ रख दिया है। यह आवश्यक है और मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद नहीं उठ सकता। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि इस प्रस्ताव में रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) का रखा जाना देशी नरेशों को कुछ नाराज कर सकता है। सम्भव है इससे वे नाराज हों। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और सभा जानती है कि मैं वैयक्तिक रूप से राजतन्त्रीय पद्धति में, वह चाहे कहीं भी हो, विश्वास नहीं करता। संसार से राजतन्त्र आज तेजी से मिटता जा रहा है। फिर भी, यह मेरे विश्वास की बात नहीं है। देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम लोगों के विचार बहुत दिनों से यही रहे हैं कि सर्वप्रथम इन राज्यों की प्रजा को आने वाली आज़ादी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। यह बात तो मेरी कल्पना में ही नहीं आती कि देशी रियासतों की प्रजा और भारत के अन्य भागों की प्रजा की स्वतन्त्रता का भिन्न–भिन्न मापदंड हो। संघ में देशी रियासतें किस तरह सम्मिलित होंगी इस बात को तो यह सभा ही रियासतों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके तय करेगी और मुझे आशा है कि सभा, रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मसलों को रियासतों के सच्चे प्रतिनिधियों से बातचीत कर तय करेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन

मसलों को तय करने में जिनका देशी राज्यों के शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों के साथ या उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह रजामन्द हैं। पर अन्त में जब हम भारत का विधान बनायंगे तो जिस तरह भारत के अन्य भागों के जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखकर उसका निर्माण करेंगे उसी तरह देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों से भी सम्पर्क रखकर हम विधान को अन्तिम रूप देंगे। (हर्ष–ध्वनि) जो भी हो, हम या तो नियम निर्धारित कर देंगे या खुद आपसी रजामन्दी से तय कर लेंगे कि देशी रियासतों और अन्य भागों के लिए स्वतन्त्रता का स्तर समान होगा। मैं खुद तो यह चाहूंगा और इसकी सम्भावना भी है कि सारे देश में शासन व्यवस्था या हुकूमत की मशीनरी एक समान हो। पर, यह बात ऐसी है जिसका फैसला रियासतों के परामर्श और सहयोग से करना होगा। मैं नहीं चाहता और मेरा ख्याल है यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देशी राज्यों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ लादा जाय। अगर, किसी रियासत की प्रजा कोई खास तरह की शासनप्रणाली चाहती है, चाहे वह राजतन्त्रात्मक ही क्यों न हो, उन्हें वैसी प्रणाली रखने का अधिकार है। इस सभा को मालूम होगा कि ब्रिटिश कामनवेल्थ में भी आज आयरलैण्ड एक रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) है और फिर भी कई तरह से यह ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य भी है। इसलिए यह बात तो समझ में आ सकती है। मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, क्योंकि उसका निश्चय करना कुछ इस सभा का और कुछ दूसरों का काम है। इसकी असम्भावना या इसमें कोई असामंजस्य नहीं है कि रियासतों में किसी खास तरह की शासन–प्रणाली हो; बशर्ते कि वहां पूरी स्वतन्त्रता और दायित्वपूर्ण शासन (Responsible Government) हो और वह प्रजा के आधीन हो। यदि किसी रियासत की प्रजा राजतन्त्र के प्रधान यानी राजा, महाराजा और नवाब को पसंद करती है तो, मैं चाहूं या न चाहूं, निश्चय ही मैं इसमें कतई दखल देना नहीं पसन्द करता। अतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है यह, आगे जो कुछ करना चाहेगी या जो बातचीत चलायेगी इसमें किसी तरह की रूकावट नहीं डालता। सिर्फ

एक ही मायने में यह प्रस्ताव हम पर कुछ सीमा या पाबन्दी (यदि आप इसे पाबन्दी समझें) डाल देता है। वह यह कि इस घोषणा में जो बुनियादी उसूल हैं हम उन पर ही चलेंगें। मैं तो कहता हूं कि ये बुनियादी सिद्धांत, सही माने में, विवादात्मक हैं ही नहीं। हिन्दुस्तान में कोई भी इनका विरोध नहीं करता और न किसी को इनका विरोध करना ही चाहिए। पर यदि, कोई विरोध करता है तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपनी–अपनी जगह पर डटे रहेंगे। (हर्ष–ध्वनि)

सभापति महोदय, हम भारत के लिए विधान बनाने बैठे हैं। स्पष्ट है कि हमारे इस काम का बाकी दुनिया पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा। यह इसलिए नहीं कि इससे संसार–क्षेत्र में एक नये शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय होता है, बल्कि इस कारण से कि भारत ऐसा देश है; जो न सिर्फ अपनी आबादी या क्षेत्रफल के विस्तार से वरन् अपने प्रचुर साधनों और उसके उपयोग की क्षमता से विस्तृत संसार के कामों में शीघ्र ही जबरदस्त हाथ बंटा सकता है। आज भी जब हम आज़ादी के किनारे खड़े हैं, भारत ने संसार के मामलों में जबरदस्त हाथ बंटाना शुरू कर दिया है। इसलिए, विधान–निर्माताओं के लिए उचित है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पहलू को हमेशा ध्यान में रखें।

हम संसार के साथ दोस्ताना बर्ताव चाहते हैं। हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं। अतीत के झगड़ों के एक लम्बे इतिहास के बावजूद, इंगलैंड को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। सभा को मालूम है कि मैं हाल ही में विलायत गया था। मैं कुछ कारणों से, जिन्हें यह सभा अच्छी तरह जानती है, वहां नहीं जाना चाहता था। पर ग्रेट–ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण मैं वहां गया। वहां मुझे सभी जगह सौजन्य मिला। फिर भी, भारतीय इतिहास के इस भावनापूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसर पर अब हम दुनियां से और अपने अतीत सम्पर्क एवं संघर्ष के कारण ग्रेट–ब्रिटेन से तो खासतौर पर सहयोग, मैत्री, तथा खुशी के सम्वाद पाने के भूखे थे; दुर्भाग्य से हम खुशी का सम्वाद तो दूर रहा, बहुत कुछ निराशा का सम्वाद लेकर लौटे। मुझे उम्मीद है कि ये नयी कठिनाइयां, जो ब्रिटिश मंत्रीमंडल और वहां के अन्य अधिकारियों के हाल के वक्तव्यों से उत्पन्न हुई हैं,

वे हमारी राह न रोकेंगी। और हम, यहां उपस्थित और अनुपस्थित सब के सहयोग से आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात से सख्त सदमा पहुँचा है, सख्त चोट पहुँची है कि ऐन मौके पर जब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमारे रास्ते में रूकावटें डाली गईं। हम पर नयी–नयी पाबन्दियां जिनका पहले कहीं जिक्र भी न था, लगायी गईं और नये तरीके सुझाये गए। मैं किसी व्यक्ति की सद्भावना पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता पर मैं अवश्य ही कह देना चाहता हूं कि, इसका कानूनी पहलू चाहे कुछ भी क्यों न हों, पर जब हमें ऐसे राष्ट्र से काम पड़ता है जो आजादी के लिए मतवाला हो तो ऐसे भी अवसर उपस्थित होते हैं कि कानून लचर हो जाता है और उस पर भरोसा किया जा सकता। यहां हममें से बहुतों ने गत वर्ष से एक या अधिक पीढ़ियों से भारत की आज़ादी की लड़ाई में अक्सर हिस्सा लिया है। हम आफतों के बीच से गुजरे हैं। हम इसके आदी हैं और यदि जरूरत आ गई तो हम पुनः विपत्तियों से खेलेंगे (हर्ष–ध्वनि)। फिर भी, इन तमाम संघर्षों के दौरे में हम हमेशा ही ऐसे अवसर की बात सोचते रहे हैं, जब हम संघर्ष और विध्वंस नहीं, बल्कि निर्माण के काम में लग जायं। और उस समय जब हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि स्वतन्त्र भारत में रचनात्मक काम करने का समय आ रहा है जिसकी बड़ी खुशी से बाट जोह रहे थे कि नयी बाधायें हमारे रास्ते में डाली गई। चाहे जो भी शक्ति इसके पीछे हो, इससे यही जाहिर होता है कि चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों में भी अपनी मर्यादा और पद के अनुकूल कल्पनामूलक साहस का अभाव होता है। यदि आपको किसी राष्ट्र से काम पड़ता है तो अपनी कल्पना, भावना और साथ–ही–साथ बुद्धि की दौड़ से ही आप उसको ठीक–ठीक समझ सकते हैं। अतीत से ही यह दुखद परम्परा चली आती है कि भारतीय समस्याओं को समझने में शासकों में कल्पना–शक्ति का सर्वथा अभाव रहा है। इन लोगों ने अक्सर हमारी समस्याओं में अनावश्यक हाथ डाला या हमें राय दी और यह न समझा कि वर्तमान भारत न किसी की सलाह चाहता है और न अपनी मर्जी के खिलाफ किसी का समाधान ही अपने ऊपर लादना चाहता है। भारत को प्रभावित करने

भारतीय विधान–परिषद्

बुधवार, 22 जनवरी सन् 1947 ई.

भारतीय विधान–परिषद् की बैठक, माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में 11 बजे प्रारंभ हुई।

लक्ष्य–सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्त –प्रांत : जनरल): साहबे सदर 6 हफ्ते हुये कि मैंने इस प्रस्ताव को यहां पेश किया था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि दो तीन दिन के अन्दर उसका फैसला होगा और वह मंजूर हो जायेगा। लेकिन, बाद में इस मजलिस ने फैसला किया कि इसको हम मुल्तवी करदें और लोगों को इस पर गौर करने का मौका दें। मुमकिन है कि मेरी तरह अक्सर साहिबान को भी यह फैसला नागवार गुजरा हो कि ऐसा अहम प्रस्ताव एक दफा उठा कर उसे मुल्तवी कर दिया जाये। लेकिन, मुझे कोई शक नहीं रहा था कि जो फैसला मुल्तवी करने का किया गया था, वह मुनासिब फैसला था। हमारे दिल में बेकरारी और बेताबी थी। महज इस रिजोल्यूशन के पास होने की नहीं (वह तो एक निशानी है) बल्कि इन बातों को हासिल करने के लिये जो इसमें लिखी हैं। उसके साथ यह भी इन्तिहा दर्जे की ख्वाहिश है कि इस काम में हम सब लोग मिलकर चलें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी मंजिल तक पहुंचे। इस लिये मुनासिब था कि वह मुल्तवी हो और गौर करने का काफी मौका महज

इस हाउस को ही नहीं, बल्कि तमाम मुल्क को मिले। जो भी तरमीमें थी और खासतौर से डाक्टर जयकर की तरमीम का बहुत कुछ मतलब मुल्तवी करने का था। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने उस तरमीम को वापिस ले लिया और दूसरी तरमीमें भी वापस ली गईं, इसके लिये भी मैं मशकूर हूं। मालूम नहीं कि इस हाउस के कितने मेम्बर इस रिजोल्यूशन पर बोल चुके। शायद 30,40 या इससे भी ज्यादा। करीब–करीब हरेक ने पूरी तौर पर इसकी ताईद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। कहीं–कहीं बाज बातों की तरफ तबज्जह दिलाई गई। मेरा ख्याल है कि अगर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों की राय ली जाये तो हम देखेंगे कि सब इस की ताईद में हैं। शायद कोई किसी खास बात पर ज्यादा तबज्जह दिलाये या कम। इस नीयत से यह रिजोल्यूशन पेश हुआ था और बड़े गौर–खोज के बाद अलफाज जोड़े गये थे, ताकि कोई ऐसी बात पेश न हो जो ज्यादा बहस तलब हो; बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों में जो आरजुयें हैं, उनको लफजी जामा पहना कर पेश करें। इस पर खास कुछ मेरे कहने की क्या जरूरत है लेकिन, आपकी इजाजत से, दो एक बातों की ओर तबज्जह दिलाऊंगा। एक वजह इसको मुल्तवी करने की यह थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो भाई यहां नहीं आये हैं, उनको यहां आने का मौका मिले। इसे मुल्तवी करके एक महीने का मौका दिया गया था, लेकिन अफसोस है कि अब तक उन्होंने आने का फैसला नहीं किया। लेकिन, बहरसूरत जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम इस दरवाजे को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और हरेक को, जिनको यहां आने का हक है, पूरे तौर से आने का मौका देंगे। जाहिर है कि दरवाजा खुला है लेकिन, हमारा काम नहीं रुक सकता। इसलिये जरूरी हो गया कि इस रिजोल्यूशन को पूरी मंजिल तक पहुँचायें। मुझे उम्मीद है कि अब भी जो साहिबान बाहर हैं वे आने का फैसला करेंगे। बाज लोगों की राय थी (हालांकि वे इस रिजोल्यूशन से मुत्तफिक हैं) कि हमारे बाज और काम भी मुल्तवी होते जायें ताकि किसी के आने में कोई रुकावट न पड़े। मुझे इस राय से किसी कदर हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी होते

का एकमात्र रास्ता है, मैत्री, सहयोग और सद्भावना का बर्ताव। जबर्दस्ती उस पर कुछ भी लादने या मध्यस्थ बनने की थोड़ी भी चेष्टा पर हम आक्रोश करते हैं और करेंगे (हर्षध्वनि)। गत कई महीनों में, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी हमने ईमानदारी से सहयोग का वातावरण पैदा करने की हरचन्द कोशिश की। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी। पर, मुझे भय है कि अगर दूसरी ओर से इसका काफी जवाब न मिला तो सहयोग का वातावरण नष्ट या दुर्बल हो जायगा। हमने महान् काम का बीड़ा उठाया है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि यदि इस कार्य में प्रयत्नशील रहे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। जहां हमें अपने ही देशवासियों से निपटना है, हम सद्भावना से उस काम में लगे रहेंगे यद्यपि, हम समझते हैं कि हमारे कुछ देशवासी गलत रास्ता पकड़ते हैं। जो भी हो, आज नहीं तो कल या परसों हमें इस देश में मिलकर ही काम करना है और हमारा आपसी सहयोग अवश्यम्भावी है। अतः हमें इस समय ऐसे किसी भी काम से बचना होगा जिससे हमारे भविष्य के मार्ग में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई नयी बाधा उपस्थित हो जाय। इसलिए जहां तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है, उनका अधिक–से–अधिक सहयोग पाने के लिए हमें यथाशक्ति चेष्टा करनी है। परन्तु, सहयोग का यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन मौलिक सिद्धान्तों का ही त्याग कर बैठें जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं और करना चाहिए। सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम उन सिद्धान्तों को ही कुर्बान कर दें जिनके लिए हम जीते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अभी कहा है, हम इंग्लैंड का भी सहयोग चाहते रहे और इस समय भी चाहते हैं, जब वातावरण आपसी संदेह से भरा हुआ है। हम समझते हैं कि यदि उन्होंने सहयोग देने से इन्कार किया तो अवश्य ही इससे भारत को क्षति पहुंचेगी, पर इंग्लैंड को उससे भी ज्यादा क्षति पहुँचेगी और संसार को भी कुछ नुकसान पहुँचेगा। युद्ध से हम अभी फुरसत पाये हैं और लोगों में व्यापक रूप से आगामी युद्ध की मन्द–मन्द चर्चा चलने लगी है। ऐसे समय में, नवीन प्राणपूर्ण और निर्भय भारत का पुनर्जन्म होने

जा रहा है। विश्व की इस उथल–पुथल से भारत के पुनर्जन्म का यह शायद उपयुक्त अवसर है। पर ऐसे समय में हम लोगों की दृष्टि, जिन पर भारत का विधान बनाने का जबर्दस्त भार है, खूब साफ दूरदर्शिनी होनी चाहिए। हमें वर्तमान की महती आषाओं और भविष्य की उससे भी महत्तर आशाओं पर सोच विचार करना है और इस दल या उस दल के क्षुद्र लाभ की तलाश में ही अपने को नहीं खो देना है। विधान–परिषद् में बैठ कर आज हम विश्व के रंग–मंच पर अभिनय कर रहे हैं और सारे संसार की निगाह, हमारे सम्पूर्ण अतीत की दृष्टि, हमारी ओर है। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हमारा अतीत देख रहा है और भविष्य भी देख रहा है। यद्यपि, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को इसी दृष्टि से देखता हूं और मैं सभा के अनुरोध करूंगा कि वह अपने महान् अतीत को, वर्तमान के जबर्दस्त उथल–पुथल को और उदित होने वाले महत्तर भविष्य को दृष्टि में रखकर उस पर विचार करे। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

होगा और क्या ताल्लुक दूसरे मुल्कों से होगा? यह सवाल उठ सकता है। इस रिजोल्यूशन के मायने हैं कि हम पूरे तौर से आजाद हों और किसी और गिरोह में शरीक न हों, सिवाय ऐसे गिरोह के जो दुनियां में बन रहा है और जिसमें दुनियां के और मुल्क शामिल हैं। वाकई बात यह है कि आज जमाना बिलकुल बदल गया है, लफजों के मायने बदल रहे हैं। आजकल जो जरा भी गौर करता है, वह यह समझ लेता है कि अगर कोई अन्देशा दूर हो सकता है, तो वह सिर्फ एक तरह से और वह यह कि दुनियां के मुल्क आपस में मिल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बड़े–बड़े नुक्स यूनाइटिड नेशन्स ऑरगेनाइजेशन्स में हो रहे हैं। हजारों दिक्कतें हैं, हजारों शक हैं। जो एक–दूसरे पर किये जा रहे हैं। हमने कहा है कि हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिल–जुल कर इस काम में शरीक होंगे। हालांकि अंग्रेजों के मुल्क से और ब्रिटिश कामनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी, हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आज़ाद होने की पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें। लेकिन, इस दोस्ती से हमारी आज़ादी में जरा भी कमी न होगी। यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनियां के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है। हिन्दुस्तान के सब लोगों से चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनियां के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और ब्रिटिश कामनवेल्थ और दुनियां के और मुल्क भी शामिल हैं, यह रिजोल्यूशन सब से दोस्ती रखने का दावा करता है। यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मंजूर करेंगे।

एक भाई ने याद दिलाया है कि चार दिन के बाद वह दिन जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मायने में यह

मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मायने में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइत के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है। जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते है करें, उसको एक घंटे के लिए भी मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है।

यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है एक नयी शक्ल में है, एक नये जामे में है। लेकिन यह एक लम्बे सिलसिले के बाद आया है। इसके पीछे कितने रिजोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञायें हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आज़ादी और 'क्विट इंडिया' यानी हिन्दुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किये थे, उनको पूरा करें। यह कैसे पूरा करें? यह सब आप साहिबान के हाथ में है। चुनाचे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिजोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझ कर जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत–से सवाल आयंगे और आते हैं। अलहदा–अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा–अलहदा फिरकों के लोग अपने–अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी–छोटी बहसों में हम न बहक जायें, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिन्दुस्तान आज़ाद होता है, तो हम सब हिन्दुस्तानी आज़ाद होंगे और अगर हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं होता है, तो हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिन्दुस्तान जिन्दा है, तो हम भी जिन्दा हैं और सब फिरके और गिरोह भी जिन्दा हैं या आज़ाद हैं। अगर आज इजाजत दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, आज 6 सप्ताह हुये कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गम्भीरता और पवित्रता

हुये भी मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई साहब इस राय को पेश कर सकते हैं। इन्तजार करने का सवाल है, रिजोल्यूशन को मुल्तवी करने का नहीं। 6 हफ्ते हमने इन्तजार किया। लेकिन, दरअसल 6 हफ्ते का सवाल नहीं है, बल्कि इन्तजार करते–करते उमरें गुजर गई हैं। कब तक हम और इन्तजार करें? बहुत लोग इन्तजार करते–करते गुजर भी गये। अक्सर लोगों का भी आखिरी जमाना आ रहा है। इन्तजार काफी हो चुका, अब ज्यादा इन्तजार नहीं हो सकता। चुनाचे हमें इस असेम्बली के काम को चलाना है, तेजी से चलाना है और जल्द खतम करना है क्योंकि, आप याद रखिये कि असेम्बली का काम रिजोल्यूशन पास करना ही नहीं है। मैं तो यह कहूँगा कि कोन्स्टीट्यूशन बना देने से ही काम पूरा नहीं होगा। यह तो महज एक बुनियाद है।

पहला काम इस असेम्बली का यह होगा कि इस कोन्स्टीट्यूशन के जरिये से हिन्दुस्तान में आजादी फैलायें, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें और हिन्दुस्तान के रहने वालों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सकें। यह एक बड़ा काम है। आजकल आप हिन्दुस्तान की तरफ देखें। हम यहां बैठे हैं मगर कितने ही शहरों में परेशानी हैं, कितने ही शहरों में झगड़े हो रहे हैं। झगड़ों की बड़ी चर्चा होती है, जिन्हें फिरकावाराना झगड़ा कहते हैं। बदकिस्मती से, हमें इनका कभी–कभी सामना करना पड़ता है। लेकिन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान में है वह गरीबों और भूखों का है, किस तरह से इनको हल किया जाये। जिधर आप देखें यही सवाल है। अगर इस सवाल का हम जल्द फैसला नहीं कर सकते तो आपका सारा कागजी विधान और आईन फिजूल हो जाता है। इसलिये इस नक्शे को सामने रखकर कौन इन्तजार कर सकता है और हमारे काम को मुल्तवी कर सकता है? एक तरफ से आवाज आई है कि वालियान रियासत को पूरे तौर से यह रिजोल्यूशन पसन्द नहीं है क्योंकि, इसमें चन्द हिस्से ऐसे हैं, जिन्हें वे समझते हैं कि वे उनके अख्तियारात में दखल देते हैं। बहरसूरत वे यहाँ नहीं हैं। उनकी गैरहाजरी में हम कैसे कोई फैसला करें? यह बात सही है कि वह यहां नहीं हैं लेकिन, अगर हम उनका इन्तजार करेंगे तो इस नक्शे के मुताबिक इस

कांस्टिट्यूएंट असेम्बली के आखिर तक भी हम काम पूरा नहीं कर सकते। यह तो नामुमकिन बात है। हमारा बनाया हुआ नक्शा यह नहीं था कि वह आखिर में आयें। हमने तो उनसे पहले ही आने के लिए कहा था। वह आयें तो उनका स्वागत है। हम उनको नहीं रोकते हैं। कुछ रुकावट है तो उनकी ही तरफ से है। एक महीना गुजरा, आपने उनके नुमाइन्दों से मशविरा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। हम मशविरा करने के लिये तैयार हैं, गो कि अब तक हमें मौका नहीं मिला। इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने वक्त नहीं मांगा। हम तो जल्द–से–जल्द इस काम को पूरा करना चाहते हैं। यह शिकायत उनकी है कि उसमें लिखा है "आखिरी फैसले का अख्तियार आम लोगों को हासिल है" (सोवरेनिटी बिलोंग्स टु दी पीपुल एंड रेस्टस बिद दी पीपुल)। उन्हें इस बात पर ऐतराज है। ऐतराज मैं समझ सकता हूं क्योंकि, जो लोग एक जमाने से पुराने ख्याल के बन गये हैं और एक ऐसी फिजा में रहते हैं, जिसमें नये ख्याल दिमाग में नहीं आते तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वह आसानी से इन ख्यालों को न छोड़ पायें। लेकिन, आजकल के जमाने में कोई शख्स यह कहे कि कुल अख्तियार एक इंसान को हासिल हैं और हुकूमत करने का हक उसको खुदा का दिया हुआ है या किसी और ताकत का तो, यह एक अजीब–ओ–गरीब बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई हिन्दुस्तान का आदमी चाहे वह रिआसती मुमालिक का हो या कहीं और का, कैसे इस बात को कहने की जुर्रत कर सकता है। यह नामुनासिब बात है कि जो बात सैकड़ों वर्श पहले दुनियां में उठी थी और नामंजूर हुई, वह अब पेश की जाए। चुनाचे, मैं उनसे निहायत अदब से कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से वह अपनी हैसियत को कम करते हैं और अपनी जगह को कमजोर करते हैं और दुनियां के सामने एक गलत बात कहते हैं। कम–से–कम यह असेम्बली अपनी बुनियाद को नुक्सान नहीं पहुंचा सकती, अगर पहुंचायेगी तो सारे हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने की बुनियाद गलत हो जायेगी।

आइन्दा हमारा ताल्लुक और मुल्कों से क्या होगा, जब हम एक आज़ाद मुल्क और रिपब्लिक होंगे? क्या ताल्लुक अंग्रेजों के मुल्क से

का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुये शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था। वरन् प्रस्ताव और उसके शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को व्यक्त करते थे जो आज फलवती होने जा रही है।

उस अवसर पर यहां खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतुर्दिक व्याप्त है और भविश्य भी अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। हम वर्तमान रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं और चूंकि मैं न केवल सभा के सदस्यों के सामने बोल रहा था, बल्कि हिन्दुस्तान की 40 करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नये जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता था, मानों हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं और अगर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता था मानों हमारा सम्पूर्ण भविष्य जिसके हम संरक्षक हैं, प्रत्यक्ष हमारी आंखों के आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का काम था और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर्ण था। महान् अतीत और अपनी कल्पना के महान् भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे हम खड़े थे और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अवसर की गम्भीरता का प्रभाव इस महती सभा पर भी अवष्य पड़ा था।

ऐसी अवस्था में, मैंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था और आशा की थी यह दो तीन दिनों में ही पास हो जायेगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु एक लम्बे वाद–विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के लिये स्थगित रखना तय किया। मैं यह मंजूर करता हूं कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भी हुई, क्योंकि मैं इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पथ में विलम्ब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति झूठे बन रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रारम्भ था कि हम लक्ष्य–सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को स्थगित करदें। क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे–धीरे होगा और जब

तब स्थगित होता रहेगा? फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था वह दुरुस्त फैसला था, क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। एक तो इस बात पर कि हमारा लक्ष्य तक पहुँचना नितान्त आवश्यक है और दूसरे इस बात पर कि हम यथा समय और अधिक से अधिक एकमत होकर अपने लक्ष्य पर पहुँचें। इसलिये, मैं यह सादर कहता हूं कि यह ठीक ही हुआ कि सभा ने इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का फैसला किया और इस तरह उसने न सिर्फ संसार को ही प्रकट कर दिया कि हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि जो लोग नहीं आये हैं, वे भी शरीक हों, बल्कि देश के सभी लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया कि हम, सबका सहयोग पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तब से आज 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और इस बीच में अगर वे आना चाहते, तो उनको काफी मौका मिला। दुर्भाग्य से, उन्होंने अब तक आने का फैसला नहीं किया है और अभी भी अनिश्चय की अवस्था में पड़े हैं। मुझे इसका खेद है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वे भविष्य में जब आना चाहें आयें, हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह बात तो साफ–साफ समझ होनी चाहिए और इसमें कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि भविष्य में हमारा काम रुकेगा नहीं, चाहे आवें या न आवें। काफी इन्ताजर किया जा चुका है। न केवल 6 हफ्ते बल्कि देश के बहुत से लोगों ने सालों तक इन्तजार किया है और देश ने तो कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की है। आखिर हम कितना और इन्तजार करेंगे। और अगर हम लोग, हममें से कुछ लोग, जो सम्पन्न है इन्तजार कर भी सकते हैं तो भूखे और बिना अन्न मरने वाले भला कैसे इन्तजार कर सकते हैं? यह प्रस्ताव भूखों को भोजन तो नहीं देगा पर यह उन्हें बहुत–सी बातों का विश्वास दिलाता है। यह उन्हें आजादी का, भोजन का और सब लोगों को अवसर देने का विश्वास दिलाता है।

इसलिये, जितना जल्दी हम इसे कार्यान्वित करने में लग जायें उतना ही अच्छा है। हमने 6 हफ्ते तक इन्तजार किया और इस बीच में देश ने इस बार सोचा है, विचार किया है। दूसरे, देशों ने और दूसरे

लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी है, इस पर सोच–विचार किया है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये हम लोग यहां पुनः समवेत हो रहे हैं। हमने इस पर एक लम्बा वाद–विवाद किया है और अब इसे मंजूर करने वाले ही हैं। मैं डा. जयकर और श्री सहाय का कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने अपने संशोधन वापस ले लिये। डा. जयकर के उद्देश्य की सिद्धि तो प्रस्ताव को स्थगित रखने से हो चुकी थी और ऐसा जान पड़ता है कि सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत न हो। हां, यह हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा–बहुत शाब्दिक हेर–फेर चाहते हों या इसके किसी भाग पर कम या वेशी जोर देना चाहते। हां, पर जहां तक समूचे प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसे सभा की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसमें जरा भी शक नहीं कि इसको देश का भी पूर्ण समर्थन मिल चुका है।

इसकी कुछ आलोचना भी हुई है और खासकर कुछ राजा–महाराजाओं की ओर से। उनकी पहली शिकायक तो यह है कि रियासती प्रतिनिधियों की अनुपस्थित में यह प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिये था। अंशतः, इस आलोचना से मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब यह है कि मुझे खुशी होती अगर प्रस्ताव पास होते समय सारी रियासतों के, समस्त भारत के, उसके हर हिस्सों के, वास्तविक प्रतिनिधि यहां मौजूद होते। परन्तु, अगर वे यहां मौजूद नहीं हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। यह दोष तो मूलतः उस योजना का है जिसके आधीन हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे सामने यही रास्ता है। चूंकि, कुछ लोग यहां नहीं उपस्थित हो सकते, इसलिये क्या हम अपना काम स्थगित रख देंगे? तब तो चूंकि रियासतों के प्रतिनिधि नहीं मौजूद हैं हम न केवल प्रस्ताव को बल्कि और भी बहुत काम स्थगित रख देंगे और यह एक भयानक बात होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, वे यहां जल्द से जल्द आ सकते हैं। यदि, वे रियासतों के समुचित प्रतिनिधि भेजेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। गत 6 हफ्तों के अन्दर भी, हमने अपनी ओर से हर चन्द इस बात की कोशिश की कि हम रियासती कमेटी के सम्पर्क में आवें और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उनके वास्वविक प्रतिनिधि परिषद् में आ सकें। इसमें देर हुई है। यह हमारा

दोष नहीं है। हमें खुद इस बात की फिक्र है कि सभी लोग परिषद् में शामिल हों, चाहें वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, रियासतों के प्रतिनिधि हों या और कोई हों। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ताकि इस सभा को यथासम्भव देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिये, हम इस प्रस्ताव को या और कामों को महज इस लिये स्थगित नहीं रख सकते कि कुछ लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

एक दूसरी आपत्ति भी उठायी गई है। जनता के सर्वसत्ता–सम्पन्न होने की जो कल्पना प्रस्ताव में की गई है, वह कुछ नरेशों को पसन्द नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं तो कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मन्त्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है, तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन, पद्धति की तीव्र निन्दा के लिये उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति, चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वरदत्त विशेषाधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूँ, नितान्त जघन्य है। यह परिकल्पना असह्य है और उसे यह सभा कभी भी मंजूर न करेगी। अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका तीव्र विरोध करेगी। हमने राजाओं के दैवी अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों में इसके सम्बन्ध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई। वह, आज मुद्दत हुई, दफना दी गई। यदि आज हिन्दुस्तान में यह और भी कहीं कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है, तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिलकुल असंगत है। इसलिये मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा, आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।

परन्तु, जैसा कि पहले इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने स्पष्ट कहा था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा था कि हम रियासतों की राजतन्त्रीय–पद्धति में भी दखल

न देंगे, यदि वहां की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत आयरिश प्रजातंत्र का उदाहारण भी दिया था। और यह कल्पना भी मुझे ग्राह्य है कि भारतीय प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि प्रजा उन्हें चाहती हो। इस बात को तय करना एकमात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव और सम्भवतः वह विधान भी, जो हम बनायेंगे, इस मामले में कोई दखल न देगा। हां, यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि भारत के भिन्न–भिन्न भागों में स्वतन्त्रता का स्तर एक सा हो, क्योंकि यह बात मेरी कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हो और कुछ भागों को न प्राप्त हो। यह नहीं हो सकता। इससे झगड़े पैदा होंगे, जैसा कि आज इस विशाल संसार में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतन्त्र हैं और कुछ पराधीन। इससे भी बड़ी मुसीबत यहां पैदा हो जायेगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में तो आज़ादी हो और कुछ में न हो।

इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के लिये हम कोई खास पद्धति नहीं निर्धारित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी हैं कि बतौर संघ के हों या कई मिलकर संघ बनावें, स्वतन्त्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे। इनको सभी बातों में पूरी आजादी होगी, सिवा उन चन्द मामलों के जो केन्द्र के आधीन होंगे। केन्द्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहां भी इन मामलों पर विचार करने में इनका सहयोग लिया जायेगा। इसलिए, यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अन्दरूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुदमुख्तार होंगे और जैसा मैंने कहा है अगर ये चाहेंगे तो बतौर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतन्त्र रख सकते हैं। इस बात के लिये वे आज़ाद हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में और अन्य स्थानों में भी प्रजातन्त्र का हामी हूँ। पर, इस सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत विचार, जो कुछ भी हों, मैं उन्हें दूसरों पर नहीं लादना चाहता। मैं समझता हूँ कि इस सभा की भी यह मर्जी नहीं है, वह उन मामलों में अपनी राय दूसरों पर लादे।

इसलिये, इस प्रस्ताव पर जो आपत्ति एक रियासत के राजा ने

की है, वह सिद्धान्त की दृष्टि से, सारी सत्ता जनता के हाथ में है, उस सिद्धान्त के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक परिणामों का ही विरोध करती है। इसके अलावा, किसी को और कोई आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति एक मिनट भर भी नहीं टिक सकती। हम इस प्रस्ताव में यह दावा करते हैं कि हम लोग स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के लिये, अनिवार्यतः प्रजातन्त्र के लिये एक विधान तैयार करेंगे। प्रजातन्त्र के अलावा आखिर भारत में हम और क्या रख सकते हैं? चाहे देशी रियासतों में जैसी भी व्यवस्था रखी जाय, यह असम्भव और अनुचित है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के प्रजातंत्र के अलावा अन्य कोई शासन–पद्धति होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि वह प्रजातन्त्र संसार के देशों से, इंग्लैण्ड से, ब्रिटिश कामनवेल्थ से कैसा सम्बन्ध रखेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने यह प्रतिज्ञा की है और बहुत दिनों तक की है कि हम ब्रिटेन से सम्बन्ध–विच्छेद करेंगे, क्योंकि हमारा यह सम्बन्ध ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनियां से अलग रहेंगे या उन देशों के विरूद्ध रहेंगे जिन्होंने हम पर प्रभुता की है। इस अवसर पर, जब हम स्वतन्त्रता के दरवाजे पर पहुँच गये हैं, हम यह नहीं चाहते कि किसी भी देश के प्रति हम में लेश–मात्र भी शत्रुता की भावना हो। हम सबके साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं। हम ब्रिटिश जनता के साथ, ब्रिटिश कामनवेल्थ के सारे देशों के साथ दोस्ताना सलूक चाहते हैं।

पर, जिस बात पर मैं चाहता हूं कि यह सभा विचार करे, वह यह है। जब ये शब्द और ये लेबल बड़ी तेजी से अपना मतलब बदलते जा रहे हैं और आज की दुनिया में पृथकत्व नहीं रह गया है तो आप भी दूसरों से अलग नहीं रह सकते। आपको सहयोग करना ही होगा, नहीं तो संघर्ष कीजिये। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम शान्ति चाहते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहते। अन्य राष्ट्रों की तरह हमारा भी यही सम्भव और वास्तविक लक्ष्य है कि एक विश्व संगठन बनाने में हम सबको सहयोग दें। उस विश्व संगठन को, आप चाहे एक दुनिया के नाम से पुकारिये

या अन्य किसी नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से उस विश्व–संगठन के निर्माण का प्रारम्भ हो चुका है। यह अभी बहुत कमजोर है, इसमें बहुत–सी खराबियां हैं, फिर भी, इससे विश्व–संगठन का प्रारम्भ तो हो ही गया है और हिन्दुस्तान ने इस काम में सहयोग देने का वायदा कर लिया है। अब यदि हम इस विश्व संगठन की बात सोचते हैं – इसमें दूसरे देशों को अपना सहयोग देने की बात सोचते हैं, तो फिर यह सवाल कहां उठता है कि हम देशों के इस गुट या उस गुट के साथ हैं। सच बात तो यह है कि जितने ज्यादा गुट या गिरोह बनेंगे उतना ही यह विश्व–संगठन कमजोर होता जायेगा।

इसलिये, उस विशाल संगठन को मजबूत बनाने के हेतु सभी देशों के लिये यह वांछनीय है कि वे अलग दल या गिरोह बनाने पर जोर न दें। मैं जानता हूँ कि ऐसे अलग–अलग दल और गुट आज संसार में हैं और उनके अस्तित्व ही के कारण उनमें परस्पर शत्रुता है और युद्ध की भी चर्चा उनमें चल रही है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, शान्ति रहेगी या संघर्ष होगा। हम कगार के किनारे खड़े हैं और भिन्न–भिन्न शक्तियां हमें दो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। कुछ शक्तियां हमें सहयोग की ओर, शान्ति की ओर, खींच रही हैं और कुछ कगार के नीचे, युद्ध और पार्थक्य की ओर ठेल रही है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि यह बता सकूं कि आगे क्या होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग शान्ति चाहते हैं उन्हें अलग–अलग गुट बनाने का विरोध करना चाहिये। इन गुटों का आपस में विरोधी हो जाना लाजिमी है, स्वाभाविक है। इसलिये जहां तक इसकी वैदेशिक नीति की गति है, हिन्दुस्तान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह दलों और गुटों से बिलकुल अलग रहना चाहता है और दुनियां के सारे देशों के साथ बराबरी के दर्जे पर सहयोग करना चाहता है। यह स्थिति है तो बड़ी मुश्किल, क्योंकि लोगों में जब एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ हो तो जो आदमी तटस्थ रहना चाहता है, उस पर यह शक किया जाता है कि वह दूसरे दल के साथ हमदर्दी रखता है। यह बात हम हिन्दुस्तान में भी देख सकते हैं और संसार की राजनीति के व्यापक क्षेत्र में भी। अभी हाल में, एक

अमेरिकन राजनीतिज्ञ ने ऐसे शब्दों में हिन्दुस्तान की आलोचना की है जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के राजनीतिज्ञों में जानकारी और समझ की बड़ी कमी है। चूंकि, हम अपनी स्वतन्त्र नीति बरतते हैं, इसलिए मुल्कों का एक गिरोह यह समझता है कि हम दूसरे गिरोह के साथ हैं और दूसरा गिरोह यह समझता है कि हम उसके विरोधी के साथ हैं। यह तो होगा ही। अगर, हम भारत को स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बनाना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से जुदा हो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बहैसियत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के शान्ति और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए हम सभी देशों को –ब्रिटेन को, ब्रिटिश कामनवेल्थ के राष्ट्रों को, अमेरिका को, रूस को तथा अन्य सभी छोटे–बड़े राष्ट्रों को – अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं। परन्तु, हमारे और इन देशों के बीच वास्तविक सहयोग तभी हो सकता है जब हम यह समझते हों कि हम स्वतन्त्र होकर सहयोग दे रहे हैं, न कि यह कि सहयोग देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तब तक कोई भी सहयोग सम्भव नहीं है, जब तक मजबूर किये जाने का रंच–मात्र भी आभास हमें मिलेगा।

इसलिए, मैं इस सभा के सामने इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं और मैं तो कहूँगा कि न सिर्फ सभा के ही सामने बल्कि दुनियां के सामने उसकी तारीफ करता हूं, ताकि, यह बात साफ हो जाये कि यह प्रस्ताव सबके प्रति सद्भावना जाहिर करने की एक कोशिश है और इसके पीछे कोई शत्रुता की भावना नहीं है। हमने, गुजरे हुए जमाने में, बड़ी–बड़ी मुसीबतें झेली हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और हो सकता है कि हमें फिर संघर्ष करना पड़े। पर महात्माजी के नेतृत्व में, हमारी सदा यही कोशिश रही है कि दूसरों के साथ हमारा दोस्ती और सद्भावना का बर्ताव हो, यहां तक कि उनके साथ भी जो हमारे विरोधी हैं। हम नहीं जानते कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और हममें भी कमजोरियां हैं। फिर भी महात्माजी के सन्देश की एक गहरी छाप इस देश के करोड़ों आदमियों के दिलों पर पड़ी है और उस हालत में हम जब भी गलती पर हों या कुराह पर हों, इसे भूल नहीं सकते। हममें से कुछ लोग

साधारण आदमी हो सकते हैं और कुछ महान्, पर चाहे हम साधारण मनुष्य हों या महान्, फिलहाल हम एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ–न–कुछ महत्ता की छाया हम पर पड़ती ही है। आज इस सभा में हम सब एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रस्ताव, जिसे मैंने पेश किया है, उस महान् उद्देश्य का कुछ–कुछ स्वप्न जाहिर करता है। हम इसे पास करेंगे और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के ज़रिये हम वह विधान बना पायेंगे, जिसकी रूप–रेखा इसमें दी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह विधान हमें असली आज़ादी देगा, जिसके लिए हम इतने दिनों से रट लगा रहे थे और फिर वह आज़ादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देगी, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इस विधान से दूसरे एशियाई मुल्कों को भी आज़ादी प्राप्त होगी। हम चाहे जितने भी अयोग्य हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि हम एक तरह से एशिया में आज स्वतन्त्रता–आन्दोलन के नेता बन गये हैं और हर काम में हमें अपने को उसी व्यापक दायरे में रखना चाहिए। जब किसी छोटी–मोटी बात से हममें मतभेद पैदा हो जाये और इसकी वजह से हमारे सामने मुश्किलें और आपसी झगड़े दिखाई दें, तो हम न सिर्फ प्रस्ताव को ही याद रखें, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी याद रखें जो हमारे कंधों पर है। 40 करोड़ भारतीय जनता की आज़ादी की ज़िम्मेदारी को, एशिया के एक विशाल भाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी को, तथा सारे संसार की विशाल जनसंख्या के एक तरह से पथ–प्रदर्शक होने के दायित्व को, याद रखें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को याद रखें, तो सीट या ओहदे के लिए, इस दल या उस दल के चन्द छोटे–मोटे लाभों के लिए, शायद हम कलह न करेंगे। एक बात जो हम सबों के दिमाग में साफ–साफ आ जानी चाहिए, वह यह है कि हिन्दुस्तान का कोई दल, कोई पार्टी, कोई धर्म या कोई सम्प्रदाय कभी भी सुखी और सम्पन्न न होगा अगर स्वयं हिन्दुस्तान सुखी और सम्पन्न नहीं है। अगर हिन्दुस्तान खत्म होता है, तो हम सब खत्म हो जाते हैं, चाहे हमें एक सीट ज्यादा मिली या कम, चाहे हमें

थोड़ी–विशेष सुविधा मिली या नहीं। अगर हिन्दुस्तान आनन्द में है, अगर वह एक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र देश की तरह जीवित रहता है, तो हमें भी आनन्द–ही–आनन्द है, चाहे हम किसी भी फिरके के हों, किसी भी धर्म के हों।

हम विधान बनायेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा विधान होगा। पर इस सभा का कोई सदस्य ऐसा भी समझता है कि स्वतन्त्र भारत अपना प्रादुर्भाव होने पर कोई भी बन्धन, भले ही वह इस सभा का ही बनाया क्यों न हो, मंजूर करेगा। स्वतन्त्र भारत में तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का तेज चारों तरफ चमकता दिखाई देगा। मैं यह नहीं जानता कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा; पर इतना जरूर जानता हूं कि वह अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं मंजूर करेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें शायद आगामी दस या बीस वर्षों तक हाथ भी न लगाया जा सके, लेकिन अगर इसे हम आज नहीं कर लेते, तो शायद पीछे हम न कर पायेंगे। मेरी समझ में यह बिलकुल मिथ्या भ्रम है, गलत ख्याल है। सभा के सामने मैं यह बात नहीं रख रहा हूँ कि अमुक काम किया जाये और अमुक नहीं जिया जाये। पर मैं सभा से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ऐसा समझे कि अब क्रान्तिकारी परिवर्तन शीघ्र ही होने वाले हैं। क्योंकि, जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ बैठती है तो वह एक अनोखे ढंग से काम करने लगती है और उसे अनोखे ढंग से काम करना ही चाहिए। हो सकता है कि जो विधान यह सभा बनाये, उससे स्वतन्त्र भारत को सन्तोष न हो। यह सभा आने वाली पीढ़ी को या उन लोगों को, जो इस काम में हमारे उत्तराधिकारी होंगे, बांध नहीं सकती। इसलिए, हमें अपने काम के छोटे–मोटे ब्यौरों पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। ये ब्यौरे कभी भी टिकाऊ न होंगे, अगर उन्हें हमने झगड़ा करके तय पाया। उसी चीज़ के टिकाऊ होने की सम्भावना है जिसे हम जो कुछ भी एकमत होकर पावेंगे। संघर्ष करके, दबाव डालकर,धमकी देकर, हम जो कुछ भी हासिल करेंगे, वह स्थायी न होगा। वह तो केवल एक दुर्भावना का

सिलसिला छोड़ जायगा और इसलिए मैं सभा के सामने से इस प्रस्ताव की सिफारिश करता हूँ। अब मैं प्रस्ताव के अन्तिम पैरे को पढ़ देता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने के पहले एक बात और मैं कह देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक महान् देश है। प्रचुर साधनों के ख्याल से, जन–शक्ति के विचार से, स्थायित्व की दृष्टि से, हर तरह, यह एक महान् देश है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि आज़ाद हिन्दुस्तान विश्व–रंग–मंच पर हर काम में अपना जबर्दस्त पार्ट अदा करेगा। भौतिक शक्ति के संकुचित क्षेत्र में भी वह पूरा हिस्सा लेगा और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह जबरदस्त हिस्सा ले। आज संसार में भिन्न–भिन्न शक्तियों के बीच, भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है; एटम बम और इसकी भिन्न–भिन्न शक्तियों के बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। वस्तुत आज संसार में दो प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक ओर तो रचना–मूलक मानव–प्रवृत्ति है और दूसरी ओर है विनाश–मूलक दानव–प्रवृत्ति–जिसका एटम बम एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारत भौतिक शक्ति के क्षेत्र में अपना जबरदस्त हिस्सा तो लेगा ही, पर वह हमेशा रचनात्मक, मानव–प्रवृत्ति पर ही जोर देगा। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस संघर्ष में, जो आज दुनिया के सामने भूत बनकर खड़ा है, अन्त में, एटम बम पर दानव–प्रवृत्ति की जीत होगी। ईश्वर करे, यह प्रस्ताव फलीभूत हो और वह समय आये जब इस प्रस्ताव के अनुसार यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे और संसार की शान्ति और मानव–कल्याण की उन्नति के लिए अपना पूरा तथा हार्दिक सहयोग दे।

अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आपके वोट देने का समय अब आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस अवसर की गंभीरता और इस प्रस्ताव में निहित प्रतिज्ञा और वचन की महत्ता को ध्यान रखते हुए प्रत्येक सदस्य इसके पक्ष में अपना वोट देते समय अपने स्थान पर खड़ा हो जायगा।

मैं प्रस्ताव पढ़ता हूँ :

(1) यह विधान–परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये;

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतन्त्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और

(3) जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान– सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बनाने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा वा रहेगा, उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे वा रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभा अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतन्त्र, स्वतन्त्र भारत उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम–धन्धे की, संघ बनाने वा काम करने की स्वतन्त्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिसमें सभी अल्प–संख्यकों के लिए, पिछड़े हुये वा कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण–विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित–साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने तब प्रस्ताव का हिन्दी रूपान्तर पढ़कर सुनाया।)

प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद भी मेरे पास है। दुर्भाग्य से मैं उसे पढ़ नहीं सकता। यदि कोई और सदस्य इसे मेरी ओर से पढ़ सकें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

(उसके बाद श्री मोहनलाल सक्सेना ने प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद पढ़ा।)

अध्यक्ष : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें।

सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया।

❑❑❑

कुछ ऐतिहासिक चित्र

भारत का संविधान : उद्‌घोषणा (मूल हिन्दी प्रति)

भारत के संविधान की मूल हिन्दी प्रति पर चौधरी रणबीर सिंह के हस्ताक्षर

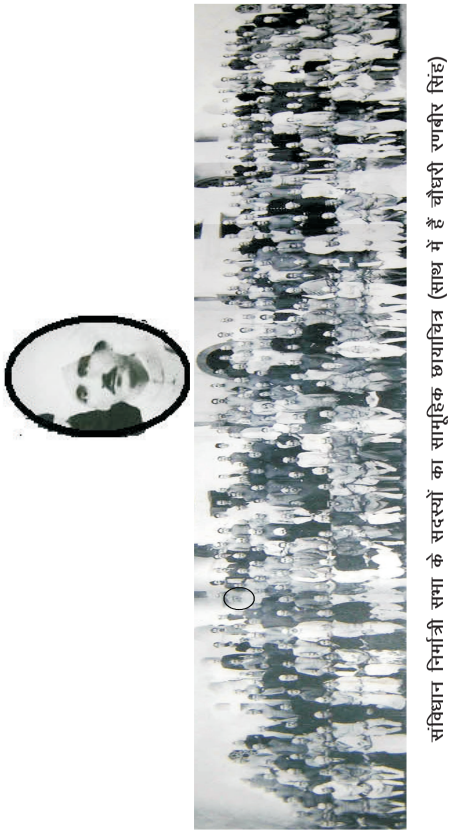

संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का सामूहिक छायाचित्र (साथ में हैं चौधरी रणबीर सिंह)

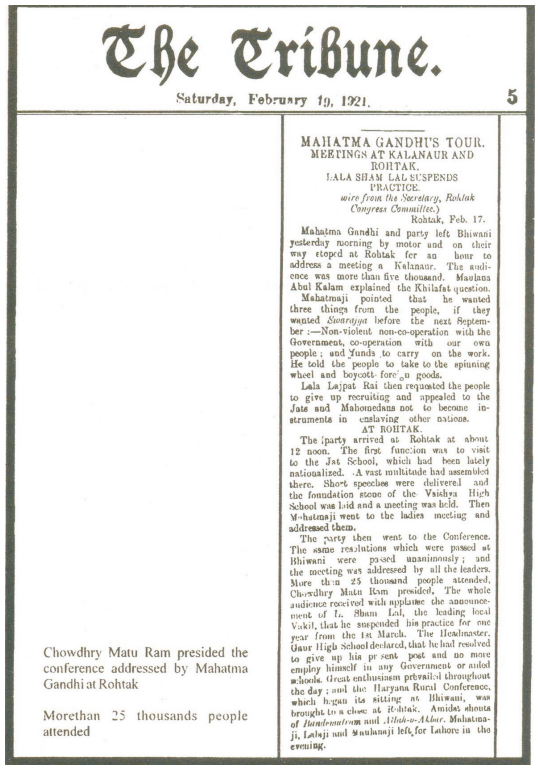

The Tribune.

Saturday, February 19, 1921. 5

MAHATMA GANDHI'S TOUR.
MEETINGS AT KALANAUR AND ROHTAK.
LALA SHAM LAL SUSPENDS PRACTICE.
(From the Secretary, Rohtak Congress Committee.)

Rohtak, Feb. 17.

Mahatma Gandhi and party left Bhiwani yesterday morning by motor and on their way stoped at Rohtak for an hour to address a meeting a Kalanaur. The audience was more than five thousand. Maulana Abul Kalam explained the Khilafat question.

Mahatmaji pointed that he wanted three things from the people, if they wanted *Swarajya* before the next September :—Non-Violent non-co-operation with the Government, co-operation with our own people ; and funds to carry on the work. He told the people to take to the spinning wheel and boycott foreign goods.

Lala Lajpat Rai then requested the people to give up recruiting and appealed to the Jats and Mahomedans not to become instruments in enslaving other nations.

AT ROHTAK.

The party arrived at Rohtak at about 12 noon. The first function was to visit to the Jat School, which had been lately nationalized. A vast multitude had assembled there. Short speeches were delivered and the foundation stone of the Vaishya High School was laid and a meeting was held. Then Mahatmaji went to the ladies meeting and addressed them.

The party then went to the Conference. The same resolutions which were passed at Bhiwani were passed unanimously ; and the meeting was addressed by all the leaders. More than 25 thousand people attended. Chowdhry Matu Ram presided. The whole audience received with applause the announcement of L. Sham Lal, the leading local Vakil, that he suspended his practice for one year from the 1st March. The Headmaster, Gaur High School declared, that he had resolved to give up his present post and no more employ himself in any Government or aided schools. Great enthusiasm prevailed throughout the day ; and the Haryana Rural Conference, which began its sitting at Bhiwani, was brought to a close at Rohtak. Amidst shouts of *Hindu-muslim* and *Allah-o-Akbar*. Mahatmaji, Lalaji and Maulanaji left for Lahore in the evening.

Chowdhry Matu Ram presided the conference addressed by Mahatma Gandhi at Rohtak

Morethan 25 thousands people attended

'दी ट्रिब्यून' में महात्मा गांधी के रोहतक दौरे बारे प्रकाशित समाचार

सन् 1952 में चुनाव जीतने के बाद अपनों के साथ

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला

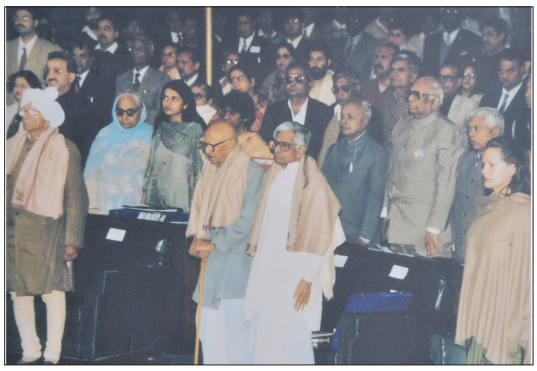

संविधान की स्वर्ण जयन्ति के अवसर पर आयोजित विशेष सभा में

राष्ट्रपति के.आर.नारायण से सम्मान हासिल करते हुए

अमर क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह
(शहीद भगत सिंह के चाचा)

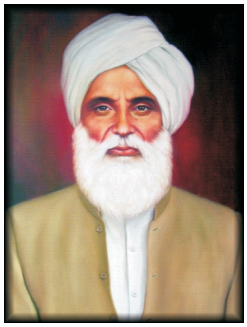

महान आर्य समाजी चौधरी मातूराम
(चौधरी रणबीर सिंह के पिताश्री)

राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा से सम्मान हासिल करते हुए

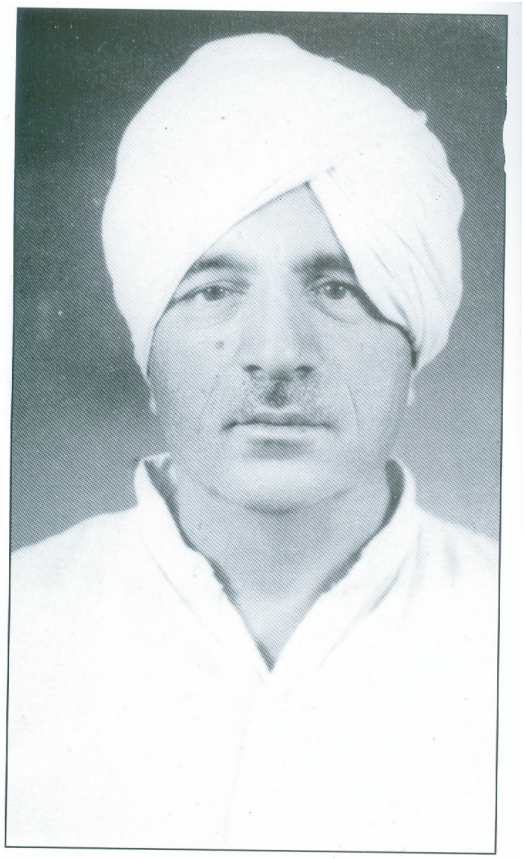

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक